राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 6] चतुर्थ विधान सभा के छठे सत्र का सातवां दिवस [संख्या 5

बुधवार,

दिनांक 21 जनवरी, 1970.

विधान सभा की बैठक म. पू. 11 को विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[राजस्व गृह, सार्वजनिक निर्माण, स्वा० शासन, विद्युत, उद्योग, समाज कल्याण विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री जयनारायण सालोदिया।

गौरेली क्षेत्र में पेनल्टी से लगान की वसूली,

64. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत क्षेत्र गोरेली, तहसील देवली में करीब 2300 बीघा जमीन सवाई चक है जिस पर गत बीस सालों से किसानों का कब्जा है ? यदि हां, तो उसको किसानों के नाम खातों में क्यों नहीं लगाई गई ?

(2) क्या यह भी सच है कि किसानों से हरसाल पेनल्टी से लगान वसूल किया जाता है ? यदि हां, तो हरसाल कितनी पेनल्टी सभी किसानों से वसूल की जाती है ?

(3) क्या अब सरकार उस जमीन को किसानों के नाम लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उपमन्त्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी): (1) ग्राम पंचायत गौरेली में करीब 2390 बीघा सिवाय चक भूमि है। जिस पर काश्तकारान ने सम्वत् 2019 से अतिक्रमण कर रखा है। 99) 3 सिवाय चक भूमि के खातेदारी अधिकार दे दिये गये हैं।

(2) सम्वत् 2019 से 2025 तक भूमि पर अतिक्रमण रहा जिन अतिक्रमण-कारियों के मामले नियमन में नहीं आये उन सबसे 13403 रुपये 30 पैसे पेनल्टी वास्ते वसूली कायम की गई है।

Page No 2

(श्री गंगाराम चौधरी)

(3) नियमानुसार जो अतिक्रमणकारी खातेदारी पाने के अधिकारी थे उन्हें खातेदारी दी जा चुकी है। शेष को बेदखल किया जा चुका है। कुछ मामले विचाराधीन हैं उन्हें शीघ्र निपटाने का प्रयास किया जा रहा है।

श्री जयनारायण सालोदिया : जो किसान बीस साल से काबिज हैं उनको खातेदारी हक क्यों नहीं दिया गया ?

श्री गंगाराम चौधरी : 2019 से अतिक्रमण दर्ज है और यही समझ कर तहसीलदार ने कार्यवाही की है। अगर उसका नियमन सही नहीं समझते हैं आप तो नियमों में अपील का प्रावधान है, निगरानी का प्रावधान है आप वह कर सकते हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : निगरानी तो कर सकते हैं, पर इसमें किसानों को कितनी परेशानी और खर्चा होगा इसको क्या सरकार अनुभव नहीं करती ? मौजूदा अधिकारी नियमानुसार काम नहीं करते। पक्षपातपूर्ण काम करते हैं। जिनके खाते में कम जमीन है उनको नहीं लगाते और परेशान करते हैं इसका क्या उपाय हो सकता है ? इसे तो सरकार को ही देखना चाहिये। उनमें से कितने काश्तकार भूमिहीन थे ?

श्री गंगाराम चौधरी : काश्तकारों की संख्या इस वक्त मेरे पास उपलब्ध नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : क्या यह सही है कि अधिकांश काश्तकार इनमें से भूमिहीन हैं ?

श्री गंगाराम चौधरी : नहीं हैं। जैसा मैंने उत्तर में निवेदन किया है केवल 99 बीघा ही नियमन की गई है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि भूमिहीन नहीं हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : आंकड़े इस प्रकार के आपके पास हों तो बतावें।

श्री गंगाराम चौधरी : जो प्रश्न पूछा उसके सम्बन्ध में केवल मैं यह कह रहा हूं।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या यह सही है कि जिन 2000 के करीब काश्तकारों ने अतिक्रमण कर रखा है उनमें अधिकांश भूमिहीन हैं पर तहसीलदार और स्थानीय स्टाफ उनको जमीनों पर कब्जा नहीं होने देता ?

श्री गंगाराम चौधरी : यह सही नहीं है। फिर भी अगर उनके निर्णय से सन्तोष नहीं है तो अपील या निगरानी की जा सकती है।

श्री जयनारायण सालोदिया : अपील तो कर सकते हैं पर इसमें परेशानी कितनी होगी क्या इसे सरकार महसूस नहीं करती ?

श्री गंगाराम चौधरी : राज्य सरकार का ऐसा ही निर्देश है। इसमें अगर किसी के पास सबूत है तो अपील में जाकर रिलीफ प्राप्त कर सकता है।

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा सु.) : यह आम शिकायत है कि एक जमीन में 25 काश्तकार खेती करते हैं पर जमीन थोड़ी है तो अगर उनमें से कोई अनधिकृत कब्जा कर लेता है तो उनको कोई काश्तकार नहीं मानता और इस तरह जमीन का आवंटन उनको नहीं किया जा सकता, नियमन नहीं

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

किया जा सकता । यह आम शिकायत है हर जिले में है । और हर जिले में काश्तकारों पर पेनल्टी लगाई जाती है ।

श्री गंगाराम चौधरी : ऐसा कोई मामला हमारे ध्यान में आवेगा तो उचित कार्यवाही की जावेगी ।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : क्या यह सही है कि आपके ऐसे आदेश हैं कि जिनका 2011 से कब्जा है तो अपने आप सेक्शन 15 के तहत तहसीलदार उनको खातेदारी का हक दे दें ।

श्री गंगाराम चौधरी : ऐसा है तो अधिकारी है, पर अगर तब से काविज नहीं हो तो, सुबूत देना होगा ।

श्री दिग्विजयसिंह : इसमें प्रावधान है कि सरकार स्वयं जांच करके खातेदारी राइट दे देगी ।

श्री गंगाराम चौधरी : वह तो दे दिया गया है । अब अगर साबित नहीं हुआ है और साबित किया जा सकता है तो दावे के जरिये रिलीफ मिल सकता है । और राज्य सरकार के ध्यान में भी ऐसा मामला आवेगा तो सरकार निर्णय करेगी ।

श्री जयनारायण सालोदिया : कितने अतिक्रमण के मामलें यहां थे, कितनी जमीन थी, कितने मामले तय किये, कितने कैंसिल किये, कितने पेन्डिंग में पड़े हैं और कितनी जमीन बची हुई है ?

श्री गंगाराम चौधरी : यह संख्या मेरे पास इस समय नहीं है । क्योंकि प्रश्न रकवे के सम्बन्ध में ही था केवल ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री बुरासिया ।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि टिनेन्सी एक्ट में ऐसा प्रावधान है कि दस साल का जिसका कब्जा है उसको खातेदारी हक दे दिया जावेगा ?

श्री अध्यक्ष : कानूनी प्रश्न । नेक्स्ट । श्री बुरासिया ।

रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट में संशोधन

65. **श्री देवीलाल बुरासिया** (केकड़ी सु.) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दामोदर दास बनाम बद्रीनारायण व अन्य के. डी. बी. सिविल अपील संख्या 3 सन् 1965 में दिनांक 7–4–66 के फ़ैसले में विद्वान् न्यायाधीशों ने विचार व्यक्त किया है कि :

राजस्थान रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट के अन्तर्गत विधान सभा को देखना है कि किरायेदार के मरने के पश्चात् उसके वारिशों को कहां तक मदद दी जा सकती है ।

(2) क्या राजस्थान सरकार उक्त फ़ैसले के सन्दर्भ में किरायेदारों को या उनके वारिशों को मकान मालिक से सुरक्षा दिये जाने हेतु राजस्थान रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट में आवश्यक संशोधन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

राज्य मंत्री गृह (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) जी हां ।

(2) यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

मेजर श्री फतहसिंह (ब्यावर) : यह हाई कोर्ट का फैसला सरकार को कब प्राप्त हुआ था ?

श्री हीरालाल देवपुरा : 66 में।

श्री देवीलाल बुरासिया : अब तक सरकार विचार ही करती रही इस पर ?

मेजर श्री फतहसिंह : यह फैसला 7-4-66 को हो गया था तब से आज तक करीब 3॥ साल का अरसा होने आया तो अब तक सरकार के कानूनी विशेषज्ञों ने क्या राय सरकार को दी है इस मामले में ?

श्री हीरालाल देवपुरा: अध्यक्ष महोदय, विभिन्न राज्य सरकारों से भी इस बारे में जानकारी प्राप्त करनी थी। हमने सेन्ट्रल गवर्नमेंट से भी पूछा है। अब यह प्रश्न कैबिनेट स्तर पर विचाराधीन है।

श्री देवीलाल बुरासिया : कितना समय लग जावेगा विचार करने में ?

श्री हीरालाल देवपुरा : प्रयत्न किया जावेगा कि शीघ्र ही निर्णय ले लिया जावे।

श्री देवीलाल बुरासिया: इस बारे में किन किन स्टेटों से विचार विमर्श किया है ?

श्री हीरालाल देवपुरा: पंजाब, मध्य-प्रदेश, महाराष्ट्र, यू. पी. से उत्तर प्राप्त हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट। श्री दिग्विजय सिंह।

भूतपूर्व मन्त्रियों के बंगलों पर गार्ड

67. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान कई भूतपूर्व मंत्रियों के बंगलों पर गार्ड तैनात रही थी ? यदि हां, तो किस किस के ?

(2) क्या यह सही है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान पुलिस गार्ड मंत्रियों के बंगलों पर नहीं रखी जा सकती थी ? यदि हां, तो गार्ड किस की आज्ञा से रखी गई थी ?

(3) क्या यह सही है कि इन गार्डों की नियुक्ति एट कास्ट की गई थी ? यदि हां, तो किस हिसाब से चार्ज किया गया और कितनी रकम जमा हुई व किस किस मंत्री ने कितनी कितनी रकम जमा करवाई ? आंकड़ों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उपमंत्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा) :

(1) राष्ट्रपति शासन के दौरान में भूतपूर्व मंत्रियों के बंगलों पर कोई पुलिस गार्ड तैनात नहीं की गई थी।

(2) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(3) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री दिग्विजयसिंह: क्या यह सही है कि 67 के सत्र में गृह मंत्री महोदय ने स्वयं ने स्वीकार किया था कि मंत्रियों के गार्ड रही है और वह एट कास्ट रही है।

श्री हीरालाल देवपुरा: ऐसी जानकारी नहीं है।

श्री दिग्विजयसिंह: मैं खुद जानकारी दे रहा हूं। मैं स्वयं उनसे मिलने गया था तब उन्होंने कहा था।

श्री हीरालाल देवपुरा: मैं जानकारी प्राप्त कर लूंगा।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट।

श्री दौलतराम सारण। प्रश्न सं. 68

प्लान्ट्स एवं टूल्स के लिए ऋण

68. **श्री दौलतराम सारण:** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सन् 66 से 68 तक सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्लान्ट्स एवं टूल्स के लिए ऋण कितना कितना कब कब किस ब्याज दर से कितने समय के लिये दिया गया ?

(2) ऐसे कितने ठेकेदारों को ऋण दिया गया जिनसे नियमनुसार 10 प्रतिशत कीमत का अग्रिम जमा नहीं लिया गया तथा क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि नियमानुसार जिन ठेकेदारों का जितनी कीमत अथवा लागत का ठेका था और उससे जितने जितने टूल्स और प्लाम्ट्स उधार लेने के वे हकदार थे उससे भी अधिक उधार दिया गया ? यदि हां, तो कितना कितना किन किन ठेकेदारों को व क्यों ?

(4) क्या किसी ठेकेदार के उधार पैसे नियमानुसार अग्रिम जमा नहीं लेने की शिकायत होने पर किसी दूसरे ठेकेदार के सिक्योरिटी खाते के पैसे बिना उसकी सहमति के अग्रिम पेटे जमा कर लिए गए और उस पर अदालतों में मुकदमें चले ? क्या ये सब तथ्य गत बजट अधिवेशन में सदन के सम्मुख आये थे ? यदि हां तो विभाग ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं तो, क्यों नहीं?

उप मंत्री, सार्वजनिक निर्माण: (श्री माधोसिंह): प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए अध्यक्ष महोदय, इसको स्थगित किया जाय।

श्री दौलतराम सारण: मेरे प्रश्न का सरकार इस सदन में कभी उत्तर नहीं देती। पहला प्रश्न है और सरकार मौन। अध्यक्ष महोदय, आपको कोई निर्देश देना चाहिये। सरकार की क्या स्थिति है ? मेरे प्रश्नों को 3-4 बार स्थगित कराया गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): सरकार की हालत पतली है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का उत्तर तैयार है, मंत्री महोदय को नहीं पहुंचा है तो उत्तर मैं दे दूं।

श्री अध्यक्ष: तब तो आपको उधर बैठना पड़ेगा।

श्री हरिदेव जोशी (उद्योग मंत्री): हम स्वागत करेंगे।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल (बयाना): बोर्डर रोड्स में घोटाला हुआ है। आपको जवाब मिलने में 3-4 वर्ष लग गये। क्या स्थिति है ?

श्री अध्यक्ष: मैं समझ गया प्रश्न लम्बा है, पेचीदा है, घोटाले का है इसलिए·· ·········

श्री भैरोंसिंह: यह सब किस कागज पर लिखा हुआ है, अध्यक्ष महोदय, पेचीदा है, घोटाला है। यह जो सामने पड़ा इसमें लिखा है ?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यों ने कहा है उसे ही दोहराया है। उसी के आधार पर कहा है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, सामने रखे हैं कागज इनमें लिखा है क्या ?

श्री अध्यक्ष: वह तो वहीं (श्री भैरों सिंह की टेबिल की ओर इशारा कर) पड़ा रहता है।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन सु.): माननीय मंत्री महोदय से इसी सदन में उत्तर दिलवाया जाय।

श्री अध्यक्ष: स्थगित किया गया।

प्रश्न सं. 69

श्री रावतराम।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 70

श्री देवीदत्त गाड़िया।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री विजयसिंह।

नगरपालिका मकराना द्वारा ट्रेक्टर का बेचान

71. **श्री विजयसिंह** (मकराना): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नगरपालिका मकराना ने कौन से मोडल का व किस कम्पनी का ट्रेक्टर कब खरीदा था व उसे कितने रुपये में खरीदा ?

(2) क्या यह ट्रेक्टर बेच दिया गया है ? अगर हां, तो किस व्यक्ति को बेचा गया व कितने रुपये में बेचा गया था तथा उस व्यक्ति का तहसीलदार परबतसर से क्या संबंध है ?

(3) क्या यह सही है कि ट्रेक्टर वास्तव में नीलाम नहीं किया व केवल रेकार्ड में फर्जी नाम लिखकर नीलाम बताया गया ?

(4) यदि ट्रेक्टर नीलाम किया गया था तो नीलामी की सूचना कब और किन किन तारीखों से प्रचार हेतु प्रसारित की गईं ?

(5) क्या राज्य सरकार इस मामले की जांच खुफिया विभाग के किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा करवायेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री मुल्क राज थिन्द): (1) वर्ष 1958-59 में एक ट्रेक्टर मैसीहेरिस नं. 44 टाइप 40 बी. एच. पी. मय ट्राली के श्री वर्मा व्यास एण्ड कम्पनी अजमेर से 11080-00 रुपयों में खरीदा गया था।

(2) जी हां, ट्रेक्टर मय ट्राली के नगरपालिका ने नीलाम द्वारा दिनांक 31-10-68 को श्री हरिश्चन्द्र पुत्र श्री लाला दयाराम निवासी श्री गंगानगर को 4050-00 में

(श्री मुल्कराज थिन्द)

बेचा है। इस व्यक्ति का तहसीलदार परबतसर से क्या संबंध है, यह जानकारी नहीं है।

(3) जी नहीं।

(4) नीलामी की आम सूचना दिनांक 15-10-68 को जारी की गई थी व संबंधित जिला के सरकारी व अर्द्ध सरकारी विभागों को सूचना भेजी गई थी।

(5) कार्यवाही नियमानुसार नहीं हुई प्रतीत होती है अतः जिलाधीश नागौर से जांच करवाई जा रही है।

श्री विजय सिंह : यह जांच के लिये जिलाधीश महोदय को आपने कब लिखा है?

श्री मुल्कराज थिंद : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने ज्योंही अवेश्चन किया उसी समय इसके आदेश दे दिये गये थे।

श्री विजय सिंह : क्या यह सही है कि जिस व्यक्ति ने यह ट्रेक्टर खरीदा है वह पहले के तहसीलदार का भाई था ?

श्री मुल्कराज थिन्द : मैंने निवेदन किया इसकी जानकारी नहीं है।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : (बयाना): सरकार ने महसूस किया है जो ट्रेक्टर बेचा गया है उसमें अनियमिततायें हुई हैं इस लिये जिलाधीश को लिखा है कि जांच की जाय ?

श्री विजय सिंह : क्या जिलाधीश के बजाय सरकार एन्टी-करप्शन विभाग से जांच कराने का विचार रखती है ?

श्री मुल्कराम थिन्द : जिलाधीश की रिपोर्ट आजायगी उसके बाद विचार किया जायगा।

श्री विजय सिंह : जिलाधीश राज्य सरकार के अधीन रहता है इसलिए सरकार उनको दबा देती है।

श्री अध्यक्ष : जिलाधीश की एन्क्वायरी के बाद ये एन्टीकरप्शन के प्रश्न पर विचार कर सकेंगे, ऐसा कहा है।

श्री मुलकराज थिन्द : पहले बता देना चाहिये था जल्दी कार्यवाही कर देंगे।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): ये तो कुलड़ी में गुड़ फोड़ते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची

72. **श्री गंगा सहाय** (कठूमर) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि विद्युत मंडल को बने 12 वर्ष हो चुके हैं परन्तु आज तक विद्युत मंडल के लेखाकारों एवं अन्य कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची नहीं बनाई गई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि लेखाकारों को बिना वरिष्ठता का ध्यान रखे ही लेखाधिकारी बना दिया गया है ?

(3) क्या यह भी सही है कि जयपुर वृत्त में कार्य करने वाले कुछ टेक्निकल कर्मचारियों को 1964 से ही पदोन्नत कर गलत तरीकों से लगभग 60,000 रुपये का नकद भुगतान कर दिया गया है ?

(श्रीगंगा सहाय)

(4) क्या यह भी सही है कि इस प्रकार की पदोन्नति के आदेश न विद्युत मंडल ने दिये हैं और न अध्यक्ष विद्युत मंडल ने दिये हैं ?

(5) क्या यह भी सही है कि मंडल के लगभग 350 टेक्निकल कर्मचारियों को मुख्यालय से डेपुटेशन पर अन्यत्र भेजा गया था ? यदि भेजा गया तो इस पर मंडल को कितना अनावश्यक खर्चा उठाना पड़ा ?

उपमंत्री, विद्युत (श्री खेतसिंह):अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रश्न को स्थगित करने की प्रार्थना करता हूं और इसकी वजह यह है कि यह प्रश्न विभाग को 9 तारीख को ही मिला है और राजस्थान के सारे सर्किल्स से सूचना एकत्रित करनी है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

प्रश्न संख्या 73

श्री यशवंत सिंह नाहर।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री श्रवणलाल ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसमें एक बात बतला दें मंत्री महोदय, जो इनफोरमेशन कलेक्ट करेंगे वह दूसरी बात है लेकिन वरिष्ठता सूची बन गई हैं क्या, यह बतला दें।

श्री अध्यक्ष : आधा प्रश्न नहीं।

श्री खेतसिंह : आधे प्रश्न का जवाब देने से कोई मतलब सिद्ध नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवण लाल।

जयपुर में प्लाटों का अलाटमेंट

74. **श्री श्रवण लाल** (हिन्डौन सु.) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि टाउन प्लानिंग विभाग, जयपुर में 1959 के प्रार्थना-पत्र भूमि प्राप्ति के आज तक पेन्डिग पड़े हैं ?

(2) क्या यह सही है कि 1959 के प्रार्थना-पत्रों पर जमीन नहीं दी गई है और 1965 के प्रार्थना-पत्रों पर जमीन दे दी गई है ? यदि हां, तो किस किस को और क्यों ?

(3) 1959 के प्रार्थना-पत्र वालों को सरकार कब तक प्लाट दे देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री मुल्कराज चिन्द) : (1) नगर आयोजन विभाग कोई भूमि का आवंटन नहीं करता है। सम्बन्धित नगर विकास न्यास ही ये कार्य करते हैं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री हरजीराम बुरड़क।

थाना बरड़वा में दर्ज मामला।

75. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि थाना बरड़वा जिला नागौर में सी. आर. नम्बर 29 दिनांक 5-9-1966 को जो केस दायर

(श्री हरजीराम बुरड़क)

हुआ था वह 2 वर्ष से भी ज्यादा समय तक पुलिस के पास पड़ा रहा और जांच के नतीजे को अदालत में नहीं भेजा गया ? यदि हां, तो क्यों और किस पुलिस अफसर के पास कितने समय तक पड़ा रहा ?

(2) क्या यह सही है कि प्रार्थियों ने समय समय पर इस मामले में कार्यवाही करने के लिये पुलिस के उच्च अधिकारियों को भी निवेदन किया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

(3) इस प्रकार से अनावश्यकरूप से जांच में तथा चालान में देरी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

राज्य मंत्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा): (1) जी हां, सत्य है। अभियोग नंबर 29 दिनांक 25-9-66 दो साल से ज्यादा पुलिस के पास अन्वेषण हेतु रहा। इस अभियोग में दिनांक 16-8-69 को एफ. आर. देने का निर्णय स्थानीय पुलिस द्वारा लिया गया था, किन्तु एफ. आर. अदालत में पेश नहीं की गई। दोषी वृत्त अधिकारी जिनकी गफलत व लापरवाही पाई जाती है, उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही के आदेश दे दिये गये हैं।

(2) जी हां, प्रार्थी ने समय समय पर इस सम्बन्ध में दरख्वास्त पेश की थी, उन पर वृत्त अधिकारी, डीडवाना को अन्वेषण शीघ्र समाप्त कर सही नतीजा पेश करने के लिए आदेश दिये गये थे।

(3) दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करने के आदेश दिये जा चुके हैं।

श्री हरजीराम बुरड़क : क्या यह सही है कि मुन्सिफ कोर्ट डीडवाना ने इस संबंध में पुलिस के खिलाफ कार्यवाही करने को लिखा है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : यह मामला अदालत में गया है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस मामले से सम्बन्धित पुलिस ने शिकायत की थी वह गलत थी और जिसका फैसला करते वक्त कोर्ट ने स्ट्रिक्चर पास किया है और पुलिस ने केस रजिस्टर किया है वह झूठा बताया है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : जी हां, सही है।

श्री भैरोंसिंह : तो फिर आपने क्या किया ?

श्री हीरालाल देवपुरा : सम्बन्धित अधिकारियों को लिखा है। विभागीय कार्यवाही हो रही है।

श्री भैरोंसिंह : विभागीय कार्यवाही कर रहे हैं। एफ० आर० देने के बाद अदालत को क्यों नहीं भेजा ? ओरीजनल केस के प्रोसीक्यूशन के बारे में क्या कह रहे हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : केस दो साल से पेंडिंग था। स्ट्रिक्चर्स पास किये थे उन सब सवालों के सम्बन्ध में जांच की जा रही है। जो जजमेंट हुआ है उस जजमेंट में किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर नहीं बताया है कि फलां की गलती है।

श्री भैरोंसिंह : एस० एच० ओ० ने इन्वेस्टीगेशन की है। उसके खिलाफ स्ट्रिक्चर पास हुआ है।

श्री हीरालाल देवपुरा : सम्बन्धित स्ट्रिक्चर पास हुआ है दो अधिकारियों के खिलाफ। दोनों ने ही एन्क्वायरी में भाग लिया है। अब यह मालूम नहीं है कि दोनों में से किसकी गलती है। किसके खिलाफ कार्यवाही की जाय।

श्री भैरोंसिंह : दोनों अधिकारियों को सस्पेन्ड करने के रीजन्स क्या काफी नहीं हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : सस्पेन्ड करने के रीजन पूरे नहीं होते हैं। जांच होने पर ही उनको सस्पेन्ड किया जायगा और उसके बाद भी कोई एक्शन लेना होगा तो अवश्य एक्शन लिया जायगा।

श्री भैरोंसिंह : मामला इतना सीरियस है कि इसमें वित्त मंत्री जी के आदमी फंसे हुये हैं ?

श्री अध्यक्ष : क्या यह सही है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : किसके आदमी हैं, किसके आदमी नहीं हैं यह तो मुझे मालूम नहीं है। मैंने निवेदन किया विश्वास रखें। केस साबित होने पर एक्शन लिया जायगा।

श्री भैरोंसिंह : जिस केस में चालान होना चाहिये वह नहीं हो रहा है।

श्री हीरालाल देवपुरा : चालान में कौन व्यक्ति है, कौन नहीं है यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री हरजीराम बुरड़क : प्रश्न के भाग दो में सरकार ने आदेश दिये थे लेकिन उनकी कार्यवाही अभी तक नहीं हुई है।

श्री हीरालाल देवपुरा : कार्यवाही हो रही है।

श्री हरजीराम बुरड़क : सरकार ने बार-बार आदेश दिये लेकिन उनका पालन नहीं हो रहा है। सरकार के बेकार के आदेश हैं।

श्री अध्यक्ष : इसकी भी कार्यवाही हो रही है।

नैक्स्ट।

राज्य औद्योगिक एवं खनिज निगम के अध्यक्ष

76. **राजवी श्री रूपसिंह** (सरदारशहर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज निगम के अध्यक्ष कौन हैं और इनको क्या वेतन मिलता है व क्या क्या सुविधाएं दी गयी हैं ?

(2) इनको इसका अध्यक्ष बनाने का क्या कारण है ? क्या कोई और सरकारी कर्मचारी जिसकी कि उम्र 60 साल से कम है इस कार्य के लायक नहीं है ?

उद्योग मंत्री (श्री हरिदेव जोशी): (1) राजस्थान राज्य औद्योगिक खनिज निगम के अध्यक्ष श्री बी० मेहता हैं। इनको वेतन नहीं दिया जाता है लेकिन निम्नलिखित सुविधाएं राज्य सरकार द्वारा दी गयी हैं :-

(क) सम्पचुअरी भत्ता 400) रुपये प्रति माह।

(ख) मोटर भत्ता 250)रु० प्रतिमाह।

(ग) मुफ्त बंगला मय टेलीफोन के।

(2) श्री मेहता की नियुक्ति सरकारी अधिकारी होने के नाते नहीं की गई वरना उनके सार्वजनिक प्रतिष्ठा व योग्यता व

(श्री हरिदेव जोशी)

अनुभव के आधार पर की गयी है। अतः अन्य सरकारी कर्मचारियों को जो 60 वर्ष से कम उम्र के ही हों नियुक्त करना आवश्यक नहीं था।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने श्री भगवतसिंहजी मेहता की सात्विक प्रतिष्ठा को ऊंचा नहीं माना और अपने जजमेंट में कहा है कि उनके एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेलाफाइड डिसीजन थे ?

श्री हरिदेव जोशी : मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : जिस विभाग ने यह नियुक्ति की है राजस्थान सरकार के अपाइन्टमेंट्स डिपार्टमेंट और केबिनेट डिपार्टमेंट इन दोनों की नालेज में इस प्रकार का जजमेंट आया था और क्या इन दोनों विभागों ने उस जजमेंट का अवलोकन नहीं किया ?

श्री हरिदेव जोशी : अपाइन्टमेंट इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट ने किया है और उन दोनों विभागों ने उस जजमेंट का अवलोकन किया या नहीं यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : यदि आपकी जानकारी में इस प्रकार की चीज आती है तो क्या यह मानकर चलें कि आप एक्शन लेंगे।

श्री हरिदेव जोशी : मैं देखूंगा कि किस प्रकार से क्या चीजें आई हैं। उसको देखने के बाद ही कह सकता हूं।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस हाउस में उस जजमेंट को रेफर किया गया है। टाउन प्लानिंग का कोई अधिकारी था उसके संबंध में हाईकोर्ट में यह मामला गया और उस मामले में हाईकोर्ट ने फैसला करते हुए लिखा है कि इसमें श्री भगवतसिंह जी मेहता का एक्शन मेलाफाइडी था। आप यदि कहें तो मैं 10 मिनट में जजमेन्ट पेश कर दूं ?

श्री अध्यक्ष : आपको तो अपना हथियार अपने पास में रखना था।

श्री भैरोंसिंह : वह हथियार तो कमरे में ही है।

श्री हरिदेव जोशी : यह है तो उसको देखना होगा कि एक केस में किसी प्रकार का मेलाफाइडी है तो उन्हें किया जाना चाहिए या नहीं, कैसे क्या हो क्या नहीं हो मैं हाईपोथीटिकल सवाल का जवाब नहीं दे सकता।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने स्वयं ने फैसला किया था कि रिटायर्ड आफिसर्स को इस प्रकार के पब्लिक सेक्टर के जितने काम हैं उनके ऊपर नियुक्त नहीं किया जाये ?

श्री हरिदेव जोशी : एक वाइड रेन्ज है पब्लिक सेक्टर की किस पोस्ट पर नहीं किया जाये और किस प्रकार के लोगों का उपयोग किया जाये और किस प्रकार के लोगों का नहीं। जहां तक चेयरमैन को अपाइन्ट करने का सवाल है गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया में और राजस्थान गवर्नमेंट में यह परिपाटी रही है कि इस प्रकार के अनुभवी लोगों का उपयोग किया जाना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री लालबहादुर जी शास्त्री ने राजस्थान सरकार को एक चिट्ठी लिखी थी कि इस प्रकार के व्यक्तियों को

(श्री भैरोंसिंह)

एम्प्लायमेंट की प्राब्लम को साल्व करने के लिए रि–अपाइन्टमेंट नहीं किया जाये ?

श्री हरिदेव जोशी : श्री लालबहादुर जी शास्त्री का कोई पत्र कि इस प्रकार के चेयरमैन के अपाइन्टमेंट नहीं करना चाहिये इस प्रकार की चीज मेरी जानकारी में नहीं आई।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे इजाजत दी जाये कि जो चिट्ठी श्री लालबहादुर जी शास्त्री ने राज्य सरकार को लिखी है और हाईकोर्ट का जजमेंट इस सदन में पेश कर सकूं ताकि सदन को पता लग जाये कि यहां पर किस प्रकार से नियुक्तियां की जाती हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : आप सदन में क्या मुझे ही बता दें। ताकि मैं उसे समझ लूं।

श्री भैरोंसिंह : आप तो सब समझे हुए हैं।

श्री हरिदेव जोशी : ईमानदारी की बात है कि मेरी नॉलेज में नहीं है।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री जी बिना ईमानदारी के भी इस सदन में बोलते हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : मैंने कहा है कि ईमानदारी की बात है मैंने देखा नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : क्या माननीय मंत्री महोदय कभी कभी सदन में बेईमानी से भी बोलते हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : हमारी जानकारी में कोई चीज आयेगी तो हम देखेंगे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न कर्त्ता

राजवी श्री रूपसिंह : क्या यह प्रश्न स्थगित हो गया है ?

श्री अध्यक्ष : आप पूछिये तो सही।

राजवी श्री रूपसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिस समय यह रिटायर हुए तो उस समय इनकी एज क्या थी और जिस समय आपने रि–एम्प्लायमेंट दिया उस समय इनकी एज क्या थी ?

श्री हरिदेव जोशी : प्रश्न ही नहीं उठता। क्योंकि जुडिशियल सर्विस नहीं है, आल इण्डिया सर्विस नहीं है कि जिसमें एज को देखकर फैसला किया जाये। जिस तरह से आप रिटायरमेंट के बाद पालिटिक्स में हैं उसी तरह से उनको सर्विस में गवर्नमेंट ने रखा है।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि उनके पैर कांपते हैं और हाथ भी कांपते हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : हाथ कांपते हों या पैर कांपते हों लेकिन दिमाग नहीं कांपना चाहिये।

श्री दौलतराम सारण : जिनके हाथ और पैर कांपते हों उनका दिमाग सही नहीं हो सकता। उनके पैर कब्र में लटके हुए हैं।

श्री हरिदेव जोशी : यह आपके कहने की बात है।

श्री दौलतराम सारण : वह स्वयं काम नहीं कर सकते और अपने क्लर्कों के ऊपर डिपेण्ड करते हैं ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि यह सरकार कभी उनको नहीं छोड़ना चाहती है जिनके द्वारा हमेशा ही शोषण होता रहा है ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता।

राजवी श्री रूपसिंह : क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार से आपको यह इन्स्ट्रक्शन्स आये हुए हैं कि जो व्यक्ति गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर होता है उसका रि-एम्पलायमेंट किसी सूरत में भी नहीं किया जाये अगर किया जाता है तो स्पेशल केसेज में ही। और जब गवर्नमेंट के इस प्रकार के आदेश हैं कि 60 ईयर्स की एज के बाद किसी को रि-एम्पलायमेंट नहीं दिया जाये तो दूसरों के लिए यह नियम है तो इनके लिए क्यों नहीं है ? दूसरों को भी इसी तरह रि-एम्पलायमेंट देने में सरकार के सामने क्या रुकावट है ?

श्री हरिदेव जोशी : जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य के उत्तर में मैं अपनी बात को साफ कर चुका हूं और उसके अलावा मैं दूसरी कोई बात नहीं कह सकता। हर एक केस की मैरिट्स होती हैं। जहां तक श्री भगवतसिंह जी मेहता का प्रश्न है इनकी उपयोगिता हैं इसलिए हमने इन्हें अपाइन्ट किया है।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या यह उदयपुर के रहने वाले हैं ?

श्री अध्यक्ष : जी हां।

श्री हरिदेव जोशी : हां, हैं कहिये ?

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या आप यह आश्वासन देंगे कि भविष्य में इस प्रकार के व्यक्ति को या किसी कर्मचारी को रि-एम्पलाय नहीं किया जायेगा ?

श्री हरिदेव जोशी : मैंने कहा कि किया जायेगा अगर जरूर हुआ तो। उनकी उपयोगिता का उपयोग किया जाना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : आप मानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन ने जो सिफारिश की है उसको राज्य सरकार नहीं मानेगी, यही मन्शा है आपकी ?

श्री हरिदेव जोशी : सिफारिशें आयेंगी। लेकिन एक व्यू पाइन्ट है हमारा कि इस प्रकार के अनुभवी आदमियों का उपयोग किया जाना चाहिए। अब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन और कोई दूसरी ओपीनियन देता है और उसमें अगर वेट है तो गवर्नमेंट यह नहीं कहती कि हम कन्सीडर करेंगे, जरूर कन्सीडर करेंगे और डिसीजन लेंगे।

श्री दौलतराम सारण : हम जानना चाहते हैं कि श्री भगवतसिंह जी मेहता का खनिज के मामले में क्या अनुभव है और उनके पास क्या विशेष योग्यता है यह हम समझना चाहते हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : श्री भगवतसिंहजी मेहता इस स्टेट के कई उच्च पदों पर रह चुके हैं और उन्होंने विविध प्रकार का एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव प्राप्त किया है और चेयरमैन का खनिज को खोदने का काम नहीं होता है बल्कि चीजों को मेनेज करने का काम होता है, फण्ड्स अवेलेबल करने का काम होता है। दो तीन प्रोजेक्ट्स उनके सुपुर्द हैं। उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन का काम दिया गया है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह नियुक्ति इसलिए की गई है कि……

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता

श्री देवीदत्त गाड़िया : मुख्य मंत्री जिनके काले कारनामों की चिट्ठी उनके पास है और उनका मुंह बन्द करने के लिए यह पुनः नियुक्ति दी गयी है……

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर, आर्डर।

श्री देवीदत्त गाड़िया : जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं वह जनता के सामने वह नहीं रख सकें उनका मुंह बन्द करने के लिए पुनः नियुक्त करके उनको दबाना चाहते हैं……

श्री हरिदेव जोशी : सर आई आब्जेक्ट

श्री देवीदत्त गाड़िया : देयर इज नो क्वेश्चन, यह सही चीज है……

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता।

राजवी श्री रूपसिंह : मैं एक बात और पूछना चाहता हूं कि आपके कहने के मुताबिक श्री भगवतसिंह जी मेहता का दिमाग अच्छा काम करता है और बहुत काबिल हैं तो जब आप काबिल समझते हैं तो 60 साल की एज में चीफ सेक्रेटरीशिप से क्यों हटाया उनको ? आपको उनको रि-एम्पलायमेन्ट ही देना था तो उसी पोस्ट पर देते। एज बार गोवर्नमेन्ट ने इसलिए रखी थी कि एक आदमी बाद में काम नहीं कर सके। A person becomes unfit to work on a particular post.

तो फिर आपका रि-एम्प्लायमेन्ट देना और किसी सेक्टर में लगा देना और आप कहते हैं कि उनका दिमाग काम करता है इस बात को कहना चाहते हैं, एम्पलायमेन्ट आपने कर दिया है और आप गलत चीज कह रहे हैं जो नहीं कहनी चाहिए।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य एक ऊंची सर्विस में और जुडिशियल सर्विस में रहे हुए हैं। मैं ऐसा समझकर चलता हूं कि वे इस बात को जानते हैं कि एज-लिमिट फिक्स करने के मायने यह नहीं हैं कि अमुक सुपरएनुएशन के बाद में आदमी का दिमाग खराब हो जाता है और काम करने के लायक नहीं रहता है। कई इकोनोमिक फेक्टर्स होते हैं और दूसरे कारण भी हो सकते हैं कि एज लिमिट तय की जाय। अभी 58 साल के बजाय 55 साल की एज लिमिट कर दी तो यह फैसला इसलिए नहीं किया गया कि राजस्थान के लोगों की 58 साल की एज पर हैल्थ इतनी खराब हो गई थी, उनका दिमाग इतना खराब हो गया था कि वह काम नहीं कर सकते थे, बल्कि इकोनोमिक फेक्टर्स थे।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि श्री भगवतसिंह मेहता पर गम्भीर आरोप लगाकर इस सदन में पहले……

श्री हरिदेव जोशी : बिल्कुल नहीं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : गम्भीर आरोप …

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, अलग से प्रश्न।

श्री देवीदत्त गाड़िया : गम्भीर आरोप लगाये गये थे तो क्या सरकार ने इन बातों को ध्यान में रखा है ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : नहीं, अध्यक्ष महोदय, अलग से प्रश्न नहीं है। इससे संबंधित प्रश्न है।

श्री दौलतराम सारण: अध्यक्ष महोदय, यह साधारण प्रश्न नहीं है······

श्री देवीदत्त गाड़िया : सीधे आरोप जिस व्यक्ति पर हों उनको पुन: नियुक्ति दी जाय तो इसका कारण क्या है? क्या सरकार······

श्री हरिदेव जोशी : कोई आरोप मेरे समक्ष ऐसे नहीं थे······

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : जहां तक आरोपों का सवाल है, अध्यक्ष महोदय, आपने अभी यह कहा है कि आरोप मेरे ध्यान में नहीं आये हैं ····

श्री हरिदेव जोशी : यह मैंने नहीं कहा है। आरोप लगाना और उनका सही साबित होना इनमें फर्क है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाहता था लेकिन मुझे यह निवेदन करना पड़ता है क्योंकि माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि उनके ध्यान में नहीं थे। इसी सदन में एक कहानी आ चुकी है और घंटों इस पर चर्चा हुई है और तरह तरह के आरोप लगाये गये थे कि किस प्रकार से इन्होंने अपने चीफ सेक्रेटरीशिप के जमाने में नाजायज तरीके से लोगों पर इस बजाज नगर की संस्था के लिए जिससे ये एसोशियेटेड थे दबाव डालकर डेढ़ दो लाख रुपया इकट्ठा किया है। एक मिस्ट्रेस की चिट्ठी, एक अध्यापिका का लेटर इस सदन में रेफर किया गया और पुष्पा काण्ड की इस सदन में बड़ी भारी गूंज हुई और आप कहते हैं कि इन आरोपों की मुझे जानकारी नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : यह मैंने नहीं कहा है। मैंने यह कहा है कि आरोप मेरे समक्ष ऐसे नहीं थे जिनके कारण से इनका एपाइंटमेंट नहीं किया जाना चाहिए था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जिसने डेढ़ दो लाख अपने आफिस का मिसयूज करके चन्दा इकट्ठा किया इस संस्था के लिए, जिसके बारे में टीचर्स की कम्प्लेन्ट थी, जिसके बारे में हाई कोर्ट ने अपने जजमेन्ट में स्ट्रिक्चर्स पास किये, और क्या चीज नहीं है आपके ध्यान में?

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री हरिदेव जोशी : अगर यह आरोप सही थे तो भगवतसिंह जी मेहता उन आरोपों के बाद में राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी नहीं रह सकते थे। मैं ऐसा समझ कर यह समझता हूं कि मैंने जो एपाइंटमेंट किया है उनका वह गलत नहीं किया है।

श्री भैरोंसिंह : वह जजमेंट तो, अध्यक्ष महोदय, मुझे मिल गया है। अगर आपकी आज्ञा हो तो माननीय मंत्री महोदय को पढ़ा देता हूं। यह केस हाई कोर्ट में गया था और डेट आफ आर्डर है जनवरी 5, 1967 और जगतनारायणजी का जजमेंट है·····

श्री अध्यक्ष : सर्टिफाइड कापी है क्या?

श्री भैरोंसिंह : सर्टिफाइड कापी नहीं साईक्लोस्टाइल्ड कापी है।

Page No 16

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, आप यह देख लें कि जो माननीय सदस्य पढ़ रहे हैं उसके लिए मैंने पहले ही निवेदन किया था कि वह मुझे दे दें।

श्री भैरोंसिंह : मैं हाउस में बोल रहा हूं तो मैं अपनी आथोरिटी से बोल रहा हूं.....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह कोई आवश्यक नहीं है कि जो डाक्यूमेंट.......

श्री अध्यक्ष: यह मैंने जानकारी ली है। आवश्यक है या नहीं है यह मैंने नहीं कहा है। वह मैंने अपनी जानकारी के लिए पूछा है।

श्री भैरोंसिंह : मैं आपकी जानकारी के लिये यह बता दूं कि मैं अपनी ओथोरिटी से बोल रहा हूं। सर्टिफाइड कापी से आपका मतलब है कि आप इस पर टिकट चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : अंग्रेजी में है या हिन्दी में है ?

श्री भैरोंसिंह : अंग्रेजी में है, हिन्दी में नहीं है।

यह केस इस प्रकार का था कि टाउन प्लानिंग का ऑफिसर किस को बनाया जाय तो इस प्रश्न पर मेहता और उनके कम्पीटिशन में एक और था उसके बीच में विवाद था। तो मेहता को एकोमोडेट करने के लिए नोटिफिकेशन निकाल कर उसको विड्रा कर लिया तो दूसरे ने हाई कोर्ट में जाकर रिट याचिका पेश कर दी तो उस पर हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में यह लिखा था कि रिक्वीजिशन को नोटिस विथड्रा करना ... इश्यू यही था कि जो नोटिफिकेशन विथड्रा किया है वह मेहता को मदद करने के लिए किया गया है या एडमिनिस्ट्रेटिवली जरूरत थी इसलिए किया गया है। तो इस पाइंट पर हाई कोर्ट कहती है—

"There can be no doubt that the letter dated 26/27th August, 1965 was written solely in the interest of Shri C. S. Mehta"

यह सी० एस० मेहता गोवर्धनसिंह जी मेहता, नहीं अमरसिंहजी मेहता के लड़के हैं और अमरसिंहजी मेहता भगवतसिंहजी मेहता के निकट के भाई या रिश्तेदारों में हैं

"It is noteworthy that the inittative came from the Appointments Department and not from the Town Planning Department. The withdrawal of requisition for the posts of Senior Town Planners under letter dated 27th August, 1965 was, therefore malafide."

और इसी जजमेंट में आगे यह लिखा है कि इस लेटर को विथड्रा करने का आर्डर भगतसिंहजी मेहता ने अपनी कलम से दिया था। वह जजमेंट के पहले के पैजेज में डिसकस हुआ है। यह हाई कोर्ट ने जो अपना निर्णय दिया है वह भगवतसिंहजी मेहता जब चीफ सेक्रेटरी थे उस समय यह जजमेंट हुआ था। अगर भगवतसिंजी मेहता ठीक थे तो वे सुप्रीम कोर्ट में जाते, और सुप्रीम कोर्ट में गये नहीं तो हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ जो स्ट्रिक्चर्स पास किये हैं वे आज भी स्टैण्ड करते हैं।

इस जजमेंट की कापी माननीय मंत्री महोदय की जानकारी के लिए मैं उनको सबमिट कर देता हूं।

Page No 17

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय इसके बारे में क्या उत्तर देना चाहते हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं पहले ही कह चुका हूं ।

श्री सतोशचन्द्र अग्रवाल : गवर्नमेंट एक पालिसी तय कर ले कि चीफ सेक्रेटरी रिटायर होगा तो उसको रि-एम्प्लायमेंट मिलेगा । भगवतसिंहजी रिटायर हुए हैं तो उनको रि-एम्प्लाय कर लिया, के० पी० यू० मेनन रिटायर हुए तो उनको रि-एम्प्लाय कर लिया, ग्रार० डी० माथुर को रि-एम्प्लाय कर लिया और अब मि० झाला रिटायर होंगे तो उनको रि-एम्प्लाय कर लेंगे । तो गवर्नमेंट एक पॉलिसी ले डाउन कर ले, और अगर पालिसी ले डाउन नहीं करते हैं तो चीफ सेक्रेटरी जो एडमिनिस्ट्रेशन का हैड होता है तो उसको तलवे के नीचे रख कर चाहे जिस प्रकार से राजस्थान का एडमिनिस्ट्रेशन चलायें ग्रौर राजस्थान की जनता के साथ अन्याय करें । ग्रगर ग्राप फेवर नहीं करते हैं तो मि० मेहता के सिलसिले में जो एलिगेशन्स यहां पर रखे गये हैं उस बेकग्राउन्ड में इस बोडी का, इस इन्स्टीट्यूशन का चेयरमैन सरकार को नियुक्त नहीं करना चाहिए ।

श्री हरिदेव जोशी : यह माननीय सदस्य की ग्रपनी ओपीनियन है ग्रौर राज्य सरकार की ओपीनियम नहीं है । अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार राजस्थान की जितनी भी टेलेन्ट है उनका जितना भी उपयोग हो सकता है, करना चाहती है । जब तक कि दूसरी चीज नहीं होती है मैं यह नहीं कह सकता हूं कि किसी का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : ग्रध्यक्ष महोदय···

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, आर्डर प्लीज ।

श्री दौलतराम सारण : राजस्थान की प्रशासनिक सेवाग्रों के लिए ग्रौर उनको निष्पक्ष रखने के लिए और उनकी कार्यक्षमता को बनाये रखने के लिए प्रश्न आवश्यक है । भगवतसिंहजी मेहता ने राजस्थान की प्रशासनिक सेवाग्रों को ग्रस्त-व्यस्त किया है, उनके साथ पक्षपात किया है, गैर-इन्साफी की गई है, ऐसे अनेकों उदाहरण हाईकोर्ट के फैसलों से दिये जा सकते हैं कि हाईकोर्ट में जाकर कर्मचारियों ने ग्रपनी सीनियोरिटी को तब्दील करवाया है, गलत प्रोमोशन्स को रद्द करवाया है···

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं ।

श्री दौलतराम सारण : मैं भाषण नहीं देना चाहता हूं । मैं यह बतलाना चाहता हूं कि इन्हीं चीफ सेक्रेटरी को दुबारा नियुक्ति दी जाय किसी भी पद पर तो इसका मतलब यह है कि राजस्थान सरकार पहले से ही कान्ट्रेक्ट करके मनमानी करके कार्यवाही करती है, कई बार नियमों में संशोधन किये गये हैं और उनके मार्फत केबिनेट मेमो रखे गये हैं··

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ।

श्री दौलतराम सारण : चीफ सेक्रेटरी के स्पेशल पी. ए. के ग्रौर बहुत से उदाहरण दिये जा सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन । सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

श्री दौलतराम सारण : मैं चाहता हूं कि इस मामले में राज्य सरकार को प्रताड़ना दी जाय । यह गलत नीति है और सही नीति निर्धारित करने के आदेश दिये जायं ।

श्री भैरोंसिंह : इसी प्रकार से उन पर और आरोप थे और वे इस सदन में रखे थे । और माननीय मंत्रीजी को उसकी जानकारी होगी कि भगवतसिंहजी ने हाउस लोन उदयपुर में भी लिया था और जयपुर में भी लिया था आफिस रूल्स इस प्रकार के हैं कि यदि कोई ऑफिसर एक स्थान पर लोन ले लेता है तो दूसरे स्थान पर वह नहीं ले सकता है....

एक माननीय सदस्य : उन्होंने सेक्रेटेरियेट की जमीन भी हड़प ली है ।

श्री भैरोंसिंह : बिना सरकार की स्वीकृति के उन्होंने जयपुर में मकान बनाया और उदयपुर के मकान के लिए भी लोन लिया है और भगवतसिंहजी ने उदयपुर का मकान बेचा नहीं है उसके पहले ही जयपुर में हाउस बनाया है उसके लिए लोन ले लिया । यह अपने आप में बहुत बड़ी ठगी है । इस फाइल का डिसपोजल नहीं हुआ था जब तक भगवतसिंहजी चीफ सेक्रेटरी थे तब तक । उनके जाने के बाद सरकार ने उसको दाखिल दफ्तर कर दिया हो तो मैं नहीं कह सकता हूं । यह आरोप इस प्रकार का है जिसमें प्रमाण की आवश्यकता नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : देखिये । मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आरोप का प्रश्न नहीं था । आरोप का प्रश्न नहीं, सीधा सा प्रश्न है इसमें । अब कई नये नये प्रश्न उठाये जा रहे हैं जिसके सम्बन्ध में उत्तर देना भी सम्भव नहीं है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: इस पर आधे घण्टे की चर्चा होनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : और यह इस प्रश्न की सीमा में भी नहीं आते हैं, इसलिए मैं इनको पूछने की इजाजत नहीं देता ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह आधे घण्टे की चर्चा का प्रश्न है ।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, यह साधारण प्रश्न नहीं है, यह गलत कार्यवाहियों का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : आप इस प्रश्न को किसी अन्य तरीके से उठा लीजिये ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राजस्थान की युनिवर्सिटी से डिग्री लेने वाले ...

(श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल और श्री दौलत राम सारण के एक साथ बोलने के कारण अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । आप इस प्रश्न को किसी अन्य तरीके से उठा लीजिये ।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : फर्जी पट्टा बनवा कर एस. के. डे. को सार्वजनिक जमीन दिलवा दी । उसके लिए फर्जी पट्टा बनवाया इन्हीं मेहता साहब ने ।

श्री दौलतराम सारण : सेक्रेटेरियट की जमीन दाब कर मकान बनवा लिया ।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल नेक्स्ट ।

श्री दौलतराम सारण : गलत तरीके से मकान बना लिया और....

श्री अध्यक्ष : आर्डर। माननीय सदस्य।

श्री दौलतराम सारण : और आप इन सब बातों को दबाना चाहते हैं।

श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर-पश्चिम) **:** अध्यक्ष महोदय, यह गउशाला कहां तक चलती रहेगी ?

श्री अध्यक्ष : आप इस प्रश्न को अन्य तरीके से, नियमों में दिये गये तरीके से उठा लीजिये। यह पर्याप्त हो गया। यह इस प्रश्न की सीमा में नहीं आता है।

राजस्व मंत्री।

अकालग्रस्त क्षेत्रों से ट्यूब वैल खोदने के बदले कृषि भूमि।

77. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) अकालग्रस्त क्षेत्रों में ट्यूब वैल खोदने के बदले में कृषि भूमि बिना मूल्य के दिये जाने की जो घोषणा मुख्य मंत्री महोदय ने दिसम्बर, 1968 में की थी उस सम्बन्ध में मंत्रिमण्डल द्वारा निर्णय कब लिया गया था ? इस घोषणा से पूर्व या इसके पश्चात ?

(2) अब तक किन किन व्यक्तियों को कितनी कितनी भूमि कहां कहां पर इस प्रसंग में दी गई और उन्होंने अब तक कितने ट्यूब वैल कहां कहां पर खोदे हैं ? इसकी एक तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) बिना मूल्य कृषि भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में जो आदेश जारी किये गये हैं उनकी एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप मंत्री, राजस्व (श्री गंगा राम चौधरी) : (1) अकालग्रस्त क्षेत्रों में ट्यूब वैल खोदने के बदले में कृषि भूमि बिना मूल्य के दिये जाने की घोषणा...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सुनाई नहीं दिया साहब।

श्री अध्यक्ष : फिर से बोलिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कौनसे का जवाब दे रहे हैं ?

राजस्व मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : आपके सवाल का दे रहे हैं।

श्री गंगाराम चौधरी : (1) अकालग्रस्त क्षेत्रों में ट्यूब वैल खोदने के बदले में कृषि भूमि बिना मूल्य के दिये जाने की घोषणा के बारे में निर्णय मंत्रिमण्डल द्वारा 24 दिसम्बर, 1968 को लिया गया था।

(2) अभी तक सिर्फ जिला बाड़मेर में निम्नलिखित दो व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गई है:

1. श्री शम्भूनाथ पुत्र श्री सुखदेव चौबे
2. श्री जागेश्वर पुत्र श्री सुखदेव चौबे

अभी कोई ट्यूब वैल नहीं खोदे गये हैं।

(3) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने राजस्थान भू-राजस्व (नल कूप खोद कर कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1969 बनाये हैं जिनकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नियमों के अनुसार कितनी भूमि ट्यूब वैल खोदने वाले व्यक्ति को एलॉट की जा सकती है ?

श्री गंगाराम चौधरी : पचास एकड़ पहली बार और ट्यूब वैल के डिस्चार्ज को देखते हुए क्षेत्रफल बढ़ाया भी जा सकता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि वहां पर कोई ट्यूब वैल नहीं खोदा गया है अभी तक ?

श्री गंगाराम चौधरी : यह आवंटन अभी दिसम्बर में हुआ है। ट्यूब वैल खोदने की मियाद एक वर्ष रखी गई है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि नियमों के अनुसार पचास एकड़ भूमि के एलॉटमेंट का प्रावधान है जब कि इन व्यक्तियों को पिचहत्तर एकड़ भूमि एलॉट की गई है ?

श्री गंगाराम चौधरी : यह सही है कि पिचहत्तर एकड़ प्रति व्यक्ति भूमि दी गई है।

श्री सतीचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि पिचहत्तर एकड़ भूमि एलॉट करने का प्रावधान नहीं है। (श्री रामकिशोर व्यास के उठने पर) हां, सरकाम्रो माइक।

राजस्व मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : उसको रिवाइज करके अभी लेटेस्ट पिचहत्तर एकड़ कर दिया गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि रूल के रिवाइज करने के पहले पिचहत्तर एकड़ भूमि एलॉट की गई है ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह 24 दिसम्बर का ही तो सवाल है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं पूछ रहा हूं। हमारे घर की बात अलग है। आप साफ साफ बतायें।

श्री रामकिशोर व्यास : बिल्कुल साफ बता रहा हूं। वकील हरिदेव जोशी के ईमानदारी की बात है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : क्या यह सही है कि इस रूल को रिवाइज इसीलिए किया गया था ?

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या यह सही है कि जैसलमेर के विलेज के गरीब किसानों को जो भूमि ट्यूब वैल के अन्तर्गत दी गई थी उसका आवंटन कैंसिल कर दिया गया है ?

श्री गंगाराम चौधरी : वह अलग से प्रश्न है। यह पहले नियमों के अन्तर्गत दी गई थी।

श्री देवीदत्त गाड़िया : इससे सम्बन्धित है। इन लोगों को पिचहत्तर एकड़ दी गई जब कि पचास एकड़ फार्मिंग सोसाइटी बना कर जिन लोगों ने ली ... ...

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उनकी जमीन का आवंटन कैंसिल कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री देवीदत्त गाड़िया : वह किन नियमों के अन्तर्गत आवंटन कैंसिल हुआ ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह अलग सवाल है। आप और व्यक्ति भेजें, हम ट्यूब वैल के अधीन जमीन देने के लिए तैयार हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उनका किस कारण कैंसिल किया ?

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में सरकार की कोई निश्चित नीति नहीं है । भूमिहीनों को सरकार केवल पन्द्रह एकड़ देती है जब कि पूंजीपति को काली पूंजी को नवीन करने के लिए पिचहत्तर एकड़ देती है, उनको बिना लगान के देती है, उनको खातेदारी अधिकार देती है, जब कि भूमिहीनों से एडवान्स कीमत लेती है. . .

श्री अध्यक्ष : विद्युत मन्त्री ।

श्री दौलतराम सारण : उन पर तरह तरह की पाबन्दियां लगाती है । यह क्या सरकार का दिवालियापन है ।

श्री अध्यक्ष : विद्युत मन्त्री जी ।

श्री राम किशोर व्यास : आपने इस योजना को पूरी तरह से देखा नहीं है । आज एक ट्यूब वैल खोदने के लिए एक आदमी को दो तीन लाख रुपये खर्च करने पड़ते हैं, जो कि एक ऑर्डिनरी आदमी नहीं कर सकता है, और इतना रुपया लगाने के बाद भी यह निश्चित नहीं है कि पानी निकल जायगा या नहीं । उसमें नुकसान होने की भी पॉसिबिलिटी है ।

श्री दौलतराम सारण : यह रियायत उन लोगों को सरकार बक्षती है जो पैसे वाले हैं ।

श्री राम किशोर व्यास : सरकार यह चाहती है कि ज्यादा ट्यूब वैल खुदे । अकाल-ग्रस्त एरिया के लिए सरकार चाहती है कि सरकारी तरीके से गैरसरकारी तरीके से ज्यादा से ज्यादा ट्यूब वैल खुदें और लोग ट्यूब वैल बनावें ।

श्री अध्यक्ष : श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं । 1968 की दिसम्बर में घोषणा होने के बाद और आज तक पिचहत्तर पिचहत्तर एकड़ भूमि एलॉट होने के बाद भी एक भी ट्यूब वैल इन क्षेत्रों में नहीं खोदा गया है ।

क्या यह सही है ?

श्री राम किशोर व्यास : सही बात है इतना रुपया लगाने को तैयार कौन है ?

श्री अध्यक्ष : विद्युत मन्त्री ।

कस्बा मनोहरथाना में बिजली की मांग

78. **श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा** : (अकलेरा) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या मनोहरथाना कस्बे से पिछले कई सालों से बिजली की मांग की हुई है ?

(2) क्या वाटर वर्क्स विभाग के इंजीनियर ने भी यह सिफारिश की है कि बिजली शीघ्र ही दी जाना आवश्यक है ?

(3) क्या सिंचाई विभाग ने भी यह मांग की है कि इस क्षेत्र में बिजली आवश्यक है जिससे विभागीय खर्चा कम हो सके ?

(4) क्या इस क्षेत्र में चक्की, ऑइल मिल्स, कॉटन जिनिंग फैक्ट्री एवं आरा मशीनों की अत्यधिकता को ध्यान में रखते हुए राज्य का विद्युत बोर्ड कब तक बिजली दे सकेगा ?

उप मन्त्री, विद्युत (श्री खेतसिंह) :

(1) जी हां।

(2) इस विभाग में इस प्रकार की सिफारिश उपलब्ध नहीं है।

(3) सिंचाई विभाग की मांग भी इस विभाग में उपलब्ध नहीं है।

(4) अभी निश्चितरूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा: क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार का विद्युतिकरण का कोई सिद्धान्त नहीं है और केवल राजनैतिक आधार पर विद्युतिकरण करती है ?

श्री मदन सिंह (दांतारामगढ़) : बिल्कुल सही है।

कई माननीय सदस्य : बिल्कुल सही है।

श्री खेत सिंह : मैं प्रश्न को फोलो नहीं कर पाया।

वापिस बोलें।

श्री अध्यक्ष : दुबारा प्रश्न करिये।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा: क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार का विद्युतिकरण का कोई सिद्धान्त नहीं है और केवल राज-नैतिक आधार पर विद्युतिकरण करती है ?

श्री खेत सिंह : यह बिल्कुल गलत है।

श्री मदन सिंह : यह बिल्कुल सही है, मैं इसके प्रमाण देता हूं।

श्री खेत सिंह : विद्युतिकरण सिद्धान्त के आधार पर करते हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : यह बिल्कुल सही है। मैं इसके प्रमाण दूंगा।

श्री मदन सिंह : मैं प्रमाण देता हूं कि दांता रामगढ़ के अन्दर विद्युतिकरण की सब से अधिक जरूरत है लेकिन वहां पर विद्युतिकरण नहीं किया गया है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, विद्युत मन्त्री ने कहा

श्री खेत सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में विद्युत मन्त्री जी ने उस रोज भी पूरा एक्स्प्लेनेशन दिया था और यह एश्योरेन्स दिया था कि आयन्दा जहां भी विद्युतिकरण करेंगे, तो जहां से डिस्ट्रिक्ट प्राडक्शन कमेटी की सिफारिश आवेगी उसको ध्यान में रखते हुए ही विद्युतिकरण किया जायगा इसके साथ ही मैंने यह निवेदन किया था कि पहले जिन जिलों में ज्यादा हुआ है उन जिलों में इन वर्षों में कम किया गया है। इसका पूरा स्टेटमेंट मेरे पास है, आप उसको देख सकते हैं और चाहे तो पढ़ कर सुना सकता हूं।

श्री दौलत राम सारण (डूंगरगढ़) : राज्य सरकार ने विद्युत बोर्ड का जो निर्माण किया है ...

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज ! प्रश्नकर्ता।

श्री दौलतराम सारण : उसके द्वारा कोई विद्युतिकरण की नीति घोषित नहीं करने के बाद में ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! प्रश्नकर्ता।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : क्या यह सही है कि पिड़ावा तहसील की ग्राम पंचायत सलोनिया में राज्य सरकार ने बिना

(श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा)

योजना के विद्युतिकरण किया और जहां पर पांच पांच हजार के कस्बे हैं और जहां के लोगों ने एक लाख रुपये का डोनेशन किया है उनकी विद्युतिकरण की मांग को अस्वीकार किया है और छोटे से विलेज का अनावश्यकरूप से राजनैतिक आधार विद्युतिकरण किया है और सलोनिया में काम चल रहा है ? क्या यह सही है या नहीं ?

श्री खेत सिंह : आपने क्वेश्चन मनोहर थाना के लिए पूछा है। झालावाड़ जिले में बहुत से विलेजों का विद्युतिकरण हुआ है। इस वर्ष चौदह का हुआ है जिनके नाम मुझे मालूम नहीं हैं।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : आप यह बतायें कि वह राजनैतिक आधार पर नहीं किया क्या ?

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न अलग है माननीय सदस्य, प्रश्न की सीमा में नहीं आता है। दूसरा प्रश्न करिये।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : मन्त्री महोदय ने फर्माया कि निश्चित आधार पर विद्युतिकरण करते हैं ....

श्री अध्यक्ष : उनकी जानकारी में नहीं है। दूसरा प्रश्न करिये।

श्री मदन सिंह : उनकी जानकारी में नहीं है, मन्त्री महोदय की जानकारी में है। मैं उनके ध्यान मे कई केसेज ऐसे लाया था।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार इस विधान सभा के साथ में एक प्रकार से स्टेप मदरली ट्रीटमेंट करती है। हम प्रश्न उठा रहे हैं। लेकिन राजस्थान में जनता का पूरा यह मानस बनता जा रहा है कि यह सरकार लोकतन्त्र में विश्वास करके, जो लोकतन्त्र की सर्वोच्च सत्ता होती है, विधान सभा, उसकी मार्फत कुछ करने को तैयार नहीं है, ऐसा लगता है, चाहे झालावाड़ हो चाहे मनोहर थाना हो, यह सरकार चाहे जो घोषणायें करे। ....

राज्य मंत्री, समाज कल्याण विभाग (श्री विश्वम्भरनाथ जोशी) : प्रान ए पाइन्ट आफ ऑर्डर, सर।

श्री कृष्णकुमार गोयल: उन घोषणाओं से जनता का पेट नहीं भरेगा। मैं कहना चाहता हूं....

राज्य मंत्री समाज कल्याण विभाग (श्री विशम्भरनाथ जोशी) : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या प्रश्नोत्तरकाल में भाषण अलाउ हैं ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री देवीदत्त गाड़िया : भाषण नहीं है ..

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सूप बोले तो बोले लेकिन चालनी में छेद हजार वह भी बोलने लगी।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, अगर उनको इस शब्द पर आपत्ति है तो दूसरा शब्द का उपयोग करें।

श्री अध्यक्ष : शब्द पर नहीं भाषण पर आपत्ति है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : शब्द पर आपत्ति है तो दूसरा शब्द यूज करें।

Page No 24

श्री देवीदत्त गाड़िया : मेरा निवेदन है कि अभी माननीय मंत्रीजी ने कहा…

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज . वन एट ए टाइम । माननीय सदस्य । प्रश्न कर्त्ता । आप स्थान ग्रहण करें । प्रश्न कर्त्ता !

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह बताता है कि निश्चिततौर पर राज्य सरकार कोई आश्वासन देने की स्थिति में नहीं है । मैं इनका आश्वासन चाहता हूं । आज बीस साल हो गये, लोग मांग कर रहे हैं और एक लाख का डोनेशन कर रहे हैं लेकिन फिर भी यह सरकार आश्वासन देने की स्थिति में नहीं है कि कब तक विद्युतिकरण का काम चला देंगे ?

श्री अध्यक्ष : यह कह चुके हैं । प्रश्न समाप्त हुआ ।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : नहीं कहा, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, आखिर हद होती है । गुब्बारे में हवा जितनी भरी जा सकती है उससे ज्यादा भरेंगे तो वह गुब्बारा फूट जायगा । आखिर इसी तरह से हम मजबूर हो जायेंगे, अगर हमारी जरूरत पर ध्यान नही देंगे और हमारी बात नहीं सुनेंगे तो जनता लगान नहीं देगी….

श्री कृष्ण कुमार गोयल : यही होगा ।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : आखिर यह राजनैतिक बेईमानी है, राजनैतिक बलात्कार है ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री देवीदत्त गाड़िया : मेरा निवेदन है कि बिलाई योजना के लिए रिजोल्यूशन पास किया ..

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं, उस पर अतिक्रमण न करें ।

श्री गंगासहाय (कठूमर सु०) : मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र के किसान गनपतसिंह गांठियावाला और उसके साथ कुछ आदमी थे—वह मांग कर रहे थे कि हम खेत में कुआ खोद रहे हैं उसमें पानी काफी है, इसलिए उसके लिए बिजली दे दी जाय तो मंत्रीजी ने कहा कि नाथूरामजी से कहलवाओ, तब दी जायगी· क्या यह सही है ?

कई माननीय सदस्य : शेम शेम ।

श्री अध्यक्ष : उत्तर देने दीजिये तब शेम शेम हो ।

श्री खेतसिंह : यह सही नहीं है, यह बिल्कुल गलत है । न मुझ से गनपतसिंह मिला और न मैंने कहा कि नाथूरामजी से कहलवाओ ।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा): मंत्री का नाम लिया है, आप उप मंत्री है ।

श्री गंगा सहाय : मंत्रीजी ने कहा था ।

श्री अध्यक्ष : नहीं कहा, कह दिया है ।

श्री दिग्विजयसिंह : मंत्रीजी ने कहा है ।

श्री अध्यक्ष : दूसरा प्रश्न !

श्री देवीदत्त गाड़िया : मेरा एक प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : बालसिंह सोढ़ा । आर्डर प्लीज । मेरे पास कई प्रश्न हैं, दूसरे माननीय सदस्य भी पूछना चाहेंगे ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय मंत्री जी को इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं …

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। आप स्थान ग्रहण करें। मैं प्रश्न की इजाजत नहीं देता हूं। आर्डर आर्डर। अभी करीब 10 प्रश्न बाकी हैं।

श्री मदनसिंह : क्या यह सही है····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं निवेदन करना चाहता हूं···

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, जिन क्षेत्रों में भीषण अकाल है, उन क्षेत्रों को जो क्षेत्र अनाज सप्लाई करता है वहां पर बम्पर क्रॉप्स हैं पर वहां बिजली की लगातार मांग के बावजूद बिजली नहीं दी जा रही है····

अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें, अभी 10 प्रश्न और बाकी हैं, केवल इस प्रश्न पर ही 10 प्रश्नों को समाप्त करना चाहते हैं तो मुझे एतराज नहीं है।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय···

श्री अध्यक्ष : मैं अपनी बात समाप्त नहीं कर पाया हूं। इसके बाद भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। उनको भी अवसर मिलना चाहिये। नहीं तो 12 बजे मुझे प्रश्न समाप्त करने पड़ेंगे। इसलिये माननीय सदस्य कम सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछें और दूसरे माननीय सदस्यों के प्रश्न बाकी हैं, उनको भी प्रश्न पूछने का मौका दें।

श्री मदन सिंह मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। जिन क्षेत्रों में अकाल है उन क्षेत्रों को जो क्षेत्र अनाज की सप्लाई करता है जहां बम्पर क्राप्स हैं, उन क्षेत्रों को बिजली नहीं दी जा रही है और जहां पर बिजली की जरूरत नहीं है वहां दस दस ट्रान्सफार्मर्स भेजे जा रहे हैं। सीकर और झुंझनू जिलों को जो क्षेत्र अनाज दे रहा है, उस क्षेत्र को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। मिनिस्टर्स के आर्डर्स हुए हुए हैं, एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर के आर्डर्स हो चुके है, फिर भी कहा जा रहा है कि दांतारामगढ़ को बिजली नहीं दी जायगी, यह अन्याय नहीं तो क्या है, यह खुले तौर से राजनैतिक आधार पर बिजली के कनेक्शन्स दिये जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि डग पंचायत समिति में सर्व सम्मति से प्रस्ताव पास किया 20 हजार रुपया विद्युत मंडल में जमा करवाया फिर भी वहां बिजली नहीं दी गई पर दल बदल कर जो उपमंत्री बने उनके सलादिया ग्राम के अन्दर जो कि लाइन से 5 मील की दूरी पर था वहां पर बिजली दे दी.... ..

(अनेक माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे,

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर···

(शोरगुल)

आई डोन्ट अलाउ, कानून के विपरीत।

(शोरगुल)

नियमों के विपरीत। आर्डर प्लीज। मेरी भी कृपा कर के परीक्षा न करिये। भाषण नहीं, यह प्रश्न समाप्त हुआ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह नीति से सम्बन्धित प्रश्न है, एक तरफ······

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

[redacted]

श्री गिरधारी लाल व्यास (आसींद) : ये दूसरों के अधिकारों का अतिक्रमण कर रहे हैं, दूसरों को प्रश्न नहीं पूछने देते।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर । श्री बालसिंह सोढ़ा ।

लाइट डीजल ऑयल का कोटा

श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) : की अनुपस्थिति में

श्री आइदान सिंह (भीनमाल) : द्वारा पूछा गया। क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) राज्य सरकार का माहवारी कोटा लाइट डीजल ऑइल (क्रूड आइल) का पिछले तीन वर्ष से अलग अलग कम्पनियों का कितना कितना आया ? वर्षवार कम्पनीवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि केन्द्र द्वारा राजस्थान को सबसे कम कोटा दिया जाता है ? अगर हां, तो क्या सरकार ने आज तक अपना कोटा बढ़ाने के लिये केन्द्र सरकार से कोई विचार विमर्श किया ? अगर नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि रबी की फसल के समय उपरोक्त तैल की मांग अधिक रहती है जबकि तेल की पूर्ति हरमाह एक जैसी ही रहती है ? अगर हां, तो राज्य सरकार रबी के समय विशेष पूर्ति की कोई व्यवस्था कर रही है ? अगर नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) राजस्थान राज्य को पिछले.......

(शोर गुल, अश्रव्य)

(विरोधी पक्ष के अनेक सदस्य एक साथ बोलते रहे और श्री हरिदेव जोशी भी प्रश्न का उत्तर पढ़ते रहे, अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : मन्त्री महोदय बोले हैं वह किसी को कुछ भी सुनाई नहीं दिया ।

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया हूं माननीय श्री रामचन्द्र जी, आप शान्त हो जायं।

वापिस बोल दें मंत्री महोदय ।

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर): प्रश्नकर्ता हैं ही नहीं, दूसरा प्रश्न लिया जाय

श्री अध्यक्ष : मैंने अलाउ कर दिया है, आप क्यों इतने परेशान होते हैं ।

श्री हरिदेव जोशी : अब तो सुन लोगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : हां, बोलो ।

उद्योग मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) राजस्थान राज्य को पिछले तीन वर्षों में जो क्रूड आइल केन्द्रीय सरकार द्वारा आवंटन कर विभिन्न कम्पनियों को दिया गया है उनकी माहवारी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जी नहीं । क्रूड ऑइल का आवंटन विभिन्न कम्पनियों द्वारा की गई सेल और उनके द्वारा प्लेस किये गये इन्डेंटर्स के आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। राज्य सरकारने पिछले वर्ष की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए रबी की फसल के समय पर्याप्त क्रूड ऑइल उपलब्ध कराने के लिये जून 1969 में आइल कम्पनियों की बैठक

(श्री हरिदेव जोशी)

बुलाई और जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, पाली सिरोही, डूंगरगढ़, झालावाड़, बूंदी, उदयपुर इत्यादि स्थानों को उनकी मांग के अनुसार क्रूड आॅइल भिजवाने का प्रबन्ध किया। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय मंत्री-स्तर पर 25 जून, 1969 को बात की और राजस्थान राज्य को मिलने वाले क्रूड आॅइल का कोटा चार हजार मे० टन से 4500 में टन करवाया और जुलाई से वह कोटा 7000 में टन प्रति माह करवा दिया गया। इसके पश्चात् 17 जुलाई, 1969 को श्री ए०बी० वर्मा, निदेशक, पेट्रोलियम कैमिकल्स को एक अर्ध शासकीय पत्र लिखकर और समय समय पर टेलीफोन पर बात करके निवेदन किया गया कि राजस्थान राज्य के लिये प्रतिमाह तीन हजार टन क्रूड आॅइल ज्यादा भेजा जाय जिससे अकाल पीड़ित क्षेत्रों और कमी वाले क्षेत्रों को पर्याप्त क्रूड आइल भेजा जाय। तदनुसार राजस्थान को प्रति माह सात हजार में टन क्रूड आइल प्राप्त हो रहा है। सितम्बर, 1969 में पुनः आॅइल कम्पनियों की बैठक बुलाई गई और उन्हें कमी वाले क्षेत्रों को पर्याप्त क्रूड आॅइल भेजने के लिये आवश्यक आदेश दिये गये। 20-9-69 को पुनः उप सचिव, उद्योग विभाग, श्री ए० बी० वर्मा, निदेशक, पेट्रोलियम कैमिकल्स से मिलने दिल्ली गये और क्रूड आॅइल का आवंटन 10000 मे० टन करने के लिये निवेदन किया। श्री ए० बी० वर्मा, निदेशक, पेट्रोलियम कैमिकल्स ने बतलाया कि क्रूड आइल का आवंटन बढ़ाने में कोई कठिनाई नहीं है, परन्तु यहां के डीलरों के पास स्टोरेज क्षमता अधिक नहीं है, जिससे क्रूड आॅइल का अधिक स्टाक नहीं रखा जा सकता। फिर भी अक्टूबर 1969 के लिये 7500 मे० टन क्रूड आॅइल राजस्थान को देने के लिये आश्वासन दिया गया। क्रूड आॅइल की कमी को ध्यान में रखते हुए आइ० ओ० सी० द्वारा इस वर्ष जगह जगह पर रिटेल सेन्टर भी अक्टूबर, 1969 से निम्न स्थानों के लिये खोले गये हैं :-

जालोर 4	जोधपुर 2
पाली 4	जयपुर 5
बाड़मेर 3	नागौर 1
सिरोही 3	

(3) जी हां। रबी की फसल के समय क्रूड आॅइल की मांग अधिक रहती है और प्रत्येक डीलर को उनकी मांग के अनुसार कम्पनियों द्वारा क्रूड आॅइल भेजा जाता है। ऐसा करते समय पिछले वर्ष की सेल को भी कम्पनियों द्वारा ध्यान में रखा जाता है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री आइदानसिंह (भीनमाल): अध्यक्ष महोदय, आपने फरमाया कि अक्टूबर, 1969 में 7,500 मैट्रिक टन कोटा निश्चित किया गया और राजस्थान को देने के लिये आश्वासन दिया था तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या वह 7500 मेट्रिक टन कोटा राजस्थान में आया ?

श्री हरिदेव जोशी : जी हां।

श्री आइदानसिंह : क्या उसका जिलेवार डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था ?

श्री हरिदेव जोशी : मेरे पास जो आंकड़े हैं उनके अनुसार जिलों का लास्ट ईयर का कन्जम्प्शन था उतना डिस्ट्रीब्यूट किया गया।

श्री आइदानसिंह : पिछले तीन वर्षों में जालौर जिले को कितना कम क्रूड ऑइल दिया गया है, वहां क्रूड ऑइल नहीं दिये जाने के कारण जहां 112 रुपया प्रति 200 लटिर का भाव था वहां 140 रुपये तक पहुंच गया।

श्री रघुनाथ विश्नोई: 150 रुपये तक।

श्री आइदानसिंह : हां, 150 रु० तक भाव बढ़ गया। बाज दफा तो एंजिन बन्द ही पड़े रहे हैं और एल. एस. डी. की जगह एच. एस. डी. जलाना पड़ता है।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने यह लम्बा उत्तर भी इसीलिये दिया है कि गवर्नमेंट लेवल पर एफर्ट्स किये गये हैं, यह आपके समक्ष रख रहा हूं। मैं स्वयं रबी की फसल से पहले दिल्ली गया था और डॉ० त्रिगुण सेन से मिला हूं उनसे बात चीत की है और जहाँ लास्ट ईयर 4 हजार कुछ को मैट्रिक टन का था वहां इस साल 10 हजार मैट्रिक टन किया है और 17 रिटेल स्टोर राजस्थान में और खुलवा दिये हैं। इससे सुधार आना चाहिये। पर कुछ लोगों की स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम है। हो सकता है कि कुछ लोग दूसरी प्रकार की टेक्टिक्स काम में लेकर ब्लैक कर रहे हों, इसको मैं देख रहा हूं, गवर्नमेंट आफ इन्डिया और हमारे बीच प्रयास किये जा रहे हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : अगले साल की रबी की फसल खराब न हो, इस बारे में क्या व्यवस्था करेंगे ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं प्रति सप्ताह डिप्टी सेक्रेटरी इन्डस्ट्रीज से, कलेक्टर्स से जानकारी लेता हूं और उसकी जानकारी चीफ सेक्रेटरी और मेरे पास आती है। मैं उसको देखता हूं और भारत सरकार से सीधी बात कर एफर्ट्स करता हूं ताकि L. S. D. की कमी न हो।

श्री आइदान सिंह : सरकार के प्रयत्न तो सराहनीय हैं। कोई शक नहीं, इसके साथ ही निवेदन करना चाहता हूं कि काल-टैक्स, बर्मा शैल को बहुत कम क्रूड मिल रहा है। आई. ओ. सी. को ज्यादा मिल रहा है। आई. ओ. सी. की शिकायत है कि स्टोरेज कैपेसिटी की कमी है तो क्या सरकार काल-टैक्स या बर्मा शैल डीलर जो आई. ओ. सी. की एजेन्सी लेना चाहते हैं, उनको देने के लिए विचार करेगी।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्य यह जानते हैं कि यह हमारे हाथ की बात नहीं है कि हम किसको क्या करें, अगर एक प्रोफेशनल राइवलरी इस कम्पनी के अन्दर है। इसके बावजूद भी मैं देखूंगा कि उस इलाके में ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी बढ़े, पम्प ज्यादा लें, ज्यादा सप्लाई किया जा सके।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) अगर आज्ञा हो तो एक प्रश्न मैं पूछूं। क्या सरकार ने कोई जिलावार कोटा क्रूड आइल के वितरण के सम्बन्ध में पहले से ही निर्धारित कर रखा है या नहीं ?

श्री हरिदेव जोशी : जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया है, यह उस प्रकार की कमोडिटी तो है नहीं जिसका वितरण राजस्थान सरकार करती हो। किन्तु जैसा मैंने इस प्रश्न के पहले भाग में निवेदन किया है, जो पिछले साल कन्जम्प्शन हुआ था, कम्पनीज अपने डीलर्स को ध्यान में रख कर जो इन्डेंट्स

(श्री हरिदेवजोशी)

प्लेस करती हैं उनको ध्यान में रखकर और यह उसको सप्लाई करते हैं तो अब जैसा पिछले वर्ष में 4 हजार मैट्रिक टन सप्लाई होता था इस वर्ष 10 हजार मैट्रिक टन सप्लाई किया जा रहा है, किन्तु उसका वितरण अगर किसी जिले में कम है तो रिडीस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : वह करवाइये।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : कोटा का वितरण इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के सिद्धान्त को लेकर सरकार ने कोई ऐसी योजना पहले से ही तैयार कर रखी है तो मांग को पूरा करने में एक आधार आपको मिलेगा। विशेष मैं कह नहीं सकता, यह एडमिनिस्ट्रेटिव समस्या है लेकिन इसमें भी डिमांड और सप्लाई पर कुछ न कुछ आधार सरकार के पास होना चाहिए।

श्री हरिदेव जोशी : नेसेसिटी बेस्ड वितरण हो, उसको हम देख रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।
(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

भूमि एकीकरण के मामले

66. श्री दुर्गालाल बादृदार (हवा महल) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राजस्थान में कितने जिलों में भूमि एकीकरण का कार्य पूरा हो चुका है, कितनों में अधूरा है और कितनों में प्रारम्भ ही नहीं हुआ है? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार जहां भूमि एकीकरण नहीं हुआ है या अधूरा है वहां कार्य सम्पन्न कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) भूमि एकीकरण विभाग के विचाराधीन मामलों के निपटारे के लिए राज्य सरकार ने क्या योजना बनाई है?

उत्तर

(1) (क) राजस्थान में कोई भी जिला ऐसा नहीं है जिसकी सम्पूर्ण तहसीलों का का भूमि एकीकरण कार्य पूर्ण हो चुका हो।

(ख) राजस्थान के 11 जिले ऐसे हैं जिनकी कुछ तहसीलों में भूमि एकीकरण का कार्य पूरा हुआ है और कुछ में नहीं हुआ है। सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(ग) राजस्थान मे 26 जिलों में से 15 जिले ऐसे हैं जिनमें से एक ही ग्राम का भूमि एकीकरण कार्य प्रारम्भ नहीं करवाया गया है। सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(3) भूमि एकीकरण के विचाराधीन मामले जो संचालक, भूमि एकीकरण के पास विचाराधीन हैं उनको सुनवाई प्रारम्भ कर दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

Page No 30

कस्बा छापर में सुरक्षित भूमि

69. **श्री रावतराम** (छापर-सु.) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कस्बा छापर जिला चूरू में ताल छापर के नाम से कितनी बीघा जमीन वन विभाग के अन्तर्गत हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त जमीन वन्य पशु हिरनों के लिये सुरक्षित रखी गई थी ? यदि हां, तो हिरनों की संख्या कितनी है ?

(3) हिरनों की संख्या देखते हुए क्या उक्त जमीन आवश्यकता से अधिक नहीं है ? यदि हां, तो क्या जरूरत से ज्यादा जमीन को सरकार भूमिहीन हरिजनों को अलॉट करने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) 2050 एकड़।

(2) जी हां। हिरनों की वर्तमान संख्या लगभग 400 है।

(3) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

मान माताजी के मंदिर में चोरी

70. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला चित्तौड़ के प्रतापगढ़ में किले पर स्थित मान माता जी के मन्दिर में भगवान की सोने की मूर्ति एवं अन्य सोने, चांदी के जेवरों की चोरी की रिपोर्ट पुलिस में हुई थी ? यदि हां, तो किस तारीख को किस व्यक्ति के विरुद्ध किस किस चीज की चोरी की रिपोर्ट हुई ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) इस चोरी की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने अब तक क्या क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

1-जी हां, प्रतापगढ़ के किले में स्थित बाणेश्वरी देवी के मन्दिर में मूर्ति व अन्य सोने चांदी के जेवरात की चोरी हुई थी। मान माता के मन्दिर में चोरी नहीं हुई। नकल एफ० आई० आर० टिप्पणी के साथ संलग्न है। यह मुकदमा नं० 73, दिनांक 25-9-66 तहत धारा 454/380 ता० हि० है।

2-पुलिस ने मुकदमा नं० 73, सन् 66 दर्ज कर अनुसंधान किया परन्तु पता माल मुलजिम नहीं लग सका। अतः एफ० आर० अदम पता दिनांक 27-12-66 को दी गई। किन्तु यह केस पुनः तफतीश हेतु सी.आई.डी. को सुपुर्द किया गया है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

उद्योग स्थापित करने के लिये सुविधाएं

73. **श्री यशवन्तसिंह नाहर** (बनेड़ा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान राज्य की ओर से उद्योगपतियों को राजस्थान में उद्योग स्थापित करने के लिए कोई सुविधा या रियायतें दे रखी हैं ?

Page No 31

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

(2) ऐसी सुविधाओं और रियायतों के प्रचार की क्या राज्य सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है ?

(3) क्या राज्य में औद्योगीकरण की कोई योजना बनी है ?

(4) क्या औद्योगीकरण के लिए राज्य का सर्वे कराया गया है ? यदि हां, तो उसका प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखा जाय।

(5) क्या राज्य सरकार ने राज्य के औद्योगीकरण के लिए कोई मशीनरी बना रखी है ?

(6) क्या राज्य का उद्योग विभाग किसी उद्योग के इच्छुक व्यक्ति को कोई सहायता प्रदान करता है ?

(7) अब तक कितने व्यक्तियों को क्या सहायता दी गई ? कृपया उसकी सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

1–जी, हां।

2–जी, हां।

3–जी, हां।

4–जी, हां राज्य सरकार द्वारा नेशनल कौन्सिल ऑफ एप्लाइड इकोनोमिक रिसर्च द्वारा राजस्थान का टेक्नोइकोनोमिक सर्वे करवाया गया जिसकी प्रतिलिपि उक्त संस्था से सीधी प्राप्त की जा सकती है।

5–जी, हां।

6–जी, हां।

7–जो सुविधाएं औद्योगीकरण के निमित्त राज्य सरकार द्वारा दी जाती हैं उनकी विवरण पुस्तिका सदन की मेज पर रख दी गई है। इनसे सम्बन्धित आंकड़ों से सदन को समय समय पर सूचित किया जाता रहा है। ऋण आदि की सुविधाएं लघु तथा बड़े उद्योगों को उद्योग विभाग के अतिरिक्त राजस्थान वित्त निगम, राष्ट्रीय वित्त निगम व कुछ अनुसूचित बैंकों द्वारा तथा राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा भी दी जाती है जिनके आंकड़े उक्त संस्थाओं द्वारा समय समय पर प्रकाशित किये जाते हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

बेरी आयोग के समक्ष पैरवी के लिये वकीलों की नियुक्ति

65. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर):

श्री रूपसिंह (सरदार शहर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) बेरी आयोग के समक्ष पैरवी करने हेतु जिन जिन वकीलों को अथवा पैरवीकारों को नियुक्त किया गया था, उनको अलग अलग कितना कितना पारिश्रमिक दिया जा चुका है और कितना और दिया जाने वाला है, तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें, जिसमें प्रत्येक वकील द्वारा जिन जिन तारीखों का मेहनताना प्राप्त किया गया है, उसका उल्लेख हो तथा आयोग के समक्ष पैरवी करने के अलावा मुकदमों की तैयारी अथवा सलाह मशवरे के लिए जयपुर में रहे हों और मेहनताना चार्ज किया हो, उन तारीखों के सामने यह विवरण अंकित किया हुआ हो।

Page No 32

(श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल)

(2) 31, मार्च, 68 तक की मेहनताने की रकम का भुगतान उसी वित्तीय वर्ष में क्यों नहीं किया गया ? क्या सरकार को यह जानकारी है कि आयकर से बचने के लिये मेहनताना की प्राप्ति विविध कामों में की जाती है ?

(3) इन वकीलों ने जितने रुपयों का भुगतान मांगा क्या उतने रुपयों का भुगतान किया गया अथवा कुछ कम का ? यदि हां, तो किस किस को और कितने कितने कम का ?

(4) क्या विधि विभाग द्वारा सरकार की ओर से पैरवी करने वाले वकीलों को जो पारिश्रमिक दिये जाने का प्रावधान है उसमें 1100 रुपया प्रति दिन के हिसाब से किसी को भी दिये जाने का प्रावधान नहीं है ? यदि हां, तो फिर श्री मुकुट बिहारी लाल भार्गव को 1100) रुपये प्रति दिन किस प्रावधान के अन्तर्गत दिया गया ? इस संबंध में जो आदेश जारी किया गया अथवा जो इकरारनामा इनके साथ हुआ, उसकी एक एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) सन् 1967 एवं सन् 1968 में सर्वोच्च न्यायालय में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने वाले वरिष्ठतम् वकीलों की प्रति दिन के हिसाब से अधिकतम कितना रुपया किस किस को दिया गया, और किस केस में दिया गया, उसमें उसको ज्यादा से ज्यादा कितने का भुगतान किया गया ?

(6) क्या सरकार को यह जानकारी है कि राज्य के मुख्य मन्त्री, गृह मन्त्री, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री नाथूराम मिर्धा आदि की तरफ से श्री मुकुट बिहारी लाल भार्गव ने निःशुल्क पैरवी की थी ?

उत्तर

1–तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

2–यथा सम्भव भुगतान उस ही वित्तीय वर्ष में किया गया जिसमें करना था। अतः अगला प्रश्न उपस्थित नहीं होता। केवल श्री कासलीवाल का पूरा भुगतान इसलिये नहीं हो सका कि पूर्ण विवरण समय में उपलब्ध नहीं हुआ। फिर भी अधिक से अधिक जो धन उन्हें दिया जा सकता था वह उस ही वित्तीय वर्ष में दे दिया गया।

3–(अ) श्री मुकुटविहारी लाल ने पेशी के 185 दिन व तैयारी के 73 दिन बतलाये। परन्तु जिन दिनों प्रसाइडिंग ऑफिसर बीमार होने से अदालत न कर सके उन दिनों को तैयारी के दिन मानने से व एक दिन रेफरेंस का काट देने से एक दिन उच्च न्यायालय की पैरवी का अलग से निर्णय लेने के कारण उनको 177 दिन पेशी के व 79 दिन तैयारी के माने गये। इससे अधिक फर्क रु० 5160) कम देने का रहा जिसमें एक रोज हाईकोर्ट में पैरवी के पैसे देने हैं।

(ब) श्री नाथूलाल जैन ने पेशी के 256 दिन व तैयारी के 115 दिन बतलाये। श्री मुकुटविहारी के क्लेम में किये गये निर्णयों के अनुसार उन्हें 249 दिन पेशी के व 116 दिन तैयारी के दिये गये। जयपुर

(श्री गृहमंत्री)

से बाहर रह कर तीन दिन तैयारी के उनके क्लेम को नहीं माना गया इस सबका वित्तीय फर्क रु० 940) रहा।

(स) श्री बी. सी. चटर्जी ने 277 पेशी के व 99 दिन तैयारी के बतलाये। श्री मुकुटबिहारी लाल भार्गव को मामले में लिये गये निर्णय के अनुसार उन्हें 271 दिन पेशी के एवं 105 दिन तैयारी के दिये गये जिसका वित्तीय फर्क रु० 240) रहा।

(द) श्री गुलाबचन्द कासलीवाल ने 227 दिन पेशी के व 61 दिन तैयारी के बतलाये जिसमें एक दिन बजाय पेशी के तैयारी का माना गया व एक दिन हाईकोर्ट में पेशी का माना गया। इस प्रकार कमीशन की पैरवी 225 दिन व तैयारी के 62 दिन माने गये जिसका वित्तीय फर्क रु० 280) रहा।

4–वकीलों की फीस विधि विभाग की राय से तय की गई और यह नियमानुसार थी। जो आदेश जारी किया गया उसकी–प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

5–इसकी सूचना गृह विभाग को नहीं है।

6–जी नहीं।

दंगा फसाद करने वालों के खिलाफ कार्यवाही

66. **श्री विजयसिंह** (मकराना): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि 1968 के मोहर्रम के दिन कुछ व्यक्तियों ने हिन्दू-मुस्लिम दंगा-फसाद करना चाहा था लेकिन नागौर के अधिकारी श्री टांक ने काबू पाया था ?

(2) दंगा-फसाद कराने वाले कौन कौन से व्यक्ति थे और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

1. यह सही नहीं है। इस बाबत कोई मुकदमा सन् 1968 में रजिस्टर नहीं हुआ न कोई दंगा फसाद हुआ।

2. प्रश्न ही नहीं उठता।

जालोर के डिप्टी एस. पी. के विरुद्ध शिकायतें

67. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला जालोर के डिप्टी एस. पी. श्री नाथूराम विश्नोई के खिलाफ तस्कर का व्योपार करने में सहयोग देने मुताल्लिक जिलाधीश जालोर ने सन् 1967 में लिखा था ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि उस शिकायत पर डी. वाई. एस. पी. श्री नाथूराम का तबादला भीनमाल से बीकानेर किया गया था और बाद में बीकानेर से जालोर किया गया ? यदि हां, तो ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि डी. वाई. एस. पी. श्री नाथूराम को इस जिले में नौकरी का आधा अर्सा बीत चुका है व इस जिले से

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

तबादले के आदेश होने पर भी कैन्सिल किया गया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

1. जी हां ।

2. जी हां । ये तबादले प्रशासनिक कारणों से किये गये ।

3. जी नहीं । इनकी नियुक्ति पुलिस विभाग में दिनांक 8-7-37 को हुई । ये दिनांक 15-11-55 से 31-3-60 तक भीनमाल में इन्सपेक्टर के पद पर एवं डी वाई. एस. पी. होने पर दिनांक 16-11-64 से 15-9-67 तक पुनः भीनमाल रहे और दिनांक 15-10-67 से 8-5-69 तक डी. वाई. एस. पी. जालौर रहे । आजकल सी..ओ. बालोत्रा है ।

पुलिस की भर्त्सना

68. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(1) क्या यह सही है कि मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, डीडवाना ने ललासरी गांव के एक मुकदमें में फैसला देते हुए पुलिस की भर्त्सना करके फैसले की प्रति एस. पी. नागौर को भेजी है ? यदि हां, तो कब और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या उपरोक्त फैसले के आधार पर पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो उपरोक्त मामले में कौन कौन पुलिस कर्मचारी व अधिकारी दोषी पाये गये हैं ?

उत्तर

1. जी हां । दिनांक 17-10-68 को न्यायालय द्वारा फैसले की प्रतिलिपि अधीक्षक, आरक्षी नागौर को भेजी गई । अधीक्षक नागौर ने राज्य सरकार से अपील के लिये स्वीकृति चाही थी मगर राज्य सरकार ने अनुमति नहीं दी ।

2. अदालत के निर्णय को देखते हुये दोषी अधिकारियों के खिलाफ उपयुक्त कार्यवाही करने के आदेश राज्य सरकार द्वारा दिये जा चुके हैं ।

जागीरदारों को मुआवजा

69. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(1) राजस्थान में ऐसे जागीरदार कितने हैं जिनको मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है परन्तु उनसे बकाया की वसूली नहीं की गई ?

प्रत्येक की तरफ कितनी कितनी रकम कब से बकाया है ?

(2) इनको मुआवजे का भुगतान कब किया गया तथा बकाया की वसूली नहीं करने के लिए कौन दोषी हैं ?

(3) क्या सरकार ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

(स्थगित किया गया)

ग्राम छांयण

70. श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम छांयण जिला जैसलमेर का एक बास पोकरण तहसील में है और दूसरा बास फलौदी तहसील

Page No 35

(श्री बालसिंह सोढ़ा)

जिले जोधपुर में है ? अगर हां, तो इसके क्या कारण कि फलोदी तहसील बास दूसरे गांव से अलग रखा गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि छांयण ग्राम में पंचायत का मुख्यालय (एच.ओ.) है पटवार सर्किल भी है परन्तु जो बास फलोदी तहसील में उसका पंचायत (एच. ओ.) मुख्यालय भी 92 मील से अधिक पड़ता है तथा तहसील (एच. ओ.) मुख्यालय भी बहुत दूर पड़ता है ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस अकाल के समय अनाज, घास, पानी, मजदूरी इत्यादि का संकट रहता है और इस बास की जनता का एच. ओ. मुख्यालय पहुंचना संभव नहीं है, इसलिए वे हर सुविधा से वंचित रहते हैं ? अगर हां, तो क्या भविष्य में पंचायत चुनाव से पहले फलोदी वाले बास को सरकार पोकरण तहसील में मिलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस अवधि तक फलोदी तहसील वाले बास का तहसील में शामिल कर लिया जायेगा ?

(4) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार के पास वहां की जनता ने फलोदी वाले बास को पोकरण तहसील में मिलाने के लिए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये हैं ? अगर हां, तो आज तक उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(5) क्या यह भी सही है कि हाल ही में मुख्य मन्त्री तथा राजस्व मन्त्री ने वहां के सरपंच को उक्त समस्या को सुलझाने के आश्वासन भी दिये हैं ? अगर हां, तो आश्वासन की पूर्ति के लिए राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) जी हां, ऐसा भूतपूर्व जोधपुर और जैसलमेर रियासत के समय से ही दोनों ग्राम अलग अलग राज्यों में दो राजस्व इकाइयां होने से अलग अलग हैं।

(2) ग्राम छांयण तहसील पोकरण में पंचायत मुख्यालय एवं पटवार सर्किल है परन्तु ग्राम छांयण तहसील फलोदी का पंचायत हैड क्वाटर एवं पटवार सर्किल ग्राम टेकरा में है और यह ग्राम छांयण से 9 मील और तहसील फलोदी से 35 मील दूर है।

(3) वर्तमान स्थिति में अनाज, घास आदि की सभी सुविधाएँ ग्राम छांयण तहसील फलोदी की जनता को दी जा रखी है। अनाज और घास की डिपो इस ग्राम के लिए ग्राम टेकरा में खोला गया है।

जन गणना के कारण अभी इकाइयों में परिवर्तन सम्भव नहीं है।

(4) जी हां। फलोदी स्थित ग्राम छांयण के क्षेत्र को पोकरण स्थित क्षेत्र में मिलाने हेतु सरकार ने आगामी जन गणना को दृष्टि में रखते हुए निर्देश दिये हैं कि 30 जून, 1971 तक गांवों की सीमा एवं इकाइयों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावे।

(5) उपरोक्त स्थिति को देखते हुए 1971 में ही विचार किया जायेगा।

केकड़ी में तहसील कार्यालय के लिये इमारत का निर्माण

71. श्री देवीलाल बुरांसिया (केकड़ी सु.) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर जिले को केकड़ी तहसील के कार्यालय के लिए

(श्री देवीलाल बुरासिया)

इमारत बनाने का कभी राज्य सरकार ने विचार किया था ? अगर हां, तो उसमें क्या प्रगति हुई ?

(2) अभी तहसील कार्यालय किस स्थान पर चल रहा है इसके पहले उस इमारत पर किसका कब्जा था और यह इमारत किन की है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त इमारत सार्वजनिक चन्दे से बनाई गई है ? अगर हां, तो तहसील कार्यालय को वहां से कब हटाया जायेगा और तहसील कार्यालय के लिए इमारत कहां बनाई जायगी ?

उत्तर

(1) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(2) तहसील कार्यालय उप खण्ड अधिकारी के कार्यालय के सामने स्थित भवन में चल रहा है। इससे पहले इस इमारत पर पुलिस विभाग का कब्जा था यह इमारत सरकार की ही है।

(3) सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

अजगरा बांध के कमांड की पड़त भूमि

72. **श्री देवीलाल बुरासिया** (केकड़ी सु.) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) अजमेर जिले की सरवाड़ तहसील के अजगरा बांध के कमाण्ड एरिया में कुल कितनी भूमि पड़त पड़ी हुई है ?

(2) क्या यह सही है कि अजगरा बान्ध के कमाण्ड एरिया के सन् 62 के पश्चात् किन्हीं लोगों ने अनाधिकृत कब्जा कर लिया है ? अगर हां, तो कितने व्यक्तियों ने कितनी भूमि पर ?

(3) क्या उक्त कमान्ड एरिया में किसी तहसीलदार या एस. डी. एम. या राज्य सरकार द्वारा किसी को आवंटन किया गया है और किया तो किन किन को ? सूची सदन में रखें।

(4) क्या उक्त कमाण्ड एरिया में नीलामी द्वारा भी जमीन बेची गई ? अगर हां, तो कितनी और किस दर से ? सूची सदन में रखें।

उत्तर

(1) अजमेर जिले की तहसील सरवाड़ के अजगरा बान्ध में प्रस्तावित कमाण्ड एरिया में कुल 838 एकड़ भूमि पड़त पड़ी हुई है।

(2) अजगरा बांध के प्रस्तावित कमांड एरिया में सन् 1962 के पश्चात् कुल 147 व्यक्तियों ने 214 एकड़ भूमि पर अनाधिकृत कब्जा किया है।

(3) उक्त प्रस्तावित कमाण्ड एरिया में तहसील द्वारा कुछ 41 आदमियों को 84 एकड़ भूमि अलाट की गई है। सूची संलग्न है।

(4) उक्त कमाण्ड एरिया में निलामी द्वारा जमीन नहीं बेची गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

गिरदावर-कानूनगो की वरिष्ठता सूची

73. श्री गंगा सहाय (कठूमर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में गिरदावर कानूनगो के कितने केसेज वरिष्ठता सूची न बनने के कारण कब से कनफरमेशन हेतु सरकार के पास पड़े हुए हैं ?

(2) वरिष्ठता सूची शीघ्र बनवाने की दृष्टि से सरकार ने अभी तक क्या क्या कदम उठाये हैं और सरकार इस कार्य को कब तक पूरा करके कनफरमेशन करा सकेगी ?

उत्तर

(1) 321 मामलों में स्थायीकरण सन् 67 के बाद रुका हुआ है, क्योंकि अतिरेक व्यक्तियों के समविलयन के कारण वरिष्ठता सूचियों में संशोधन किया जाना था।

(2) अतिरेक किये गये व्यक्तियों को सम्मिलित करते हुए वरिष्ठता सूचियें किस प्रकार बनेंगी उस सम्बन्ध में राजस्थान सिविल सेवा (अतिरेक व्यक्तियों के समविलयन) नियम, 1969 बन चुके हैं और अब शीघ्र ही विभागाध्यक्ष इस सम्बन्ध में कार्यवाही पूरी कर लेंगे।

चरागाहों की भूमि

74. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार की यह नीति है कि समस्त चरागाह भूमि को जो कि कृषि योग्य है का कृषि भूमि में परिवर्तन कर दिया जाय यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जावेगा ?

(2) क्या सरकार ग्रामीण हरिजन जो भूमिहीन हैं को इस परिवर्तित भूमि में से 50 प्रतिशत भूमि अलोट करने की नीति अपनावेगी जिससे हरिजनों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके ?

(3) क्या सरकार इसके लिये तहसीलदारों से काबिल काश्त चरागाहों की सूची एक साथ प्राप्त करके परिवर्तन करेगी ?

उत्तर

1—जी नहीं।

2—प्रश्न पैदा नहीं होता।

3—प्रश्न पैदा नहीं होता।

भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों का चयन

75. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी): क्या (सैनिक कल्याण) मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या भूतपूर्व सैनिकों को राजकीय असैनिक नौकरियों में लेने के लिये सन् 1959 में नियम बन गये थे ? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उपरोक्त नियमों के तहत कितने भूतपूर्व सैनिकों को गजटेड व नॉन गजटेड स्थानों पर लिया गया है और किन किन विभागों में ?

(श्री जुझार सिंह)

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त नियमों के अनुसार एक बोर्ड का गठन होना था जो भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों का चयन असैनिक कर्मचारियों में करता ? यदि हां, तो क्या बोर्ड का गठन हो चुका है ? यदि नहीं तो बोर्ड की अनुपस्थिति में सैनिक का असैनिक नौकरियों में चयन किस प्रकार किया जाता है ?

(4) क्या उपरोक्त नियमों की प्रतियां विभिन्न विभागों को भेज दी गई हैं ? यदि हां, तो इन पर कितना अमल हुआ है ?

(स्थगित किया गया)

सरकार की तरफ से पैरवी करने वाले वकीलों की सूची

76. राजवी श्री रूपसिंह (सरदारशहर): क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राजस्थान हाईकोर्ट में सरकार की तरफ से पैरवी करने के लिए कोई वकीलों की सूची तैयार की जाती है ? यदि हां, तो यह सूची किस आधार पर व किसकी राय से तैयार की जाती है ?

उत्तर

जी हां, यह सूची तैयार करने के लिये सरकारी अधिवक्ता तथा राजस्थान उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन से वकीलों की सूची मांगी जाती है तथा उनमें से फिर राज्य सरकार द्वारा योग्यता के आधार पर कुछ वकीलों की सूची तैयार की जाती है जो सरकारी अधिवक्ताओं की अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय में सरकार की तरफ से पैरवी करते हैं।

जिला चित्तौड़गढ़ के ग्रामों में बिजली

77. रामकुमार नंदवाना (चित्तौड़गढ़): क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ में अब तक कितनी बस्तियों को विजलीकरण के अन्तर्गत लिया जा चुका है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) जिन बस्तियों में बिजली स्वीकृत हुई है उनमें अब तक कितने कनेक्शन्स किसानों को दिये गये हैं और कितने पेन्डिग हैं ? कितने व्यक्तियों ने प्रार्थना-पत्र दिये हैं?

(3) सन् 1969–70 में इस जिले की पंचायत समिति, चित्तौड़गढ़ के कितने गांव विद्युतिकरण हेतु स्वीकृत किये गये हैं ? क्या उनमें विद्युतिकरण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? यदि हां, तो कितने कनेक्शन दिये जा चुके हैं, कितने किसानों द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये गये हैं ?

(4) क्या ऐसा कोई नियम है कि गांव की स्वीकृति आने के बाद निर्धारित अवधि में विद्युतिकरण किया जाये ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस बारे में कोई नियम बनाने का विचार रखती है ?

(5) क्या यह सही है कि दिनांक 30 जून, 1969 को 11 ग्रामों में नई स्वीकृति दिये जाने की सूचना विद्युत मन्त्री ने स्थानीय विधायक को दी थी ? यदि हां, तो क्या उन सभी बस्तियों में बिजली दिये जाने

(श्री राम कुमार नन्दवाना)

के आदेश जारी हो चुके हैं ? यदि हां, तो कब व किस तारीख को। सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। यदि इन 11 ग्रामों को स्वीकृति नहीं दी गई है तो उनके क्या कारण रहे ?

उत्तर

1–27 बस्तियों का विद्युतिकरण हो चुका है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

2–विद्युतिकरण किये गये ग्रामों में पेंडिंग एप्लीकेशन व दिये हुए कनेक्शन का नम्बर संलग्न सूची 'स' में अंकित है।

तीन गांव।

3–विस्तृत सर्वे प्रारम्भ किया जा रहा है। क्योंकि इन ग्रामों का विद्युतिकरण अभी नहीं हुआ है, अस्तु कनेक्शन देने का प्रश्न नहीं उठता। अभी कोई प्रार्थना-पत्र नहीं लिये गये हैं। जी नहीं। ऐसे किसी नियम बनाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

4–11 ग्रामों में से चीकसी, श्रोदुन्द, गरदाना, कश्मोर और आकोला ग्रामों को विद्युत देने की स्वीकृति बोर्ड द्वारा दे दी गई है। बाकी ग्रामों का विद्युतिकरण धनाभाव के कारण मंजूर नहीं हो सका है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

केकड़ी क्षेत्र में बिजली

78. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी सु०) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में किन किन ग्रामों का विद्युतिकरण किया गया ? सूची सदन में रखें।

(2) क्या यह सही है कि काफी ग्रामों को विद्युतिकरण के बाहर रखा गया है ? इनको बाहर रखने का क्या कारण है ?

(3) देवली से अजमेर जो चम्बल लाइन जा रही है यह किन किन गांवों के सरहद से गुजर रही है और उनमें से कितने ग्रामों को विद्युतिकरण की सूची में लिया ? सूची सदन में रखें।

(4) केकड़ी विधान सभा क्षेत्र के कौन कौन से ग्रामों के नजदीक से कौन कौन सी विद्युत लाइन गुजर रही है और वहां से वे ग्राम कितनी कितनी दूरी पर हैं ? क्या उन लाइनों से उन ग्रामों का विद्युतिकरण किया जा सकता है ?

उत्तर

(1) केकड़ी एवं सरवाड़ का।

(2) जी नहीं। प्राप्त धनराशि, उपलब्ध सामान, समस्त प्रांत की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए यथाशक्ति अधिक से अधिक ग्राम इस वर्ष में लिये गये हैं। इनकी संख्या '4' है।

(3) इस विधान सभा क्षेत्र में अजमेर देवली 33 के० वी० लाइन के निकट तक ग्राम काकड़ी नाइखेड़ा, कालेड़ा, सरवाड़ मोलकिया, बोगला, सराना, शोकलिया कोटरी आदि आदि हैं। इनमें से केकड़ी और सरवाड़ का विद्युतिकरण हुआ है।

(4) केवल उपरोक्त 33 के. वी. लाइन इस क्षेत्र में से गुजर रही है और

(विद्युत मंत्री)

इससे निकटतम ग्रामों का उल्लेख उक्त प्रश्न के उत्तर में कर दिया गया है। ये ग्राम उक्त लाइन से अनुमानतः आधी मील के अंतर्गत हैं। अक्सर 33 के. वी. लाइन का टेपिंग ग्रामों के विद्युतिकरण के लिये नहीं किया जाता है। तकनीकी दृष्टि से 33 के. वी. प्रसारण लाइन से 33/11 के. वी. सब स्टेशन स्थापित करके भार एवं दूरी को दृष्टि में रखते हुए विद्युतिकरण किया जा सकता है, जिसका निश्चय सम्बन्धी ग्रामों की सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार होने पर हो सकता है।

नगरपालिका केकड़ी द्वारा अल्पाहार आदि पर खर्च की गई राशि

79. **श्री देवीलाल बुरासिया** (केकड़ी सु.):— क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या केकड़ी नगरपालिका द्वारा दिनांक 30-5-66 से 20-8-69 तक अल्पाहार या सहभोज में कोई खर्चा किया गया ? अगर हां, तो किस किस व्यक्ति के सम्मानार्थ व किस किस मौके पर कौनसी तारीख को व कितने कितने रुपये खर्च किये ? पूर्ण विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

जी हां।

सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

ईंटों की खरीद

80. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सही है कि श्री उदयराम प्रजापत से नगरपालिका लाडनूं ने 15-9-67 को कुछ ईंटें खरीदी थीं ? यदि हां, तो कितनी और कितने मूल्य की ?

(2) उक्त बिल का भुगतान कब किस को किस के द्वारा किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) नगरपालिका द्वारा किसी को भुगतान चैक से किया जाता है या नकद में ?

(4) क्या यह सही है कि श्री उदयराम ने उनका भुगतान नहीं करके नगरपालिका के कर्मचारी द्वारा भुगतान उनके फर्जी हस्ताक्षर करके उठा लेने की शिकायत निदेशक स्थानीय निकाय, राजस्थान को की ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(5) क्या यह भी सही है कि सप्लायर द्वारा दिये गये बिल में उनके द्वारा लिखी गई रकम को बढ़ा कर ज्यादा भुगतान उठाया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। 1500 ईंटें 135) रुपये में।

(2) श्री उदयराम प्रजापत की लिखित में ऑथोरिटी के आधार पर श्री मुखत्यारखां, लाडनूं श्री जीवनसिंह, एल. डी. सी, नगरपालिका लाडनूं द्वारा किया गया था।

(श्री स्वायत्त शासन मंत्री)

सूची सदन की मेज पर रखने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(3) दोनों ही प्रणाली से भुगतान किये जाते थे।

(4) जी हां, जांच करवा ली गई है। प्रशासक नगरपालिका को सम्बन्धित व्यक्ति को शीघ्रातिशीघ्र निलम्बित कर चार्जशीट देने के लिये कह दिया गया है।

(5) प्रशासक के कथनानुसार बिल में रकम को बढ़ा कर ज्यादा भुगतान उठाने का प्रश्न पैदा नहीं होता है।

नाकेदार के विरुद्ध कार्यवाही

81. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका लाडनूं ने श्री पाबुसिंह नाकेदार, चौकी राहु-दरवाजा को निलम्बित किया था ? यदि हां, तो कब तथा उसको कोई चार्जशीट दी? यदि हां, तो उक्त चार्जशीट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त चार्जशीट का श्री पाबुसिंह ने कोई जवाब दिया ? यदि हां, तो उसकी प्रति भी सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह भी सही है कि चार्जशीट में अधिकतर उल्लेख रकम के गबन का था ? यदि हां, तो कुल कितनी रकम का और वह रकम कब जमा करवाई गई ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त रकम जमा होने के पूर्व ही उक्त कर्मचारी को बहाल भी कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि चार्जशीट में लगाये गये आरोप और उसके द्वारा दिए गए उत्तर ऐसे गम्भीर हैं जिससे उक्त कर्मचारी को बहाल करने के बजाय उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करनी चाहिये थी ? यदि हां, तो मौजूदा प्रशासक ने उसको बहाल कैसे कर दिया ?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 21-9-67 को। चार्जशीट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां, 84 रुपयों का। दिनांक 30-11-68 तक जमा हो चुकी थी।

(4) जी नहीं। बहाल होने से पहले ही रकम पूरी पालिका कोष में जमा हो गई थी।

(5) जांच के दौरान आरोप गम्भीर नहीं पाये गये थे, अतः उसके विरुद्ध कोई कड़ी कार्यवाही करने की आवश्यकता तत्कालीन प्रशासक को प्रतीत नहीं हुई। श्री पाबुसिंह की दो वार्षिक वेतन वृद्धियां रोक कर उसे एल. डी. सी. के पद से मोर्हिरर के पद पर पदावनत कर दिया गया था।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

Page No 42

पंचायतों को नगरपालिकाओं का दर्जा

82. **श्री गंगासहाय (कठूमर) :** क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में कितनी पंचायतों को नगरपालिकाओं का दर्जा दिया गया है ?

(2) क्या नगरपालिका बनने पर जो कर्मचारी पंचायत से आये हैं उन सभी को राजस्थान की अन्य नगरपालिकाओं के कर्मचारियों के समान वेतन तथा अन्य सुविधायें दी जा रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) तीन को—

1—खैरथल (अलवर)

2—रतननगर (चूरू)

3—जहाजपुर (भीलवाड़ा)

(2) पंचायतों से नगरपालिकाओं में परिवर्तन हेतु जो अधिसूचना जारी की गई है उसमें कर्मचारियों के सम्बन्ध में यह स्पष्ट आदेश हैं कि ग्राम पंचायतों के अधिकारी एवं कर्मचारी इस नवनिर्मित समिति के अधिकारी एवं कर्मचारी माने जायेंगे ऐसी दशा में नगरपालिका सेवा नियमों के अन्तर्गत वेतन सुविधायें पाने के अधिकृत हो जाते हैं।

अलवर में सिनेमा के लिऐ भूमि

83. **श्री गंगासहाय (कठूमर) :** क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अलवर की स्कीम नं. 1 सड़क नं. 2 पर एक बहुत बड़ा भू–खण्ड सिनेमा भवन निर्माण हेतु किसी को दिया गया था ? यदि हां, तो यह भू-खण्ड कब, किसको दिया गया था ? इसका माप और कीमत क्या है ?

(2) क्या भू-खण्ड आवंटित करते समय कोई शर्तें रखी गई थीं ? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) हाउसिंग कालोनी स्कीम नम्बर 1 व 2 स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी 18134/एफ 3 (बी) 92 एल. एस. जी./61 पार्ट–3 दिनांक 18-12-61 में राजस्थान नगर न्यास अधिनियम 1959 की धारा 38 व 39 के अन्तर्गत राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित की गई थी। इन योजनाओं में 15 हजार 133 वर्ग गज भूमि भी सम्मिलित थी। यह भूमि राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 6 (12) टी.पी./63 दिनांक 9–4–64 द्वारा अवाप्त की जाने से मुक्त कर दी गई थी।

(2) जैसा कि ऊपर के उत्तर में बताया गया है यह भू-खण्ड आवंटित नहीं किया गया था। राजस्व विभाग द्वारा उनके पत्र संख्या एफ 2 (452) राज/ख/ग्रुप 2/66 दिनांक 17-1-67 के अन्तर्गत सिनेमा के लिए इस भूमि को कृषि भूमि से परिवर्तन के लिए राजस्व विभाग द्वारा स्वीकृति प्रदान नहीं की है।

नवलगढ़ जल प्रदाय योजना

84. **श्री सांवरमल बासोतिया (नवलगढ़) :** क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

नवलगढ़ जल प्रदाय योजना का कार्य कब से प्रारम्भ हुआ ? अब तक इस योजना पर कुल कितना रुपया खर्चा हो चुका है और कार्य आज किस स्टेज पर है ? कस्बे को पानी देना कब तक प्रारम्भ कर दिया जायगा ? निश्चित तिथि बतावें।

उत्तर

नवलगढ़ योजना का कार्य अगस्त, 63 में प्रारम्भ हुआ। अब तक (दिसम्बर 69) इस योजना पर 17.54 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं। योजना का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। फाईनल टेस्टिंग का कार्य चालू है। योजना में पानी देना लगभग 1/1-2 (एक–डेढ़ माह) माह पश्चात् टेस्टिंग पूर्ण होने पर प्रारम्भ कर दिया जावेगा।

जसवन्तगढ़ जल प्रदाय योजना

85. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जल प्रदाय योजना, जसवन्तगढ़, जिला नागौर का कार्य सरकार ने स्थानीय ग्राम पंचायत के साथ किये गये अनुबन्ध के अनुसार किया था? यदि हां, तो जसवन्तगढ़ से सुजानगढ़ पाइप लाइन ले जाकर पानी देते समय पंचायत से क्यों नहीं पूछा गया?

(2) क्या यह सही है कि सुजानगढ़ में जो पानी की आमदनी होती है वह जसवन्तगढ़ योजना के खाते में जमा नहीं की जाती? यदि हां, तो क्यों, जब कि पानी जसवन्तगढ़ पाइप लाइन से दिया जा रहा है?

उत्तर

1–जी नहीं। अत: प्रश्न ही नहीं उठता।

2–जी हां। क्योंकि सुजानगढ़ को 24 अक्टूबर, 1969 से एक अलग लाइन एवं कुओं से पानी दिया जा रहा है।

सरप्लस कर्मचारी

86. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला उद्योग अधिकारी सीकर कार्यालय में यू. डी. सी. के पद पर काम करने वाले कर्मचारी श्री शिवकिशन जोशी आत्मज श्री मदनलाल जोशी को सन् 65-66 या 66-67 के आस पास सरप्लस घोषित कर दिया गया? यदि हां, तो क्यों और उक्त कर्मचारी का सेवा-काल कितना था?

(2) क्या यह सही है कि उक्त कर्मचारी को आज तक सरप्लस घोषित करने से सम्बन्धित आदेश पत्र नहीं दिया गया?

(3) क्या यह सही है कि जिला विकास अधिकारी (कलेक्टर) झुन्झुनूं ने उक्त कर्मचारी को सन् 1957 की फरवरी को चिड़ावा विकास विभाग कार्यालय में एल. डी. सी. के पद पर नियुक्त किया था और लगातार करीब 3-4 वर्षों तक कार्य किया और इसी समय के बीच में उक्त कर्मचारी को यू. डी. सी. के पद पर पदोन्नत कर दिया और सन् 59 में उक्त कर्मचारी को कन्फर्म कर दिया है?

(4) क्या यह सही है कि उक्त कर्मचारी को उद्योग विभाग द्वारा मांग लिये जाने पर ही चिड़ावा पंचायत समिति से मई 63 के आस पास जिला उद्योग अधिकारी सीकर कार्यालय में परिवर्तन हुआ था?

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

(5) क्या यह सही है कि यह कर्मचारी सरप्लस होने के बाद कई प्रार्थना-पत्र अपने पद पर काम देने के सम्बन्ध में लगातार देता आ रहा है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(6) क्या यह सही है कि उक्त कर्मचारी की सर्विस फाइल उद्योग विभाग से गायब है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, श्री शिवकिशन जोशी कनिष्ठ लिपिक के पद पर कार्य कर रहे थे न कि वरिष्ठ लिपिक के पद पर।

इनको राज्य सरकार के प्रशासनिक व्यय में कटौती के अन्तर्गत सरप्लस घोषित किया गया।

उस समय इनका सेवाकाल 8 वर्ष एक माह था।

(2) जी, नहीं।

(3) जी, नहीं। इनकी नियुक्ति 1 फरवरी, सन् 1958 को हुई थी न कि 1 फरवरी सन् 1957 से। इन्होंने विकास विभाग में लगातार करीब 2 वर्ष तक कार्य किया तत्पश्चात् 2-2-60 को इन्हें वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नत किया गया। इनको विकास अधिकारी से प्राप्त सूचना के अनुसार 2-10 59 से कनिष्ठ लिपिक के पद पर कन्फर्म कर दिया गया।

(4) जी, हां।

(5) जी, हां।

चूंकि यह कर्मचारी सरप्लस घोषित किया जा चुका है तथा जिलास्तर पर सभी obsorption जिलाधीश द्वारा किया जाता है अतः इनके प्रार्थना-पत्र जिलाधीश, सीकर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया गया तथा इन्हें भी सूचित कर दिया गया।

(6) जी, नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सीमा सड़क निर्माण कार्य और मशीनरी की खरीद

87. श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जैसलमेर जिले में सीमा सड़क निर्माण हेतु कितने डिवीजन हैं और किस किस डिवीजन का कार्यक्षेत्र कौन कौन सा है ?

(2) किस किस डिवीजन ने किस किस प्रकार की कितनी कितनी मशीनरी आज तक खरीदी है और कौन कौन सी फर्मों से खरीदी ? मय तारीख वर्ष वार प्रत्येक डिवीजन की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

सीमा सड़क निर्माण हेतु जैसलमेर जिले में दिनांक 31-12-69 तक निम्नांकित तीन डिवीजन और सम्बन्धित कार्य क्षेत्र था:–

डिवीजन संख्या 7 तनोट का कार्यक्षेत्र

1. रामगढ़–तनोट-किशनगढ़ सड़क मील 41 से 89 तक (0 मील जैसलमेर से)

(श्री सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)

2. तन्नोट लोंवियाला छाड़ेवाला कटारू सड़क 0 से 64 किलो मीटर

डिवीजन संख्या 8 रामगढ़:—

1. जैसलमेर–रामगढ़ सड़क 20 से 41 मील तक (0 मील जैसलमेर से)

2. रामगढ़-पीटारू सड़क (0 से 37/4) मील तक

3. रामगढ़ लोंगवाला सड़क (0 से 42) किलो मीटर

4. गोयल बुली सड़क (0 से 43) मील तक

डिवीजन संख्या 9 जैसलमेर :-

1. बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर सड़क 207 से 256 मील तक (0 मील बीकानेर से)

2. जैसलमेर कुड़ी म्याजलार सुन्दरा सड़क (0 से 76) मील तक

3. जैसलमेर सममुरार सड़क (0 से 70 मील तक)

4. जैसलमेर रामगढ़ सड़क (0 से 20 मील तक)

परन्तु दिनांक 1-1-70 से पूर्ण जैसलमेर डिवीजन के लिये केवल एक ही डिवीजन जैसलमेर में स्थित है। उक्त डिवीजनों द्वारा कोई मशीनरी नहीं खरीदी गई।

हवाई मैदान का कार्य निर्माण का और मजदूरों की बकाया मजदूरी

88. **श्री बालसिंह सोढ़ा** (जैसलमेर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर हवाई मैदान का निर्माण कार्य सी.पी.डब्ल्यू. डी. के द्वारा संचालन हो रहा है और वहां रसीद खां नाम का ठेकेदार काम कर रहा है तथा उसके विरुद्ध मजदूरों को मजदूरी नहीं देने की कलेक्टर के पास शिकायत है ? अगर हां, तो इसका निराकरण करने के लिए कौन सक्षम है ?

(2) क्या यह सही है कि केन्द्र का विभाग होने के कारण राजस्थान सार्वजनिक निर्माण विभाग क्षमता के बाहर का विषय है ? अगर हां, तो मुख्य मंत्री जी अपने स्तर पर केन्द्र से भविष्य में इसका निराकरण कराने का विचार रखते हैं ? अगर नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

(स्थगित किया गया)

केकड़ी उप-खण्ड में निर्माण कार्य

89. **देवीलाल बुरासिया** (केकड़ी-सु०): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अजमेर जिले के केकड़ी उप-खंड में सन् 1960 के पश्चात् सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा भवन व पथ के नव निर्माण कार्य कहां कहां पर, क्या क्या, कब कब करवाए गए ? सूची कामवार, ग्रामवार सदन में रखें।

(2) केकड़ी उप-खंड के कितने कार्य ऐसे हैं जो सरकार से स्वीकृति हो जाने के पश्चात् भी चालू नहीं किए गए हैं ? सूची सदन में स्वीकृति की दिनांकवार रखें।

(श्री देवीलाल बुरासिया)

(3) उक्त कार्य पूर्ण नहीं करने के या कारण हैं ?

उत्तर

(1) सूची (अ) प्रस्तुत है।

(2) दो कार्य हैं जिनका विवरण निम्न है। केकड़ी कादेरा रोड का 30 मील का शेष कार्य।

केकड़ी बघेरा रोड मील 12।

(3) अर्थाभाव के कारण।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति के बारे में सर्वेक्षण

90. **श्री गंगासहाय** (कठूमर): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान सरकार ने राजस्थान बनने के बाद अनुसूचित जातियों की आर्थिक व सामाजिक स्थिति के बारे में 1969 तक कितनी बार किन किन वर्षों में सर्वेक्षण कराया है ?

(2) क्या अनुसूचित जाति के लोगों की आय अन्य लोगों की तुलना में बढ़ी है ? सर्वेक्षणों की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

उत्तर

(1) अनुसूचित जातियों की आर्थिक स्थिति के बारे में कोई सर्वे नही कराया गया।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता। आय बढ़ने की तुलनात्मक स्थिति का अनुमान 1971 की जनगणना के बाद ही सम्भव हो सकेगा।

गंगानगर जिले के आन्दोलन से सम्बन्धित शासकीय वक्तव्य

श्री अध्यक्ष: माननीय मुख्य मंत्रीजी कोई स्टेटमेंट देना चाहते हैं। इसलिए मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह स्टेटमेंट दें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, गंगानगर के संबंध में जब स्थगन प्रस्ताव पर डिस्कशन हो रहा था, उस मौके पर मैंने कुछ बातें यहां पर कहीं थीं और कुछ बातों पर उस समय विचार किया जा रहा था। सदन के द्वारा आज राज्यपाल महोदय के अभि-भाषण पर वाद-विवाद होगा, उससे पहले मैंने उपयुक्त समझा कि जो इस संबंध में हमारे विचार हैं या निर्णय हुए हैं, उनसे मैं इस सदन को अवगत करा दूं। अध्यक्षजी, गंगानगर जिले में इस बार कपास की खेती को काफी तादाद में नुकसान हुआ और कमर्शियल सैस वसूल नहीं की जाय, इस बारे में चर्चा थी। हमने कलेक्टर्स से इस संबंध में जानकारी प्राप्त की थी और कलेक्टर की रिपोर्ट इस संबंध में आ गई है। करीब 75 प्रतिशत के आस पास वहां पर कॉटन क्राप को बीमारी आने की वजह से नुकसान हुआ है। सरकार ने कैश क्राप्स के बारे में रेमिशन, सस्पेन्शन के नियम बनाने के लिए तय किया है और जो नीचे ग्रेडेड रेमिशन, सस्पेन्सन क्या हो, उसका फाइनल विचार तो आगे किया जायगा, लेकिन 75 प्रतिशत या उससे

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

ऊपर अगर किसी केश क्राप्स के अन्दर नुकसान हो तो उनको पूरा रेमिशन दिया जाय, केश क्राप्स के लिए इस बात का निर्णय किया गया है। उसके अनुसार गंगानगर में काटन की क्राप्स पर कैश क्राप्स सेस नहीं ली जायगी। अध्यक्षजी, यहां पर विलेज सर्विस की ग्रांट्स के बारे में राइट्स देने के संबंध में भी जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने माफीदारों की ग्रांट के बारे में सवाल उठाया था। उस संबंध में सरकार ने 1969 के अप्रेल में आदेश जारी कर दिया। मैं उसको आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं। उसमें लिखा है:—

"I am directed to state that in accordance with the provisions of Section 193 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955, the Collectors of the respective districts are required to declare that the services rendered by the village servants are no longer required and the concerned village servant shall become a Khatedar tenant of his village service grant and shall be liable to pay rent accordingly."

यह आदेश पहले भी जारी किया जा चुका है और उस पर कहीं अमल नहीं हुआ होगा तो अमल कराने के लिए और हिदायतें जारी कर दी जायेंगी।

श्री भैरों सिंह : 1959 के बाद सरकार ने स्टे आर्डर्स जारी नहीं किए हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह 1969 का है। गंग कैनाल, भाखरा, राजस्थान कैनाल के एरिया में कुल जगह इर्रीगेशन की फैसिलिटीज बढ़ाने के बारे में पानी कम पहुंचा है। कई इलाकों के अन्दर इस वजह से लोगों की परेशानी के बारे में यहां पर जिक्र किया गया है। ये प्रश्न ऐसे हैं जिनका काफी विस्तार से विचार किए बिना आसानी से निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सकता। माननीय सदस्य जानते हैं कि श्री मोतीराम जी चीफ इंजीनियर रह चुके हैं तथा जो इस सिस्टम से परिचित हैं और अब भी राजस्थान की कई समस्याओं पर समय समय पर उनसे सलाह लेते रहते हैं, तो उनकी वन-मैन कमेटी एपाइंट करेंगे। उनके टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अन्दर यह रहेगा कि टु एग्जामिन शेयर सप्लाईज। यह सवाल आया था कि शेयर सप्लाईज कम मिलती हैं।

"To examine share supply relating to Gang Canal, Bhakra and Rajasthan Canal and suggest ways and means to meet the Shortfull, if any.

(2) To examine internal distribution of supplies and suggest steps to improve the same wherever necessary, in order to assure equitable distribution to the beneficiaries.

(3) To examine and report the ways and means to augment supplies in the existing system so that the

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

potential already created gets full advantage of irrigation.

(4) He will also examine any other matter relating to irrigation projects."

और अगर कोई और इश्यू सामने आए तो इग्जैमिन कर सकते हैं।

तो Moti Ramji would give his report within three months from the date of appointment

अध्यक्षजी, इसके अलावा, बेटरमेंट लेवी के संबंध में प्रश्न यहां उठे हैं कि भाखरा के एरिया में पहले 11) रु. वसूल किए जाते थे। इस वर्ष 22) रु. वसूल करने के लिए सरकार ने आदेश दिये थे। इस समय हरियाणा में 20) रु० एक एकड़ पर वसूल किए जाते हैं क्योंकि यहां पर सवाल उठाया गया था कि सिंचाई की सप्लाइज कम रही हैं और इस वजह से दिक्कतें पैदा हुई हैं। वैसे मेच्योर्ड एरियाज पर इर्रीगेशन लेने के आदेश हो चुके हैं लेकिन उसके साथ साथ इस बात के आदेश देने का फैसला भी किया है कि मोतीरामजी की रिपोर्ट कि कितना पानी सप्लाई हो वगैरह विस्तार से न आ जाय, तीन महीनों के बाद वह रिपोर्ट आएगी तो इस वर्ष जो 11)रु. पहले लिये जाते थे, उसी हिसाब से भाखरा की एरिया के अन्दर मेच्योर्ड एरिया पर 11)रु. बेटरमेंट लेवी वसूल की जायगी। साथ ही, सारे राजस्थान के लिये, अध्यक्ष महोदय, हमने यह भी निर्णय किया है कि जो छोटे काश्तकार हैं जिनके ऊपर वजन पड़े उसके लिहाज से यह फैसला किया कि तीन एकड़ से कम जिसकी होल्डिंग होगी उस पर कोई बेटरमेन्ट लेवी चार्ज नहीं होगी वह उससे कम्पलीट एक्जम्प्ट कर दिया गया है।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : गंगानगर में तीन एकड़ किसी के पास है ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री मदन सिंह : क्या बच गये हैं वे काश्तकार नहीं हैं ?

श्री रामचन्द्र आर्य : इन घोषणाओं से कुछ होने वाला नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री रामचन्द्र आर्य : आपको मानना पड़ेगा कि वहां आन्दोलन इससे कभी वापिस नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य !

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय अध्यक्षजी, मैं समझता हूं, मैं यह उम्मीद करता था कि माननीय सदस्य गरीबों की दृष्टि से उस लिहाज से शायद ज्यादा चिन्तित थे, तीन एकड़ से कम जिसके पास है वह छोटा किसान है 3 एकड़ इर्रीगेटेड, मैंने इर्रीगेटेड कहा है, राजस्थान में इर्रीगेटेड 3 एकड़ होल्डिंग जिसके पास है वह किसान ठीक समझा जाता है, तो 3 एकड़ से जिसके पास कम इर्रीगेटेड लैंड है उसको कन्सेशन्स देने की बात है "

श्री रामचन्द्र आर्य : तीन एकड़ ही नहीं रहेगी, पैसे वालों के पास रहेगी।

Page No 49

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य । आर्डर आर्डर ।

श्री रामचन्द्र आर्य : × × ×

श्री अध्यक्ष : (श्री रामचन्द्र आर्य के लगातार बोलते रहने पर) एक्सपन्ज किया जाय ।

(श्री रामचन्द्र आर्य बोलते रहे) आर्डर प्लीज़ । माननीय सदस्य ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय अध्यक्षजी, एक बड़ा सवाल जो कि सारे राजस्थान से भी सम्बन्धित है, कुल बीकानेर एरिया से सम्बन्धित होगा और उसके बाद निकट आवेंगे तो राजस्थान केनाल सम्बन्धी जैसलमेर इलाके से भी सम्बन्धित होगा, उस सम्बन्ध में यह प्रश्न उठता रहा 1955 के टी. सी. होल्डर्स के बारे में, 1955 के बाद जो कन्टीन्युअसली खेती करते आ रहे हैं उनके बारे में, लैंडलेस कल्टीवेटर्स के बारे इन सब चीजों के सम्बन्ध में अलग अलग दृष्टिकोण, अलग अलग विचार भी सामने हैं। अध्यक्षजी, में आपके द्वारा माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहूंगा कि एक बड़ी भारी पोलिसी का प्रश्न है कि जिस पोलिसी के प्रश्न के बारे में आज की दृष्टि से नहीं बल्कि एक व्यापक दृष्टि से विचार करके हमें निर्णय करना होगा और इस दृष्टि से हमने यह सोचा है कि सारे प्रश्नों पर जिनके टर्म्स आफ रेफरेन्स मैं नीचे देता हूं, माननीय अध्यक्ष, इस सदन की एक कमेटी अपाइन्ट करें और वह कमेटी इस हाउस को अपनी रिपोर्ट दे । उसके बाद गवर्नमेन्ट उस पर एक्शन ले । उसके लिये मेरे प्रोपोजल हैं वह यह है :

"It is proposed that a committee of the House be constituted by the Speaker to consider the problems of colonisation in Gang, Bhakara and Rajasthan Canals areas and make its recommendations on the following matters. These recommendations will be discussed in the House and thereafter action will be takn by the Government:

(1) Allotment to pre-1955 T. C. holders, scale of allotment and its terms and conditions.

(2) Allotment of land to post-1955 T. C. holders who have been continuously cultivating land, scale of allotment and its terms and conditions.

(3) Eligibility of allotment in case of joint Hindu families.

(4) Unauthorised occupations.

(5) Alleged grant of tenancy rights to former Jagirdars."

श्री हीराभाई : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का सवाल है ।

× × × अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार शब्द कार्यवाही से हटाये गये ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं क्षमा चाहता हूं। फिर चान्स उपलब्ध होगा।

श्री अध्यक्ष : हिन्दी अनुवाद हो जावेगा।

श्री हीरा भाई : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं व्यवस्था के प्रश्न के द्वारा कि यह माननीय मुख्य मंत्रीजी पढ़ रहे हैं ऊपर से लिखा हुआ है या खुद ने किया है? आपने खुद ने किया है तो यह राजस्थान की दुर्दशा क्यों हो रही है ? 90 प्रतिशत ऐसे हैं जो अंग्रेजी जानते ही नहीं ......

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर। ऑर्डर। माननीय सदस्य। आप समझ नहीं पाये हैं।

श्री नत्थी सिंह (भरतपुर) : हिन्दी में आना चाहिये। इस सदन की भाषा हिन्दी है।

श्री अध्यक्ष : हिन्दी हो जावेगी। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री नत्थी सिंह : क्या अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो शान बढ़ेगी ?

श्री अध्यक्ष : अभी अंग्रेजी का जजमेन्ट बोला गया था।

श्री हीराभाई : सदन के माननीय नेता पर यह जिम्मेदारी है ...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर। ऑर्डर। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री हीराभाई : हमारा अधिकार छीन रहे हैं। यह तो डराने की बात हुई।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य डरा तो आप रहे हैं।

श्री हीरा भाई : राष्ट्र भाषा का उपयोग करना चाहिए। उसकी तोहीन की जा रही है। मैं यह कह रहा हूं...

श्री अध्यक्ष : आप ठीक ही कह रहे हैं। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : पहली शर्त मैंने कही उसका मतलब यह है कि 1955 से पहले के टी. सी. हैं उनको कितनी जमीन अलाट की जाय...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : टी. सी. की हिन्दी करें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आरजी काश्तकार।

श्री रामचन्द्र आर्य : 1955 तक पहले के खातेदार ...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : पहले आप सुनने का कष्ट करें।

श्री रामचन्द्र आर्यxxx

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

एक्सपन्ज किया जाय।

श्री हरिदेव जोशी (उद्योग मंत्री) : गंगानगर इलाके के सम्बन्ध में बड़ी महत्वपूर्ण बात कही जा रही है उसको माननीय सदस्य सुन नहीं रहे हैं।

(व्यवधान) (शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : तीसरा यह है:—Eligibility of allotment in case of joint Hindu families.

---

xxxअध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार शब्द कार्यवाही से निकाले गये।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

जोइन्ट हिन्दू फेमीलीज हो तो इलिजिबिलिटी अलॉटमेन्ट की क्या हो? अनअथोराइज्ड संयुक्त परिवार एन्ड अनअथोराइज्ड ओक्युपेशन है, गैर कानूनी कब्जा किया हो उसके सम्बन्ध में : फिर पुराने जो जागीरदार थे उन्होंने कुछ को जमीन अलॉट कर दी —

Alleged grant of tenancy rights to former Jagirdars.
को भी यह कमेटी रिव्यू कर ले।

6. Transfers made in contravention of the provisions of Tenancy Act and Colonisation Act in Rajasthan Canal Project area.

श्री नत्थी सिंह : छटा क्या है ?

श्री मोहन लाल सुखाड़िया : Transfers made in Contravention of the provisons of Tenancy Act and Colonisation Act in Rajasthan Canal Project area.

7. Allotment of un-occupied land to landless persons, ex-Jagirdars, ex-soldiers and service soldiers and other categories.

8. Modifications and amendments, if necessary, of existing rules, orders, notifications regarding the allotment of land in these areas.

9. Conferment and recognition of rights of allotment to Gair-Khatedars, Maliks and others in 4500 villages of Tehsil Tibi.

तहसील टीबी के लिये टेन्टेटिवली बात करके फैसला करने का हुआ था। नोट लम्बा है, सदन की मेज पर रख दूंगा जिससे उन प्रश्नों पर, उन सारी बातों पर, विचार किया जा सके।

मूल बहुत से प्रश्न उठाये गये हैं, उनके हल के लिए एक तरीका है और विस्तार में जा कर इसका हल निकालने के लिए सरकार ने अपनी तरफ से जो इसके संबंध में किया जा सकता है उसके सम्बन्ध में आपके सामने सदन के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत किए हैं और मुझे आशा है जिस स्पिरिट में, जिस लाइट में यह सुझाव और निर्णय सदन के समक्ष रखे हैं, माननीय सदस्य इन पर गम्भीरता पूर्वक विचार करें और इस संबंध में हल निकाल लेंगे जिससे जो राजस्थान कैनाल, माखरा, गंग केनाल की जमीनों की समस्या है उसका हम बातचीत के जरिए, उन समस्याओं को हल कर सकें यही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महोदय ने जो मुद्दे रखे हैं....

श्री अध्यक्ष : यह विवाद का प्रश्न नहीं है, बहस का प्रश्न नहीं है, माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : एक बात पूछनी है...

श्री अध्यक्ष : नहीं। यह बहस का प्रश्न नहीं है। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : आप सदन काXXX

श्री अध्यक्ष : अंकित न किया जाये।

श्री रामचन्द्र आर्य :XXX

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, आज की जो लिस्ट आफ बिजनेस है उसमें कोई स्टेटमेंट का जिक्र नहीं था।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर, आर्डर।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (श्री डागा द्वारा बाधा डालने पर) :क्या आपका बोलना जरूरी है ? मैं कहूंगा I am in possession of the house. What business you have got to interfere ?

श्री अध्यक्ष : इधर, माननीय सदस्य!

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं यह निवेदन कर रहा था, अध्यक्ष महोदय (श्री गिरधारीलाल व्यास द्वारा व्यवधान डालने पर) आपको तनख्वाह बीच में बोलने की नहीं मिलती है। लिस्ट आफ बिजनेस में यह आइटम नहीं था और यह जो स्टेटमेंट दिया गया है वह पालिसी का स्टेटमेंट दिया गया है। नियम 263, शायद ऐसा ही है, नियम 263 में, उसके अन्तर्गत यह है कि जो पालिसी स्टेटमेंट दिया जाये उसके सम्बन्ध में फुल फ्लेज्ड डिबेट इस हाऊस में होनी चाहिए। जब तक फुल फ्लेज्ड डिबेट नहीं हो तब तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता। आपने जो स्टेटमेंट जल्दी जल्दी में पढ़कर सुनाया उसकी प्रतिलिपि सारे माननीय सदस्यों को मिलनी चाहिये जिससे कि वे इसको समझ सकें और विचार विनिमय कर सकें और भविष्य के लिए जो भी उचित हो वह निर्णय लिया जा सके। यह क्या कि आपको जंचा और आपने घोषणा कर दी।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने जो नियम बताया है वह नियम 263 ही है। दुर्भाग्य से मेरे पास में इसकी कापी अंग्रेजी में है।

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर) : रूल की हिन्दी कापी भी है।

श्री भैरोंसिंह : सिर्फ रूल ही अंग्रेजी में बोलूंगा।

श्री हरिदेव जोशी : क्यों साहब क्यों ?

श्री अध्यक्ष: आर्डर! आर्डर! माननीय सदस्य इतनी रिजिडिटी इस प्रश्न पर न रक्खें। मैं भी रूल अंग्रेजी में ही बोलता हूं। मेज पार्लियामेन्टरी प्रेक्टिस अंग्रेजी में ही है।

एक माननीय सदस्य : इसका हिन्दी अनुवाद आ गया है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): आप माननीय सदस्यगण को निराश कर रहे हैं।

XXXअध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपकी पार्टी का नाम है संसोपा। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी! आपकी पार्टी के नाम के बीच में अंग्रेजी शब्द घुसा हुआ है।

श्री नत्थीसिंह : सोशलिस्ट पार्टी अंग्रेजी को पचाने की शक्ति रखती है।

श्री भैरोंसिंह : रूल 263 :यह प्रस्ताव, नीति या स्थिति या वक्तव्य या किसी अन्य विषय पर विचार किया जाये, सदन के मत के लिए नहीं रखा जायेगा, किन्तु सदन ऐसे विषय पर प्रस्तावक का भाषण समाप्त होने के बाद तुरन्त चर्चा करेगा और निश्चित समय पर वाद-विवाद की समाप्ति पर कोई अग्रेत्तर प्रश्न नहीं रखा जायेगा जब तक कि कोई सदस्य, अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किये जाने वाले उचित रूप में मूल प्रस्ताव न रखें और ऐसे प्रस्ताव पर सदन का मत लिया जायेगा।

इसलिए मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया है उस पर तुरन्त चर्चा उठाये जाने की अनुमति दी जाये।

श्री अध्यक्ष : 263 वें नियम का माननीय सदस्यों ने भी हवाला दिया है। मैं भी इसको पढ़ता हूं :

"यह प्रस्ताव, नीति या स्थिति या वक्तव्य या किसी अन्य विषय पर विचार किया जाये, सदन के मत के लिए नहीं रखा जायेगा, किन्तु सदन ऐसे विषय पर प्रस्तावक का भाषण समाप्त होने के बाद तुरन्त चर्चा करेगा और निश्चित समय पर वाद विवाद की समाप्ति पर कोई अग्रेतर प्रश्न नहीं रखा जायेगा जब तक कि कोई सदस्य, अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किये जाने वाले उचित रूप में मूल प्रस्ताव न रखे और ऐसे प्रस्ताव पर सदन का मत लिया जायेगा।"

मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह प्रस्ताव नहीं है, यह स्टेटमेंट था। स्टेटमेंट के सम्बन्ध में मुख्य मंत्रीजी ने मुझको यह कहा था कि वे आज स्टेटमेंट देना चाहेंगे इसलिए मैंने यह आज्ञा दी। ऐसी स्थिति में नियम 263 के अंतर्गत यह स्टेटमेंट नहीं आता। इसके अतिरिक्त इस सदन की यह परम्परा रही है कि समय समय पर जब कभी स्टेटमेंट दिये जाते हैं, वे इस सदन की सूचना के लिए दिये जाते हैं न कि डिबेट के लिए और न रूल 263 यहां लागू होता है। इस सदन की परम्परा के अंतर्गत जो स्टेटमेंट अब तक दिये जाते रहे हैं उन पर वाद विवाद नहीं होता रहा है। ऐसी व्यवस्था इसके अन्तर्गत रही है। दूसरा मैं यह निवेदन करूं कि अगर इस प्रश्न पर कोई ऐसा विचार विनिमय किया जाना उपयुक्त हो तो प्रोसीजरल तरीके से कोई मोशन आ सकता है। चूंकि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद विवाद होगा इसलिए सदस्यों को यह सूचना मुख्य मंत्रीजी ने दी है वह भी इस आधार पर कि वाद विवाद के समय माननीय सदस्य इस पर अपनी सम्मति प्रकट करें। ऐसी स्थिति में जो माननीय सदस्यों को (बीच में एक माननीय सदस्य द्वारा आपति उठाने पर) आपत्ति तो नहीं, प्रश्न उठावें, मेरे ख्याल से इसका निराकरण हो जाता है, मेरी इस व्यवस्था से।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह स्टेटमेंट जो अभी मुख्य मंत्रीजी ने दिया है वह गंगानगर जिले में जो हाल ही में आंदोलन चला था उसकी मांगों से संबंधित

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

सरकार के रुख को मुख्यमंत्रीजी ने यहां प्रकट किया है। चूंकि इस प्रश्न पर लाजिमी तौर पर गंगानगर में एजीटेशन चला है और जो मांगे हैं जिस पर गवर्नमेन्ट ने जो कुछ विचार किया है उस पर इस हाऊस के माननीय सदस्यों को अपनी राय व्यक्त करने का मौका मिलना चाहिए ताकि इस मसले की कई समस्याओं को हल करने में सुविधा मिल सके और उनके बारे में विचार बनाने में गवर्नमेंट को भी मदद मिलेगी। इसलिए इस सदन के सदस्यों को इस पर राय प्रकट करने का मौका मिलना चाहिये बजाय रूल की बारीकी में जाने के जो सिचुएशन डिमांड करती है उसमें यह आवश्यक है। इस समस्या, इस मसले के सम्बन्ध में जो गोली-कांड हुआ उस पर डेमोक्रेटिक तरीके से यहां बहस की है। जो अध्यादेश निकाला है उसके सम्बन्ध में विचार किया है। वे ही बातें डिसकस की हैं जो आंदोलन के कारण थीं और समस्या के हल के प्रति जो मुख्य मंत्रीजी ने स्टेटमेंट दिया है, और जो मूल मांगें थीं उनके सम्बन्ध में गवर्नमेंट ने अपना रुख यहां रखा है इसलिए उस पर अलग से समय निर्धारित कर के इस पर बहस का समय मिलना चाहिये—इस स्टेटमेंट पर।

श्री अध्यक्ष : समय नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : इस मैटर को डिसकस करने का अधिकार है हाऊस को अध्यक्ष महोदय, इसलिए समय मिलना चाहिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा इस बारे में यह प्रयत्न रहा है, इसमें यह दृष्टि रही है, इस प्रकार की राय रही है कि जो समस्या है, उस समस्या को दरअसल में हम हल करना चाहते हैं। उसके सम्बन्ध में विचार-विनिमय-डाइलॉग के जरिये, विचार के जरिये इस समस्या को हल करने के रास्ते मिलने चाहिये। इसी दृष्टि से इस बात को रखा है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस के लिये काफी समय निश्चित कर रखा है। उस समय के दौरान इस प्रश्न के ऊपर विचार हो तो इस पर मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा। एजीटेशनल एप्रोच के बजाय जो प्रॉब्लम्स है उन पर कन्स्ट्रक्टिव एप्रोच हम लें और उनको कंसीडर करें। इसके लिये रास्ते बताये जायं सुझाव दिये जायं तो एक अपोरचुनिटी क्रियेट होती है और उससे दिक्कत नहीं होनी चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : मुख्यमंत्रीजी ने इस विषय में मोतीरामजी, एक्स चीफ इंजीनियर का वन मेन कमीशन अपाईंट किया है किन्तु मांग के दो पहलू हैं। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव है और दूसरा मुख्य सवाल यह है कि राजस्थान केनाल का पानी, भाखरा और गंग केनाल का पानी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो। यह प्रश्न इससे कवर नहीं होता है। यह प्रश्न राजस्थान सरकार और पंजाब सरकार के बीच में है। राजस्थान सरकार और भारत सरकार के बीच में तय होना है कि राजस्थान केनाल को, राजस्थान की अन्य कैनाल्स को कितने पानी की कमी है। मैं सोचता हूं राजस्थान सरकार के पास इसके आंकड़े हैं और नहीं हों तो मैं सरकार को दे सकता हूं। इसमें मोतीरामजी क्या जांच करेंगे ? इस पानी के उपयोग पर, एक केनाल से दूसरी केनाल को किस तरह से उपयोग करेंगे, यह बेसिक क्वेश्चन है। मैं यह जानना चाहूंगा कि राजस्थान केना

(श्री भैरोंसिंह)

को भाखरा कैनाल से कितना पानी मिलेगा ? राजस्थान कैनाल के निर्माण के बारे में भारत सरकार कितना सहयोग दे रही है ? राजस्थान कैनाल पर इस विधान सभा द्वारा एक प्रस्ताव पारित कर भारत सरकार को भेजा जाना चाहिये कि राजस्थान के साथ कितना अन्याय किया जा रहा है। राजस्थान के साथ कितना बड़ा अन्याय किया जा रहा है माननीय मुख्य मंत्री भी इस बात को स्वीकार करेंगे। विधान सभा से ऐसा प्रस्ताव पारित होकर जाता है राजस्थान कैनाल के संबंध में तो पंजाब का जो आजकल एटीट्यूड बना हुआ है उससे केन्द्र अवगत रहेगा और इससे राजस्थान सरकार के हाथ मजबूत होंगे। इससे राजस्थान के किसानों को भी सहायता मिलेगी। इसके लिये आप अलग डिबेट केलिये दिन निर्धारित करवायें तो अच्छा रहेगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपने जो कहा उसमें मतभेद का सवाल नहीं है। दरअसल हमने श्री मोतीराम जी को जो यह काम सौंपा है वह इसीलिए सौंपा है कि वे आल इण्डिया फेम के व्यक्ति हैं। उनके जरिये यदि ऐसा होता है तो उससे भी हमारे हाथ मजबूत होते हैं। आपने जो कहा है उसमें मतभेद का सवाल नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस हाउस की कमेटी के बारे में मुख्य मंत्री ने कहा है इन प्रश्नों के संबन्ध में फार्मल रेजोल्यूशन तो हाउस के सामने नहीं आया है। सदन के माननीय सदस्यों की समिति बनाने के संबन्ध में कुछ प्रश्नों की सूची दी है जो काफी लम्बी चौड़ी सूची है उस संबन्ध में इस हाऊस की कमेटी बनाने का सुझाव रखा है। जब तक इस प्रकार का मोशन हाऊस द्वारा एडोप्ट नहीं होता तब तक वह समिति कायम नहीं हो सकती। आखिर में उनमें कौन कौन मेम्बर्स रहेंगे यह जब तक बात फार्मल रूप में सदन के सामने न आये तब तक यह समिति कोई हाऊस की समिति नहीं हो सकती। हां, यह हो सकता है मुख्य-मंत्री जी की इस प्रकार की इच्छा हो सकती है कि सदन के माननीय सदस्यों की एक समिति बना दी जाय लेकिन उसके टर्म्स ऑफ रेफरेन्स क्या होंगे, उसके डिटेल्स क्या होंगे इसकी जब तक घोषणा नहीं होती और फार्मल रूप में हाऊस के सामने रेजोल्यूशन नहीं आयेगा, उस पर हाऊस में विचार हो कर निर्णय नहीं होगा तब तक हम यही मानते हैं कि यह समिति बनाने की इच्छा केवल मुख्य मंत्री महोदय की है। जो हाऊस के सामने कोई किसी प्रकार का महत्व नहीं रखता।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर देना चाहता हूं इस अभिभाषण के मौके पर इस संबन्ध में कहा जा सकता है। इतना मैं स्पष्ट कर दूं कि इसके टर्म्स आफ रेफरेन्स का सवाल है इस बारे के प्रोपोजल्स हैं वे हाउस से एप्रूव करके इस संबन्धी जितने भी इस्यूज हैं उन सब के संबन्ध में हाउस में चर्चा हो इस पर मुझे कोई एतराज नहीं है। डिसकशन के जरिये इस पर निर्णय हो सकता है तो इस बारे में विचार किया जाय अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव के बाद। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। धन्यवाद प्रस्ताव के पास हो जाने के बाद इस चीज को लेकर डिस-कसन हो सकता है। और प्रस्ताव भी आ सकता है। इन सब बातों के साथ इसका खास मकसद यह है कि जो एजीटेशन का

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

एप्रोच है वह समाप्त हो कर के हम इस बारे में कोई कन्स्ट्रक्टिव मार्ग ढूंढे तो बहुत उचित रहेगा।

श्री भैरोंसिंह : आपने जुडिशियल इन्कवायरी के संबन्ध में भी विचार किया है क्या? आप यह कह सकते हैं कि जो जुडिशियल इन्कवायरी की फाइण्डिग्ज होंगी आप उनको इन टोटो स्वीकार करेंगे? क्या यह आपने विचार किया है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जुडिशयलि इन्कवायरी का अनाउन्समेंट कर चुका हूं। इस संबन्ध में और कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। इन्कवायरी कमीशन एक्ट की तहत यह सेट अप की जायेगी और उसी के अनुसार कार्यवाही होगी।

इस संबन्ध में बेरी आयोग की रिकमण्डेशन को लेकर भी चर्चा होती है उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं उसके इम्पलीमेन्टेशन के लिये उसको सब कमेटी को रेफर किया हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : आप इस बारे में स्पष्ट क्यों नहीं कहते कि जो भी फाइण्डिग्ज होंगी गवर्नमेंट उसको मानेगी ही।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जिस इन्कवायरी एक्ट की तहत इसका गठन हो रहा है उसी के अन्तर्गत सरकार पर यह ओब्लीगेशन है।

श्री भैरोंसिंह : आप यह नहीं कह सकते गवर्नमेंट उन फाइण्डिग्ज को मानेगी ही।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : गवर्नमेंट नहीं मानेगी यह कैसे कह सकता हूं। इन्कवायरी एक्ट की तहत उस पर अमल करना सरकार का काम है। उसी एक्ट के तहत जुडिशियल कमीशन की नियुक्ति की जा रही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कमीशन आफ इन्कवायरीज एक्ट की तहत राजस्थान सरकार उन फाइण्डिग्ज को मानने के लिये मजबूर तो नहीं है। फिर भी राज्य सरकार क्या यह आश्वासन दे सकती है कि उन फाइण्डिग्ज को सरकार मानेगी? गवर्नमेंट ने स्पोर्टसमेन स्पिरिट बता कर जिस प्रकार से जुडिशियल इन्कवायरी की घोषणा की है तो क्या यह भी आप कहने की स्थिति में हैं क्योंकि इसकी जो फाइण्डिग्ज होंगी वे इन टोटो मानी जायगी? आज जनता में और विधायकों में भी इस बात का भ्रम है कि जिस प्रकार बेरी कमीशन की रिपोर्ट को आपने माना नहीं। इस कमीशन को अपोइन्ट करके 20 महीने तक इसने काम किया जिसमें दस लाख रुपये खर्च हुए। 15 लाख हुए। काफी वकीलों को इसमें ओबलाइज किया गया। उसके बाद जो रिपोर्ट आयी सरकार ने उस पर लीपा पोती करके उस पर अमल नहीं किया। इसलिये जनसाधारण में इन जुडिशियल कमेटी की रिपोर्ट को नहीं मानने की धारणा बन गई है सरकार के प्रति अगर आप यह घोषणा करते हैं कि हम इसको पूरी तरह से मानेंगे तो जनता भी इस इन्कवायरी में सहयोग दे सकती है। नहीं तो आप हिन्डोन गोली काण्ड की जांच की तरह इसको भी एक आदमी का कमिशन बनाकर खत्म कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। आप इस बारे में विवाद नहीं कर सकते।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह बड़े महत्व का विषय है पांच मिनिट तो आप मुझे कहने दें।

श्री अध्यक्ष : मैं इस पर ज्यादा समय देना नहीं चाहता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं केवल दो ही मिनिट में समाप्त करता हूं। मेरा निवेदन यह है कि कमीशन की फाईण्डिग्ज को आप माने यह आपके लिए बाध्य नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ परम्पराओं का भी सवाल आता है, कुछ ट्रेडीशन्स का भी सवाल है इस सन्दर्भ में राजस्थान की जनता का विश्वास जुडिशियल कमीशन में स्थापित हो इसलिए आवश्यक है कि आप उस रिपोर्ट को फेदफुली इम्पलीमेंट करेंगे इस प्रकार की घोषणा आवश्यक है। इसके साथ साथ सरकार एक ही वकील को प्रोवाइड करेंगे यह भी घोषणा की जानी चाहिये इसके साथ साथ जो आफिसर इस मामले में इनवोल्व्ड हैं उनका स्थानान्तरण किया जायगा यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इससे सहयोग का वातावरण बनेगा और इन्कवायरी में जनता का पूरा सहयोग मिलेगा। ये खास मुद्दे का सवाल हैं जिन पर आपकी घोषणा होनी चाहिये।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : मैं भी इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा······

श्री अध्यक्ष : जिस संबन्ध में एक स्टेटमेंट आया है उस पर चर्चा नहीं हो सकती।

श्री नत्थीसिंह : आपकी नजर हमारी तरफ इतनी सख्त रहती है मैं समझ नहीं पाया। एक तरफ तो आप बोलने देते हैं और जब हम खड़े होते हैं तो रोका जाता है······

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं दे सकता आप चर्चा किस बात पर कर रहे हैं ?

श्री नत्थीसिंह : मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा जो कुछ सुझाव आये हैं उसी के बारे में इनफोरमेशन सीक कर रहा हूं······

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्रीजी ने स्टेटमेन्ट दे दिया है उसके बाद उस पर चर्चा नहीं हो सकती।

श्री नत्थीसिंह : मैं जो कुछ कह रहा हूं उससे आपको भी मदद मिलेगी······

श्री अध्यक्ष : मुझे तो पहले ही बहुत मदद मिल रही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: आप क्लेरिफिकेशन मत कहिये स्पष्टीकरण मांगिये···

श्री नत्थीसिंह : मैं स्पष्टीकरण ही चाह रहा हूं अभी जो मुख्य मंत्रीजी ने हाउस की एक कमेटी बनाने की बात कही है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं इसी हाउस की एक कमेटी अकाल में जो मौतें हुई हैं उसके सम्बन्ध में जांच करने के लिये बिठायी थी उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आयी है गंगानगर का आन्दोलन चल रहा है।

श्री हरिदेव जोशी : सरकार को क्यों दोष दे रहे हो ?

श्री नत्थीसिंह : ऐसी कमेटियां बनाते वक्त यह भी स्पष्ट कर दिया जाना चाहिये साथ ही साथ कि इतने दिनों में इसकी रिपोर्ट आ जावेगी। एक आन्दोलन बाहर चल रहा है, उसके सिलसिले में स्टेटमेन्ट होता है उसकी मांगों को, समस्याओं को कमेटी के हवाले कर दिया जाता है। उस आन्दोलन की मांगों को स्वीकार करने की बात कही जाती है,

(श्री नत्थी सिंह)

एक वातावरण बनाने की बात कही जाती है पर यह तभी ठीक समझा जा सकता है जब जल्दी जल्दी समस्याओं को हल करने की उत्कट इच्छा भी उसके पीछे है या नहीं यह साफ जाहिर होता हो।

जहां तक जुडिशियल जांच का सवाल है कल हमने कहा था कि कई बार आपने आयोग बनाया पर उसकी बात मानी नहीं गई।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न कहा जा चुका है।

श्री नत्थीसिंह : तो जब तक आप अपनी स्पष्ट इच्छा और उत्कट लगन समस्याओं को हल करने की जाहिर नहीं करेंगे जुडिशियल एन्क्वायरी की फाइन्डिंग्स को मानने की बात नहीं कहेंगे तब तक इस सब घोषणा का कोई अर्थ नहीं है। यह घोषणा और बात अगर आप इस आन्दोलन पर ठंडा पानी डालने की नीयत से करते हैं तो बेकार है। ईमानदारी हो आप में तो साथ ही यह भी स्पष्ट घोषणा करें कि इतने दिनों में रिपोर्ट आ जावेगी, इतने दिनों में वह जांच समाप्त कर दी जावेगी और इतने दिनों में रिपोर्ट पर विचार करके फैसला घोषित कर दिया जावेगा। ऐसा आप करेंगे तभी कुछ इस समस्या का हल निकल सकता है। यही एक तरीका इस असन्तोष को दूर करने का है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय अध्यक्षजी, यह भ्रम नहीं रखने के लिये मैं निवेदन कर देता हूं कि वह कमेटी जल्दी से जल्दी अपनी रिपोर्ट दे दे इसमें हमें कोई ऐतराज नहीं होगा और सदन इसके लिये समय फिक्स करना चाहे तो वह भी कर दे। आप जितनी जल्दी रिपोर्ट दे दें हमारी तरफ से वेलकम है।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : हाई कोर्ट के जज की जुडिशियल एन्क्वायरी की जो फाइन्डिंग्ज होगी उनको मानने न मानने के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं ? आप उसकी फाइन्डिंग्ज को मानेंगे या नहीं यह बता दीजिये ?

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : एक बात बड़े जोरों से प्रचारित की जा रही है राज सरकार की तरफ से कि विरोधी पक्ष के लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं और वह जान बूझ कर आन्दोलन चलाने की हठधर्मी कर रहा है ऐसा प्रदर्शित करने की चेष्टा सरकार कर रही है और मुख्य मन्त्रीजी भी कर रहे हैं।

पर मैं कहना चाहता हूं कि मुख्य मन्त्री का रवैया और साथ ही उनकी सरकार का रवैया बिलकुल असहयोग का है। यह आन्दोलन 58 दिन तक चला तब तक तो बात करने की भी इच्छा इन्होंने जाहिर नहीं की। क्या हो रहा है यह भी जानने की चेष्टा नहीं की। इसके बाद मुख्य मन्त्री ने 1 जनवरी को एक प्रेस स्टेटमेन्ट दिया प्रेस कान्फ्रेंस में और उस स्टेटमेन्ट में सहयोग मांगा गया, विरोधी पक्ष से बात चीत की भी तैयारी बतलाई परन्तु इसके पहले ही रातो रात लोगों को पकड़ कर जेलों में ठूंस दिया गया।

श्री अध्यक्ष : आप अपना कथन समाप्त करें जल्दी।

श्री दौलतराम सारण : मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। मुझे बोलने की मनाही भी है।

श्री अध्यक्ष : वही मैं कहना चाहता हूं। इसी की चिन्ता मुझे है।

श्री दौलतराम सारण : चिन्ता तो मुझे भी है। पर इस चिन्ता से भी गम्भीर चिन्ता तो यह लगी हुई है।

इसके बाद राज्य सरकार ने अध्यादेश निकाला, जबरन लोगों को जेलों में ठूंसा और आज भी सरकार का दमन चक्र चल रहा है। वह अध्यादेश तो उनको कानूनी और संविधान के आधार पर टिकता कहीं नजर नहीं आया इसलिये राज्य सरकार ने उसे तो वापिस ले लिया।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न कहां जा रहा है ?

श्री दौलतराम सारण : आप तो घड़ी देखते रहिये।

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह विषय के प्रसंग के अन्तर्गत नहीं आता।

श्री दौलतराम सारण : यह विषय उसी विषय से सम्बन्धित है। जब तक यह सारी स्थिति स्पष्ट नहीं होगी तब तक सहयोग और असहयोग का यह वातावरण दूषित बनता जावेगा इसलिये यह उस सबको स्पष्ट करने के लिये है।

श्री अध्यक्ष : आप सहयोग दें या नहीं। मेरा प्रश्न पेचीदा है। आप का प्रसंग विषयानुकूल नहीं है। स्टेटमेंट हो चुका है। उस पर बहस का समय नहीं है।

मुझे बड़ा खेद है कि आप सभी सारे आन्दोलन के प्रश्न को फिर ले रहे हैं।

श्री दौलतराम सारण : मैं स्पष्टीकरण के लिये खड़ा हुआ हूं। इसलिये आप मुझे बीच में टोकते हैं तो उससे मैं विषयान्तर हो सकता हूं। तो मैं कह रहा था कि मुख्य मन्त्री बड़ी चतुराई से अध्यादेश को वापिस लेकर बिना किसी स्पष्टीकरण के न्यायिक जांच की बात कह गये। अब वह कैसे होगी, सेशन या डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा होगी, हाई कोर्ट जज द्वारा होगी या किसके द्वारा आप करावेंगे, उसके निष्कर्षों का क्या होगा ? बेरी आयोग के निष्कर्षों की जो हालत हुई वही इसकी होगी या क्या होगा ? संयुक्त रूप से विरोधी पक्ष ने शान्तिपूर्ण ढंग से बेरी आयोग की घोषणाओं के प्रति सरकार के रुख का विरोध किया, इसके बाद भी आज दिन तक सरकार ने ऐसा कोई निश्चय नहीं किया कि कम से कम विरोधी पक्ष को इस मुद्दे पर विश्वास में लिया जाय। इसी तरह से मृतकों के परिवारों के बारे में, घायलों के बारे में कोई घोषणा नहीं। इसी तरह से जो मुख्य मांग है आन्दोलन की उसके सम्बन्ध में ढिले करने की टैकटिक्स चलाई जा रही है मुख्य मन्त्री की ओर से। हाउस की कमेटी बनाई जा रही है। उधर आग लगी है इधर ये कुआ खोदने का उपक्रम कर रहे हैं। किसान के लिये आज जीवन मरण का प्रश्न उसके सामने खड़ा है। दस वर्षों से ये समस्याएं सरकार के सामने हैं। कई बार सरकार का ध्यान खींचा गया, बार बार खींचा गया, प्रतिनिधिमण्डल, पांच पांच सौ लोगों के द्वारा अपना मसला पेश किया गया। पर इसके बाद भी इस सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगी। आज भी राज्य सरकार इस पर विचार करने से कतराती है। उसको टालना चाहती है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

निश्चित निर्णय लेना नहीं चाहती। हाउस की कमेटी द्वारा निर्णय लिवाये जाने की बात

(श्री दौलतराम सारण)

कही जा रही है। उस सरकार के माननीय कतिपय सदस्यों ने अपना दृष्टिकोण इस बारे में उसके सामने रखा है, पर फिर भी राज्य सरकार उस पर गौर करने को तैयार नहीं है। अब हाउस की कमेटी बनाने का अवसर नहीं रह गया है। यह तो आज इस आन्दोलन में डिले टिकटिक्स बरतने का तरीका है।

इसके अलावा आज भी एजीटेशन चल रहा है। चुरू के लड़कों ने हड़ताल की। सरकार द्वारा आज उन पर कत्ल और डाकेजनी के मामले, आगजनी के मामले न जाने कितने कितने मामले चलाये जा रहे हैं और इस तरह से झूठे मन गढ़न्त मामले चलाकर उनको आज भी आतंकित करने की चेष्टा की जा रही है। शांत लोगों पर फायरिंग करके मार दिया जाता है और फिर न्यायिक जांच की अस्पष्ट घोषणा की जाती है। काहे की न्यायिक जांच कराना चाहते हैं ? मामला स्पष्ट है। खूनियों को पकड़ कर हवलात में देना चाहिये और उन पर हत्याओं के अपराध में मुकदमें चलाने चाहिये जिन्होंने अत्यन्त बर्बरतापूर्वक उन निहत्थे बच्चों पर गोलियां चलाकर भून देने का जघन्य कृत्य किया है।

इस तरह अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि अगर राज्य सरकार वाकई सीरियस है वाकई गम्भीरता से विचार करना चाहती है और आन्दोलन की मांगों के प्रति सहानुभूति रखती है। जनता की उत्तेजना, रोष, असन्तोष और क्षोभ को महसूस करती है और यह चाहती है कि इसमें सभी दृष्टि से विचार करके निर्णय लिया जाय तो राज्य सरकार को इन मांगों के सम्बन्ध में तुरन्त निश्चयात्मक रूप से घोषणा करनी पड़ेगी टालमटोल से काम अब नहीं चलेगा। इस टालमटोल से आन्दोलन शान्त नहीं होगा, जब तक उनकी समस्याओं के बारे मे उनकी मांगों के बारे में सरकार निश्चयात्मक रूप से कोई घोषणा नहीं करेगी तब तक वह चलता रहेगा। यह निवेदन करना चाहता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं निवेदन करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : (विरोधी पक्ष के नेता के खड़े होने पर) नेता महोदय, विरोधी दल।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय,

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 263 के तहत मोशन आया है। उस पर विचार शुरू हो जावे। दे भी दिया है मोशन।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: मुख्यमन्त्री जी ने जो बयान दिया है वह 'मैं समझता हूं, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो वाद-विवाद होने जा रहा है, उस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण के रूप में दिया है।

मैं समझता हूं कि मुख्यमन्त्रीजी इस बहस के दौरान भी इन्टरवीन करके भाग ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि उन्होंने एक बयान दिया है और वह बयान राजस्थान सरकार की नीति से सम्बन्धित है, वह एक मोशन के रूप में समझता हूं कि सदन के आगे आया है और एक नया आइटम आज के कार्यक्रम के उपरान्त भी बन गया है। मैं उनके डिस्क्रेशन को क्वेश्चन नहीं करता पर स्पष्टीकरण के रूप में जो चीज आती है

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

उस पर सदन के हरेक माननीय सदस्य को बहस करने के अधिकार की गुंजाइश है यह निर्विवाद रूप से सर्वथा उचित है।

रहा सवाल जुडीशियल एन्क्वायरी के सम्बन्ध में, विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य जो उग्रता व्यक्त कर रहे हैं उस सम्बन्ध में जब गंगानगर जिले के अन्दर गोलीकान्ड जनवरी में हुआ, उस समय मेरे भाषण में मैंने स्पष्ट तौर से मांग की थी और मैंने यह कहा था कि बेरी कमीशन की रिकमण्डेशन को सरकार के द्वारा ठुकराये जाने के कारण सरकार की ईमानदारी और निष्पक्षता के अन्दर जनता और विरोधी पक्ष का विश्वास उठ चुका है। अगर जुडीशियल कमीशन अण्डर जुडीशियल इन्क्वायरी एक्ट कायम करते हैं तो कम से कम मैंने मांग की थी कि हाई कोर्ट जज उस कमीशन को प्रेसाइड करे और मैंने यह भी कहा था कि जुडीशियल कमीशन की रिपोर्ट अमूमन रिकमण्डेटरी होती है, सिफारिशों के तौर पर होती है, लेकिन मुख्यमन्त्रीजी को मैं स्पष्टतया कह देता हूं कि आप चाहे उसे स्वीकार करें या न करें लेकिन यह कन्वेन्शन आप डाल रहे हैं कि ऐसी जुडीशियल एन्क्वायरी का सरकार के द्वारा एक एग्जीक्यूटिव के द्वारा अवहेलना करना एक बड़ी बुरी परम्परा है और इससे, मेरे ख्याल में और अधिक अराजकता बढ़ेगी अगर आप मैजेस्टी आफ लॉ को मानते हैं, अगर आप जनतन्त्र के सिद्धान्त को अपनाते हैं तो एज ए मेटर आफ कन्वेन्शन मैं कहता हूं कि आपको चाहिये कि जुडीशियल इन्क्वायरी ऐसी अहमियत के मामलों में कायम करने जा रहे हैं वह हाई कोर्ट के जज के द्वारा प्रेसाइड हो, मैंने यह मांग की भी थी, और उसकी रिकमण्डेटरी जो भी कुछ सिफारिशें हों और फाइण्डिंग्स हों उनको आप 99 पर्सेन्ट मान लें। मैंने सेन्ट परसेन्ट नहीं कहा है। मेरे जैसे माइल्ड आदमी की बात को अगर आप इवेड कर रहे हैं तो यह, मेरे ख्याल से, सर्वथा आपके लिये अशोभनीय है और इससे यही प्रकट होता है कि आपके मन के अन्दर कुछ न कुछ ऐसा मेन्टल रिजर्वेशन है कि इसको टाल कर और वक्त को निकाल कर इस वक्त को टालकर, वक्त जाने देकर जो आग भड़क रही है एजीटेशन की और जो उग्रता है उसको ठन्डा करने का अनुचित लाभ उठा रहे हैं। यह आपके लिये अशोभनीय है। जो तीन एकड़ भूमि के सम्बन्ध में, बेटरमेंट के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दिया मुख्य मंत्रीजी ने वैसे सरकार पर विश्वास कम से कम मुझे तो नहीं है। राज्यपाल महोदय द्वारा जो छोटी जोतों की लगान की घोषणा कराई और कहा गया कि बेटरमेंट लेवी नहीं लगायेंगे उसका तो स्वागत है-जहां तक स्टेटमेंट है लेकिन क्या भरोसा आप क्या करें क्या नहीं करें। एक साल के लिये करके आप फिर लगा दें। मैं सेटिलमेंट के सिद्धान्तों को कहने वाला हूं और भी कहूंगा। सेटिलमेंट के प्रिन्सिपल्स के विरोध में आपने किया है और जिस बेतहाशा बेचारे राजस्थान के काश्तकार को मारा है आपने, मेरे ख्याल से इस तरह किसी देश की अन्य सरकार ने नहीं मारा है। इस स्पष्टीकरण को मानता हूं, आप एश्योरेन्स को दोहरायें। जो आपने तीन एकड़ भूमि के सम्बन्ध में गरीब किसान को जो रियायत दी है वह एक साल करेंगे या परमानेन्ट रूप में करेंगे ? हाई कोर्ट के जज प्रिसाइड करें, ज्यूडिशियल एन्क्वायरी हो, उसकी रिकमन्डेशन सरकार माने, इस सम्बन्ध में और छोटे काश्तकारों के बेटरमेंट

Page No 62

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

लेवी के सम्बन्ध में, मैं आशा करता हूं मुख्य-मंत्री जी अपने आपका कनविनियन्स के रूप में उचित समझकर इस बारे में दो शब्द सदन की व्याकुलता और व्यग्रता को देखकर कहेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल } अध्यक्ष
श्री यशवन्त सिंह नाहर } महोदय....

श्री यशवन्त सिंह नाहर : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर सर। मेरा निवेदन यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा स्टेटमेंट दिया गया। 260 तो लागू नहीं होता है। एक प्रोविजन है रूल्स में रूल 290 मेरे ख्याल से यह स्टेटमेंट होने के बाद सदन ने आधे घंटे का समय लिया है-कई बातों को लेकर। ज्यूडिशियल एन्क्वायरी को लेकर कहा गया है, गरीब काश्तकार, बेटरमेंट लेवी के सम्बन्ध में पता नहीं कितना डिसकशन करना चाहते हैं। मैं क्षमा मांगना चाहता हूं मेरे पास अंग्रेजी में किताब है। इसलिये मैं दोनों बात निवेदन करूंगा। 290 मंत्री महोदय द्वारा वक्तव्य दिया जाना—

"Statement made by a Minister— A statement may be made by a Minister on a matter of public importance with the consent of the Speaker but ... "

अध्यक्ष की आज्ञा से कोई मिनिस्टर किसी पब्लिक इन्टरेस्ट पर अपना वक्तव्य देंगे—

"... but no question shall be asked at the time the statement is made."

जब स्टेटमेंट होगा तब किसी तरह का प्रश्न नहीं पूछा जाय। उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करता हूं। 263 जब लागू होता है यह स्टेटमेंट आ जाता है और इस स्टेटमेंट पर कोई मोशन सदन के सामने आता है तब उस पर विवाद होता है अन्यथा नहीं होता है। इसलिये मेरा निवेदन है कभी हम यह प्रयत्न करें ज्यूडिशियल एन्क्वायरी एन्क्वायरी एक्ट के तहत करेंगे उसके लिये रास्ते पड़े हैं। मैं नहीं कहना चाहता हूं और मेरे अधिकार के बाहर है लेकिन हम चलें तो रूल्स के अनुसार और रूल्स के अनुसार चलेंगे तो शायद सदन की गरिमा अधिक बढ़ेगी और हम सब भी उसमें मदद करेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने जो स्टेटमेंट दिया.........

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): पाइन्ट आफ आर्डर का डिसिजन हो जाना चाहिये।

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल (बयाना): वह पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है। वह चेयर के लिये एक गाईडेन्स थी। चेयर को एक नया रास्ता दिखलाया है, वह देख लिया।

श्री अध्यक्ष : गाईडेन्स थी या क्या थी ?

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : उन्होंने बताया क्या रास्ता है ?

श्री अध्यक्ष : मैं दूसरा रास्ता बतला देता हूं।

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : उनकी मेहनत बेकार हो जायगी।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सदस्य श्री नाहर ने 260····

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर, 290)

290 उसके अन्तर्गत माननीय सदस्यों से निवेदन किया गया एक स्टेटमेंट विथ दी कन्सेन्ट आफ दी स्पीकर, अध्यक्ष की अनुमति से दिया गया और 290 के अन्तर्गत कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता--एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न नियम 263 के अन्तर्गत प्रोसिजर का उल्लेख है—जिसके अनुसार प्रस्ताव पर स्वीकृति होने पर वाद-विवाद हो सकता है। माननीय सतीशचन्द्र जी ने नियम 263 के अन्तर्गत यहां मोशन रखा है। मैं चाहता हूं सदन के समय का सदुपयोग हो। जब कई माननीय सदस्यों ने बोल दिया तो मैं यह मान लूं 263 के अन्तर्गत मोशन ले लिया और उस पर सभी बोल लिए।

कई माननीय सदस्य : नहीं

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मोशन तो आप जब तक सुधार नहीं करेंगे तब तक ···

श्री अध्यक्ष : 263 के अन्तर्गत माननीय विरोधी दल के नेता बोल गये। वह इल्यूसिडेशन, स्पष्टीकरण वगैरह— इस तरह कई माननीय सदस्य बोल गये हैं तब मैं नियम 263 के अन्तर्गत ही मोशन की डिबेट को समझलूं अगर इसे आगे बढ़ाई जा सकती है उसके अन्तर्गत। माननीय सदस्य मैं ऐसा मानलूं तो माननीय सतीश चन्द्र जी बोल लिये हैं। माननीय कई सदस्य····

(बीच में कई माननीय सदस्यों के मौन आग्रह पर)

··· यदि मैं मानूं तो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हमें भरोसा है, नहीं मानेंगे।

श्री अध्यक्ष : यदि मैं नहीं मानूं तो मैं समय देना चाहता हूं बाद में। दोनों प्रश्न मेरे सामने हैं। इसलिये मैं चाहता हूं इस प्रश्न को समाप्त कर दूं और बाद में मौका दूं कोई सब्सटेन्टिव धन्यवाद पहले दे देते हैं इसलिये गड़बड़ी हो जाती है। अब इस प्रश्न को छोड़ दिया जाय, मुझे व्यवस्था देनी है। मैं चाहता हूं— सदन का कार्य अच्छी तरह चले····

एक माननीय सदस्य : पाइन्ट आफ आर्डर का ?

श्री अध्यक्ष : 290 का पाइन्ट ऑफ आर्डर अच्छा है। मैंने 263 का प्रश्न किया है। अब मुझे व्यवस्था देना अवशेष है। मैं चाहता हूं इस प्रश्न को सदन की अनुमति से यहीं छोड़ दिया जाय और आगे का कार्यक्रम ले लिया जाय। मैं स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था देना चाहता हूं।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री चुन्नीलाल इन्दलिया, सदस्य, विधान सभा ने बीकानेर शहर में अकाल पीड़ित स्वर्णकारों द्वारा 6 जनवरी, 1970 से जिलाधीश कार्यालय बीकानेर के समक्ष अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल करने के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसमें उन्होंने उदयपुर विश्वविद्यालय के अध्यापकों में उपकुलपति के प्रति व्याप्त असन्तोष का उल्लेख किया है।

एक और स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री रामचन्द्र आर्य, श्री केदारनाथ, श्री मुकुटविहारीलाल गोयल, श्री नत्थीसिंह व श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसमें उन्होंने भरतपुर, कोटा, भीलवाड़ा आदि जेलों से सत्याग्रहियों को रिहा करते समय उनके खाने, उनके घरों तक पहुंचाने के रास्ते में उनकी दवाई वगैरह का कोई प्रबन्ध न करने का उल्लेख किया है।

उपरोक्त तीनों मामलों में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर इन पर निर्णय लिये जाकर मैं माननीय सदस्यों को यथाशीघ्र सूचित कर दूंगा।

इनके अतिरिक्त एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्रीसूवालाल चौधरी, सदस्य, विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसमें उन्होंने जयपुर जिले में तहसील दूदू व सांभर के कई ग्रामों में वर्षा की कमी के कारण अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाने से वहां अकाल राहत कार्य शुरु कराने का निवेदन किया है। आज से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद आरम्भ हो रहा है और श्री चौधरी इस वाद-विवाद के दौरान इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। अतः मैं इस स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूं।

निम्नांकित दो स्थगन प्रस्तावों के संबंध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हो गई है और वह इस प्रकार है:—

कोटा जिले की तहसील में फसल को कीड़ा लगने के संबध में श्री देवीदत्त गाड़िया श्री प्रेमसिंह, श्री वृजवल्लभ बोहरा, श्री महेन्द्रकुमार, श्री जुझारसिंह व श्री नन्दलाल के स्थगन प्रस्ताव के संबंध में राज्य सरकार से यह सूचना प्राप्त हुई है कि खड़ी फसल को कीड़ों से नष्ट होने से बचाने के लिए युद्धस्तर पर कार्यवाही की गयी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: सदस्य विधान सभा द्वारा राष्ट्रीय स्वस्थता कोर (राष्ट्रीय अनुशासन योजना) के कर्मचारियों द्वारा भूख हड़ताल के सम्बन्ध में यह बतलाया गया है कि इस योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के इन कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा व अन्य सहूलियतों का प्रश्न भारत की अन्य राज्य सरकारों से जुड़ा हुआ है। और इस पर निर्णय अन्य राज्यों के परामर्श से ही केन्द्र द्वारा लिया जायेगा। इनके अतिरिक्त ये मामले इतने अविलम्बनीय लोक महत्व के भी नहीं हैं कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित की जाकर इन पर आज विचार किया जाये।

(श्री अध्यक्ष)

अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इस पर स्टेटमेन्ट तो हो सकता था क्योंकि मैंने जो एडजोर्नमेन्ट मोशन दिया है वह यही दिया है कि गवर्नमेन्ट ऑफ राजस्थान का क्या एटीट्यूड है गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया ने इन सर्विसेज को स्टेट को देना चाहा है। हमारे सेक्रेटरी वहां प रहां भी भर आये थे कि हम उनको ले लेंगे। अब डिफरेन्ट स्टेट्स का क्या एटीट्यूड है यह डिफरेन्ट स्टेट्स जानें लेकिन राजस्थान गवर्नमेन्ट के आज 600 टीचर्स काम कर रहे हैं उनको लेने के बारे में क्या एटीट्यूड है और उनको किन कन्डीशन्स पर लेंगे इसका स्टेटमेन्ट देना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष : श्री यशवन्तसिंह नाहर।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : अध्यक्ष महोदय, मैं विशेषाधिकारी समिति के 12 वें प्रतिवेदन ....

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा.....

श्री यशवन्त सिंह नाहर : मेरे इस प्रतिवेदन पर भी एडजर्नमेन्ट मोशन है क्या ?

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय 600 सत्याग्रही स्टेशन पर बैठे हैं। आज सदन की कार्यवाही जो चलती है इसके दरमियान ही उसकी सूचना या व्यवस्था जैसे भी हो उसकी जानकारी मिल जानी चाहिए क्योंकि यह 600 आदमियों के जीवन से खिलवाड़ है। इसलिए मेरा जो स्थगन प्रस्ताव है इस पर आज भी अभी सूचना मिलनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर—माननीय सदस्य ने जब स्थगन प्रस्ताव मेरे सम्मुख प्रस्तुत किया था तो जेल मंत्री जी वहीं पर थे। माननीय सदस्य भी वहां बड़ी शांति से विराजमान रहे। जेल मंत्रीजी ने इस अव्यवस्था को सुलझाने के लिये उनके सामने ही फोन द्वारा कुछ व्यवस्था की थी.......

श्री रामचन्द्र आर्य : यह उसी का परिणाम है। नहीं तो यह मामला इतना गंभीर है कि हम इसको इतना तगड़ा उठाते कि इस सदन को नहीं चलने देते .....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य—अब इनको क्या कहा जाये।

श्री रामचन्द्र आर्य : बीमारों को दवाइयां नहीं देते, सर्दी का मौसम है और उनको कम्बल नहीं देते ××× ......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य का भाषण अंकित नहीं किया जाये।

श्री रामचन्द्र आर्य : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं किया जाये।

श्री भैरोंसिंह : यह तो रेकर्ड होना चाहिए कि सरकार को डूब कर मर जाना चाहिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बाकी रहने दें यह लिख दें।

××× अध्यक्ष पीठ आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक एडजर्नमेन्ट मोशन 19 तारीख को सवाई माधोपुर की सीमेन्ट फैक्टरी में हुई हड़ताल के संबंध में दिया था......

श्री अध्यक्ष : मैं व्यवस्था दे रहा था उसको तो समाप्त करने दीजिए।

तो मैं माननीय सदस्य रामचन्द्र आर्य के संबंध में फिर कहूं तो वह फिर उठ जायेंगे। बड़ी मुश्किल है। मैं यह जानकारी देना चाहता हूं......

श्री दौलत राम सारण : माननीय अध्यक्ष महोदय, उनकी वेदना को तो महसूस करें।

श्री अध्यक्ष : जब वेदना उग्र हो जाती है तो भय पैदा हो जाता है। इस संबंध में क्या व्यवस्था हो मैं फिर से जानकारी लेना चाहूंगा। पहले जेल मंत्रीजी ने जो भी फोन द्वारा व्यवस्था की वह क्या व्यवस्था हुई है उसकी जानकारी मैं लेकर माननीय सदस्य को निवेदन कर दूंगा।

दूसरा प्रश्न जो माननीय रामानन्दजी ने कहा......

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ कह तो लेने दीजिए।

श्री अध्यक्ष : मैंने कह दिया है कि यह भाषण के बाद लिये जायेगें। मैंने ऐसी व्यवस्था दी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, 22 दिसम्बर से हड़ताल चल रही है। पांच हजार मजदूर बेकार हैं और उसमें सरकार की तरफ से एक रिकग्नाइज्ड यूनियन है। इन्टक की यूनियन है। सेन्ट्रल इन्टक ने नये चुनाव कराके जब रिकग्नीशन दिया हुआ है......

श्री अध्यक्ष : आप कहना क्या चाहते हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज तक उसका रिप्लाई आ जाना चाहिए था। उस पर स्टेटमेंट आना चाहिए था। अध्यक्ष महोदय, उसकी जो अरजेन्सी हैं उसको महसूस कीजिए। आप गवर्नमेंट से कहिये कि उसके बारे में वह स्टेटमेंट दे। एक महीना पूरा स्ट्राइक को हो गया है और वहां पर इन्टक की यूनियन है। वहा पर सरकार की तरफ से पुलिस का प्रोटेक्शन मालिक को दिया जा रहा है अन-नैसेसरी तरीके से। आश्चर्य की बात है श्री शांतिलाल जैन, शाहू जैन का कारखाना है केवल इस कारण से कोई एक्शन सरकार नहीं ले रही है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

इन्टक की यूनियन है फिर भी सुखाड़िया जी अपने तिरंगे झण्डे की यूनियन के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ जाकर शाहू जैन को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। कई लोग जेल के अन्दर हैं.......

श्री अध्यक्ष : मैं उसको समझ गया हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सरकार हस्तक्षेप नहीं करती ...

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं होगा। स्टेटमेंट आया नहीं और आप वापिस भाषण करने लग रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप आश्वासन तो दीजिए।

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन कर रहा हूं ''

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : मेरा काल अटेन्सन नोटिस है इसी के बारे में उसको तो एडमिट किया जा सकता है। यह तो एडजर्नमेंट मोशन के लिए व्यवस्था है।

श्री अध्यक्ष : यह नहले पर दहला है।

मैं निवेदन कर रहा था और जैसा माननीय सदस्य ने स्वयं महसूस किया कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने निर्णय लिया है कि अभिभाषण समाप्त होने के बाद स्टेटमेंट्स आयेंगे। इसलिए जब तक अभिभाषण पर वाद-विवाद समाप्त नहीं हो मैं तब तक इनको नहीं ले सकता हूं। यह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की फाइन्डिंगस हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एडजोर्नमेन्ट मोशन आने के पहले ऐसे सवाल जो कि अरजेन्सी के हों क्या उस समय के लिए यह स्थगित किये जा सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन कर रहा हूं उसको तो कृपा कर सुन लीजिए। अब रहा सवाल अरजेन्सी का। वहां पर दिसम्बर से हड़ताल चल रही है। अतः यह दो तीन दिन का वाद-विवाद समाप्त हो जाये उसके बाद इसको ले लिया जायेगा ''''

श्री देवीदत्त गाड़िया : मजदूर जेल में चले जायं और वह मारे जायें और इस बीच में सरकार चाहे गोलियां चला दे''''

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उसके ऊपर तुरन्त स्टेटमेन्ट होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : यह मेरी व्यवस्था नहीं है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का निर्णय है जिसका अर्थ होता है हाउस का है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह बहुत गम्भीर प्रश्न है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, एडजर्नमेन्ट मोशन के बारे में ऐसा निर्णय किया है उस प्रतिवेदन में इस प्रकार का नहीं है और मैं समझता हूं कि ऐसा निर्णय बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ले तो इन्सीडेन्ट कहीं भी हो यह हमारे हाथ की बात नहीं है। अगर इन्सीडेन्ट होगा कहीं ऐसी अरजेन्सी हो गयी तो उस पर फौरन एक्शन लिया जायेगा। जैसे अभी जेल से छूटने के बारे में आपने अभी कहा और यह सही है कि होना चाहिए। तो मैं निवेदन करूंगा कि 5 हजार मजदूर एक महीने से हड़ताल पर है और सरकार शाहू जैन को प्रोटेक्शन दे रही है ''''

श्री अध्यक्ष : भाषण का प्रश्न नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : शाहू जैन से यह मिनिस्टरी प्रभावित है, चेयर प्रभावित है और सुखाड़िया जी प्रभावित हैं''''''''

श्री अध्यक्ष : स्टेटमेंन्ट दिलाये जाने का ही तो प्रश्न है, भाषण का तो नहीं है। आर्डर, आर्डर।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप कल कल में दिलवा दें। मैं यह कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि स्टेटमेंट दिलाया जाय। दुबारा आपको फिर बोलना पड़ेगा आज ही बोल जायें तो मामला ठीक नहीं जमेगा।

श्री नत्थीसिंह : इसी तरह का मामला रहा तो बोलेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय—...

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है, माननीय सदस्य, कि स्टेटमेंट दिलाने में तो मुझे कोई एतराज नहीं है। आप कहते हैं कि कब हुआ और कब नहीं हुआ ? ....

श्री रामानन्द अग्रवाल : श्रम मंत्रीजी बैठे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : अभी एग्री नहीं हुए हैं। कल भी मीटिंग हुई थी और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में पुन: इसी प्रश्न को दोहराया गया था।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जहां तक मैं मौजूद था तो मेरे सामने नहीं हुआ है। अगर होता तो ......कल तो चूरू के बारे में हुआ था।

श्री अध्यक्ष : यह तय हुआ था कि स्टेटमेंट इसके बाद दिया जायेगा। कई बार यह प्रश्न वहां पर छेड़ा गया है खैर, आपने नहीं सुना। अब मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे कोई एतराज नहीं है कि आप स्टेटमेंट कल लिवा लें या नहीं चाहते हैं तो उसको बदलवा दें। मेरा तो प्रश्न यह है कि कई मुद्दे अब भी भाषण मे उठाने के हैं और ज्यादे से ज्यादा अभिभाषण पर वाद-विवाद करने से मुताल्लिक यह प्रश्न था। इसमें जैसा कि महत्वपूर्ण प्रश्न स्ट्राइक का कहा है। इसमें भी कम से कम जो भी वक्त स्टेटमेंट देने के बाद में जो हमारे नियम हैं, जो प्रोसीजर हैं, यह बड़ा सीमित है। वह आधे घण्टे के अन्तर्गत समाप्त होजाना चाहिए, लेकिन आधा घण्टा तो इस प्रश्न के विचार में ही समाप्त हो जाता है। इसलिए मैं यह चाहता था कि वाद-विवाद समाप्त हो जाने के बाद-एक-दो दिन में ज्यादा फर्क नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं कि स्टेटमेंट को कल रख दिया जाय तो मैं माननीय सदस्य जो इससे इफेक्टेड हैं, जो चाहते हैं उसको उठाना, तो जो निर्धारित निर्णय हुआ है उसको उसमें बदलना होगा। मैं इस पर विचार कर लूंगा मेरे ख्याल से अगर कल पर रखा जाय तो श्रम मंत्रीजी—मैं यह नहीं कहता कि कल ही रख लिया जाय—स्टेटमेंट देने को तैयार हो सकते हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (श्रम मंत्री) : जैसी अध्यक्ष महोदय की आज्ञा हो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसका रास्ता निकाला जायेगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने तय किया है। मेरा भी ध्यानाकर्षण का प्रस्ताव 12 तारीख का दिया हुआ है। उस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ... ...

श्री अध्यक्ष : उसमें इसको भी शामिल कर लिया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसको भी इसमें शामिल कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : मैं दोनों को बराबर दर्जे से शामिल करूंगा। कोई ऊंचा नीचा नहीं रहेगा।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : अध्यक्ष महोदय, मैं विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन ....

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, यहां पर साहू जैन का बार बार कहा गया है और अध्यक्ष महोदय को प्रिफरेन्स नहीं और साहू जैन के लिए प्रिफरेन्स है तो मुख्य मंत्रीजी की रिश्तेदारी है साहू जैन से ?

श्री अध्यक्ष : इस तरह की बातों से आपकी व्यग्रता कम नहीं होती है। अब क्या प्रश्न रह गया है ?

श्री मकुटबिहारी लाल गोयल : माननीय सतीश जी हमेशा शाहू जैन का नाम लेते हैं...

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री मकुटबिहारी लाल गोयल : यह चीज तो साफ हो जानी चाहिए कि क्या वे उनके सम्बन्धी हैं।

श्री अध्यक्ष : सम्बन्धियों के मामले सब बाहर के हैं। सदन के नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह : आप भी अग्रवाल हैं और सब जानते हैं कि कौन सम्बन्धी हैं और कौन नहीं।

समितियों के प्रतिवेदन

श्री यशवन्तसिंह नाहर (चेयरमैन, विशेषाधिकार समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं विशेषाधिकार समिति के बारहवें प्रतिवेदन का उप:स्थापन करता हूं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव-श्री दौलतराम सारण, श्री हरजीराम बुरड़क, श्री रामचन्द्र आर्य, राजस्थान में फैले हुए फ्लू के बारे में।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ये खुद ही फ्लू के पीड़ित हैं।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 121 के अन्तर्गत यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं ..

मैं दो मिनट बोलूंगा और फिर दूसरे सदस्य बोलेंगे।

अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही गम्भीर मसला है जो इस प्रस्ताव के द्वारा सदन के सम्मुख प्रस्तुत है। राजस्थान में इस फ्लू से बहुत बड़ी संख्या में लोग मर चुके हैं और मरते जा रहे हैं। आज उदयपुर के प्रमुख साहब ने एक बक्तव्य निकाला है जिसमें उन्होंने 737 व्यक्ति अब तक मर चुके बतलायें हैं उदयपुर जिले में। इसी तरह से अन्य जिलों में भी लोग दनादन मर रहे हैं। राजस्थान का ऐसा कोई ग्राम नहीं, कोई कस्बा नहीं, कोई जिला नहीं है कि जिसके अन्दर इस महामारी से मृत्यु नहीं हो रही है। इतनी बड़ी संख्या में मृत्यु होने का एकमात्र कारण यह है कि समय से पहले राज्य सरकार ने महामारी को नियंत्रित करने के संबंध में कोई उचित व्यवस्था नहीं की। चिकित्सा और दवाइयों के अभाव से लोग मरते गये और राज्य सरकार की आंखें नहीं खुलीं। उदयपुर के चिकित्साधिकारी पर वहां के प्रमुख ने जो कि सदन के एम.एल.ए. भी हैं यह आरोप लगाया है कि उनकी गलती

Page No 70

(श्री दौलतराम सारण)

की वजह से यह महामारी वहां पर फैली है। लेकिन राज्य सरकार ने उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की है। मैं नहीं कह सकता हूं कि उदयपुर की क्या स्थिति है, लेकिन माननीय मुख्य मन्त्री जी के जिले की अगर यह हालत है कि 737 तो केवल उदयपुर जिले में ही मरे हैं यह तो थोड़े से क्षेत्र के लिए ही बताया जा रहा है, लेकिन स्थिति इससे ज्यादा गम्भीर है। मुझे सूचना मिली है कि उदयपुर जिले में 1500 से भी अधिक आदमी मर चुके हैं। इसी तरह उदयपुर डिवीजन भर के सब जिलों में लोग मर रहे हैं।

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर): अध्यक्ष महोदय, मैंने एक वक्तव्य दिया है और उस वक्तव्य के साथ मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी को भी एक पत्र दिया है। जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं कि 1500 आदमी मरे हैं यह बिल्कुल गलत बात है। मैंने जब राज्य सरकार का ध्यान खींचा है तो राज्य सरकार ने व्यवस्था की है। मैंने जो जिम्मेदारी रखी है वह चिकित्साधिकारी पर रखी हैं क्योंकि उन्होंने राज्य सरकार को 2 तारीख से पहले कोई सूचना नहीं दी हैं। इसलिए महरबानी करके उदयपुर जिले के प्रश्न को तोड़ मरोड़कर न रखें तो ज्यादा अच्छा हो।

श्री दौलतराम सारण: मैंने मेरी सूचना का अलग उदाहरण दिया है और आपकी सूचना का अलग उदाहरण दिया है। मैं इस तरह से तथ्यों को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर रखने का आदी नहीं हूं।

श्री रोशनलाल शर्मा : मैं उदयपुर जिले में घूमकर आया हूं और आप चूरू में बैठ कर उदयपुर की दलील दे रहे हैं।

श्री दौलतराम सारण : मेरे भी सूचना प्राप्त करने के वहां पर सूत्र हो सकते हैं।

श्री रोशनलाल शर्मा : मैं आपको यह कहता हूं कि अगर आपके सूत्र हैं तो वे गलत हैं।

श्री दौलतराम सारण : आप गलत कहते हो। लोग टपाटप मर रहे हैं और आप सरकार की पैरवी कर रहे हो।

श्री देवीदत्त गाड़िया: ये तो सुखाड़िया जी की चापलूसी करने में है।

श्री दौलतराम सारण : लोगों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यह उदयपुर जिले का ही सवाल नहीं है, राजस्थान का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें इस महामारी से मृत्यु नहीं हुई हो। अकाल पीड़ित क्षेत्रों में यह बीमारी सबसे पहले फैली है, और उससे बहुत बड़ी संख्या में लोग मरे हैं। मेरे जिले में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी इस बीमारी का भयंकर प्रकोप है। इसी तरह से माननीय सदस्यों को जो भी सूचनाएं मिली हैं और दूसरी संगठन की शाखाओं से जो सूचनाएं मिली है, अन्य तरीकों से जो सूचनाएं मिली हैं उनके अनुसार, हमारी जानकारी के अनुसार, यह स्थिति है कि राजस्थान के हजारों की संख्या में लोग जो हैं वे इस महामारी से, मर चुके हैं और यह सरकार की लापरवाही, से बदइन्तजामी और चिकित्सा और दवाईयों के अभाव की वजह से मरे हैं।

(1.18 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

सरकार गैर जिम्मेदारी के साथ जनता के जीवन से खिलवाड़ कर रही है, और समय से पहले चिकित्सा की व्यवस्था नहीं करती है और उसके बाद भागा दौड़ी करती है तो

(श्री दौलतराम सारण)

उससे पैसा भी अधिक खर्च होता है और मिसयूज होता है पैसे और दवाइयों का। आप समय से पहले व्यवस्था करने में असमर्थ रहे हैं। हर काम में इनकी उपेक्षा, ग़ैर-जिम्मेदारी, लापरवाही फैल गई है, और राजस्थान की जनता इनकी ग़ैरजिम्मेदारी, लापरवाही और उपेक्षा के परिणामस्वरूप आज हर क्षेत्र के अन्दर तकलीफ उठा रही है। कहीं गोलियां इनकी लापरवाही से चलती हैं, कहीं लाठियां इनकी लापरवाही से चलती हैं, कहीं बीमारी इनकी लापरवाही से फैल कर लोगों के प्राण ले रही है, कहीं अनाज नहीं पहुंचता है तो भूख के मारे लोग इनकी लापरवाही से मर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इनकी लापरवाही का शिकार आज सारा राजस्थान हो रहा है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि इस बीमारी के सम्बन्ध में सरकार को प्रताड़ना दी जाय जिसकी वजह से यह फैली है। कम से कम समय से पहले व्यवस्था होती तो यह न होता, लेकिन आप अपने विभाग को देखते नहीं है। ये अपने विभाग को नहीं देखते है ये तो ट्रान्सफर्स को देखते है। एक डाक्टर जिसकी सिफारिश नहीं है, जिसका जैक नहीं होता है– आजकल सर्विस में जैक शब्द चालू हो गया है, उनका महीने में दो बार ट्रान्सफर हो जाता है और जिनका जैक होता है वे बरसों तक एक ही जगह पड़े रहते हैं। आज चिकित्सा क्षेत्र में चिकित्सकों का ध्यान चिकित्सा की ओर नहीं है। चिकित्सकों का ध्यान अपने बिस्तर की तरफ है या जैक ढूंढ़ने की तरफ चला गया है इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, वे चिकित्सा नहीं कर पा रहे हैं। उनका ध्यान या तो अपने बिस्तर की ओर रहता है या अपने जैक की ओर अपने स्थान को मजबूत करने में रहता है।

आज राजस्थान का चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बुरा हाल है। उपाध्यक्ष महोदय, इन लोगों की लापरवाही, उपेक्षा और सरकार के हस्तक्षेप का परिणाम यह है कि राजस्थान के लोग दनादन मरते जा रहे हैं। चिकित्सा की कोई व्यवस्था माकूल तरीके की राजस्थान गाँवों, शहरों और क्षेत्रों में नहीं है। मुख्य मंत्री के खुद के क्षेत्र की हालत यह है तो अन्य क्षेत्रों का कहना क्या है? अलग अलग जगहों से मेरे पास कटिंग आये हैं कि कितने कितने लोग मरे हैं लेकिन उस विवाद में मैं अभी नहीं पड़ूंगा। लेकिन मैं माननीय चिकित्सा मंत्री का जो ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह यह है कि वह इस मामले में बिना किसी सुस्ती के पूरी संजीदगी के साथ कदम उठाये और ऐसे लोगों को सजा दें जिनकी लापरवाही से लोग प्रभावित हुए है, जिनके द्वारा समय पर चिकित्सा व्यवस्था नहीं हुई, जिनके द्वारा समय पर दवाई नहीं पहुँची-ऐसे लोगों को कड़ाई और सख्ती के साथ सजा दें क्योंकि यह एक मानवीय पहलू है, लोगों की जिन्दगी और मृत्यु का सवाल है इसलिए बिना किसी के दबाव के लिहाज के बहुत ही मजबूती के साथ में कदम उठाना चाहिए ताकि लोगों के प्राणों की रक्षा की जा सके।

श्री मदन सिंह (दांता रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामचन्द्र आर्य! प्रस्तावकर्ता।

श्री मदनसिंह : इस सम्बन्ध में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : ध्यानाआकर्षण प्रस्ताव है, दूसरे माननीय सदस्य हिस्सा नहीं ले सकते ।

श्री रामचन्द्र आर्य !

श्री रोशन लाल शर्मा : मैं एक निवेदन करना चाहूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ? प्रस्तावकर्त्ता ।

श्री मदन सिंह : मैं बोलना नहीं चाहता ।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं ?

श्री मदन सिंह : इस बीमारी के सम्बन्ध में थोड़ा अर्ज करना है......

श्री उपाध्यक्ष : यह नियम के विरुद्ध है। श्री रामचन्द्र आर्य ! प्रस्तावकर्त्ता ।

श्री मदन सिंह : यह फ्लू की बीमारी छूत से लगने वाली है, लेकिन वहां एम. एल. ए. घूम आये हैं उनको बीमारी नहीं लगी । वह कौनसी चीज या क्या दवाई लेते हैं ?

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, जो श्री दौलतराम सारण ने ध्यानाआकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसके सम्बन्ध में मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि दो महीने से राजस्थान के अन्दर विशेषतौर से पश्चिमी क्षेत्र में फ्लू की बीमारी बड़ी फैली हुई है....

श्री रामनारायण चौधरी : गंगानगर में खास तौर से ।

श्री रामचन्द्र आर्य : चुप रह यार।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : यार क्यों बोल रहे हैं ?

श्री रामचन्द्र आर्य : यह बीमारी फैली हुई है और सरकार का ध्यान इस ओर बिलकुल नहीं है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर यह बता देना चाहता हूं कि बीकानेर और जोधपुर के जिले में काफी सत्याग्रही इस फ्लू की बीमारी से बीमार हुए और उनमें से पांच आदमियों की मृत्यु हुई, जब कि दो आदमी बीकानेर में मेरी आंखों के सामने बीमार होकर मरे, और सौ आदमी बीकानेर जेल में बीमार थे फ्लू की बीमारी से, उनको कोई दवा नहीं दी जाती थी, और वह बीमारी इतना भंयकर रूप धारण कर गई कि सरदार बख्शी सिंह जेल से अस्पताल जाने के एक घण्टे के बाद मर गया। इस प्रकार से लापरवाही बरता जाना, इस सरकार द्वारा दवा नहीं दिया जाना, सरकारी दवा को बाजार में ब्लैक में बेचना और इनके स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा लापरवाही और मनमाने ढंग से दवा का दुरुपयोग करना-यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी को पत्र दिया था लेकिन उनका कोई उत्तर नहीं आया। या तो इनके वह पत्र पेश नहीं करते होंगे, इनके जो सरकारी अधिकारी है, इनके जो पी. ए. हैं वह भी शायद यह समझते होंगे कि फिजूल आदमी फिरते हैं, कौन कागज इनको पेश करे। अगर वह कागज पेश हो जाता तो शायद स्वास्थ्य मंत्री जी उस कागज का उत्तर देते। लेकिन कागज का उत्तर नहीं दिया, और उस

Page No 73

(श्री रामचन्द्र आर्य)

जेलों के अन्दर बेवश वहां के सत्याग्रही सड़ते रहें, और इस सरकार की तरफ से कोई इन्तजाम नहीं हुआ, और हमारे पांच सत्याग्रही शहीद हो गये, और वह खून इस स्वास्थ्य विभाग के मंत्री के जिम्मे है क्योंकि इनकी लापरवाही से वह हमारे आदमी मरे हैं, और आज भी जेलों के अन्दर काफी आदमी बीमार हैं। आज छः सौ आदमी स्टेशन पर आये हुये हैं, उनमें काफी आदमी फ्लू से पीड़ित है। उनके साथ में कोई डाक्टर नहीं हैं, कोई दवा का इन्तजाम नहीं है और कोई उनको कपड़े या रोटी देने का इन्तजाम नहीं है। इस प्रकार की बदइन्तजामी से बीमार आदमी कभी जिन्दा नहीं रह सकता लेकिन इस सरकार को चिन्ता नहीं है। तो मैं स्वास्थ्य मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि आप अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें और राजस्थान के लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ न करें। यदि आप इस पर कंट्रोल नहीं कर सकते, यदि सही तरीके से आप व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि कोई और आदमी इस विभाग को सम्भाले, क्योंकि आप तो चौबीस घण्टे नींद में सोये रहते है, और आपको कोई बात की चिन्ता नहीं है कि लोग मर रहे हैं और दवाई के अभाव में आप फ्लू की बीमारी पर काबू नहीं कर पा रहे हैं, दवाई आपकी बाजारों में बिक रही है। इस प्रकार गरीबों के नाम पर आने वाली दवाई का दुरुपयोग होता है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : दवाई का नाम बता दें।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या मैं डाक्टर हूं ?

श्री मदनसिंह : उस दवाई का नाम गोली है, गोली देने से मर जाय और गोली नहीं देने से मर जाय।

श्री रामचन्द्र आर्य : दवा जितनी भी है, जितनी भी दवाई है वह सारी की सारी ब्लैक में बिकती है, यह आप भी जानते हैं जो कांग्रेस में बैठे हैं लेकिन आपके मुंह पर ताला लगा हुआ है...

श्री रघुनाथ बिश्नोई : कोई ताला नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य : सुखाड़िया जी की छाप लगी हुई है भय की, क्योंकि हम भय से मुक्त हैं, हम उनकी गुलामी से दबे हुए नहीं हैं। आप गुलामी के दायरे में बंधे हुए हैं, आप कह नहीं सकते हैं। आप ताज्जुब करेंगे कि इस शासन में किस तरह बाजार में वह दवाई मेडिकल स्टोर में जाकर बिकती है और गरीबों को नहीं मिलती है। तो यह इनकी अयोग्यता का द्योतक है। जो फ्लू से आदमी मर रहे हैं उस कारण एक्स्ट्रा बजट स्वीकार किया जाकर दवाइयों का इन्तजाम किया जाना चाहिए लेकिन उस पर समय पर ध्यान नहीं दिया गया तो हो सकता है कि राजस्थान के उस अकाल वाले क्षेत्रों में हजारों की तादाद में आदमी मौत के मुंह में चले जायं....

श्री रघुनाथ बिश्नोई : यह ठीक है। यह सही बात है।

श्री रामचन्द्र आर्य : वह गरीब आदमी आज दवाई खरीदने की हालत में नहीं है,

(श्री रामचन्द्र आर्य)

उनकी क्षमता नहीं है दवाई खरीदने की क्योंकि चार चार साल से उस इलाके में अकाल पड़ रहा है और लोग भूख से मर रहे हैं, इसलिए उनके द्वारा दवाई खरीदने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। इसलिए आप इस ओर विशेषतौर से ध्यान दें और जो हमारे आदमी जेल के अन्दर, सत्याग्रही मरे हैं उनकी आप न्यायिक जांच करवाइये कि किस तरह से उन लोगों की मृत्यु हुई। बीकानेर जेल में मै था। बीकानेर स्टेट के टाइम में बारह सौ रुपये का बजट सालाना उस डिस्पेंसरी के लिए हमेशा से चलता आ रहा है। आज बीकानेर जेल में करीब आठ सौ कैदी हैं, उन आठ सौ कैदियों के लिए एक महीने में सौ रुपये की दवाई की व्यवस्था हो तो आप समझें कि सौ रुपये में कितनी दवा आये, जब कि मामूली दवा हम लेते हैं तो बीस रुपये लग जाते हैं। ए. पी. सी. की गोली ही खरीद कर बांटें तो आज सौ आदमियों के लिए पूरी नहीं आ सकतीं। इसलिए आपको गहरी नींद में नहीं सोना चाहिए क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी होती है लोगों के जीवन की रक्षा करने की और सही व्यवस्था करेंगे कि यह फ्लू की बीमारी के कई दिनों से अखबारों में, रेडियो पर, खासतौर से पश्चिमी राजस्थान के बारे में, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर के बारे में, जोधपुर के बारे में विशेषतौर से समाचार आ रहे हैं लेकिन आपके इस विभाग की ओर से कोई भी प्रबन्ध नहीं हुआ। अखबार में मैंने एक रोज पढ़ा था कि एक विशेष दल भेजा गया है लेकिन जेल में हमारे पास कोई नहीं आया...

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : आप भी फ्लू से बीमार थे क्या?

श्री रामचन्द्र आर्य : इसलिये मैं समझता हूं कि गांवों में जाने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता है, जबकि जेल में जो सत्याग्रही रहते हैं उनको दवा नहीं दी गई तो बाड़मेर, जैसलमेर के उस इलाके में लोग रहते हैं उनको दवा देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। आपने दवा भेजी होगी लेकिन उसे लोगों ने बाजार में बेच कर अपना झूठा टी. ए. डी. ए. बना लिया होगा और पेट्रोल को बेच कर आ गये होंगे...

क्योंकि यह आपके इस राज्य की देन है, झूठे बिल बनते हैं, ब्लैक मेलिंग होता है और अव्यवस्था जितनी और किसी राज्य में आज तक नहीं हुई वह अव्यवस्था आपके राज्य में है। आपके यहां भ्रष्टाचार है, इस भ्रष्टाचार को तो आप दूर नहीं कर सकते, मास्टरजी भी नहीं कर सकते। जब तक ये मुख्य मंत्री हैं तब तक नहीं कर सकते पर अपने डिपार्टमेन्ट को तो आपको सम्भालना चाहिए। आज राजस्थान में यह इतनी भयंकर बीमारी फ्लू की फैल रही है, इसको रोकने के लिए आपको इन्तजाम करना चाहिए ताकि लोगों के जीवन के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ न हो सके।

फैमिली प्लानिंग में आपकी ओर से भारत सरकार की ओर से इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। लोग फैमिली प्लानिंग नहीं करने से तो नहीं मरेंगे पर फ्लू की बीमारी में दवाई नहीं देने से और रोटी नहीं देने से लोग मर रहे हैं। 'एक, दो, बस तीन' यह जगह-जगह लिखा हुआ है और जहां

(श्री रामचन्द्र आर्य)

कहीं भी जाते हैं सब जगह यही प्रचार रहता है। कोई बूढ़ा आदमी भी है तो उसका भी ओपरेशन हो जाना चाहिए, लेकिन लोगों के जीवन के साथ आज खिलवाड़ हो रहा है, इतनी भयंकर बीमारी राजस्थान में फैली हुई है पर उसकी रोकथाम की ओर आपके विभाग की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इस भयंकर बीमारी से लोगों की जानें बचाने के लिये उन्हें कोई दवाइयां नहीं दी जा रही हैं।

श्री मदनसिंह : अब तो कांग्रेस के लूप लगना चाहिये, इसमें से तीन चार बच्चे निकल गये हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं इस प्रश्न के सम्बन्ध में स्वास्थ्य मंत्री जी से कहूंगा, वे अब जाग गये होंगे, पहले वे सो रहे थे, वे अपनी नींद को खोलें और राजस्थान की सवा दो करोड़ जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ न करें। जिस तरीके से आज राजस्थान की सरकार चल रही है, उस तरीके से कोई भी सरकार कभी भी इस दुनियां में नहीं चली है, जिस ढंग से, जिस तरीके से आप चल रहे हैं। मैंने एक दिन टेलीफोन पर बृज सुन्दरजी से बात की तो इन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस वालों की बात मानूंगा, तुम्हारी बात क्यों मानूं। मैंने कहा कि उसूल की बात तो मानो पर इन्होंने कहा कि नहीं नहीं मैं कांग्रेस वालों की बात मानूंगा, तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। इससे बढ़कर संकीर्ण दायरा क्या हो सकता है? सरकार में जो बैठे हैं, सरकारी कुर्सी पर जो बैठा है उसके लिये न कोई पार्टी है और न कोई दल है, वह सब की सुरक्षा के लिये, सब की व्यवस्था के लिये कुर्सी पर बैठाया गया है, वह चाहे कैसी ही बेईमानी करके बैठाया गया हो, आप वह सब जानते हैं। पर जिस तरह की धांधलेबाजी, झूठे बिल बनाना, झूठी कार्यवाहियां आज आपके विभाग में होती हैं उतनी शायद आपसे पहले इस विभाग में नहीं थीं। पहले आप रेवेन्यू मिनिस्टर थे, फिर हैल्थ मिनिस्टर बने, फिर न जाने क्या बन जायं, आपको जानकारी नहीं है .....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, भाषण काफी लम्बा हो गया है।

श्री रामचन्द्र आर्य : अभी दो मिनिट में समाप्त करता हूं।

मैं कह रहा था कि आपको इस विभाग की जानकारी नहीं है इसलिए किसी जानकार आदमी को रखना चाहिये जो दवाइयों और स्वास्थ्य के बारे में जानता हो, क्योंकि यह वकालात करना नहीं है, यह तो स्वास्थ्य के लिये व्यवस्था करना है। स्वास्थ्य के लिये व्यवस्था नहीं हो रही है। आज भयंकर बीमारी राजस्थान में फैल रही है और इस को रोकने के लिये आपने राजस्थान में कोई कदम नहीं उठाया है। यदि कोई कदम उठाया भी है तो उसके लिए प्रमाण दें कि किस परिमाण में हर बीमारी को रोकने के लिये आपने क्या क्या कदम उठाये हैं? कितनी दवाइयां आपने दी हैं। आयन्दा यदि यह बीमारी ज्यादा फैले तो उसके लिये आपके पास क्या योजना है, आपने क्या योजना उसके लिये बनाई है? आपके इस महकमें में दवा नहीं है, जहां भी अस्पताल में जाते हैं तो गरीबों को दवाइयां नहीं

(श्री रामचन्द्र आर्य)

मिलती हैं, केवल पानी सा मिक्चर पिला देते हैं, कोई भी किसी तरह का, किसी बीमारी का रोगी आये सबको वही मिक्चर पिला दिया जाता है। मैं बीकानेर होस्पिटल में गया था, वहां पर एक सफेद सी मुरड़ी सी बना रखी थी, कोई पेट की बीमारी वाला आया तो उसको भी वही, कोई फोड़े फुन्सी वाला आया तो उसको भी वही और कोई बुखार वाला आ गया तो उसको भी वही पानी। वहां एक सरदार मुझे कहने लगा, इधर आएांजी, मैं बताऊं की हो रा है। मैंने कहा की है जी। तो कहा देखो इथे क्या हो रहा है। देखा तो एक पाउडर का ढ़ेर लगा हुआ है, चाहे पेट की बीमारी वाला आओ चाहे बुखार वाला आओ, चाहे फुन्सी की बीमारी वाला आओ सबको वही उस ढेर में से पाउडर दे रहे हैं। मैंने कहा यह बृजसुन्दरजी की व्यवस्था है और आप सोच कर चलें कि इनके पास यही एक गोली ऐसी है ए.पी.सी. की कि इसको कोई भी बाजार में लेता नहीं है। महंगी दवाइयां बाजार में बिक जाती हैं। यह घटिया किस्म की दवाई है वह भी गोली नहीं, पाउडर बना कर उसमें और कुछ मिला कर पूड़ी बनाकर सबको दे रहे हैं, पानी का हांडा भर रखा है, वह पिला रहे है। इसके अलावा कोई ढंग की दवाई लोगों को नहीं दी जाती और लोग मर रहे हैं। इसलिये मैं ज्यादा नहीं कहते हुए मैं स्वास्थ्य मंत्रीजी का ध्यान इस प्रस्ताव के द्वारा आकृष्ट करना चाहता हूं कि फ्लू की बीमारी बहुत भयंकर बीमारी है यह आज राजस्थान में फैल रही है, इससे लोग बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं। हमारे गुरुजी बीमार हो रहे हैं, इनको कोई दवाई नहीं दी जाती, एक गोली मेरे पास थी वह मैंने कल इनको दे दी तो बुखार नहीं आया, कल ठीक थे आज फिर इनकी नाक सुंई सुंई कर रही है। तो कम से कम स्वास्थ्य मंत्रीजी इस बीमारी को रोकने के संबंध में जागरूक रहें, लोगों के जीवन सम्बन्धी जो भी व्यवस्था है, उसको आप सही तरीके से देखा करें। इस बीमारी पर काबू पायें और जो हमारे 600 आदमी स्टेशन पर बैठे हैं, वे बीमार हैं, उनके इलाज और देखभाल के लिये डाक्टर भेजें। वे लोग कल 1 बजे तक गंगानगर पहुंचेंगे, इतनी देर में कोई आदमी मर सकता है। 600 बीमार आदमियों को दवाई न मिले इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होनी चाहिये। इसलिए इस प्रस्ताव के द्वारा आपका ध्यान आकर्षित करता हूं और मैं आपसे आशा करता हूं कि आप नींद में नहीं रहें, जागरूक रहें, इस महकमें को सम्हालें, वैसे तो इस महकमें के अन्दर "...

श्री उपाध्यक्ष : आप दुबारा शुरू कर रहे हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : आज आपका यह महकमा इस तरह से चल रहा है कि गोली पीठ में लगे और आपके डॉक्टर लिख देते हैं कि गोली आगे से लगी। जिस व्यक्ति के कहीं बिल्कुल नहीं लगी, कोई खरांश तक नहीं आई और 326 का सर्टिफिकेट दे देते हैं, न मालूम क्या क्या लगा देते हैं, ऐसे ऐसे तजुर्बे चल गये हैं, आप नहीं पहिचान सकते। आप चार आंखें रख कर चलेंगे तो वे पकड़ में आ सकते हैं। वरना वे पकड़ में नहीं आ सकते।

इसलिये समुचित व्यवस्था करने के लिये मैं आपका ध्यान इस प्रस्ताव के द्वारा आकर्षित करता हूं।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे से पूर्व कई वक्ताओं ने इस सम्बन्ध में काफी प्रकाश डाला है; फिर भी मैं बहुत संक्षेप में अपने विचार सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। आज जब कि यह बीमारी राजस्थान में भयंकररूप धारण कर रही है फिर भी मेडिकल एण्ड हैल्थ विभाग की ओर से जितना ध्यान इसकी रोकथाम के लिए दिया जाना चाहिये था उतना नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा जो डॉक्टर इस विभाग के हैं उन पर फैमिली प्लानिंग में काम करने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। इसलिये मेरा निवेदन है कि जब तक इस बीमारी पर पूरा कन्ट्रोल नहीं हो जाय तब तक जितने चिकित्सक हैं उनको इस बीमारी की रोकथाम के लिये लगाया जाय।

बस मैं इस सम्बन्ध में यही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय,......

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय। अब ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होगी।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न राजस्थान की जनता के जीवन से सम्बन्धित है, आज राजस्थान का कोई भी जिला इस भयंकर बीमारी से नहीं बचा हुआ है, जब तक वहां के हालात नहीं बताये जायेंगे तब तक मंत्री महोदय जबाब क्या देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद विवाद हो तो उस समय यह मसला उठाया जा सकता है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का एक सीमित दायरा होता है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मेरा निवेदन है कि यह प्रश्न बहुत गम्भीर है।

श्री उपाध्यक्ष : सदन के सामने, मैं समझता हूं, जितने मसले आते हैं, बहुत गम्भीर होते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : रोज ताकीद रहे हैं...

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आगे कोई चर्चा नहीं होगी।

श्री रोशनलाल : अलग अलग तहसीलों में कई व्यक्ति मर गए हैं, नाम मेरे पास हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : कोई ऐसा जिला नहीं है जहां फ्लू के कारण नहीं मरे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : भाषण नहीं होगा। आर्डर प्लीज

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

आर्डर प्लीज।

(शोरगुल)

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं विस्तार से प्रकाश डालूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। स्वास्थ्य मंत्री।

(श्री गाड़िया से) आप आसन के निर्देश की अवहेलना कर रहे हैं।

श्री रोशनलाल शर्मा : मैंने स्वास्थ्य मंत्री को समय समय पर सूचना दी है, कल विस्तार से एक पत्र स्वास्थ्य मंत्री को दिया है, मेहरबानी करके बता दें कि जिन अधिकारियों की लापरवाही से मृत्यु हुई हैं और राज्य सरकार को सूचना नहीं दी है, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही कल और आज के बीच कर रहे हैं क्योंकि 754 आदमियों की सूची उदयपुर जिले की मेरे पास हर व्यक्ति के नामों सहित है ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : सिर्फ एक बात।

श्री उपाध्यक्ष : वाद-विवाद नहीं होगा, आर्डर प्लीज।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष जी···

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। चर्चा नहीं होगी।

श्री देवीदत्त गाड़िया : एक प्रश्न करना चाहता हूं। रोशनलाल जो ने जो सूचना दी···

श्री उपाध्यक्ष : आपने पहले ही समय ले लिया। इससे चर्चा शुरू हो जायगी। जितने जिलों से माननीय सदस्य आते हैं, सभी जिलों के बारे में सबका अधिकार बन जायगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : पार्टीवाइज करें। एक एक पार्टी का एक एक सदस्य बोलें। मैं पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में भयंकर फ्लू फैला और सैंकड़ों व्यक्ति मरे उस संबंध में अमेरिका ने कमेंट्री की है···

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आप सदन के नियमों को जानते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर आगे विचार होने वाला है, उस समय पूर्ण स्वतंत्रता होगी आपको। इस चर्चा को लम्बा नहीं किया जा सकता।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उस समय बोल नहीं सकेंगे।

(कई माननीय सदस्यों के बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री देवीदत्त गाड़िया : राजस्थान में जो भयंकर फ्लू फैला है, ऐसा यदि अमेरिका में फैलता तो न मालूम····

श्री मूलचन्द डागा : व्यवस्था का प्रश्न है। आजकल विधान सभा में कुछ माननीय सदस्य अनुशासन भंग करने के आदी हो गए हैं। इस संबंध में एक स्टेटमेंट हाल में श्री गोपाल स्वरूप पाठक ने दिया है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस प्रकार से जो बार.बार आपके आदेश होने पर भी अनुशासन भंग करते हैं और सदन का समय नष्ट करते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री देवीदत्त गाड़िया : बिल्कुल गलत बात है। अनुशासन भंग आप करते हैं। जितना विरोधी दलो के लोग आसन की मर्यादा का पालन करते हैं, कांग्रेस वाले तो अपनी सत्ता के मद में आकर···

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आसन आज्ञा दें तब बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : जो डागाजी ने कहा है, उसका सही नहीं करना है, यहां समाप्त करना है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अनुशासन पर अंतरात्मा की आवाज को प्रेसीडेंस मिलना चाहिए।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (स्वास्थ्य मंत्री): इन्फ्लूएंजा जिसे संक्षिप्त में फ्लू भी कहते हैं एक मौसमी किस्म का संक्रामक रोग होता है। यह रोग एक वायरस द्वारा उत्पन्न होते हैं एवं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के खांसने, छींकने या दूषित वायुमंडल में श्वांस लेने के कारण फैलते हैं। एलोपैथी विज्ञान में इस रोग की रोकथाम या निराकरण के विशिष्ट उपाय हमारे देश में उपलब्ध नहीं हैं किन्तु रोग के लक्षणों के आधार पर कुछ उपाय इसके प्रकोप के कम करने या संक्रमण को रोकने की दिशा में किया जा रहा है। यह उपाय है गरम पानी से गरारें करने, भीड़ भाड़ या छोटे बंद कमरे में अधिक व्यक्तियों के (खासतौर से रोगियों के) इकट्ठा होने पर पाबंद एवं बुखार और शरीर में दर्द के लिए एसपरीन आदि औषधियों का सेवन हैं। राजस्थान में इस रोग के कुछ रोगी बरसात के बाद प्रतिवर्ष पाए जाते हैं किन्तु इस वर्ष इसका प्रकोप कुछ अधिक मात्रा में पाया गया। चिकित्सा विभाग के अन्तर्गत यह पाबंद किया हुआ है कि संक्रामक रोग के अधिक मात्रा में पाए जाने पर इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को व राज्य सरकार को दी जाये। किन्तु इस विभाग के अन्तर्गत यह उन सभी रोगियों एवं मृतकों की संख्या का पूर्ण विवरण रखना असंभव है, जो रोगी अपने निकटतम चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संस्थाओं से संपर्क स्थापित नहीं करते। यही कारण है कि कोई संक्रामक रोगों की रोकथाम के पूर्ण उपाय कर लेने के बावजूद भी जनता के प्रतिनिधि या प्रेस द्वारा रोगियों या मृतकों की संख्या के बारे में इस विभाग की सूचनाओं को गलत होने के आरोप लगाये जाते हैं।

इस वर्ष दिसम्बर की शुरूआत में, राजस्थान में दिसम्बर की 15 तारीख के आसपास कुछ फ्लू फैलने की बात कई जगहों पर आई थीं। करीब 20-22 तारीख तक उदयपुर में और उसके बाद जैसलमेर और बाड़मेर और जोधपुर के इलाकों में फ्लू फैलने की खबरें मिली थी। उसी समय डाइरेक्टर मेडीकल हैल्थ ने……

श्री देवीदत्त गाड़िया : आपको अखबारों के माध्यम से पता लगा या विभाग के द्वारा।

श्री बृजसुंदर शर्मा : विभाग के द्वारा भी और अखबारों के द्वारा भी खबरें मिली हैं।

श्री परसराम गंगाराम : पहले किसके मारफत मिली है ?

श्री देवीदत्त गाडिया : आपका विभाग निकम्मा है।

श्री बृजसुंदर शर्मा : विभाग के अधिकारियों को, खासतौर से जिला अधिकारियों को तारीख 22 दिसम्बर को यहां से इन्सट्रक्शन्स भेज दी गई कि उनको इन्फ्लूएन्जा की बीमारी के लिए निश्चित मात्रा में जितनी दवाइयों की जरूरत हो, उसका स्टाक अपने पास कर लेना चाहिए और उनके रिक्वायरमेंट्स जो हों, अगर वहां पर न हों तो बाजार से खरीदें। उसके बाद मैं खुद दिसम्बर में और जनवरी के प्रथम सप्ताह में पश्चिमी जिलों का दौरा करने गया था।

(श्री बृज सुन्दर शर्मा)

उस समय जैसलमेर और बाड़मेर के कुछ हिस्सों में यह बीमारी थी लेकिन उतनी नहीं थी और जोधपुर में विशेषतौर से फ्लू का ज्यादा प्रभाव था और उदयपुर में था मैंने मौके पर सरकारी अधिकारियों को आदेश दिए थे कि जितना फील्ड स्टॉफ है वह सब फील्ड स्टॉफ फ्लू की रोकथाम के लिए और लोगों को एस्पीरिन बांटने के लिए दिया जाय. इस बात का ध्यान रखा जाय कि फ्लू की बीमारी अगर निमोनिया या और बीमारी में डेवलप होती हैं तो सल्फेडाइजन अधिक मात्रा में देने की सुविधा दी जाय। टीम्स बनाकर हमने जिलों में जनवरी की शुरूआत में जहां प्रकोप था, वहां भेजी। हरएक टीम में एक डॉक्टर, एक ऑक्जीलरी हैल्थ वर्कर और कम्पाउंडर और विहीकल्स की सुविधा देकर, उन इलाकों में बराबर घूमने के लिए आदेश दिए। उदयपुर में शुरूआत में भ्रमणशील इकाइयां बनाई गई और तारख 7-1-70 से 13-1-70 के बीच इनकी संख्या 20 कर दी। हरएक पी. एच. सी. में डॉक्टर होता है और दवाइयां होती हैं और वेहीकल होती है। शुरूआत जब रोग की होती है और मालूम पड़ता है कि वह ज्यादा संख्या में फैलता है तब भ्रमणशील इकाइयों की व्यवस्था की जाती है। कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि 5-6 दिनों में यह रोग ज्यादा फैल जायगा। फैलने के बाद उसे दूर करने के लिए प्रयत्न किए जाते हैं। हरएक पी. एच. सी. में वैहीकल्स है लेकिन जितने जिलों में पूल करने की शक्ति होती है, पूल किया जाता है पूल करके, और भ्रमणशील इकाइयां कायम की जाती है। अगर फिर आवश्यकता होती है तो कलेक्टर से विहिकल्स मांग कर फिर लगाते हैं। उसके बाद भी आवश्यकता होती है तो किराये की विहकल्स लेकर घूमने के लिये हमने उनको इजाजत दी हुई है ताकि बीमारी की रोकथाम हो सके।

यह फ्लू का एक ऐसा प्रकोप है जो वायरस इंफेक्शन होता है, छूत की बीमारी है और एक गांव में पहुंच जाती है तो निश्चित रूप से उस गांव में फैल जाती है। एक गांव से दूसरे गांव में जाती है। इसका सात दिन तक प्रकोप रहता है। काफी गांव इसके चपेट में आते हैं।

उदयपुर के लिये खासतौर से निवेदन कर रहा था। इस विवाद में मैं नहीं पड़ना चाहता कि सात सौ की मृत्यु हुई या तीन सौ की।

श्री रोशनलाल शर्मा: मैंने दो सौ कहा तो आपने कहा कि एक भी नहीं मरा।

श्री बृजसुंदर शर्मा: मेरे पास जो सूचना आती है वह डिस्पेन्सरी या रेवेन्यू एजेन्सी की मार्फत आती है। कोई हकीम से इलाज करवाते हैं तो कोई झाड़ा फूंक से इलाज करवाते है। उनकी अगर हमारे पास सूचना नहीं आती है तो हमारे पास ऐसे साधन नहीं हैं कि उनकी सूचना प्राप्त की जा सके। डाक्टर और कम्पाउन्डर्स के द्वारा ट्रीट करने की जो सूचना होती है वही मेडीकल विभाग में प्राप्त होती है और उसके आधार पर पता लगा कर आगे की कार्यवाही करते हैं।

श्री भैरोंसिंह: आपने पंचायत विभाग से इस प्रकार की सूचना एकत्रित करने की चेष्टा की ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब मैं वेस्टर्न राजस्थान के टूर पर गया था तो मैंने हर एक सरपंच को अपने यहां से प्राइमरी हैल्थ सेंटर से और पंचायत समिति के मार्फत यह व्यवस्था की थी कि हर एक सरपंच के पास एक एक पैकेट गोली का रहे जिससे उनको फौरन एस्प्रिन देकर इमदाद पहुंचाये।

श्री रामचन्द्र आर्य : ऐसे मौके पर जहर की गोली दे दो तो सारे ही मर जावें। एक गोली से सब को मार दो। आखिर में आपको पूरा प्रबन्ध करना चाहिये और रिपोर्ट देना चाहिये। वरना तो सरपंच को दे दो एक एक जहर की गोली, सब मर जावेंगे।

श्री बृज सुन्दर शर्मा: मेरा निवेदन करना यह है, उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक रोक-थाम का प्रश्न है एक दो दो गोली एस्प्रिन की दे दी जाती है तो रोकथाम हो जाती है। मैं साफ तौर से हाउस में यह निवेदन कर देना चाहता हूं इस विभाग से यह अपेक्षा को जाती है…

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : माननीय मंत्री ने यह स्टेटमेंट दिया है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। गोलियां किस बात के लिये दे रहे हैं ?

श्री बृज सुन्दर शर्मा : इससे रिलीफ मिलता है और यह बीमारी डेवलप नहीं होती है निमोनिया वगैरा में। फ्लू की बीमारी के लिये आज तक जो मेरी समझ में नहीं आया, मुझे जितनी इन्फोरमेंशन है, डाक्टर तो नहीं हूं, डाक्टर से पूछता जरूर हूं, वह कहते हैं कि फ्लू आवेगा। बुखार हाई होगा तो एस्प्रिन से ठीक रहेगा, आराम मिलेगा मरीज को।

श्री दौलतराम सारण : बीच में टोक रहा हूं एलोपैथिक डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, आपने आयुर्वेद, होमियोपैथी, बायो कैमिक, प्राकृतिक चिकित्सा वालों से भी बात की ?

श्री उपाध्यक्ष : ये विभाग उनके पास नहीं हैं।

श्री दौलतराम सारण : विभाग का सवाल नहीं है, चिकित्सा का सवाल है। इन सब पद्धतियों को राजस्थान सरकार ने मान्यता दे रखी है। वे चिकित्सा मंत्री हैं तो उनसे पूछते हैं। क्या यह सरकार अन्धी होकर चल रही है, अगर एलोपैथी से इलाज न हो तो दूसरी पद्धतियों वालों से पूछते ही नहीं।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : कोई होमियो-पैथी, कोई आयुर्वेद और कोई प्राकृतिक इलाज कराने में विश्वास रखता है। यह मरीज पर निर्भर है। जिस दिन मैं जोधपुर में था और मैने हालात मालूम किये थे वहां पर फ्लू था और आपस में एक दूसरे से कान्टेक्ट होने के कारण ज्यादा लोगों को वह हुआ। कैदियों को कहा गया कि यह गोलियां ले लो। उन्होंने फैंक दी। नहीं ली। कम्पाउन्डर मिक्सचर देने के लिये गया तो उसके साथ मारपीट की। अमुक चीज की दवा दो…

श्री रामचन्द्र आर्य : यह गलत कह रहे हैं। किसी ने दवा फैंकी नहीं। ए. पी. सी. से किसी को आराम थोड़े होता है। प्रमाण यह है कि सरदार बक्षसिंह एक घंटे में मर गये। वहां दवाई नहीं मिली।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : मैं हाउस में स्पष्टतौर से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं खुद जोधपुर में मौजूद था। जेल में जाकर डाक्टर ने दवाई देनी चाही। लोगों ने कहा कि नहीं लेते। मिक्सचर ले लो, वह मिक्सचर लेकर गया ग्लास में तो उसको फेंक दिया। कांच का ग्लास या उसको तोड़ दिया। इस तरह की हरकत करते हैं तो क्या नतीजा निकलता है।

श्री रामचन्द्र आर्य : दवाई थी ही नहीं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं मौके पर था। पी. एम. एच. ओ. को भेजा, एक्स्ट्रा डाक्टर लगाये। दवाई दी।

श्री रामचन्द्र आर्य : हमारी हिम्मत से इन्तजाम हुआ है, सरकार के भरोसे पर नहीं। हवा बन्द की, जेल खोलने नहीं दी जब जाकर डाक्टर आये। सब कुछ किया। आप पहले करने वाले नहीं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां इतनी बातें कही जाती हैं मैं तो कहता हूं कि उन लोगों पर मारने की जिम्मेदारी डालनी चाहिये जो लीड कर रहे थे उनको और कह रहे थे मत खाओ दवाई और फेंक दो। जोधपुर में सरदार जी की जांच की और मौका आवेगा तो सामने रख दूंगा।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : क्या सामने रखेंगे मंत्री महोदय। पिछले साल बीमारी से मौतें हुई। मेरे चैलेन्ज को स्वीकार किया लेकिन आज तक आपने कुछ नहीं किया और हाउस में खड़े होकर कह रहे हो।

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, यह गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं और इस प्रकार गलत आंकड़े बताने के आदी हो गये हैं। मैं इस प्रकार का स्टेटमेंट सुनना पसन्द नहीं करता जो बिलकुल झूठ बताते हैं इसलिए सदन से वाक आउट करता हूं इसके विरोध स्वरुप।

(श्री रामचन्द्र आर्य द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : उपाध्यक्ष महोदय, बिलकुल यह बात सही है जो माननीय आर्य जी ने कही है। माननीय मंत्री जी का स्टेटमेंट है वह जनता के साथ दुर्व्यवहार है।

श्री उपाध्यक्ष : आपका इरादा क्या है ?

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : इसलिये बीकानेर जेल में लोग मरे हैं। इसकी जिम्मेदारी मंत्री महोदय पर है इसलिये मैं सदन से वाक आउट करता हूं।

(श्री इन्दलिया द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री बृज सुन्दर शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

श्री परसराम गंगा राम (परबतसर सु०) : माननीय मंत्री कहते हैं वह बिलकुल XXX है।

श्री उपाध्यक्ष : यह शब्द एक्स्पन्ज किया जाय।

श्री परसराम गंगाराम : और काफी जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिये मेरी राय है कि ये इस्तीफा दे दें तो अच्छा है।

XXX अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार शब्द कार्यवाही से निकाले गये।

Page No 83

श्री बृजसुन्दर शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस दिन आपकी सरकार हो जावेगी और आप मुख्य मंत्री बन जावेंगे और आपके मंत्रिमंडल में मैं मिनिस्टर होऊंगा तो आपकी बात मैं मान लूंगा।

श्री परसराम गंगाराम : आप इसके लायक ही नहीं हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : आप अनाप शनाप × × × हैं।

श्री भैरों सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सभापति पैनल के माननीय सदस्य ने कहा कि अनाप शनाप × × ×यह संसदीय है या असंसदीय ?

श्री उपाध्यक्ष : ××× है वह अनपार्लियामेंटरी है इसलिये एक्सपन्ज किया जाता है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक बीमारी के फैलने का संबन्ध है मैं तो इस बारे में अपने मन में साफ हूं कि बीमारी जब फैलती है तो जो कमजोर लोग होते हैं उन पर इसका जल्दी असर होता है। जितने आंकड़े मुझे मिले हैं उनसे यही स्पष्ट प्रतीत होता है...

श्री भैरोंसिंह : कमजोर लोगों को फ्लू होता है तो आपको यह कैसे हुआ ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मेरे को नहीं हुआ। इसकी रोकथाम के लिये जो हम व्यवस्था कर रहे हैं वह यह है जहां हमारा पश्चिमी क्षेत्र अकाल से ग्रसित है वहां के लिये हम विटामिन टेबलेट्स काफी मात्रा में उपलब्ध करा रहे हैं। तारीख 24 को युनीसेफ की पार्सल दिल्ली आकर उतरेगी। उसमें विटामिन ए० और डी० की गोलियां हैं और प्रोटीन फूड है जो अकाल ग्रसित एरिया में डिस्ट्रिब्यूट की जायेगी। आपने इस बारे में अखबारों में पढ़ा होगा। 24 तारीख से हम यह प्रबन्ध कर देंगे। जो अकाल ग्रसित क्षेत्र है उसके लिये हमने गत वर्ष के मुताबिक टीम्स बनायी हैं, मोबाइल टीम्स बनाई हैं वह इस तरह से काम करेंगी। जोधपुर के लिये 11 टीम्स, बाड़मेर के लिये 10, जैसलमेर के लिये 7, जालौर के लिये 9। इसके लिये स्टाफ भी डेप्यूट कर दिया गया है। स्टाफ पहुंच चुका है। विहिकल्स की भी व्यवस्था की गई है। जहां विहिकल्स अवेलेबल नहीं होंगे वहां किराये से लेकर भी हम व्यवस्था करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मौजूदा सूरत में जहां फ्लू का प्रकोप ज्यादा है उसमें उदयपुर में 15 तारीख से पहले ज्यादा प्रकोप था अब वहां प्रकोप कम हो गया और वह भीलवाड़ा जिले में ज्यादा बढ़ रहा है। इसलिये भीलवाड़ा में मैंने कल असिस्टेण्ट डाइरेक्टर को भेज कर ओन दी स्पोट पोजीशन देखने के लिये कहा है। वहां के लिये विहिकल्स की पोजीशन ठीक हो जाय तो और भी अच्छी व्यवस्था हो जायगी इस ओर हम प्रयत्नशील है।

श्री रोशनलाल शर्मा : 300 लोग तो केवल भीलवाड़ा में ही मर गये हैं...

श्री रघुनाथ विश्नोई : जालौर के लिये क्या प्रबन्ध किया है ?

××× अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार शब्द कार्यवाही से निकाले गये।

श्री रोशनलाल शर्मा : हमारे उदयपुर के इलाके में डेढ़ दो महिने से यह बीमारी चल रही है आपकी ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा: मरने को तो मैं रोक नहीं सकता जिसकी मौत है वह तो मरेगा ही…

श्री दौलतराम सारण : मौत से मरे तो कोई बात नहीं कोई कुमौत नहीं मरना चाहिये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इन दिनों जो अन्य किसी बीमारी से पीड़ित होते हुए भी मरा है वह भी कह दिया गया फ्लू से मरा है। कोई टी० बी० से पीड़ित था और मर गया तो उसको भी इसी में ले लिया…

श्री रोशनलाल शर्मा : जो सूची मैंने दी है यह मै कह सकता हूं कि इसमें पांच परसेन्ट ऐसे आदमी हो सकते हैं जिनकी मृत्यु अन्य बीमारी से हो सकती है इससे ज्यादा हर्गिज नहीं है। इससे अधिक की मौत अन्य बीमारी से हुई है अगर यह साबित कर देते हैं तो मैं सदन से त्यागपत्र देने के लिये तैयार हूं। हमारे मुख्य सचेतक के गांव में 150 आदमी मरे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इन्होंने इन दिनों में दौरा नहीं किया होगा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मुझे जिस प्रकार की जानकारी मिली है वह मैं निवेदन कर रहा हूं…

श्री रोशनलाल शर्मा : तो आप यह कैसे कह रहे हैं कि फ्लू से नहीं मर कर दूसरी बीमारी से मरे हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा: जहां तक इन्तजाम का सवाल है इन्तजाम करने की सरकार भरसक चेष्टा करती है। यथाशक्ति चेष्टा करने के बाद भी यदि कामयाब नहीं होती है तो मैं खुद पसन्द करूंगा मुख्य मंत्री जी चाहे तो मेरे से इस पद से त्याग पत्र ले सकते हैं वे मुझे व्यवस्था करने के काबिल नहीं समझेंगे तो हटा देंगे।

श्री रोशनलाल शर्मा : उदयपुर में जो डाक्टर था उसने इस बारे में बहुत असावधानी बरती है उसको हटा देना चाहिये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : उदयपुर के किसी डाक्टर से शिकायत है उसके बारे में आपने मुझे टेलीफोन किया कि वह ठीक इन्तजाम नहीं कर रहा है तो मैंने उसका चार्ज असिस्टेण्ट डाइरेक्टर को देने के लिये कह दिया है।

श्री रोशनलाल शर्मा : 18 तारीख को मैंने आपसे कहा था यह आदमी ठीक से इन्तजाम नहीं कर रहा है। इसकी असवाधानी की वजह से हमारे एक कार्यकर्ता का इकलौता पुत्र तक मारा गया लेकिन आपने इसके लिये कोई एक्शन नहीं लिया ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा: उस अधिकारी का जहां तक प्रश्न है कल ही मैंने भाई रोशनलाल जी को विश्वास दिलाया था, वास्तव में यदि उसकी नेगलीजेन्स है तो उसको सजा मिलनी चाहिये। जिस अधिकारी के लिये आप बात कहते है वह खुद फ्लू से पीड़ित था आखिर उस स्थिति में जब वह खुद बीमार था तो वह क्या करता ? फिर भी यह जांच की बात है जानबूझकर यदि उसने नेगलीजेन्स बरती है तो उसकी जांच होनी

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

चाहिये। उसकी जांच का आदेश दिया है और मैंने उस जगह से उस अधिकारी को हटा भी दिया है।

अब प्रश्न आता है किसी के खिलाफ एक्शन लेने का। जब एक व्यक्ति सलेक्शन से क्वालिफाइड होने पर उस जगह पर आता है तो उसकी इन्क्वायरी किये वगैर उसको हम सजा नहीं दे सकते कायदे जो बने हुए हैं उसी के अनुसार हमें चलना पड़ता है। न रोशनलाल जी के कहने से कोई कार्यवाही हो सकती है और मैं चाहूं तो भी सजा नहीं दे सकता बिना जांच किये।

श्री भैरोंसिंह : रोशनलाल जी की आपने इतनी ही कदर की है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : समय काफी हो गया है आप जल्दी समाप्त करें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेडिसिन का स्टाक और ज्यादा उपलब्ध हो इसका इन्तजाम कर लिया गया है। काफी दवाइयों के आर्डर्स भी दे दिये हैं। इस रोग में सलफेडाइजिन और एस्पेरिन की गोलियां ज्यादा काम में आती हैं। इसका जितना भी बाजार में स्टाक था वह भी हमने खरीद लिया है और कम्पनीज को भी हमने लिख दिया है। 8 ला० 70 हजार और 5 लाख सलफेडाइजिन की गोलियां मंगवा ली गई हैं। इनके वितरण का प्रबन्ध किया जा रहा है। हरेक टीम के पास दवाइयां उपलब्ध रहेगीं फिर भी मैं यह समझता हूं जो लोग यह चाहें कि हमारे डाक्टर घर घर जाकर इलाज करें यह तो संभव नहीं हो सकता। इसमें जनता के सहयोग से, ग्रामीणजनों के सहयोग से सफलता प्राप्त हो सकती है।

श्री दौलतराम सारण : मैं मंत्री जी को यह बता देना चाहता हूं कि इस बीमारी से कुल 25 हजार के करीब आदमी मर चुके है। अगर नहीं तो मंत्री जी इसको कन्ट्राडिक्ट कर दें। मेरा चैलेंज है। राजस्थान में सर्वे करवाली जाये 25 हजार के 26 हजार हो जायेंगे।

एक माननीय सदस्य : आपका जरिया ?

श्री दौलतराम सारण : मेरे पास बहुत से जरिये हैं। मेरा जरिया जनता है। दूसरी यह बात की आपने यह कोई सूचना नहीं दी कि फ्लू से मरे हैं या और किसी बीमारी से मरे हैं। आप मानते हैं, आपके चिकित्सक मानते हैं कि फ्लू के बाद निमोनिया, टाइफाइड हो जाता है। फ्लू और मलेरिया के सिम्पटम्स एक-से हैं और प्रारम्भिक रूप से फ्लू की चिकित्सा नहीं हुई तो उसको फ्लू से मरा नहीं बताते हैं। दूसरा यह कहते है कि एलोपेथी में इसका कोई इलाज नहीं हैं। कोई चिकित्सा नहीं है। इसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि आप आयुर्वेद चिकित्सक से सलाह करें, होम्योपैथ से सलाह लें, बायो कैमिस्ट से सलाह करिये और दूसरी जो चिकित्सा पद्धति हैं उनसे सलाह करिये ताकि लोगों के जीवन की रक्षा की जा सके। केवल एलोपैथी पर डिपेन्ड मत करिये। यह मेरा इस सरकार को निवेदन है।

श्री मूलचन्द डागा : मेरा एक निवेदन है। क्या मालथस थ्योरी यहां काम नहीं करती है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसको कोई यहां समझ नहीं सकेगा। मार्डन टाइम में यह थ्योरी काम नहीं करती है। और न मैं इस विवाद में पड़ूंगा। मुझे जो अस्पताल, डिसपेंसरीज से सूचना प्राप्त हुई है वह यह है कि अब तक राजस्थान में 69,812 केसेज हुए हैं और 373 की मृत्यु हुई है।

श्री दौलतराम सारण : क्या 300 ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह मेरी सूचना है। जैसा आप चाहें·········

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद विवाद।

श्री भैरोंसिंह : यह विशेषाधिकार का प्रश्न है। उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह संख्या 757 बताई है। इसलिए इन दोनों में से कौन सही बता रहा है और कौन गलत बता रहा है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मेरी सूचना के आधार पर बता रहा हूं। जितनी सूचना मुझे प्राप्त हुई है वह बता रहा हूं।

श्री रोशनलाल शर्मा : 758 ही है। जब मैंने पहली बार 200 व्यक्तियों के मरने की बात कही थी तो सरकार ने बताया था एक भी नहीं मरा है। ऐसे लोग 5 पर्सेन्ट हो सकते हैं जो टी. बी. और दमा के कारण मरे हों या उससे बीमार रहे हों। अगर मेरी यह सूचना गलत हो तो मैं त्याग-पत्र दे दूंगा।

श्री नत्थीसिंह : जब माननीय सदस्य ने यह सूचना दे दी तो क्या उसको वैरीफाई करवाया गया है या नहीं ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : मेरे ख्याल से जो अस्पताल में ट्रीट किये गये हैं यह उन्हीं की खबर है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अस्पताल के जरिये जिनका ट्रीटमेंट किया गया है, जिनको कि डाक्टर ने ट्रीट किया है, यह उसकी सूचना है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या इसके अलावा और मरे हैं ?

श्री रोशनलाल शर्मा : जो उदयपुर में 308 व्यक्ति मरे है उसकी सूचना अस्पताल में नहीं हैं। पास के गांवों में मरे हैं। 7 तारीख को क्लेक्टर ने सूचना दी कि 9 आदमी मरे हैं। 8 तारीख को 18 मरे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या यह सूचना मंत्री महोदय की सूचना के आधार पर दे रहे हैं ?

श्री रोशनलाल शर्मा : 10 तारीख को 47 आदमी मरे हैं, 11 तारीख को 14 आदमी, 12 तारीख को 128 मरे हैं। 13 तारीख को 10 मरे हैं, 14 तारीख को 25 मरे, 15 तारीख को 16 यह टोटल 308 का बनता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं और मंत्री महोदय का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो मैंने लिस्ट है उसमें से 450 आदमी दिसम्बर के महीनें में ही मर गये थे। 5 तारीख को मैं जिला चिकित्सा अधिकारी के पास गया और जब देखा कि वे कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं तो 5 तारीख को ही मंत्री महोदय को तार दिया और उसके जवाब में मंत्री महोदय ने एक लाख गोलियां भिजवाई परन्तु उनको बांटने की भी जिला चिकित्सा अधिकारी ने कोई व्यवस्था नहीं की। 7 तारीख को उनके डेरे पर सूची देता हूं उसके बाद भी दवाइयां

(श्री रोशनलाल शर्मा)

नहीं भेजते हैं तो मैं वहां से उठ कर कलेक्टर को फोन करता हूं कि जिला चिकित्सा अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं और इनको हटाया जाये। तब मंत्री महोदय ने जिला चिकित्सा अधिकारी से चार्ज लेने का आर्डर दिया। इसके बाद ही हमारे जिले में इस पर कन्ट्रोल हुआ है इससे मैं इन्कार नहीं करता हूं। मगर यह कहें कि उदयपुर जिले में कोई नहीं मरा है और जो सूचना मैंने दी है वह गलत है तो मैं त्याग-पत्र दे दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : (एक साथ कई सदस्यों के बोलने पर) आर्डर प्लीज। स्वास्थ्य मंत्रीजी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस सूचना को कब डिनाई किया है कि यह गलत हैं। मैं तो अपनी सूचना के आधार पर कह रहा हूं।

श्री नत्थीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, ये एम. एल. ए. है, जिला प्रमुख हैं उनकी सूचना गलत नहीं हो सकती।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मेरी सूचना, मेडिकल इन्स्टीट्यूट की जो सूचना दी हुई है, उसके आधार पर है। मैं यह दुबारा निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी सूचना मेडिकल इन्स्टीट्यूट की सूचना के आधार के ऊपर है। मेरी सूचना पंचायत समितियों या उसके प्रधानों, प्रमुखों की सूचना के आधार पर नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : मैंने आरोप लगाया है कि चिकित्सा के अभाव में, उसकी लापरवाही, उपेक्षा से, दवाइयों के अभाव में और बिलकुल लोगों को नजर-अन्दाज करके सरकार की कर्तव्यहीनता के कारण लोग मरे हैं। मंत्री महोदय के जवाब से मेरा आरोप साबित होता है। इन दोनों के वाद-विवाद से मेरा आरोप साबित होता है इसलिए मंत्री महोदय को त्याग-पत्र देना चाहिये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह कहना बड़ा आसान है कि त्याग-पत्र दे दें। यह त्याग-पत्र मांगना आसान है परन्तु क्या बृजसुन्दर शर्मा को सीधा-सादा समझ रखा है जो इस तरह की बातें करते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिम्मेदारी के साथ जो कुछ इन्तजाम किया जाना होगा, वह माकूल इन्तजाम किया जा रहा है। माकूल इन्तजाम नहीं हो सकेगा तो मैं माननीय सदस्यों के कहने से तो त्याग-पत्र नहीं दूंगा लेकिन अपने आप त्याग पत्र दे दूंगा। आपके कहने से नहीं दूंगा मैं इन्तजाम करूंगा और जो भी मुनासिब इन्तजाम होगा वह करके मैं सदन के सामने पेश कर दूंगा। जो मौत से मरेंगे वे मरेंगे। मैं उनको बचा नहीं सकता। बगैर इलाज के घर में बैठे रहें और मर जायें तो क्या इस पर भी हमारी जिम्मेदारी है?

श्री दौलतराम सारण : यह क्या जवाब दे रहे हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जवाब दे रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त हुई। अब कोई चर्चा नहीं होगी।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : आधा मिनट लूंगा। आपने उदयपुर से जो डाक्टर हटाया है और अब उसको कहां रखा

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

है ? वह उस जिले में भी लोगों को मारेगा। आपने उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया ? उसको सस्पेन्ड करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर। इस तरह से तो डिबेट बढ़ती चली जायेगी।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह मानता हूं कि यह थैंकलेस टास्क है। पर यह निर्विवाद सत्य है उपाध्यक्ष महोदय कि मैडिकल डिपार्टमेन्ट की उपेक्षा की दृष्टि इस ओर है। इस सम्बन्ध में भी माननीय मन्त्री महोदय को अवश्य ध्यान देना चाहिये।

जैसा मानीनय सदस्य मांडलगढ़ से आने वालों ने कहा है कि अगर आप किसी गुनाहगार को सजा नहीं देंगे तो फिर क्या सभी क्षम्य हो जावेंगे ? मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं इस उपेक्षा वृत्ति का। मैं गांव का नाम भी आप चाहेंगे तो लिख कर दे दूंगा। एक गांव की एक बिचारी स्त्री 105' डिग्री बुखार में स्ट्रेचर पर एक अस्पताल में ले जाई गई। उसके पति से कहा गया कि इतने रुपये का फलां इन्जेक्शन ले आओ। वह बिचारा साईकल पर बैठ कर दो घण्टे में 16 माईल के फासले पर से डूंगरपुर आया। वहाँ से इन्जेक्शन खरीद कर ले जा कर डाक्टर को दिया। इन्जेक्शन तैयार करके, यह सुनने जैसी बात है, वह डाक्टर कहता है कि पांच रुपया टेबल पर रक्खो तो इन्जेक्शन दूंगा तुम्हारी धर्मपत्नी को। नहीं तो नहीं दूंगा। यह क्या है? यह मामला सदन में भी लाया गया। पर सरकार कानों में तेल डालकर बैठी हुई है। कोई कार्यवाही इस बारे में नहीं हुई है। इस बीमारी में कितने लोग मरे, सरकार को यह भी पता नहीं।

जो कुछ जिला प्रमुख, उदयपुर द्वारा कहा गया, वह तथ्यहीन, मेरी समझ में नहीं है। आपको चाहिये माननीय मन्त्रीजी, कि निष्पक्ष रूप से इस मामले में एक्शन लें और कम से कम गुनाहगार को सजा दें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैंने जैसा पहले निवेदन कर दिया मैं फिर दोहरा देना चाहता हूं कि जहां तक उस अधिकारी का ताल्लुक है, उसके खिलाफ जांच किये जाने के आदेश दिये जा चुके हैं और मुनासिब जो कुछ भी कार्यवाही होगी, की जावेगी।

दूसरा उदाहरण जो दिया गया वह मेरे नोटिस में आया नहीं है। एक बात और स्पष्ट कर दें कि पांच रुपया मकान पर चार्ज किया या डिस्पेन्सरी में चार्ज किया ताकि इसकी भी जांच करवा ली जावे।

श्री मनोरसिंह मेहता : वह डाक्टर कौनसे जिले में गया है यह भी बता दें, वह वहां मारेगा लोगों को।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : वह डी. एम. एच. ओ. है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : वह किस जिले में वज्र गिरा है। क्या भीलवाड़ा में ही भेजा है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : अब इस पर बहस समाप्त हो तो ठीक होगा। काफी देर हो गई है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : एक मिनिट उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : फिर दूसरे माननीय सदस्य भी यही कहेंगे कि हमें भी एक एक मिनिट दिया जावे। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद विवाद

श्री पी. के. चौधरी।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वादविवाद

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने सदन में जो अभिभाषण दिया था उनको निम्न शब्दों में मैं धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :

"इस सत्र में समवेत विधान सभा के सदस्य, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिये जो उन्होंने कृपा पूर्वक सदन में दिया है, अत्यन्त कृतज्ञ हैं।"

उपाध्यक्ष महोदय, इस बार राज्यपाल महोदय का भाषण आज तक के सभी अभिभाषणों में संक्षिप्त रहा है। आमतौर से इन अभिभाषणों में राज्य की सामाजिक और इकोनोमिक स्थिति का सिंहावलोकन किया जाता है, परन्तु इस बार इस दृष्टि से कमी रही है। लेकिन यह बात सही है कि उनके अभिभाषण में कम से कम 40 परसेन्ट हिस्सा अकाल पर रहा है। अकाल का जहां तक सम्बन्ध है, आज की स्थिति देखते हुए यह उचित ही हुआ है।

राज्य सरकार ने सेन्ट्रेल असिस्टेन्स के सम्बन्ध में जो बात रक्खी है कि अब तक जो 50 पर्सेन्ट सबसिडी मिलती थी उसकी बजाय 75 परर्सेन्ट दी जाय तो उसके लिये मैं भी कहूंगा और सदन के सभी माननीय सदस्य भी उसका समर्थन करेंगे कि राजस्थान में क्योंकि अकाल बार बार पड़ता है और करीब करीब हर साल किसी न किसी हिस्से में तो पड़ता ही रहता है तो इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमारे यहां के लिये जो असिस्टेन्स का पैटर्न है वह 50 पर्सेन्ट से बढ़ा कर 75 पर्सेन्ट किया जाय। फिफ्थ फाइनेन्सियल कमीशन ने भी इसके लिये रिकमण्ड कर दिया है।

राज्यपाल महोदय का भाषण संक्षिप्त तो है जरूर, पर सारगर्भित भी है। हमारा जो बम्बई का रेजोल्यूशन है उसकी भी कुछ झलक इसमें नजर आती है। इस बात को मान कर चलना पड़ेगा कि आज देश में समाजवाद की हवा बह रही है और समाजवाद की विचारधारा देश में फैली है। इससे कोई भी अछूता नहीं रह सकता। जनसंघ को भी अपनी इकोनोमिक पालिसी इसी हवा के अनुकूल बनानी पड़ी है। स्वतन्त्र पार्टी का भी एप्रोच जो था उसमें भी फर्क आया है। तो आज समाजवाद की हवा नहीं रुक सकती कहीं। इससे कोई अछूता नहीं रह सकता। न इसके विपरीत चलकर आज कोई भी पार्टी पनप सकती है। तो इसका इम्पेक्ट हमारे पर भी हुआ है और राज्य सरकार पर भी पड़ा है। पांच छः बातें ऐसी हैं इसमें।

सीलिंग को इम्प्लीमेन्ट तुरन्त करने की बात का सरकार ने फैसला किया है। इसी प्रकार जो पहले बड़े बड़े फर्मों के लिये एग्जम्पशन था उसको नहीं रखने का फैसला किया है इसी प्रकार से जो गरीब फार्मर्स हैं उनको लोन आसानी से मिल सके, इसके लिये सरकार ने गारन्टी देने का भी तय किया है। इसके साथ साथ आज जिनके पास रहने को मकान नहीं है जमीन नहीं है,

(श्री पी० के० चौधरी)

मकान बनाने के लिये रूरल एरिया में उन सबको आबादी की भूमि देने के लिये प्लॉट देने का फैसला किया है। वह भी समाजवाद की तरफ कदम है। इरिगेशन के बजट में फिक्स रेट कुछ की है।

श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी सु.) : व्यवस्था का प्रश्न है। राज्यपाल के अभिभाषण जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर सरकार का कोई मन्त्री अपनी कुर्सी पर नहीं है। क्या यह सदन का अपमान नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो अपमानजनक बात है।

श्री भगवानदास शास्त्री : डिप्टी मिनिस्टर भी नहीं है।

एक माननीय सदस्य : उपमन्त्री महोदय उपस्थित हैं एक।

श्री देवीलाल बुरासिया : ये कोई उपमन्त्री हैं। भ्रष्टाचारी, गूंगे और बहरे, जो न लिखे हैं न पढ़े।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : क्या सदन की गरिमा मंत्री महोदय के उपस्थित होने न होने पर ही निर्भर है? क्या आप हम नहीं हैं?

किसी मंत्री को गाली गलौज मिले यह क्या सदन की गरिमा है? क्या सदन की गरिमा मन्त्री महोदय के रहने पर ही है?

श्री भगवानदास शास्त्री : बिलकुल।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

(श्रीरामप्रसाद लड्ढा के आने पर) श्री पी. के. चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी : इस प्रकार समाजवाद की तरफ जाने की झलक इससे मिलती है। साथ साथ वित्त मंत्री ने जैसा कहा तीन एकड़ से कम सिंचित जमीन इरिगेशन प्रोजेक्ट में होगी तो भी बेटरमेन्ट लेवी उससे नहीं लेंगे। यह भी एक समाजवाद की तरफ बहुत बड़ा कदम है।

दूसरी बहुत बड़ी बात यह है कि जिनके पास मकान नहीं है रूरल एरिया में उनको मकान बनाने के लिये प्लॉट दिये जावेंगे। इसको आप लाइटली न लें। इस बात को आप ध्यान में रखें कि राजस्थान की कम से कम 85 प्रतिशत जनता रूरल एरिया में रहती है और जिनके पास मकान के लिये, रहने के लिये जमीन नहीं है। उनको आबादी की जमीन देने का फैसला करना मामूली बात नहीं है। लेकिन मैं इसको इस दृष्टि से देखता हूं, हमारा नारा है, आज भी हमारा नारा है समाजवाद का। समाजवाद को आम पब्लिक आम जनता समाजवाद को किसी थ्योरी से नहीं समझती है और कोई बात नहीं समझती है। तीन बात है। हम नारा भी लगाते हैं, स्लोगन भी लगाते है रोटी, कपड़ा, मकान। समाजवाद का जो नारा है जो साधारण व्यक्ति है उसमें यह बात है। हम कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान का इन्तजाम करेंगे। एक साधारण व्यक्ति के सामने समाजवाद का कोई अर्थ नहीं है जब तक रोटी, कपड़ा और मकान का इन्तजाम नहीं होता है। मैं तारीफ करता हूं इस समाजवाद की मंजिल की तरफ कि सरकार ने कम से कम एक तिहाई कदम उठाया है। एक तिहाई कदम

(श्री पी० के० चौधरी)

तय कर लेते हैं तो इससे बड़ा फैसला मैं नहीं समझता हूं कि राज्यपाल महोदय के भाषण में इससे बढ़ कर कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है। प्रत्येक पार्टी चाहे वह एस. एस. पी. हो, पी. एस. पी. हो उस फैसले को अमल में ला दें, इम्पलीमेंट करावें।

आज राजस्थान की 85 प्रतिशत जो जनता है जो भूमिहीन हैं उनके पास मकान नहीं है उनको प्लाट्स दे देगें। कोई छोटी बात नहीं है। गहराई से हमें इसको सोचना चाहिये। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने अनाऊन्समेंट किया है, अनाऊन्समेंट का फैसला तो आपने किया है, लेकिन गांव में आबादी की भूमि नहीं हैं, सिवाय चक भूमि नहीं हैं–यह जो फैसला किया है भूमिहीनों को भूमि देने का तो जितने भूमिहीन हैं, जितने शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, जितने हरिजन हैं उन सबको प्लाट्स देना चाहिये चाहे वे दूसरे ही काश्तकार की जमीन हो। उसका एक्वीजिशन करके आपको इन्तजाम करना पड़ेगा। जब तक आप यह इन्तजाम नहीं करेंगे तब तक यह पूरा नहीं होगा। अगर यह फैसला नहीं किया हो, इस बजट में, आने वाले बजट में इसका प्रावधान नहीं रखा हो तो यह फैसला केवल अनाऊन्समेंट पर ही रहेगा, रेडियो पर रह जायगा, इम्पेक्ट नहीं रहेगा। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं जब हम फैसला कर लेते हैं–एक बात है गांधीजी कहा करते थे–Ends and means are inseparable. मीन्स गलत हैं तो एन्ड्स की प्राप्ति नहीं हो सकती है। माओत्सेतुंग का एक प्रिन्सिपल है। उन्होंने एक बात कही tasks and the methods cannot be separated. मैथड्स आपके पास नहीं होंगे तो आप टास्क अचीव नहीं कर पायेंगे। माओत्सेतुंग ने उस बात को बड़े आसान शब्दों में व्यक्त किया है प्रत्येक व्यवहार में, प्रत्येक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में जो व्यक्ति रहता है चाहे वह सबार्डिनेट आफिसर हो उसी प्रकार उन्होंने कहा है ......

श्री मदनसिंह : कौन है ?

श्री पी० के० चौधरी : माओत्सेतुंग।

श्री मदन सिंह : कौन हैं ?

श्री पी० के० चौधरी : माओत्सेतुंग। आप नहीं जानते हैं तो आपको डूब मरना चाहिये। मैं यह निवेदन कर रहा था जो गांधीजी ने कहा है......

श्री मदन सिंह : मुझे तो तब डूब कर मरना चाहिये जब मेरे बडेरे की बात करते और फिर मेरी समझ में नहीं आता। यह माओत्सेतुंग कौन बला है ?

श्री पी० के० चौधरी : You must accept a great man as a great man.

श्री मदन सिंह : But let me know who is the great man. मैंने यह पूछा है।

श्री पी० के० चौधरी : मैं जानकारी देना आवश्यक नहीं समझता हूं। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारे मीन्स गलत हैं तो एन्डस की प्राप्ति नहीं हो सकती है। आज एडमिनिस्ट्रेटिव जो टास्क है, जिस काम को देते हैं करने के लिए जब तक

(श्री पी० के० चौधरी)

मैथड्स नहीं होते हैं, किस ढंग से कर सकें तब तक यह तय नहीं कर लेते हैं टास्क प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उन्होंने मिसाल दिया

If you want to cross a river, then the problem of bridge and boat will have to be solved first.

अगर यह प्राबलम हल नहीं किया गया तो यह टास्क केवल टास्क ही रह जायगा। केवल साइन करने से कोई हल नहीं होता है। मैथड्स, किस ढंग से प्राप्त करेंगे तब जा कर टास्क हासिल होता है नहीं तो नहीं होता है।

गवर्नमेंट का जो फैसला है भूमिहीनों को भूमि देने का, जिनके पास आबादी की जमीन नहीं, उन सब को प्लाट्स देंगे तो फैसला करने के साथ सरकार इस बजट में कितना कर रही है, क्योंकि गांवों में जमीन नहीं है आपको जमीन एक्वायर करके करना पड़ेगा। समाजवाद की तरफ एक तिहाई मंजिल तय किया है–रोटी कपड़ा और मकान का इन्तजाम जिसमें हमने मकान का इन्तजाम किया है। यह बहुत बड़ा कदम है समाजवाद का। लेकिन इसके साथ ही मैं यह कहूंगा मकान बनाने के लिये कर्जे की भी व्यवस्था सरकार करें। कास्तकारों को खेती करने के लिये, मकान बनाने के लिये बैंक से उनके कर्जे की व्यवस्था करें और पक्के मकान उनके लिये बनवायें, सरकार इसके लिये गारन्टी दे तब तो यह वास्तव में है, नहीं तो केवल समाजवाद का सपना है जो केवल समाजवाद का सपना ही रहेगा। मैं तो यह समझता हूं उस सपने को हल किया है। मैं तो सरकार के निर्णय को बहुत बड़ा निर्णय मानता हूं। एक बड़ा करेजियस फैसला है किन्तु इसको इम्पलीमेंट करने की शक्ति होनी चाहिये–इसी बात के लिये है। मैं यह कहना चाहूंगा कि राज्यपाल महोदय अपने भाषण में यह कह देते हैं कि सब को आबादी के लिए मकान देते हैं तो इससे बढ़कर कोई कदम नहीं होगा और सदन के सब सदस्य हमारे साथ सहमत हैं और एक राय से इस अभिवादन प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। राज्य सरकार ने यह फैसला किया है कि एक एक भूमिहीन जिनके पास रहने को जमीन नहीं है उन सब को यह दिया जाय। मैं मानकर चलूंगा ये जितने अमेन्डमेंट्स धन्यवाद प्रस्ताव पर आये हैं उनको नामंजूर करते हुए एक राय से धन्यवाद प्रस्ताव को सदन के सारे माननीय सदस्य मंजूर करेंगे।

इसके बाद मैं आता हूं लैन्ड रिफार्म्स पर। लैन्ड रिफार्म्स में यह बात सही है राजस्थान हिन्दुस्तान के तमाम प्रान्तों में अग्रणी है और करीब करीब इंटरमिडियटरी को हमने राजस्थान में समाप्त कर दिया है। मैं इसलिये लैन्ड रिफार्म की बात कह रहा हूं जो सीलिंग का फैसला है उसको इमीजियेट लागू करने के लिये उसमें फैसला किया है। हमारा बम्बई प्रस्ताव का उस पर असर पड़ा हैं। जो एग्जेम्पटेड थे, जो केटिल फार्म, शूगर फार्म बल्केनाईजिंग फर्म हैं उनके एग्जेम्प्शन को खतम किया है लेकिन साथ ही मैं यह जानना चाहूंगा कि राज्यपाल महोदय ने यह कहा है–पैरा 11 में:–अधिकतम सीमा के कानून को लागू करने में कानून और कार्यप्रणाली संबंधी कठिनाइयों के कारण विलम्ब होने से इस बीच बहुत से हस्तान्तरण जो हो चुके है, उनमें जो हस्तान्तरण भूमिहीनों को हुए हैं, उनको सरकार मान्यता देकर चलेगी।'

(श्री पी. के. चौधरी)

तो आज तक तो सरकार का फैसला था कि 68 तक जो हस्तान्तरण हुए हैं उनको रेगुलेराइज् किया जायेगा। इसका यह तो मतलब नहीं है कि 15 जनवरी तक भी जो हस्तान्तरण हुए हैं उनको भी सरकार मानेगी। इसका भी क्लेरीफिकेशन मैं चाहूंगा। यह अच्छा किया है कानून बनाकर लेकिन इसमें जो यह कहा है उसका भी जरूर क्लेरीफिकेशन मैं चाहूंगा कि इसका मतलब यह तो नहीं है कि 68 के बाद से 15 जनवरी, 1970 तक जो हस्तान्तरण हुए हैं उनको भी हम बरकरार रखते हैं और कायदे के अनुसार मानते हैं।

श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) : पीछे का कर दिया उसकी तो आपत्ति नहीं है ?

श्री पी. के. चौधरी : आपत्ति तो सब में है, मेरा पाइन्ट यह है।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : मैं एक जानकारी और चाहूंगा कि जो राज्यपाल महोदय ने घोषणा की है कि सीलिंग में जो एग्ज़म्पशन हम विथड्रा कर रहे हैं और आपने उसकी सराहना की है तो क्या इस पहलू को भी देखा है, क्या सरकार के इसके लीगल पाइन्ट आफ व्यू को एग्ज़ामिन किया है या यह केवल मात्र घोषणा है ?

श्री पी. के. चौधरी : सरकार उस पर आर्डिनेन्स ला सकती है। असेम्बली में बिल ला सकती है।

श्री मूलचन्द डागा : हर एक लॉ अमेन्ड किया जा सकता है।

श्री पी. के. चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पैरा 10 की तरफ आकर्षित करता हूं। पैरा 10 में जहां तक भूमिहीनों को बैंक से कर्जा मिलने की बात कही है सरकार ने घोषणा की है कि 5 एकड़ तक की सिंचित जमीन और 15 एकड़ तक की जो बारानी होल्डिंग्स हैं उनके लिए गारन्टी देने का तय किया है। मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि 5 एकड़ तक की जरूरत नहीं है 2 एकड़ भी जिनके पास सिंचित जमीन है आज बैंक उनको बिना गवर्नमेंट की गारन्टी के कर्जा देती है। आज 15 एकड़ बारानी जमीन का सवाल नहीं है बल्कि 10 एकड़ तक बारानी जमीन जिनके पास है उनको भी बैंक कर्जा देता है बिना सरकार की गारन्टी के तो यह जो गारन्टी है इसका मिसयूज होता है। बैंक जो उसको कर्जा देता है वह जैसे उसको ट्रैक्टर खरीदना है या पम्पिंग सैट खरीदना है, तो जो इम्पलीमेन्ट्स खरीदता है वह उनको तो मार्गेज करता है और जमीन की गारन्टी उससे लेते हैं। तो जिनके पास 2 एकड़ भी सिंचित जमीन है उनको बैंक से कर्जा मिलता है। मैंने बैंक से पूछा है और वह कर्जा दे रहे हैं। 10 बीघा से ज्यादा जिनके पास बारानी जमीन है उनको भी देते हैं। उनके लिए भी पहले से गारन्टी का प्राविजन नहीं है इसलिए जो 5 एकड़ सिंचित जमीन पर गारन्टी का प्रावधान है कि 5 एकड़ जमीन जिनके पास सिंचित है वह वीकर सैक्शन में नहीं आते हैं। उनको गारन्टी का कोई प्रोवीजन नहीं है इसलिए बैंक वाले तो कहते हैं यह आपने सिर्फ शाबासी लेने के लिए गारन्टी की घोषणा की है ...

श्री उपाध्यक्ष : आप धन्यवाद दे रहे हैं।

श्री पी० के० चौधरी : इसलिए मेरा कहने का मतलब यह है कि यह गारन्टी जरूरी नहीं है। मैंने बैंक वालों से पूछा है। बल्कि बैंक वालों ने तो यहां तक कहा कि जो आर्टीजन्स हैं, जो जूते बनाते हैं, खाती का काम करते हैं, जो ब्लेकस्मिथ हैं उनको 500 रुपये तक का कर्जा पर्सनल गारन्टी पर दे रहे हैं। ऐसी मिसालें है यहां पर। आपकी गारन्टी की जरूरत नहीं है। तो मैं इसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। ठीक है आपने फैसला किया लेकिन यह फैसला वहां पर लागू हो जहां लोन नहीं देते हैं। उनके लिए गारन्टी का प्रोवीजन रख कर चलें तो ठीक नहीं होगा। लेकिन जहां दे रहे हैं वहां गारन्टी देना फिजूल है। एक बात की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि काश्तकार अपनी जमीन की गारन्टी में ट्रेक्टर और पम्पिग सैट ले लेता है लेकिन प्रॉडक्शन बढ़ाने के लिए, जो उसको प्रॉडक्शन लोन चाहिए, जो क्राप लोन चाहिए वह उसको मिलना चाहिए। मेरा मतलब यह है कि उसको फर्टीलाइजर के लिए, इम्प्रूव्ड सीड्स के लिए और इन्सेक्टीसाइड के लिए पैसे की जरूरत पड़ती हैं वह उसको बैंक से नहीं मिलता है। याने शॉर्ट टर्म लोन नहीं मिलता है। मैं तो यह कहूंगा कि आप गारन्टी देते हैं तो जो शॉर्ट टर्म पर लोन लेना चाहते हैं जो कि उनको फर्टीलाइजर के लिए चाहिए 6 महीने के लिए कर्जा चाहिए, इन्सेक्टीसाइड्स खरीदने के लिए, इम्प्रूव्ड सीड्स के लिए चाहिए उसके लिए लोन दीजिये। और यहां होल्डिंग का सवाल नही होना चाहिए। लेण्डलैस लेबर को भी दीजिए। जो सब टीनेन्ट्स हैं उनको भी दीजिए। उसकी गारन्टी आप दीजिए तो इसका बड़ा भारी इम्पेक्ट होगा। तो जो लोन का सिस्टम है, यह सही है कि बैंक्स का नेशनेलाइजेशन हुआ है और नेशनेलाइज्ड बैंक से लोन पहले से 10 टाइम्स बढ़ा है। आज उनको डाइरेक्शन्स इश्यू होने के बाद पहले जो लोन देते थे उसमें 10 टाइम्स या 20 टाइम्स लोन आज का काश्तकारों को दिया जाता है। मेरी कान्सटीटुएन्सी से लोग आते हैं उनको मैंने कहा है कि भूमि बंधक बैंक में जाने की जरूरत नहीं है वहां बड़ा लफड़ा रहता है, लम्बा खींचते है और स्टेट बैंक वाले आकर घर दे जाते हैं। आज लोग कर्जे के लिए भूमि बंधक विकास बैंक में जाने की बात पसन्द नहीं करते हैं और जहां उनको इजियर वे में मिलता है वहां वह लोग जाना पसन्द करते हैं। मैं आपको बताऊं कि यहां पर जयपुर का बैंक है वहां 40 ग्रेजुएट्स को रखा है इस काम के लिए जो कि लोन का काम करेंगे। तो बैंक का नेशनेलाईजेशन होने के बाद जो बैंक का पैसा है उसका फ्लो काश्तकारों की तरफ बढ़ा है लेकिन एक डिफिकल्टी मैंने निवेदन की कि बैंक का जो पैसा है वह डिपोजिटर्स का है, सरकार का नहीं है, मेरा नहीं है, डिपोजिटर्स का है इसलिए बैंक को सिक्योरिटी लेनी चाहिए। इसलिए यह जो कर्जा देते हैं जमीन के अगेन्स्ट में देते हैं लेकिन जो क्राप लोन है, प्राडक्शन लोन है जो सब को मिल सकता है, मेरे पास जमीन नहीं है और दूसरे की जमीन पर मैं खेती करता हूं तो भी मैं चाहता हूं कि लैण्डलैस लेबर है या जिनके पास जमीन है उसको भी क्राप लोन के लिए, फर्टीलाइजर खरीदने के लिए, इम्प्रूव्ड सीड्स खरीदने के लिए जो कर्जा चाहिए उसके लिए गवर्नमेंट को सही माने में गारन्टी देनी चाहिए तब तो जाकर उस सरकार की गारन्टी का इम्पेक्ट पड़ सकेगा

(श्री पी. के. चौधरी)

वर्ना उसका कोई इम्पेक्ट होने वाला नहीं है। और जिस शक्ल में आपने रखा है उससे तो उसको कोई फायदा नहीं होगा।

उसके बाद, उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने बहुत अच्छा फैसला किया है। पैरा 9 में गवर्नमेंट ने आर्डीनेन्स निकालकर गैर खातेदार को भी राइट दिया है वह भी बैंक से कर्जा ले सकता है। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि वह गैर खातेदारी जमीन अलॉट होने के बाद वह दस साल तक क्यों गैर खातेदार रहता है। जब कोई ट्रेसपास कर लेता है तो 66 तक जिसने ट्रेसपास कर लिया उसको तो आप मान लेते हैं, जो जबरदस्ती कब्जा कर लेते हैं उनको तो सब हुकूक हासिल हैं लेकिन दस साल तक दूसरा गैर खातेदार क्यों रहे? उसके क्या रीजन्स हैं, उसके पीछे क्या दलील है? दस साल तक उसको गैर खातेदार क्यों रखते हैं, उसका रीजन और उसकी दलील क्या है? क्या आप यह मानते हो कि 10 साल के बाद भी आज जो आक्यूपेशनल पैटर्न रहा है वह वही रहेगा? क्या आप यह मानते हो कि आज हिन्दुस्तान में 70 प्रतिशत व्यक्ति काश्त पर गुजर करते हैं और 30 प्रतिशत दूसरे धन्धों में हैं? क्या आप यह मानते हो कि 10 साल बाद भी वही आक्यूपेशनल पैटर्न रहेगा? हम चाहते हैं कि वह घट कर 70 प्रतिशत से 50 प्रतिशत रह जाय यानी काश्त पर निर्भर करने वाले 50 प्रतिशत आदमी हो और दूसरे धन्धों में 50 प्रतिशत। यह एक विकासशील देश का मापदण्ड होता है। आज से 50-60 साल पहले अमेरिका में भी 70 प्रतिशत लोग काश्त पर जिन्दा रहते थे लेकिन आज वहां पर 15 प्रतिशत भी नहीं हैं। आज इगलैंड में मैंने कल ही पेपर में पढ़ा है कि वहां पर इम्प्रूव्ड एग्रीकलचर के तरीके से प्रोडक्शन इतना बढ़ गया है कि वहां के काश्तकारों को लोग एडवाइस कर रहे हैं कि लेजर फार्मिंग करो। इसका मतलब क्या है कि तुम्हारी जमीन पर इतना ज्यादा प्रोडक्शन होता है कि अब तुमको ज्यादा खेती की जरूरत नहीं है। इस जमीन पर तुम अपने टूरिस्ट रिसार्ट्स बनाओ और वहां पर लोगों को बुलाओ। उससे फारेन एक्सचेंज अर्न होगा। आपको खेती करने की जरूरत नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि एग्रीकलचर की टैक्नीक में आज उन्होंने इतना इम्प्रूवमेंट कर लिया है कि आज इगलैंड जैसा देश भी जहां कि जमीन कम है वहां आज देखते हैं कि कम जमीन में भी इम्प्रूव्ड टैक्नीक से वे इतना ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं कि वे कहते हैं कि लेजर फार्मिंग अख्त्यार किया जाय और वहां पर उस जमीन पर टूरिस्ट रिसार्ट्स बनाकर अपना काम करें और खेती कम करने की कोशिश करें, क्योंकि प्रोडक्शन इतना ज्यादा हो जायेगा कि उसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आक्यूपेशनल पैटर्न वही नहीं रहेगा।

मैं तो यही कहूंगा कि काश्तकार ने जिसको जमीन एलॉट की गई है उसने एक फसल पैदा कर ली है उसके बाद उसको खातेदारी मिल जानी चाहिए। साल भर बाद मिल जाना चाहिए। 10 साल की दलील मेरी समझ में नहीं आती है जो कि आपने गैर खातेदार के लिए कहा है कि उसको भी बैंक कर्जा दे सकती है अपनी जमीन के अगेन्स्ट में। वह तो ठीक है

(श्री पी. के. चौधरी)

लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आया है कि वह 10 साल तक क्यों रहे गैर खातेदार ? उसको जल्दी ही खातेदारी हक मिल जाने चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, यह भी आपने फैसला किया है पास बुक्स के डिस्ट्रीब्यूशन का जिससे खातेदार अपने राइट्स साबित कर सके बैंक के सामने और उसको आसानी से कर्जा मिल सके। पिछले सेशन में भी इस बात के लिए कहा गया था लेकिन पास बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वह बड़ी धीमी रफ्तार से चल रहा है। मैं चाहता हूं कि उसको तेज रफ्तार से किया जाय, और कम से कम एक डेट फिक्स कर दी जाय कि फलां फलां तारीख से पहले पहले जितनी भी खातेदारी टेनेन्ट्स हैं उन सबको पास बुक्स दे दी जायगी। किसी तहसील को अलग न रखें। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन की मशीनरी है वह गियर अप नही होगी और जैसी आज चल रही है उसी तरह से चलेगी। पिछले सैशन से आज तक आप जानते हैं कि कितनी पास बुक्स इस्यू हुई हैं। जब तक टार्गेट डेट फिक्स नहीं की जायगी रेवेन्यू आफिसियल्स के लिए तब तक काम पूरा नहीं करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि खातेदार टेनेन्टस को पास बुक्स देने की टार्गेट डेट फिक्स कर दी जाय, चाहे डिस्ट्रिक्टवाइज कर दी जाय या तहसीलवाइज कर दी जाय, लेकिन टार्गेट डेट फिक्स हो जानी चाहिए।

(2.54 म. प.)

(श्री कृष्णकुमार गोयल, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की बात भी इसमें कही गई है कि सरकार रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन जल्दी से जल्दी कराना चाहती है। उसमें पहले भी सरकार की तरफ से काफी पैसा लगाया गया है और उसमें संस्थागत, इन्स्टीट्यूशनल लोन्स भी उसमें काफी आये हैं रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए और बिजली के लिए। जहां पर कुओं से सिंचाई होती है वहां पर बिजली पानी के लिए क्रेज है। आज हमारे सामने प्राब्लम यह नहीं है कि पावर की कमी है। पावर की कमी नहीं है, बिजली की कमी नहीं है। प्राब्लम यह लोगों को देने की कमी है, लाइन खींचने की कमी है....

श्री जुझारसिंह : विल की कमी है Govt. does not want to give.

श्री पी० के० चौधरी : Does not want to give is not there देना तो हम चाहते हैं लेकिन वर्क मूव की कमी है, देने के तरीके की कमी है, डिटरमिनेशन नहीं है। उसको वर्क आउट नहीं करते हैं। जो बिजली एक बार खींच ली है वही रहती है। पावर की कमी नहीं हैं। हम भी जानते हैं कि जयपुर के आस पास बिजली रात में जाती है और दिन में वाल्टेज नही है। दिन में नहीं आती है वह इसलिए नहीं आती है कि हमारी जो लाइन्स है, डिस्ट्रिब्यूशन की लाइन्स हैं उनका ऑगमेन्टेशन नहीं है। पहले जहां पर 440 का करेन्ट जाता था वहां पर पांच कुए थे अब वहां पर 30 कुए हो गये तो भी वही 440 की लाइन रही है। वहां पर अब 11 के. वी. की लाइन हो जानी चाहिए। कनेक्शन तो बढ़ गये हैं लेकिन जो लाइन ले डाउन की गई है उसको करेन्ट की कैपेसिटी के मुता-

(श्री पी. के. चौधरी)

बिक चेंज नहीं किया गया है। 11 के. वी. की पहले लाइन लगाई है लेकिन आज उसकी कैपेसिटी ज्यादा हो गई है ज्यादा लोड हो गया है तो उसके साथ में उसका जो कैरियर है, जो लाइन है वह भी बदलना चाहिए। 11 के. वी. से काम नहीं होता है तो 33 के. वी. की पहुंचाई जाय और 33 से नहीं होता है तो 66 की होनी चाहिए। यह जब तक नहीं करते हैं तो आज पावर होते हुए भी जहां पर बिजली लगी हुई है वहां पर फ्यूज उड़ते हैं और वाल्टेज नहीं आता है। मैं चाहूंगा कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में यह जो दिक्कत है आगमेंटेशन की उसको दूर किया जाय।

दूसरी बात यह है, सभापति महोदय, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए कि पावर कमी नहीं है लेकिन डिटरमिनेशन की कमी है। मैं जानता हूं कि आज से 3 साल पहले ए. एस. ए. की एक स्कीम आई थी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए। उन्होने कहा था, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए वे पैसा देने को तैयार थे। उस स्कीम से राजस्थान कुछ नहीं ले पाया है। यू. पी. में वह स्कीम लागू हुई है, मैसूर में हुई है, मध्यप्रदेश में हुई है। इसमें सवाल क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि आपको देंगे, लेकिन इलेक्ट्रिकल को-आपरेटिव्ज के मारफत देंगे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन को-आपरेटिव्ज के मारफत देंगे, तो उसमें इलेक्ट्रिकल को-आपरेटिव्ज नहीं बनीं। अब जाकर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन बना है। इसमें ए.एस.ए. से 50 करोड़ और सेन्ट्रल गवर्नमेंट से 150 करोड़ लेकर वह रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन बना है। उससे भी इनको कर्जा मिल सकता है प्रोवाइडेड हम यहां पर इलेक्ट्रिकल को-ऑपरेटिव सोसाइटीज पैदा करें। यहां पर सोसाइटी भी बनाई गई है जो बेकार इन्जीनियर्स थे तो इन्स्टीट्यूट आफ इन्जीनियर्स का यहां राजस्थान के अन्दर सेन्टर है तो उन्होंने को-ऑपरेटिव बनाई और उन्होंने सरकार को रिप्रजेन्टेशन दिया कि उनकी कन्डीशन यह है और हम चाहते हैं कि सरकार हमको इनीशियल सब्सिडी दे, एकाध जीपगाड़ी दे, एकाध टेलर चाहते है और 25 हजार रुपया चाहते हैं इनीशियल स्टेज में जिससे कि 25-30 इन्जीनियर्स जो बेकार हैं वे एम्प्लायड होंगे और उसके बाद में प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना कर देंगे। उनकी को-आपरेटिव सोसाइटी के अन्डर में प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन सकती है, क्योंकि वे एक गांव को लेंगे तो उसके 30 मील के अन्दर जितने भी गांव हैं वे आ जायेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन एज ए सेल्फ सपोर्टिंग बोडी। जिस तरह से को-आपरेटिव सोसाइटी में सरकार शेयर लेती हैं उसके माफिक इसके शेयर ले लें और उसके बाद में उनको बैंक से लोन मिल सकता है और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन से भी उनको एक एक प्रोजेक्ट के लिए करोड़-डेढ करोड़ का कर्जा मिल सकता है, लेकिन उन्हें लोन लेने का तरीका मालूम नहीं है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन है।वह को-आपरेटिव्ज के मारफत अनलिमिटेड फन्ड्स आपको दे सकती है। उसके लेने का इन्तजाम आप नहीं कर सकते हैं। आप बेकार इन्जीनियरों की बात करते हैं। व्हैल क्वालिफाइड होते हुए भी मारे मारे फिरते हैं। वे क्या कहते हैं? हमने सोसाइटी बनाई है और हम चाहते हैं कि इतनी ही मदद करो। 25 हजार रुपये में एक साल में एक प्रोजेक्ट

(पी. के. चौधरी)

रिपोर्ट तैयार करेंगे और एक जीप का इन्तजाम कर दो जिससे कि जाकर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना कर आ जायं। उसके बाद बैंक लोन देती है और बैंक को यू. एस. एड देने को तैयार है। तो केवल डिटरमिनेशन की कमी है। विल की कमी-मैं कहना नहीं हूं, लेकिन डिटरमिनेशन नहीं है, उत्साह नहीं है, एन्थूजियाज्म नहीं है। यह हो सकता है कि डिपार्टमेंट रुटीन में चलता हो और नई दिशा में पैर उठाने की स्थिति में नहीं हो। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के अन्दर, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड यह कहता है कि किसी गांव के लोग, किसी एरिया के लोग वहां पर लाइन लगाने के लिए जो खर्चा आता है उसका पिचहत्तर पर्सेंट कर्ज के रूप में दे दे तो बाकी का हम लगायेंगे और पांच साल बाद साढे चार पर्सेन्ट व्याज देने के बाद कर्जा चुका देंगे। क्यों शीशरामजी, यह कहते हैं न ? कहते है। बैंक वालों से बात की तो बैंक वाले कहते हैं आप प्रोजेक्ट बनाओ। उसके बाद हमने काश्तकारों से बात की। तो बैंक वाले कहते हैं कि चलो, ग्यारह के.वी. लाइन खींच लिये जाने के लिए जितना कर्जा लगता है उस कर्ज के लिए आज स्टेट बैंक जो है, जयपुर बैंक जो है वह इतने हजार रुपये कुए के लिए देती है, हम साढ़े सात हजार बिजली के लिए देंगे एक एक कुए के लिए। वह यह कहते हैं, अब बिजली लगाने के बाद एक काश्तकार को साढ़े सात हजार नहीं चाहिए, उसका साढ़े तीन हजार में काम चलता है, वह मोटर फिट कर लेता है साढ़े तीन हजार, चार हजार में। हमने काश्तकरों से बात की। बोले, भई बैंक से बात की। उनको कहा कि बोर्ड बना दीजिये, कर्जा बोर्ड बना दीजिये, बोर्ड साढ़े चार पर्सेन्ट व्याज लेगा, वह बोर्ड का आठ पर्सेन्ट व्याज कर दीजिये, किन्तु बोर्ड कहता है कि हम साढ़े चार पर्सेन्ट देंगे, उससे ज्यादा नहीं। काश्तकार कहते हैं कि जो बैलेन्स्ड इनट्रेस्ट है, तैंतीस प्रतिशत ज्यादा है वह हम देंगे। काश्तकार बैलेन्स्ड इन्ट्रेस्ट देने को तैयार हैं, साढ़े तीन पर्सेन्ट काश्तकार देने को तैयार हैं, लेकिन पूरा लोन या कर्जा हो बोर्ड के नाम। तो बैंक देने के लिए तैयार है लेकिन यह स्कीम अमल में नहीं आती है। तो मैं कहना चाहता हूं, इन सब बातों की डिटेल्स में जाने के बजाय कि माओत्सेतुंग ने कहा You must go in details डिटेल्स में क्रिटिकल पाइन्ट को अटेन्शन नहीं देंगे तब तक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल सकता है। तो क्रिटिकल पाइन्ट्स पर अटेन्शन दीजिये, प्रेक्टिकल मैथड़ पर अटेन्शन दीजिये कम्युनिस्ट पार्टी भी कहती है : Don't bother about concepts, but concentrate on practical points, तब जो काम होता है उसमें कन्सेप्ट की बात नहीं, सीधी सी बात है, बोर्ड ने फैसला किया, प्रोजेक्ट का, जो लाइन है, उस लाइन का खर्चा गांव वाले देंगे, क्योंकि लाइन खींच देंगे और गांव वाले साढ़े चार पर्सेन्ट व्याज पांच साल में चुका देंगे, कर्जा चुका देंगे। बोर्ड कहता है पूरा खर्चा किसका हो, काश्तकार कहता है बोर्ड साढ़े चार पर्सेन्ट दे दे और बाकी का साढ़े तीन पर्सेन्ट हम देंगे। बैंक कहता है कि मंजूर है लेकिन बोर्ड को मंजूर नहीं होता है। तो पैसे की कमी नहीं है, कमी है, जैसा मा. जुझार सिंहजी कहते हैं, शायद वह ठीक कहते हैं कि विल की कमी है। प्रेक्टिकल मैथड़, क्रिटिकल पाइन्ट पर ध्यान नहीं देते है-यह कमी यदि है। जयपुर के भी आसपास के

(श्री पी. के. चौधरी)

गांव के लोग प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं और वह कहते हैं कि बैंक से लोन ले लगे, आप परमीशन दे दो। जहां हमें प्रोजेक्ट चाहिये वहां के लिए प्रोजेक्ट की पर्मीशन दे दो, बैंक से लोन ले लेते हैं, और काश्तकार है वह एडिशनल इन्ट्रेस्ट देना चाहते हैं वह ले लो। पैसा आता है, उसको लेने के लिए काश्तकार आर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं तो गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए, गवर्नमेंट को एक्सपीडाइट करना चाहिए। उसमें एक पैसे का भी खर्च नहीं आता है।

मेरा कहने का मतलब यह है कि आज रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का जो स्कोप है, वह स्कोप है और पैसा बैंक देने के लिए तैयार हैं, फिर क्यों नहीं होता है— यह समझ में नहीं आता है। होता है यह कि आप करना नहीं जानते या अटेंशन नहीं देते हैं। We don't bother about execution.

क्रिटिकल पाइन्ट पर ध्यान नहीं देते हैं इसलिए काम नहीं होता है।

सभापति महोदय, एक बात लैंड रेवेन्यू रेंट रेट के नेशनेलाइजेशन के लिए मैं कहना चाहूंगा कि गंगानगर वालों ने तो आन्दोलन कर दिया ......

श्री झुझारसिंह : आप भी करो। इसके अलावा रास्ता नहीं है।

श्री पी० के० चौधरी: साढे छः आना, आठ आना, दस आना इरिगेटेड लैंड का रेवेन्यू था वहां, लेकिन हमारे जयपुर जिले में चाही जमीन का चौदह रुपये है, बाइस रुपये है। और भी इलाके हैं, इस बात का आन्दोलन हो जाय तो इस बात को मान लिया गया कि नौ रुपये, दस रुपये इरिगेटेड लैंड पर लगान बहुत है लेकिन जहां लोग आन्दोलन नहीं करते हैं वहां चाही जमीन पर चौदह रुपये, बीस रुपये, बाइस रुपये लगान लेते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि जो लैंड रेवेन्यू की रेट्स हैं उनका इस सरकार को रेशनेलाइजेशन करना चाहिये, इक्वेलाइज करना चाहिये। गंगानगर में आठ आना या तीन रुपये होता है और वहां इरिगेटेड लैंड का तीन रुपया होता है तो चाही का डेढ रु. कर दो, दो रुपये कर दो · ·

श्री झुझारसिंह : हम से डेढ सौ रुपये लेते है लिफ्ट का पर एकड़।

श्री मूलचन्द डागा : कहां ?

श्री पी० के० चौधरी : मैं चाहूंगा कि समाजवाद की तरफ जाना तब कम से कम इक्वल ट्रीटमेंट प्रान्त के रहने वाले नागरिकों को, जो अलग अलग जिलों में रहते हैं, मिलना चाहिये। उदयपुर में भी रेंट रेट ज्यादा है, वहां चौदह रुपये से अठारह रुपये है। यह चुप बैठे हैं, यह चाहते हैं · ·

श्री झुझारसिंह : यह हमेशा चिल्लायेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : सब को आवाज तेज करनी चाहिये।

श्री पी० के० चौधरी : इसलिए लैंड रेवेन्यू की रेट इक्वल करनी चाहिये। गंगानगर में छः आना, इरिगेटेड जमीन की रेट आठ आना है, लेकिन जयपुर में चौदह रुपये से बाइस रुपये है, उदयपुर में बाइस से चौबीस हैं चाही जमीन की रेट– यह इन्साफ

(श्री पी. के. चौधरी)

नहीं है। इट इज नो समाजवाद। समाजवाद पहले लैंड रेवेन्यू रेट में आना चाहिये। गंगानगर के साथी यहां हैं नहीं, सब चले गये भाषण देकर। मैं निवेदन करना चाहता हूं······

श्री जुझारसिंह : सरकार का कायदा यही है।

श्री पी० के० चौधरी : उन्होंने तो आन्दोलन कर दिया, लेकिन आन्दोलन नहीं करना चाहते, वह अपनी आवाज बुलन्द कर रहें है, उनकी आवाज आपको सुननी चाहिए।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि माननीय सदस्य राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन कर रहे हैं या आलोचना कर रहे हैं ?

श्री पी० के० चौधरी : समर्थन कर रहा हू। समर्थन का मतलब यह है नहीं कि जो कमी है वह नहीं कहूं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आज का जमाना कॉन्शस का है। जो भावना अन्तर के अन्दर है, वह जबान पर आनी चाहिये।

श्री सभापति : मध्यम मार्ग है।

श्री पी० के० चौधरी : मैं विपक्ष के नेता महोदय को अर्ज करना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद होता है और जो धन्यवाद प्रस्ताव की बिगनिंग होती है— इन दोनों में यह मौका मिलता है कि जो बात सही है उसको सही कहना चाहिए और जो सही नहीं है उसको सही नहीं कहना चाहिए······

एक माननीय सदस्य : शाबास !

श्री पी० के० चौधरी : इस बात को कहने का मौका है। लेकिन जब अभिभाषण के ऊपर कहते हैं तो उस बात पर चुप रहते हैं·········

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : कहिये, कहिये।

श्री पी० के० चौधरी : हमने कहा कि हर व्यक्ति को जमीन देने का फैसला है वह समाजवाद की तरफ बहुत बड़ा कदम हैं।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : जो लोग ट्रेसपास करते हैं उनको तो रेगुलेराइज कर देते हैं और जो लोग चुप बैठे हैं उनके लिए कुछ नहीं हो रहा है।

श्री पी० के० चौधरी : मैंने यही बात आपसे कही। आप भी कहें।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : जो लोग कानून तोड़ते हैं उनको सब तरह से माफी है, लेकिन जो कानून नहीं तोड़ते हैं, शांत बैठे हुए हैं, वह परेशान हैं।

श्री पी० के० चौधरी : यह बात रेवेन्यू मिनिस्टर से पूछो। मैं यही कह रहा हूं। आपने क्या सुना ? मैंने यही कहा कि गैरखातेदार दस साल तक रहने का रीजन क्या है ?

श्री मदनसिंह : यह समझ रहे हैं कि फैसला आप दे रहे हैं।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : मेरी मन्शा यह है कि जो लोग कानून को तोड़ते हैं उन को रेगुलेराइज करते हैं। लेकिन जो लोग बिना कानून तोड़े ईमानदारी से बैठे हैं उन को कुछ नहीं मिलता है।

श्री पी० के चौधरी : मैं सहमत हूं। मैंने कहां डिफर किया ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री पी० के० चौधरी : मैंने यही कहा

श्री सभापति : आपसमें बात नहीं करें।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : आपसमें बात नहीं कर रहे हैं।

श्री पी० के० चौधरी : जो ट्रेसपास करते हैं उनका रेगुलेराइज हो जाता है, और रेगुलेराइज कब्जा जिनके पास है, सरकार से जमीन जो लेते हैं, ऐसे जो हरिजन आदिवासी हैं उनको दस साल तक खातेदारी नहीं मिली इसका क्या मतलब है ? क्यों नहीं मिली दस साल तक खातेदारी ? मैं चाहता हूं कि जो समाजवाद का नक्शा है, हिन्दुस्तान का नक्शा हम वह देखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारा हिन्दुस्तान सत्तर प्रतिशत काश्त के ऊपर निर्भर करें। राजस्थान की 70 परसेंट 80 परसेंट पापुलेशन को एग्रीकल्चर पर डिपेन्ड रखा है, यह हम नहीं चाहते, इस वजह से हम डेवलप नहीं कर पाये हैं. . .

श्री परसराम मदेरणा : तो फिर क्या करें ?

श्री पी. के. चौधरी : दूसरे धंधों पर जायेंगे। आपको कोई भी विकासशील देश ऐसा नहीं मिलेगा, जहां 70 परसेंट पोपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेन्ड करती हो। कम से कम लोग एग्रीकल्चर में रहेंगे और दूसरे धंधों में जायेंगे वह देश प्रोसपरस होगा, वह देश डेवलप करेगा। कम से कम लोग एग्रीकल्चर पर डिपेन्ड करें और ज्यादा से ज्यादा लोग दूसरे उद्योग धंधों में इन्डस्ट्रीज में जायें, यह इकोनोमी का बेसिक उसूल है। राजस्थान का नक्शा आज आपके सामने है। 20 साल बाद भी जहां का किसान एग्रीकल्चर पर जिन्दा रहे, 70 परसेंट पोपुलेशन एग्रीकल्चर पर जिंदा रहे तो मैं राजस्थान को समृद्धिशाली नहीं मान सकता, प्रोसपरस नहीं मान सकता। राजस्थान प्रोसपरस, समृद्धिशाली तभी बनेगा जबकि यहां की 20 परसेंट या 30 परसेंट पोपुलेशन एग्रीकल्चर में रहेगी और बाकी की 70 परसेंट, 80 परसेंट पोपुलेशन इन्डस्ट्रीज में, दूसरे उद्योग धंधों में जायगी। देट इज दी पिक्चर ऑफ प्रोसपरस राजस्थान। इसलिये मैं कहता हूं कि 10 साल का काश्त करने का जो आपने रखा है यह कोई उसूल नहीं है।

रेशनेलाइजेशन ऑफ रेंट रेट्स के संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के किसी हिस्से में भेदभाव नहीं रखना चाहिये गवर्नमेंट को इस बात पर ध्यान देना चाहिये। 20 साल बाद सेटलमेंट की तारीख आयेगी तब सेटलमेंट करेंगे यह गलत तरीका है। मुख्य मंत्री ने ऐलान किया, मैं तो कहता हूं सेटलमेंट का तरीका ही गलत है, इसको बदलना चाहिये, राजस्थान की हर डिस्ट्रिक्ट उसमें आनी चाहिये ताकि हर डिस्ट्रिक्ट के लोगों को महसूस हो कि हमारे साथ न्याय हो रहा है। मैं यह चाहता हूं कि सरकार केबिनेट में यह फैसला करे, विदाउट

(श्री पी० के० चौधरी)

सेटलमेंट प्रोसीडिंग्स हर जिले की रेंट रेट तय करे तो इक्विलाइजेशन तो हो। आन्दोलन कर लो और 8 आना रेट देना चाहते हैं, चाही लैंड का 8 आना रेंट देना चाहते हैं, इर्रिगेटेड लैंड का, नहरी लैंड का 8 आना रेंट देना चाहते हैं, जहां हम इर्रिगेटेड लैंड का 14 रुपया और 20 रुपया रेंट देते हैं।

श्री विजयसिंह (मकराना): आपने इतनी जमीनें दबाई क्यों? जो इतना देना पड़ता है।

श्री मदनसिंह: कोई तथ्य की बात कहें यह तो हम सब जानते हैं।

श्री पी. के. चौधरी: एक बात मैं यह कहना चाहूंगा कि गवर्नर के भाषण में इकोनोमी के हर पहलू को टच करना चाहिये था वह नहीं किया गया है। एक बात मैं महसूस करता हूं कि इसमें कम से कम हमारी आज सोशियल सर्विसेज हैं, एज्यूकेशन और हैल्थ है, उस सम्बन्ध में किसी प्रकार का रेफरेंस अभिभाषण में नहीं मिला। राजस्थान की इन्डस्ट्रीज के सम्बन्ध में, इन्डस्ट्रियल डेवेलपमेंट के सम्बन्ध में कोई जिक्र नहीं किया गया। अनएम्प्लोयमेंट के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया जबकि अनएम्प्लोयमेन्ट राजस्थान में बड़ा सीरियस रूप धारण कर रहा है। मैं कहूंगा कि दो साल से सिर्फ राजस्थान में ही नहीं सभी जगह इन्डस्ट्रीज में न्यू इन्वेस्टमेंट नहीं के बराबर है, इसीलिये यह अनएम्प्लोयमेंट है। तो इन्डस्ट्रीज में यह इकोनोमिक शैथिल्य आया है, उसके लिये इमर्जेन्सी स्टेप होना चाहिये जिससे कि इन्डस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ सके। आज यहां इन्डस्ट्रियल एक्टिविटी का यह हाल है कि जो लोग छोटे छोटे कारखाने लगाते हैं, इन्डस्ट्रीज लगाते हैं आज उनको स्टील नहीं मिलता है, स्टील प्लेट्स नहीं मिलती है। स्टील की प्राइसेज जो पहले 800 रुपया टन थी वे आज ढ़ाई हजार रुपया टन, साढ़े तीन हजार रुपया टन हो गई हैं, फिर भी शोर्टेज रहता है। इसलिये मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार सेंटर का भी ध्यान इस तरफ आकर्षित करे ताकि हमारे यहां छोटे छोटे कारखाने लगें। आज हमारे यहां जितनी इन्डस्ट्रीज हैं, जितने कारखाने हैं उनको रॉ-मेटिरियल नहीं मिलता है, जो मिलता है तो 800 रुपया टन की जगह ढ़ाई हजार रुपया, साढ़े तीन हजार रुपया टन के हिसाब से मिलता है। दो सौ, डेढ़ सौ रुपया पर टन गवर्नमेंट ने फर्स्ट जनवरी से घटाया है पर शोर्टेज है, शोर्टेज इस वजह से रही है कि हमारे जो स्टील प्लान्ट्स हैं उनमें केपेसिटी के माफिक प्रोडक्शन नहीं होता है, हमारे पब्लिक सेक्टर में प्लान्ट्स हैं वे 60 परसेंट केपेसिटी पर ही काम कर रहे हैं। इन्डस्ट्रीज आज ज्यादा से ज्यादा खुले, उनको उनकी जरूरत के माफिक रा-मेटिरियल मिलता रहे, वे अच्छी तरह से काम कर सकें, इस तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

हमारे यहां की सीमेंट इन्डस्ट्री का डेवलपमेंट ठीक नहीं है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले सीमेंट के कन्ट्रोल को तोड़ने का ऐलान किया पर दिसम्बर में सीमेंट के कन्ट्रोल को चालू रखने का निर्णय लिया है। पहले मार्च में सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि सीमेंट के कन्ट्रोल को फर्स्ट

(श्री पी० के० चौधरी)

जनवरी से खत्म कर दिया जायगा पर फिर दिसम्बर में फैसला किया कि सीमेंट के कन्ट्रोल को नहीं तोड़ा जायगा, इसको चालू रखा जायगा। इसकी वजह यह है कि सदर्न स्टेट्स में एक मिलियन टन सीमेंट का सरप्लस होता है। हमारे यहां की सीमेन्ट इन्डस्ट्रीज इसलिये डेवलप नहीं होती कि सदर्न स्टेट्स का सरप्लस सीमेंट हमारे यहां आ पड़ता है, उनकी रेट्स वही रहती हैं, इसलिये सीमेंट का डि-कन्ट्रोल नहीं हुआ, इससे राजस्थान की, नोर्दर्न इण्डिया की सीमेंट इन्डस्ट्रीज के डेवलपमेंट में बड़ा इफेक्ट होता है। सदर्न स्टेट्स ने सेन्ट्रल गवर्नमेंट पर प्रेशर डाला। अप्रेल में सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि फर्स्ट जनवरी से सीमेंट का डि-कन्ट्रोल कर रहे हैं पर सदर्न स्टेट्स ने प्रेशर डाला तो डि-कन्ट्रोल नहीं किया। फ्रेट पुलिंग की वजह से साउथ का सीमेंट यहां आकर उसी रेट पर बिक जाता है अगर फ्रेट पुलिंग को खत्म कर दिया जाय तो साउथ का सरप्लस सीमेंट यहां आकर नहीं बिक सकता। इसलिये राजस्थान सरकार को मांग करनी चाहिये कि फ्रेट पुलिंग को समाप्त कर दिया जाय, यह फ्रेट पुलिंग खत्म होना चाहिये तभी हमारे यहां की सीमेंट इन्डस्ट्रीज डेवलप हो सकती हैं। आज सीमेंट सरप्लस है। कन्ट्रोल उसका होता है जिसकी कि स्केरसिटी हो, पर सीमेंट सरप्लस है। आज जो सीमेंट सरप्लस है इसका एक और कारण है वह यह है कि स्टील प्रोडक्शन पूरा नहीं होता है तो सीमेंट का भी युटिलाइजेशन कम हो जाता है, क्योंकि इन दोनों का कन्जम्प्शन एक दूसरे से को-रिलेटेड है। सदर्न स्टेट्स की सीमेंट फैक्टरीज हैं उनको फायदा हो रहा है फ्रेट पुलिंग से, इसलिये हमारी स्टेट कहे कि फ्रेट पुलिंग को खत्म कर दो ताकि हमारे यहां की सीमेंट इन्डस्ट्रीज डेवलप कर सकें।

सभापति महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। पिछले साल हमारा जयपुर जिला अकालग्रस्त था तो कुछ काम हुए थे। सड़क फड़क का काम शुरू कर दिया था, वे 80 परसेन्ट काम हो गये पर 20 परसेन्ट बाकी पड़े हैं। आपकी सरकार का फैसला है कि जहां फेमिन एरिया है वहीं काम करेंगे। मैं कहूंगा कि इनकम्प्लीट वर्क्स चाहे फेमिन डिक्लेअर हो गया हो या नहीं हो गया हो, जो 80 परसेन्ट वर्क हो गये हैं उनको फेमिन डिक्लेअर नहीं हो तो भी पूरा करवाया जाय। एक बात मान कर चलना होगा कि खरीफ की फसल हमारे यहां अच्छी नहीं हुई, जो होशियार होते हैं वे खराब दर्ज करवा लेते हैं।

श्री आइदानसिंह (भीनमाल): फेमिन का पैसा जो वर्स्ट इफेक्टेड एरियाज हैं वहीं लगाने दीजिये, क्योंकि वे वर्स्ट इफेक्टेड हैं।

श्री पी० के० चौधरी : तो मैं निवेदन कर रहा था कि पिछले साल में फेमिन में 58 करोड़ खर्च हुआ। उनमें से 30 करोड़ या 10-15 करोड़ के ऐसे काम थे जो आप ने इसलिए नहीं लिए। चाहे सड़क हो या कोई दूसरा काम हो। ये जो 15-20 करोड़ के वर्क्स हैं, आपने लागत लगाई है, वह बेकार जाती है, बरबाद हो जाती है। इसलिए इस साल जिन जिलों में फेमिन डिक्लेयर नहीं किया है, उन जिलों में लास्ट ईयर फेमिन वर्क्स थे जो कम से कम 70-80 प्रतिशत जैसे सड़कें, तालाब हुए, उनको पूरा करना चाहिए। यह फैसला सरकार

Page No 104

(श्री पी० के० चौधरी)

को करना चाहिए। आपको 58 करोड़ और मिले हैं, उनमें से कुछ ट्रान्सफर करके इनकम्प्लीट वर्क्स को पूरा करें।

श्री परसराम मदेरणा (अकाल सहायता मन्त्री) : 58 करोड़ कौनसे ?

श्री पी० के० चौधरी : अभी अभी फेमिन के लिए मिले है।

श्री परसराम मदेरणा : पिछले साल में था। That is an adjustment only.

श्री पी० के० चौधरी : जो चौथी योजना है, कम से कम उसे फाइनेलाइज करने से पहले उस पर सदन में पहले विचार होना चाहिए। आप कहेंगे कि कैसे विचार करें, हमारे रिसोसिज इतने नहीं हैं। 302 करोड़ या 316 करोड़ हों, क्वान्टम तय करने के लिए नहीं, कम से कम प्रायरिटीज तय करने के लिए कि किस मद में, किस सेक्टर में कितना खर्चा करें, उसकी प्रायरिटीज के बारे में सदन से राय लेनी चाहिए। चाहे 313 करोड़ या 316 करोड़ चाहे 302 करोड़ हो, कम से कम सदन में एक बार डिस्कस हो जाय ताकि सदन की राय प्रायरिटीज के सम्बन्ध में जान सकें। इन शब्दों के साथ मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदय, हम लोकतांत्रिक समाजवाद के लिए वचनबद्ध हैं और हमने एक मंजिल पार करली है और कांग्रेस उस मंजिल पर जाकर पहुंच रही है

श्री मदनसिंह : अब तीन टुकड़े और होने वाले हैं।

श्री मूलचन्द डागा : यह उग्रगामी नीतियों का पालन करके बिखर जायगा, यह निर्णय कर लिया और कांग्रेस इतनी आगे बढ़ चुकी है और उन निर्णयों के क्रियान्वित करने का भी उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया है। देश के अन्दर जितने दल हैं, कांग्रेस के बढ़ते हुए चरण और प्रगति की चरणों को देखकर बोखला उठे हैं और समाजवाद ...

श्री विजयसिंह : माननीय सदस्य कौनसी कांग्रेस की ओर से बोल रहे हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : समाजवाद ऐसी चीज है जिसके लिए पार्टी कहती है पटना में जनसंघ ने समाजवाद की बात की, स्वतंत्र पार्टी भी यह बात करती है और भी दल एक प्रकार से समाजवाद की बात करते हैं। समाजवाद एक मुखोटा है जो हरेक चेहरे पर फिट करता है। कांग्रेस आगे कदम उठा रही है और निर्णय किया है कि लोकतन्त्र को घर घर पहुंचाया जाय, लोकतन्त्र केवल चौधरियों और धनवान लोगों के पास नहीं रहे, लोकतन्त्र केवल वह चीज नहीं रहे कि कुछ लोगों के पास जमा हो लेकिन गरीब के पास जो गांव में छोटे आदमी हैं, जो जमीन लेकर बैठे हैं, जो कारीगर हैं, उनके मकानों तक पहुंचाया जाय, इसलिए हमने सोचा है हम चाहते हैं कि आर्थिक आजादी कायम हो और आर्थिक आजादी का कार्यक्रम यह हमने अपने राज्यपाल महोदय के भाषण में पेश किया है। भाषण छोटा है लेकिन उसमें वह कदम उठाया गया है जिस के कारण हमारा लोकतान्त्रिक समाजवाद

(श्री मूलचन्द डागा)

टिका रहेगा और यह आशा है। आने वाले समय में छोटे भाषण का एक मकसद है। हमें निर्णय करना है कि नारेबाजी की सीढ़ियों से आगे बढ़ें। वह चरण खतम हो चुका है। कुछ लोगों पर छोड़ दिया है कि नारेबाजी की बात करें। हमलोगों ने केवल छोटा भाषण देकर यह बताने की कोशिश की है कि समाजवाद का कदम हर किनारे तक, छोटे छोटे तबके के लोगों तक पहुंचाया जाय और इस तरह की बातें उन्होंने अपने भाषण में कही हैं। इसलिए सबसे पहला जो कदम हमने उठाया है और बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है वह यह कि हम 5 एकड़ और 15 एकड़ तक जो सिंचित और असिंचित भूमि है, उसकी राज्य सरकार गरन्टी देगी। आज समय है हमने कुछ काश्तकारों को जो ग्रामीण हैं, हमारे गोकुल-प्रसादजी कहते हैं कि जो गांवों में धनवान लोगों के हाथ में टिके हैं, जो सरपंच होते हैं उनके हाथों में टिके हैं राज्यपाल ने उनके 5 एकड़ तक सीमा निर्धारित की है। सरकार ने गैरंटी दी है कि जो काश्तकार अपनी छोटी से छोटी जोत रखते हैं, कम से कम जोत रखते हैं, उनको भी कर्जा दिया जायगा और उसकी गैरंटी सरकार देगी और सरकार ने अपनी लिमिट रखी है कि इतने करोड़ तक गैरंटी देगी और उस काश्तकार को केवल सम्पत्ति के आधार पर लोन नहीं दिया जाना चाहिए और लोकतंत्र में मनुष्य के काम की शक्ति बढ़ गई है हमने तय किया है कि जिसके पास केवल सम्पत्ति है उस पर लोन नहीं मिलेगा। जिसके पास केवल दौलत है उसको नहीं मिलेगा लेकिन जो काम करते हैं, परिश्रम के द्वारा उनको लोन दिया जायगा।

(3.28 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

गैरन्टी सरकार देती, यह क्रान्तिकारी कदम है। लोग कहते हैं कि छोटी जोतों पर लोन नहीं मिलेगा। जिन लोगों के पास भूमि कम है, उनको भी लोन दिया जायगा। सीमा रखी है 5 एकड़ तक और 15 एकड़ तक। इससे उनको राहत मिलेगी।

सबसे बड़ा काम यह भी हुआ कि गैर-खातेदार को, जैसे मैंने कहा बम्बई अधिवेशन के बाद जो एक मन्जिल पर पहुंचे, हमारा दृष्टिकोण बदल गया है, हम तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं और हमारे बढ़ने से एस. एस. पी. व बी. के. पी. डी. जैसे दल सोच रहे हैं कि वे पीछे पड़ गये हैं। उनके पास यही काम रह गया हैं कि शासन की सत्ता कैसे प्राप्त की जाय। इस प्रकार के जो दल हैं, उनका मुखोटा और चेहरा सामने आ गया है। हम आज एक बात कहना चाहते हैं कि हम गरीबी खतम करेंगे। गरीबी के आधार पर लोकतंत्र कायम नहीं रहेगा। इसलिए गरीबी खतम करने का जो कदम उठाया है, उस कदम को पार करने का तरीका लिया है। वह यह कि निश्चित समय टायम बाउंड प्रोग्राम्स बनेंगे। मैं अपने दल की उपलब्धियों का जिक्र नहीं करता हूं। हमारी नीति नहीं है कि उप-लब्धियों की तारीफ करूं, यह हमारी तहजीब के खिलाफ है। हम यह नहीं कहना चाहते कि हमने यह यह प्राप्त कर लिया। राज्य में ज्यादा बिजली प्राप्त हुई, गरीब के यहां बिजली पहुंची हो, उद्योग बढे हों। हम उस मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं कि लोकतंत्र टिक जावेगा और उस आस्था को रखते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं।

(श्री मूलचन्द डागा)

पहली बात, गैरखातेदार को लोन मिलने का प्रश्न था, अध्यादेश निकला। एक प्रगतिशील कानून था। गैरखातेदार थे उनको बैंक लोन नहीं देना चाहते थे उनको लोन मिलने लगा है। एक बहुत बड़ा कदम सीलिंग का हुआ। हमने पहले कहा कि हम चाहते हैं कि गरीब से गरीब आदमी, जो पिछली पंक्ति में खड़ा है, समाज में पिछड़ा हुआ है, वह लोकतन्त्र में हिस्सा अदा करें। उन लोगों के साधनों पर रोक लगाई जिनके पास बड़ी 2 जमीनें हैं, सीलिंग का था उसमें भी एक संशोधन पेश करने की घोषणा की। क्या यह समझ में नहीं आ सकता है ? उस कानून के अन्तर्गत जिन लोगों ने भूमि-हीनों को जमीन दे दी उनको तो कहा गया ठीक है लेकिन जिन लोगों ने ट्रान्सफर कर दी उन पर सीलिंग लागू रहना चाहिये, कितनी जमीन दे दी हैं उसमें वंचित करना चाहिये। अपने कोटे में से जमीन दे दी तो उससे भी वंचित करना चाहिये। एक बड़ा कदम होगा। जिन्होंने जमीन ट्रान्सफर कर दी सीलिंग एक्ट लागू होने के बाद, जिन्होंने मुआवजा ले लिया, सरकार उनसे वापिस मुआवजा ले और सरकार उसके खिलाफ कार्यवाही करे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या पोजिशन है ट्रान्सफर की लीगली।

श्री मूलचन्द डागा : एक बात जो हमारे मित्र कह रहे थे जो भूमि ट्रान्सफर कर दी गई है, जिसको सेल कर दिया गया है और भूमिहीनों को सेल की गई है उसको लीगेलाइज कर दी गयी है या मान ली जावेगी। जिन लोगों ने भूमि ट्रान्सफर कर दी उन लोगों की मानी जाय सीलिंग कानून की अवहेलना की उनसे और जमीन ले ली जाय। मेरा यह कहना है। रेगुलेराइजेशन के माने में, हिन्दुस्तान में राजस्थान भूमि सुधारों के माने में देश में सबसे आगे रहा है। टिनेन्सी एक्ट ही नहीं, जितने कानून भूमि सुधारों के बारे में पास किये हैं, इम्प्लीमेन्टेशन का सवाल जरूर कमजोर रहा हो, उसको मैं मानता हूं, भूमि सुधारों के लिए जो कानून निकले सैक्शन 15 के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार दिये गये, सैक्शन 19 के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार दिये गये। (किसी माननीय सदस्य के आपस में बात करने पर)···आप कृपया आपस में बात न करें। सैक्शन 15 के अन्दर जो खातेदारी अधिकार दिये गये हैं, तो 5,37,642 को आज तक खातेदारी के अधिकार दिये गये हैं।

एक माननीय सदस्य : सीलिंग को तो और बढ़ाना चाहिये।

श्री मूलचन्द डागा : बड़े बड़े काश्तकार हैं उनको बताना चाहता हूं। यदि जमाने के साथ आप नहीं बदले तो जमाना आपको बदल देगा। आप खूब जमीन जुतवायें और एक गरीब अपनी झोंपड़ी में बैठा रहे और तड़फता रहे यह नहीं होगा। उन लोगों की चौधराहट को खत्म करना होगा। समानता लानी होगी। जो निर्धनता है, कंगाली है उसको खत्म करने के लिए कदम उठाना होगा। इसलिए कांग्रेस को दृढ़ता के साथ इस कानून को लागू करना होगा। बड़े बड़े फार्म लेकर जयपुर में घूमते रहें, काम न करें, वाइट कालर पहन कर बातें करें···

श्री मदनसिंह : इधर नहीं उधर।

श्री मूलचन्द डागा : भूमि का बंटवारा सही तरीके से होगा। कांग्रेस ने वादा किया है वह पूरा करेगी। कांग्रेस ने जो निर्णय लिया है, जो पार्टी कहती है वह करेगी वरना कांग्रेस ने अपने आप बिखरने का भी निर्णय ले लिया है।

मैं सेक्शन 15 की बात कर रहा था उसके अन्तर्गत 5, 37, 642 को खातेदारी दी है। सेक्शन 19 में कम से कम 1, 99, 505 आदमियों को खातेदारी दी है।

श्री मदनसिंह : इसमें गरीब कितने हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : सेक्शन 15 और 19 के अन्दर वे ही लोग हैं जो सब टिनेन्ट गैरखातेदार हैं उनको भी खातेदारी मिली है और खातेदारी मिलने के साथ साथ सरकार ने आज तक कितनी भूमि का आवंटन किया। एक आंकड़ा बताना चाहता हूं, सचाई की बात कहनी चाहिये और बार बार कहते हैं कि कुछ नहीं किया, जो कुछ काम होता है उसकी बाबत आंकड़े देना चाहिये। लाखों एकड़ भूमि आवंटित की गई नियमों और कानूनों के अन्तर्गत। एक आंकड़ा उपलब्ध है उसके अनुसार 66 में अनुसूचित जाति को एक साल में 13, 883 आदमियों को भूमि का आवंटन किया गया। सवर्ण-जनों को 7,541 लोगों को। यह बताना चाहता था कि राजस्थान भूमि सुधारों में अग्रणी रहा है। राजस्थान ने सेक्शन 15 के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार दिये हैं और 19 के अन्तर्गत दिये हैं और रेगुलेराइजेशन का कानून जो बार बार कहते हैं, विनियमित करने का कानून बना है, हिदायतें बनी है वे कितनी जरूरी थी और वे किसलिए बनी इसके लिए कहना चाहता हूं। लोग कहते हैं कि जो लोग अतिक्रमण करते थे उनको फायदा दे दिया। मेरी समझ में जो कानून के जानने वाले हैं, नियमों का जिन्होंने अध्ययन किया है वे इस प्रेशर की बात नहीं कहेंगे। कानून की बारीकियों में जाना चाहिये और पढ़ना चाहिये। उन्होंने कहा कि भूमिहीनों को विनियमित करना चाहिये, 57 में रूल्स बनें। अलॉटमेंट कमेटी उन लोगों को भूमि विनियमित करेगी जो भूमिहीन है—काश्तकार जिसके पास भूमि नहीं है। विनियमन के कानून समय समय पर बने। सबसे पहले जिन धाराओं के नीचे सरकारी भूमियों का नाजायज कब्जा विनियमित करने के लिए 62 में कानून निकला, 62 में कानून निकाल कर 66 में कानून निकला और इस प्रकार कन्टीनियुअस यह बताया। बंगाल में जिन लोगों ने भूमि छीन ली जहां पर मार काट हुई, हत्याएं हुई, केश आप लूटली गई शांति भंग हुई और जनतन्त्र खतरे में पड़ गया। राजस्थान में एक ओर भूमि को हम विनियमित करने जा रहे हैं नियमों के अन्तर्गत ··

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा सु.) : आपने जो भूमि के अधिकार दिये हैं जिन लोगों के पास पहले से ही भूमि है उनको रेगुलेराइज कर दिया है। आपका कानून ही गलत है। ऐसे 3 लाख के क़रीब लोग हैं जिनके पास भूमि होते हुए भी और भूमि देकर उनको रेगुलेराइज कर दिया है। आप जहां बंगाल का हवाला दे रहे हैं अगर आपने इसी तरह की बातें कीं तो बंगाल जैसा यहां पर भी हाल होते देर नहीं लगेगी।

श्री मूलचंद डागा : कानून के दायरे में हमने लोगों को भूमि देने के नियम बनाये हैं। उसमें शिड्यूल्ड कास्ट वाले लोगों को भी काफी जमीन मिली हैं। अगर आप यह कहते है कि

(श्री मूलचन्द डागा)

कई लोगों ने कानून के विरुद्ध भी जमीनें दबा ली हैं तो मैं आपको कहना चाहूंगा आप ऐसे मामले मेरे सामने लायें तो उनका मुकद्दमा फ्री लड़ूंगा।

श्री डूंगाराम राजोरिया : आप कानून की बात करते हैं। वे लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने को भूंगड़े तक नहीं हैं, वे क्या कानून की बातें जानें।

श्री मूलचन्द डागा : आप जिस क्षेत्र से आते हैं अगर उस क्षेत्र के लोगों में अनियमित तरीके से भूमि का आवंटन कर दिया गया-है, विनियमित करते समय मौजूद नहीं थे तो यह बात आपको ध्यान में लानी चाहिये। आज भी राज्य सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही कर सकती है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : आप कानून की बातें करते हैं आपके कानून को मानता कौन हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : आज भी आप राज्य सरकार के सामने इस प्रकार की बातों को रख सकते हैं। कलेक्टर के सामने इन बातों को लिखकर दे दीजिये जिन लोगों के पास भूमि थी और उन्होंने ले ली और उसको विनियमित कर दी है।

श्री उपाध्यक्ष : अब तो आपके सामने ही देना काफी रहेगा।

श्री मूलचन्द डागा : इस प्रकार से लाखों बीघा भूमि विनियमित कर दी है मैं कहना चाहता हूं इसका आधार होना चाहिये।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : मूलचन्दजी ! आप कानून की बातें करते हैं। ऐसे ऐसे आदमी भी हैं जिन्होंने 400 मुरब्बों पर कब्जा कर रखा है मैं आपको आंखों से बता सकता हूं तब तो आप मान जायेंगे ? आप मेरे साथ चलें और /लडढा साहब को भी आप साथ ले लें मैं आपको वह जगह बता दूंगा।

श्री देवीदत्त गाडिया : वह कौन सा आदमी है।

श्री रामचन्द्र आर्य : सरकार को पोषण देने वाला है वह। नाम भी समय पर बता दूंगा।

श्री मूलचन्द डागा : मैं किसी के तानाकशी करने पर या गालियां देने पर भी गाली नहीं देना चाहता। रामचन्द्रजी विधायक हैं वे कहते हैं किसी के पास 400 मुरब्बा तक है। जहां आपने सत्याग्रह करना सीखा है, जहां आन्दोलन किये है, वहां आप ऐसे आदमी के प्रति भी कुछ कर सकते थे। आपने कोई कदम उठाया है ?

श्री मदनसिंह : इस बारे में हजारों दफा असेम्बली में कहा है उसका क्या हुआ हैं।

श्री मूलचन्द डागा : आप लोग जान-बूझ कर लोगों को उकसाते हैं। जो नियम बने हुए हैं उन नियमों के अन्तर्गत भूमिहीनों को जमीन पर अधिकृत किया जा सकता है और उस आधार पर विनियमित करने का अधिकार है। जो भूमिहीन नहीं है उनको विनियमित करने का अधिकार नहीं है, उनको नियम इजाजत नहीं देता। टिनेन्सी एक्ट की तहत ....

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या कानून यह इजाजत देता है क्या कि जिनके पास पहले से जमीन है और उनको फिर जमीन मिल जाय और उसको विनियमित कर दिया जाय ? इसकी कानून इजाजत देता है क्या ?

श्री मूलचन्द डागा : राजस्थान सरकार ने भूमि सुधारों की बाबत जो कदम उठाये हैं वे देश में किसी भी राज्य से पीछे नहीं है। एक बात अब भी मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं। तीन एकड़ तक भूमि पर लगान की माफी दे दी है सरचार्ज की माफी दे दी है मैं चाहता हूं कि इसकी सीमा बढ़ा कर पांच एकड़ तक कर दी जाय।

इसके अलावा सिंचाई के जो सोर्सेज हैं जिनसे काफी भूमि सिंचित होती है उन जगहों पर जहां पर एक फसल को पानी मिलता है दूसरी को नहीं। तो ऐसे बान्ध जिनमें पिलायी होती है वे बान्ध खाली रह जाते हैं उसकी बाबत में हमारी राय है जैसा कि मेरे से पूर्व बोलने वाले मेरे साथी श्री पी. के. चौधरी ने सुझाव दिया है उसके बाबत, उसकी रेट्स की बाबत नये तरीके से विचार करना चाहिये।

मेरे पाली के अन्दर हेमावास का बान्ध है जहाँ जमीन चाही की रेट दो रुपया है और बारानी की रेट 6 आना है। यह जो इस प्रकार से रेट्स की भिन्नता है उसके बारे में सोचना चाहिये।

इसके साथ साथ मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान सरकार रेट्स को रिवाइज करने की बात सोच रही है। इसके लिये मेरा निवेदन है कि जिन लोगों के पास अच्छी भूमि है, उपजाऊ भूमि हैं, सिंचित है, जो ज्यादा लगान दे सकते हैं उनकी रेट बढ़ानी होगी अगर देश को आगे लेजाना है तो। देश की विकास योजनाओं में बढ़ोत्तरी हो इसलिये यह आवश्यक है। जिन लोगों के लिये देश का पैसा खर्च होता है और जिनको अधिक लाभ मिलता है उनको चाहिये कि वे सहर्ष अपना योगदान करें नहीं तो हमारे राज्य के वित्तीय साधन और कमजोर हो जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस प्रकार की स्थिति है उसमें देखा यह गया है कि जो लोग अपनी आवाज को बुलन्द कर सकते हैं अपनी बात को और जोर शोर से या आन्दोलन के जरिये रख सकते हैं उनकी बात को तो मान लिया जाता है चाहें वे उचित भी हो या न हो। लेकिन जो बोलते नहीं, चुपचाप राज्य को अपना सहयोग देना चाहते हैं उनके बारे में कुछ विचार नहीं किया जाता यह समाजवाद नहीं है। सामाजवाद का मतलब है भौतिक, आर्थिक और आध्यात्मिक जो भी साधन है उनका सही ढंग से, वैज्ञानिकरूप से वितरण करना ही समाजवाद है। एक तरफ आदमी बढ़ता रहता है और दूसरी तरफ आदमी दबता रहता है। एक तरफ तिलमिलाता इन्सान हैं और दूसरी तरफ लोग निर्दयतापूर्वक पैसा खर्च कर रहे हैं

श्री रामचन्द्र आर्य : यह आप कहते किसे हैं, ये बातें तो सुखाड़ियाजी को कहें जो आपकी पार्टी के हैं आपमें हिम्मत हो तो उनको कहें।

श्री मूलचन्द डागा : इस तरह से मैंने यह बताने की कोशिस की है कि हमारी सरकार ने सिलिंग के बारें में कदम उठाये हैं, भूमि सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण

(श्री मूलचन्द डागा)

कार्य किये गये हैं, इसके साथ साथ पांच से 15 एकड़ तक जितने भी गैर-खातेदार हैं उनके लोन की सरकार द्वारा गारन्टी देने का निर्णय किया हैं, ये जो बातें राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कही गई हैं वे स्वागत योग्य है। ये घोषणायें ही यह बताती है कि हम आगे बढ़ने वाले हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : अगर राज्यपाल महोदय के द्वारा की हुई घोषणायें सही होतीं तो छोटी जोतों पर जो लगान की माफी दी गई है यह घोषणा करके, थूक करके उसको वापिस चाट गये।

श्री मूलचन्द डागा : छोटी जोतों के बारे में जो अध्यादेश जारी हुए हैं उनका भी दिग्दर्शन राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण के दौरान किया हैं। एक अध्यादेश गैर खातेदार की जमीन के लेन देन के बारे में है, दूसरा साहूकार विधेयक है, ये विधेयक ऐसे है जिनसे यह प्रमाणित होता है, प्रूफ करने की जो बात आती है जिनसे कर्जा उनको मिल सके इसके लिये यह आवश्यक है। इसी प्रकार के कानून लेबर लॉज में भी हैं जिनके अनुसार मैटर सैटल्ड हो गये है उसके बारे में अवार्ड हो गये है फिर भी लाक आउट के लिये मना किया जायगा। सरकार समय समय पर प्रगतिशील कानून निकालती रही है देश को आगे बढ़ाने की बात करती है। देश को आगे ले जाने की बात करती है, भूमि सुधारों में आगे बढ़ना चाहती है। इस देश में, हिन्दुस्तान में 66 प्रतिशत उत्पादन जो होता है वह भूमि से होता है। यही हमारी दौलत का सबसे बड़ा हिस्सा है। जितनी जमीन पहले हमारे यहां सिंचित होती थी उससे ज्यादा जमीन आज सिंचित होती है, ज्यादा भूमि पर काश्त होती है। हम लोग आगे बढ़े हैं। इस प्रकार के जो कानून निकाले हैं इन कानूनों से हमें और मदद मिली है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं दूसरे लोगों की बातों को। हमने समाजवाद का नारा दिया है और हम देश को उस तरफ लेजाना चाहते हैं। इसके विपरीत जिन लोगों के भाषण हैं, जिन लोगों की यह राय है, वह मेरी समझ में नहीं आती है।

इन सारी बातों का, जितनी बातें कही गई हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिये। हमने बम्बई के कांग्रेस के अधिवेशन मे एक नया नारा दिया है, एक नारा उछाला है, हमारी जो सिविल सर्विसेज हैं, वह सिविल सर्विसेज हमारे बदलते हुए जमाने के अनुकूल नहीं है। हमारी जो नई जिम्मेदारियां आई हैं जो नई परिस्थितियां पैदा हुई हैं उनमें हमारी सिविल सर्विसेज का रवैया अनुकूल नहीं है। इसमें आमूल चूल परिवर्तन करना होगा। अगर हम चाहते हैं नई जिम्मेदारियां जो आई हैं, जो प्रोग्राम हम बना रहे हैं, जो समाजवादी कदम हम उठाना चाहते हैं और जो परिस्थितियां नई बनी है, उनके अंदर से हम पहले इन मनहूस खण्डहरों को, जो कि प्रतिवादी रोड़े हैं और जो आज बरकरार स्थापित हैं, उनको हटाना होगा। अगर सिविल सर्विसेज में से, नौकरशाही में से हमने इस लाल फोताशाही को चेंज नहीं किया तो ये हमारी योजनाओं में, हमारी विचारधाराओं में, हमारे काम करने के तरीकों में एक रोड़ा साबित होगी। इसलिये यह कदम उठाया जाये कि सिविल सर्विसेज में परिवर्तन किया जाये जो कि पत्थर की

(श्री मूलचन्द डागा)

तरह आज भी कायम हैं, जो प्रतिवादी रोड़ा है, उसे पहले हटाना होगा। आज अंग्रेजो की हुकूमत के जो खण्डहर मौजूद हैं, उन मनहूस खण्डहरों को हटाकर नया खून लाना होगा अन्यथा यह रोड़े आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। हमारी योजनाएं, हमारा कार्यक्रम, हमारे काम करने के तरीके, हमारे सोचने के तरीके बहुत आगे बढ़ सकते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। यह एक बड़ा सवाल है।

एक बात और सोची है। देश के अन्दर युवकों के अन्दर एक बड़ी शक्ति है, उनमें शक्ति उभरती है, जिनमें जोश है। लेकिन मुझे डर लगता है कि वे गलत पार्टी के हाथ में खेल कर राजनीतिक उपलब्धि, सस्ती लोकप्रियता की ओर न बढ़ें। यह खतरा मोल लेने का काम हैं। इन पार्टियों को यह काम छोड़ देना चाहिए। युवक लोग जो आने वाली पीढ़ी हैं इस पीढ़ी के अन्दर यह नयी चीज पैदा न हो जाये। केवल राजनीतिक उपलब्धि से आकर्षित होकर वे उधर चले जायं और आने वाले समाज को इन गलत हाथों में, खतरे में न डालने दें। लोकतन्त्र में अनुशासन कायम करने का एक तरीका है. कुछ नियमों के अन्तगत यह चलता हैं। ये राजनीतिक पार्टियां जमाने के साथ नहीं चलती हैं। ये रूढ़िवादी, साम्प्रदायिक पार्टियां है और जमाने के साथ साथ अपना पटरा नहीं बैठा सकती वे ही पार्टियां आज समाजवाद का नारा देने के लिये लालायित हैं। इसमें इनके निहित स्वार्थ हैं। एस० एस० पी० उधर जायेगी। उसके अन्दर आज तनाव की स्थिति है। मैं यह कहना चाहता हूं कि वह आज तनाव की स्थिति में खड़ी हुई है। वह आज अन्दर से टूट गई है। कम्युनिष्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी अलग अलग है.......

श्री भगवानदास शास्त्री : भैंस अपना कालापन नहीं देखती, वह गाय को ही कहती है कि तुम काली हो। जिसने संगठन को नहीं माना, जो प्रस्ताव करती है संजीव रेड्डी की उम्मीदवारी का, उसके खिलाफ ही उसने कार्य किया, संगठन को तोड़ा, उसको ही प्रधान मंत्री बनाकर आप यह कहते हैं......

श्री मूलचन्द डागा : देश को आगे बढ़ाने के लिये यह कदम उठाना होगा और इससे ही देश आगे बढ़ेगा। जनसंघ पार्टी एक साम्प्रदायिक पार्टी हैं जो आज के जमाने के साथ नहीं चल सकती हैं।

श्री भगवानदास शास्त्री : एक ही पार्टी है देश में जिसके टुकड़े नहीं हुये।

श्री मूलचन्द डागा : समाजवाद का मुखौटा आज चढ़ाने की कोशिश कर रही है। जिस पार्टी में समाजवाद का कहीं अंश नहीं है। उस पार्टी में समाजवाद का कोई अंश नहीं है, इसके होने का कोई सवाल नहीं है। अलग अलग मामलों में झगड़े, प्रिवीपर्स का मामला आया तो झगड़ा और आज वह कहती है समाजवाद की बात। वही पार्टी समाजवाद का मुखौटा लेकर आ रही है। ऐसी दकियानुसी पार्टी, प्रतिक्रियावादी पार्टी आज के जमाने के साथ नहीं चल सकती। इन पार्टियों को कांग्रेस के कार्यक्रम के आगे झुकना पड़ेगा। और आज कांग्रेस आगे बढ़ रही है। ये पार्टियां देश के नुकसान को भंग कर रही है। ये पार्टियां फ्रस्ट्रेटेड है। ये देश में इन्कलाब को गलत रास्ते पर ले जायेंगी

(श्री मूलचन्द डागा)

और कभी युवकों को भरेंगी। युवक इनकी राजनीतिक उपलब्धियों के आकर्षण में न आवे। सस्ती भाषणबाजी से उनको उकसाने की आप बात करते हैं। सोनपुर में एस. एस. पी. का क्या हुआ ? राजनारायण साहब अलग, दूसरे अलग, आज एस.एस.पी. पार्टी के अन्दर से टुकड़े हो गये हैं। उनके मुंह पर आज निराशा हैं चाहे वे अभी ये बात न कहते हों। देश के अन्दर आज एक कांग्रेस ही पार्टी है जो देश को आगे बढ़ा रही हैं। सारी पार्टियां टूट गई और आज कांग्रेस खड़ी है।

श्री विजय सिंह : कांग्रेस थूक से चिपकी हुई है।

श्री मूलचन्द डागा : मैं एक बात और कहूंगा। राजाओं की पार्टी और रानियों की पार्टी अब चलने वाली नहीं है। उनको बोलने का अब अधिकार नहीं है। इतिहास का निर्णय हो गया। जब प्रिवीपर्स का निर्णय हुआ, जब चव्हाण साहब निर्णय करने लगे, अलग अलग घोषणाएं लोग करने लगे। अब ये समाजवाद लायेंगे। देश को इन लोगों की जरूरत नहीं है। ये आर्थिक प्रोग्राम के साथ नहीं चल सकते ये महलों में रहे हैं ये झोंपड़ी तक नहीं पहुंच सकते। झोंपड़ी तक पहुंचने का यह तरीका नहीं है।

श्री मदन सिंह : हमने झोंपड़ों से महल बनाये हैं। और तुमने झोपड़ियों को बर्बाद किया है।

श्री मूलचन्द डागा : महलों से उन पर थूंका हैं।

श्री मदन सिंह : झोंपड़ी से महल बनाये है। यह इतिहास कहता है।

श्री मूलचन्द डागा : कांग्रेस सब राजाओं को खतम करेगी। बड़े बड़े फार्मो को खतम करेगी।

श्री मदनसिंह : आप और मेरे को तोड़ लिया जाय यही किया है। पाली से दांता की तरफ कभी आ जाना तो मालूम पड़ेगा कि क्या किया है।

श्री मूलचन्द डागा : आने वाले जमाने में यह नहीं चलेगा। बम्बई में कह दिया गया है इन राजाओं को खत्म करो।

अब तो हम लोग खतम करने पर तुले हुए हैं। आने वाले जमाने में राजा, जागीरदार नहीं रहेंगे।

श्री जयनारायण सालोदिया : पर नये राजे महाराजे और जागीरदार आप पैदा हो रहे हैं इनको कौन खत्म करेगा ? सुखाड़िया जी ने अपने महाराज कुमार की शादी में पांच लाख रुपया खर्च किया है।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने कहा कि आने वाले समय में किसान आगे बढ़गा सरकार ने उनको ऋण देने की गारन्टी दी है। नई चेतना उनमें आई है। जो अपने पैरों पर खड़े होकर चलेंगे। और राजाशाही का ठाट बाट खत्म करेंगे।

श्री मदनसिंह : आपका मतलब काश्मीर दरबार से है।

श्री मूलचन्द डागा : हम लोकतान्त्रिक समाजवाद की स्थापना के लिये वचनबद्ध हैं। इस काम में सभी पार्टियों से सहयोग अपेक्षित है। जो सहयोग नहीं देंगी वे जमाने से पीछे रह जावेंगे। उनका नाम समाप्त हो जावेगा। राजस्थान में आज 9 जिलों में अकाल है।

एक माननीय सदस्य : कांग्रेस राज्य में अकाल ही होगा।

श्री मूलचन्द डागा : यह अकाल की विभीषिका कांग्रेस के कारण नहीं है, बड़े बड़े राजा महाराजाओं के पापों का फल है।

श्री रामचन्द्र आर्य: ये पापी हैं, हत्यारे हैं, इनके पापों के कारण वर्षा नहीं होती यह पापी है राज्य, पापियों के राज्य में वर्षा नहीं हुआ करती।

श्री मूलचन्द डागा : मैं कहना नहीं चाहता, किसने पाप किया और उसका परिणाम कौन भुगत रहा है।

श्री मदनसिंह : यह पाप उघड़ रहा है बम्बई और अहमदाबाद में।

श्री मूलचन्द डागा : चोर की डाढ़ी में तिनका। राजा महाराजाओं के जमाने ने बड़ा जुल्म किया। उनके पापों की कीमत आज लोग चुका रहे हैं। पर हम इस सब का साहस से मुकाबला करेंगे। वह मुकाबला इस कांग्रेस सरकार ने पहले भी किया है। इस साल भी करेगी।

श्री मदनसिंह : ये आपकी दुकानें जाती रहीं तो कांग्रेस मर जावेगी।

श्री मूलचन्द डागा : जुल्म आपका अब चले नहीं सकता इसलिये बौखला रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : कांग्रेस ने आपके जुल्मों को खत्म किया है। आप अब बौखला रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : बदनौर ठाकुर की पेन्ट की जेब में पड़े रहते हैं आप तो। इस वजह से पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : आप तो चमचा नम्बर एक हैं।

श्री मूलचन्द डागा : अकाल का काम करने में हर परिवार के छः आदमियों में से एक आदमी लिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : पांच में से एक।

श्री मूलचन्द डागा : जो जन जाति और अनुसूचित जन जाति के लोग हैं उनमें 6 में से तीन चार को काम देना चाहिये।

श्री लादूराम सुलानियां : सबको क्यों नहीं ?

श्री मूलचन्द डागा : आसमानी नारों से फायदा नहीं। अब तो प्रेक्टिकल बात करो।

श्री मदनसिंह : आप दे रहे हैं आसमानी नारे तो।

श्री मूलचन्द डागा : बम्बई के बाद तो हम प्रैक्टिकल बात और तुरंत फुरत की बात सोचने लगे हैं।

श्री लादूराम सुलानियां : बम्बई यह कौनसी गंगा आगई है ?

श्री मूलचन्द डागा : एक नया जोश है, नई हवा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह खिजाब तो नहीं लगाया है।

श्री मूलचन्द डागा : लड़कों को नौकरी पर नहीं लगाते। अगर लड़का 13 साल का है शरीर से मजबूत है उसको भी बीमार है सो ऐसी हालत में लड़कों को आज्ञा जो आपने

(श्री मूलचन्द डागा)

निकाली है, उसमें संशोधन करिये। भाव आज धान के बढ़ गये हैं, बाजरे के बढ़ गये है गेहूं के बढ़ गये हैं, मेहरबानी करके मजदूरी की रेटें भी बढ़ाइये।

श्री विजयसिंह : कांग्रेस के भाव घट गये हैं।

श्री मूलचन्द डागा : अकाल के समय स्थायी काम होते हैं बान्ध पक्की सड़कें, टांके कुएं होते हैं। इस बारे में राज्य सरकार सतर्क है। आज कल के काम स्थायी रूप के हो रहे हैं। कहीं कुछ बात हुई हो तो परिस्थितियों के कारण हो सकती है। पर अपने पाली जिले की बात में कह सकता हूं कि पाली जिले में जितने काम हो रहे है या तो सिचाई के हो रहे हैं या पक्की सड़कों के हो रहे हैं या सोइल कन्जर्वेशन के हो रहे हैं। राजस्थान में अकाल के समय में जो काम हो रहे हैं आने वाले जमाने में अकाल की विभीषिका इस तरह से फिर ताण्डव नृत्य नहीं कर सकेगी क्योंकि अब तो ऐसे टिकाऊ काम हो रहे हैं जिनसे आर्थिक हालत लोगों की सुधरेगी काफी सिंचित भूमि होगी।

आपने दस रुपया माहवार गांवों में कुछ लोगों को देने का निर्णय किया है इस पर और विचार करें। कुछ लोग उनको उकसाते भी हैं कि तुम राजस्थान नहर पर काम करने मत जाओ। हमसे जब बात करते हैं तो कहते हैं कि स्थायी काम करना चाहिये। पर उधर उनको भड़काते हैं कि गांवों में ही बैठे रहो। यहीं धूल मिलवाई जावेगी। लोगों ने इसके लिये भूख हड़ताल तक करना शुरू किया। इस तरह से आन्दोलन करके वे सस्ती वाहवाही लेना चाहते हैं। ये लोग सस्ते ही रह जावेंगे। आगे नहीं बढ़ पावेंगे। तो इस तरह, उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने जो बातें कही हैं वे आज कल के समय के अनुकूल हैं। इससे किसान को राहत मिलेगी। हजारों लाखों करोड़ों काश्तकार जो गांवों में बैठे हैं वे इनका स्वागत करेंगे। जब वे रेडियो पर उनका भाषण सुनेंगे तो जानेंगे कि आज कांग्रेस एक नये मोड़ पर आगे बढ़ना चाहती है वे जरूर बात नहीं करेंगे जिनकी जमीनों पर सीलिंग आवेगा, जिनके बड़े बड़े फार्मों को तोड़ा जावेगा। प्रीवीपर्स ले ली जावेंगी। कांग्रेस का नया प्रोग्राम है यह। थोड़े में सारी बातें आगई हैं। अब कहीं कोई भूमि-हीन नहीं मिलेगा। गैर खातेदार को भी कर्जा मिलेगा। जिनके मकान नहीं हैं मकान में रह कर अपनी जिन्दगी बसर करेगा।

यह प्रोग्राम है। यह जो कार्य है।

श्री उपाध्यक्ष : मव देने का इसमें प्रावधान कहां है ?

श्री जयनारायण सालोदिया : गोलियां मिली हैं मकानों में।

श्री मूलचन्द डागा : उकसाने का मौका है। मेरे ख्याल से अब तो जांच होने वाली है। अगर आप कही हिंसा पैदा करते है कोई सच्चाई थोड़ी छिप सकती है। आशा भरा जमाना है। सबसे बड़ी बात मैं इसलिये कहता हूं जीवन के क्षण मधुर होते हैं प्रिय होते हैं जो आशा भरे होते हैं। बुढ़ापे में भी आपको जोश आ गया है। मैं कहता हूं बुड्ढे में भी जान आ गई है •••• •••

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : खुशामद करते रहो फिरभी कुछ नहीं मिलने वाला है।

श्री मूलचन्द डागा : अब तो अपना सारा काम सिंहासन की ओर हो गया है। कांग्रेस वाले तो काम करना चाहते हैं इसलिये मैं चाहता हूं एक बार और कृतज्ञता प्रकट करता हूं गवर्नर साहब के भाषण के प्रति।

श्री उपाध्यक्ष : विरोधी दल के नेता महोदय।

महारावल श्रीलक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को ध्यान पूर्वक देखा है और सम्माननीय प्रस्तावक तथा सम्माननीय समर्थकों अभिभाषण को भी ध्यान पूर्वक सुना है। मैं गत 5 वर्षों से यह निरन्तर अनुभव कर रहा हूं कि राजस्थान की स्थिति दिन व दिन गिरावट पर आ रही है। जीवन की आवश्यकता की वस्तुयें लोगों को नहीं मिलती है। जीवन की आवश्यकता की वस्तुओं का भाव दिन व दिन बढ़ता जा रहा है परन्तु भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो चुकी है और सामाजिक जीवन में नियंत्रण जैसी वस्तु बिलकुल उठ चुकी है ऐसी स्थिति में उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकता हूं।

गत सत्र के पश्चात देश के अन्दर जो अभूतपूर्व स्थिति उत्पन्न हुई है। वह अभूतपूर्व स्थिति जो उत्पन्न हुई वह एक महान संस्था के अन्दर आपसी कसमकस का कारण हो सकता है किन्तु उसके अन्दर में तूल तवील करके और इस पचड़े में घुसना नहीं चाहूंगा। कांग्रेस में यह निर्विवादित बात है कि विभाजन हो नहीं हुआ किन्तु एक तरह से, मैं अनुभव करता हूं विघटन हुआ और उसे विभाजन चाहे कहें आप या विघटन इस के द्वारा देश में एक वातावरण अस्थिरता का उत्पन्न हुआ है। यह शान्ति और व्यवस्था, मैं समझता हूं खतरे में गिरने का भी एक बड़ा भारी कारण हो सकता है। मैं यह भी निर्विवादित रूप से कहना चाहूंगा कि आजकल दिन व दिन राजनीति के अन्दर अवसरवादिता की पराकाष्ठा हो चुकी है। स्वार्थ सिद्धि पराकाष्ठा तक पहुंच चुकी है और सिद्धान्त जैसी वस्तु, नियंत्रण जैसी वस्तु बिलकुल नहीं रही। अन्तरात्मा की भावना के अनुसार वोट देना, गरीब को गरीब करना, उनको दल बदलवा कर बे-इज्जती करके अपनी स्वार्थ सिद्धि करना-मेरे ख्याल में, कोई प्रगति तथा उन्नति के चिन्ह दिखाई नहीं देते हैं। इस कोटा, परमिट, लाइसेन्स और मोनोपोली के राज्य के अन्दर जहां पर न तो कोई आर्थिक स्वतन्त्रता है और न कोई व्यवसायी स्वतन्त्रता है, न किसान को स्वतन्त्रता है, केवल मात्र अवसरवादिता का जहां पर बोल बोला है वहां पर, मेरे ख्याल में देश की प्रगति नहीं हो सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में खास-तौर से यह देखा जा रहा है कि गरीब दिन व दिन गरीब होता जा रहा है और धनी लोग दिन व दिन धनी होते जा रहे हैं। 20 वर्ष पहले उधर (सरकारी पक्ष) बेंचों पर बैठने वालों की, सम्माननीय सदस्यों की, स्थिति जो मैंने देखी है वह क्या थी और आज क्या है? ईमानदार व्यक्ति टैक्स दें, टैक्स देने के लिये कोई इन्कार नहीं कर सकता, कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति टैक्स देने

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

से नहीं मुकर सकता। देश और समाज की सेवा के लिये जो कुछ बलिदान और कुर्बानी समझी जाय वह देनी चाहिये उससे कोई पिछड़ेगा नहीं। उनके माननीय समर्थक की गीदड़ धमकी से कोई डर नहीं लगता है। एक भारत के नागरिक के नाते यह जन्म सिद्ध अधिकार है कि वह स्वाभिमान के साथ इस देश में रहें।

(हियर हियर की ध्वनि)

गद्दारी और भ्रष्टचारी भावना है उसकी आलोचना करें, उसका खन्डन करें, उसका मुकाबला करें तब तो हम इन्सान हैं नहीं तो हैवान हैं और मैं कहूंगा, हैवान से भी बदतर हैं। आप हैवानियत का मार्ग पैदा कर रहे हैं आप में इन्सानियत नहीं है, आपकी कथनी और करनी क्या है? आप गांधी जी के पवित्र सिद्धान्तों से सौ कोस दूर जा चुके हैं और आप हमको शिक्षा देने वाले आये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जब देश के लिये त्याग का सवाल आयेगा तो हम हमारी आखिर दम तक, आखिर खून तक बलिदान करेंगे।

(हियर हियर की ध्वनि)

ये हमको शिक्षा देने वाले आये हैं कि त्याग क्या है? बंगले, तंगले और वातानुकूलित मोटरों में विराजमान होकर आप हमसे कहते हैं त्याग क्या है? जनता जनार्दन एक एक दाने के वास्ते कराह रही है वहां मंत्री महोदय पूड़ी, जलेबी, लडडू और न जाने क्या क्या गुलछर्रे उड़ा रहें हैं। क्या यही है आपका समाजवाद ?

श्री मूलचन्द डागा : आपके राज्य में भी कई कान्ड हुये हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं चुनौती के साथ कहता हूं भाई साहब आप समाजवाद नहीं ला सकते हो। आप समाजवाद लाने का नारा भरते हैं। क्या है समाजवाद आप जानते भी हैं ? 20–22 वर्ष हो गये समाजवाद लाते लाते। क्या आप समाजवाद ला सकते हैं ? आज की स्थिति में देश को देखते हुऐ वुरी से बदतर स्थिति हो रही है। आप समाजवाद का नारा और ढोल पीटते हैं, यह सब धूर्तक और ढोंग है।

उपाध्यक्ष महोदय, पश्चिमी राजस्थान के अन्दर निरन्तर दुष्काल की स्थिति बनी हुई है। हमारे पश्चिमी जिले में, जैसलमेर में.......

श्रीवृद्धिचन्द्र जैन : बाड़मेर भी।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : जहां तक मुझे जानकारी प्राप्त हुई है लगातार 7 वर्षों से एक भी बूंद वर्षा की नहीं गिरी है—....

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : ऐसी बात नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैंने सुना है, ऐसी बात नहीं होगी। उत्तर के अन्दर बाढ़ के प्रकोप से जन साधारण को बड़ी भारी क्षति पहुंची है। कहीं अतिवृष्टि, कहीं अनावृष्टि कहीं दुष्काल ऐसी परिस्थितियों में राजस्थान निरन्तर रूप से गुजर रहा है। हमारे दक्षिणी राजस्थान में भी सूखा सा पड़ चुका है और खास कर मेरा जो जिला है जिसके निकटवर्ती गुजरात राज्य है वहां पर ऐसा अनुभव करता हूं धीरे धीरे परिस्थिति रेगिस्तान की सी होती जा रही है

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

इसका मूल कारण मैं बारबार सदन के अन्दर निवेदन कर चुका हूं जंगलों का सम्पूर्ण ह्रास हो जाना है। मेरे ख्याल से इन जंगलों का ह्रास होने का कारण भी छोटे मोटे शासनारूढ़ दल के नेताओं की स्वार्थसिद्धि है। वेचारे भोलेभाले आदिवासियों को फुसलाकर जंगलों का समूल नाश करवा कर हम क्या अनुभव करते हैं कि वही आदिवासी जिनके ऊपर राज्य के द्वारा करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है वह स्वावलम्बन और स्वाभिमान को छोड़कर एक गुलाम की परिस्थिति में आ गये हैं और उनके घरों में बीज नहीं है, न बैल है और न उनकी कोई रहने की व्यवस्था है, न कपड़ा है और वह केवलमात्र सरकार के ऊपर आधारित हैं। और सरकार उनको मजदूरी देती है तो वह सिर के ऊपर मिट्टी की टोकरी उठाकर सड़कें और तालाब बनाओ कहती है। ऐसी स्थिति को, मैं बड़े आदरपूर्वक निवेदन करूंगा कि किसी भी हालत में यह समाजवाद नहीं है। यह तो मेरे खयाल में एक तरह से बुरी से बदतर दशा के ऊपर हजारों और लाखों आदमी धीरे धीरे अग्रसर हो रहे हैं। मेरा यह निवेदन करना है कि समाजवाद अगर लाना है तो आप आर्थिक स्वतंत्रता लाइये और आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनैतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। आर्थिक स्वतंत्रता अगर नहीं है तो मैं समझता हूं कि समाजवाद भी नहीं आ सकता, स्वावलम्बन भी नहीं आ सकता, स्वाभिमान भी नहीं आ सकता और देश प्रगति भी नहीं कर सकता।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अनुसार मैं अनुभव करता हूं कि कांग्रेस का बम्बई का जो सेशन हुआ उस सेशन में जो निर्णय लिये गये हैं उनको कार्यान्वित करने के लिए राजस्थान सरकार चेष्टा कर रही है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण और माननीय समर्थक के गीदड़ धमकियों के भाषण के द्वारा मैं यह अनुभव करता हूं कि अब आपकी आंखें खुली हैं कि आप सीलिंग के कानून को कार्यान्वित कर रहे हैं। आप क्या कर रहे थे इतने दिनों तक ? 1959 से आप सो रहे थे या मेरे सम्मुख माननीय सदस्य जो विराजमान हैं उनकी मर्जी रखने के लिए इस कानून को कार्यान्वित नहीं कर रहे थे, यह तो आप ही जाने लेकिन यह स्पष्ट है कि सीलिंग का कानून तो आपने पारित कर दिया वह कागजों पर अभी तक रहा था, अब आप क्या करते हैं यह तो भविष्य ही दिखायेगा। क्योंकि आप ने बहुत सी बार ऐसी ऐसी बातें कही हैं कि जिसमें से एक भी बात सत्य नहीं है। वह कहावत मशहूर है कि आप कहते हैं कि वहां तो तालाब और समुद्र हिलोरें खा रहा है। लेकिन जहां समुद्र को हिलोरें खिलाने की बात करते हैं वहां एक कतरा भी पानी का नहीं है। तो यह तो आप की साख है। तो मैं देखता हूं कि आप क्या करते हैं सीलिंग के कानून को कार्यान्वित करने के लिए और इस बार फिर राज्यपाल महोदय के द्वारा पुनः एक बार और घोषणा हुई है। किसानों को ऋण देने के लिए हर तरह की सुविधायें भी देने के लिए राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अन्दर जिक्र है। भूमि आवंटन में पिछड़े वर्ग को सुविधायें देने के लिए भी कई वर्षों से ढोल पीटते आ रहे हैं और अभी तक आपने क्या किया? वह तो मेरा खयाल है कि आदिवासी और

(महारावल श्री लक्ष्मण सिंह)

हरिजनों से ही पूछा जाये कि उनको क्या लाभ हुआ और दूध और दही की नदियां बहने लग गयीं और उनके घरों के अन्दर ऐसी व्यवस्था हो गयी आप हर तरह से खुशहाली ला पाये हैं या उनकी स्थिति करीब करीब 20 वर्ष पहले थी वही की वही है। यह आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं मुझे इसमें विशेष विवेचन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं स्पष्टतया सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह अधिकांश सब नारेबाजी है। आपने किसानों को, आदिवासियों को, हरिजनों को क्या क्या उल्टी लकड़ियां पकड़वाकर आश्वासन दिये और आपने क्या क्या सब्ज़बाग दिखाये और उसके पश्चात् आपने तो अपने पेट भर लिए लेकिन गरीबों का पेट भरा हो और उनका भला किया हो ऐसा मैं अनुभव नहीं करता। हमारे राजस्थान का किसान, उपाध्यक्ष महोदय, अशिक्षित है, भोला है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस कृषि प्रधान देश में सच्चे रूप से हमारा किसान हमारी रीढ़ की हड्डी है। बल्कि मैं तो राजस्थानी के नाते यह कहूं कि सच्चे रूप से वह अन्नदाता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उस अन्नदाता किसान के ऊपर आपने क्या क्या विश्वासघात किये हैं, आपने क्या क्या गद्दारी की है यह भी मुझे, उपाध्यक्ष महोदय, कुछ स्पष्टीकरण करने का आज मौका मिला है....

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : यह तो बहुत खुशी की बात है कि किसानों को आपने अन्नदाता कहा है। पहले किसान आपको अन्नदाता कहते थे।

श्री विजयसिंह : आपके अन्नदाता तो श्री सुखाड़िया जी और माथुर साहब हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अनन्त काल से समय बदलता आया है। अशोक और अकबर भी आये। राम और कृष्ण भी आये और आकर गये और एक जमाने के अन्नदाता थे वह भी खत्म हो गये लेकिन आप भी याद रखना कि हमारी स्थिति से आपकी स्थिति बुरी होगी अगर आपके आचरण नहीं सुधरे तो। अगर सुधरे और आप नम्र हुए और सेवायें आपने की तो मैं आपका समर्थन करने के लिए बिलकुल तयार हूं....

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : इसमें मेरी सहमति है।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : लेकिन आप कहते हैं कि आज अन्नदाता की जगह हम दूसरे अन्नदाता बनकर बैठे हैं यह मैं मानने के लिए विवश हूं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (बीकानेर): पहले जो बने हुए थे उनको ही घर भेज दिया। जो समझते थे अन्नदाता उनको भी नहीं रखा।

श्री गिरधारीलाल व्यास : जो पहले अन्नदाता कहलाते थे वह अन्नदाता कहने लग गए।

श्री मदनसिंह : आप अगर इन्दिरा जी के लिए कहते तो वह खुश होती।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : मैं सम्माननीय महिला का निरादर नहीं करना चाहता हूं, मैंने तो दुशाले में लपेट कर कह दिया। या तो आप यों सीधे मुंह से खा सकते हैं या यों उल्टे मुंह से खा सकते हैं। अगर आप कहना चाहें तो मैं इस बात को यहीं छोड़ना चाहता हूं।

श्री जयनारायण सालोदिया : दुशाला भी खादी का होगा ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : दुशाला मिन्क कोट। कोई दस बारह लाख का।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मखमल की जगह मिन्क कोट कहां से आ गया ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : किसानों के सम्बन्ध में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता था कि राजस्थान की स्थापना हुई है उसके पहले भी ऋण देने की व्यवस्था थी और लोगों को और गरीब लोगों को किसानों को शख्सी जमानत पर आठ आना यानी 6 पर्सेन्ट के सूद पर ऋण मिला करता था। लेकिन आज की परिवर्तित स्थिति के अन्दर कोई शख्सी जमानत देने के लिए तैयार नहीं है। यह तो हमारे देश में नियन्त्रण रह गया है, यह हमारे देश में पारस्परिक सहयोग की भावना रही है। खैर, अगर राज्य भी इसके अन्दर गारन्टी करता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप यह कहें कि यह बड़ा भारी प्रगतिशील कदम आपने उठाया है तो मैं इसको प्रगतिशील कदम नहीं मानता हूं। मैं यह कहता हूं कि ऐसी व्यवस्था जो पहले थी उसकी आपने पुनर्स्थापना की है। उसका मैं विरोध नहीं करता हूं। लेकिन मैं इतना निवेदन अवश्य करूंगा कि भविष्य ही साबित करेगा कि वास्तविक रूप से जो आपकी इच्छाएं हैं वे क्रियान्वित हुई हैं और गरीबों को लाभ पहुंचा है या नहीं, और जो वितरण करने वाली संस्थाएं हैं वे पक्षपात नहीं करेंगी और ठीक वितरण की व्यवस्था अपनाती हैं, और वास्तविक रूप से जनता-जनार्दन की निष्पक्ष सेवा करती हैं। ये आपके कागजी आश्वासनों को कैसे मान लें कि आज ही राजस्थान का मामला और राजस्थान की फिजां बिल्कुल पलट जायगी।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह निवेदन करना चाहता हूं काश्तकारों के संबंध में कि राजस्थान के निर्माण के पूर्व बल्कि सन् 55-56 में भी काश्तकार अपनी भूमि के वास्तविक स्वामी थे, मालिक थे। मौलिक सिद्धान्तों के अनुसार, इस विधान के अनुसार गरीब से गरीब काश्तकार भी पूर्णतया अपनी जमीन पर स्वामित्व का अधिकार रखता था। आज टिनेन्सी कानून बनने के पश्चात किसान अपनी भूमि का मालिक नहीं रहा है। आज सरकार भूमि की मालिक बनी है। हरेक पट्टे के ऊपर पहले खातेदार का नाम लिखा जाता था। आज हरेक पट्टे के ऊपर लिखा जाता है मालिक 'श्री सरकार'। आप इसका कोई भी मतलब लें लेकिन मैं समझता हूं कि फण्डामेंटल कनेक्शन ऑफ आनरशिप का प्रश्न है; स्वामित्व के अधिकार का प्रश्न है। आज जो किसान के स्वामित्व के अधिकार थे वे आपने राज्य में ले लिये। उस जमाने में आपने जो कुछ भी भला बुरा हमको कहा है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, देश को स्वतन्त्रता दिलाने के लिए, उसका मैं विरोध नहीं करता हूं, लेकिन उस वक्त भी उपाध्यक्ष महोदय, यही कहा करते थे कि भूमि किसकी ? जो हल हांके उसकी, और आज कहते हैं कि भूमि किसकी ? राज्य की। यह इनकी कथनी और करनी में रात-दिन का फर्क है। आज अच्छी से अच्छी नहरी जमीनों को देखते हैं तो वह आज भूतपूर्व जागीरदारों और राजाओं के पास में नहीं हैं। अगर हैं, तो उनकी छीन लो। जो कुछ भी हो ले लो। इसका मुझे कोई

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

मलाल नहीं है। लेकिन मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि जो पहले बिल्कुल निर्धन लोग थे, जिनके पास खाने को पैसा नहीं था वे आज अच्छी से अच्छी नहरी जमीन के मालिक बन बैठे हैं। यह समाजवाद नहीं है।

सरकारी पक्ष के एक माननीय सदस्यः तो क्या है?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह स्वार्थवाद है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि राज्यपाल के भाषण में आगे क्या वास्तविक उल्लेख है। वहां पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार की नीति के सम्बन्ध में जो कुछ भी घोषणाएं की जाती हैं वे राज्यपाल के द्वारा कराई जाती हैं। सन् 1967 में, उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के द्वारा इसी सदन में आश्वासन दिलाया गया था कि जो छोटी जोतों के काश्तकार हैं उनको लगान से मुक्त किया जायेगा, और माननीय श्री आर्य ने जैसा अभी कहा है कि इनका आश्वासन थूंक कर चाटने के सदृश हैं, बिल्कुल ठीक है। आश्वासन देकर कार्यान्वित नहीं किया और सरकार मुकर गई। तो आज घेराव का जमाना है, लाठी, गोली और टियर गैस का जमाना है, आज सारे देश के अन्दर मारा मारी हो रही है, उसका गंगानगर में हमने चलचित्र देख लिया है, ऐसी स्थिति में जहां अन्तरात्मा का प्रश्न है, आज कवेनेन्टस को फाड़ने का प्रश्न है, जहां स्वार्थवाद का बोलबाला है, वहां पर मेरे खयाल से, जो कुछ भी हो वह क्षम्य है लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि इस तरह का गरीब किसानों के साथ में विश्वासघात इस सरकार ने किया है। राज्यपाल, महोदय के अभिभाषण के अन्दर जो भी बातें उल्लिखित हैं, जो भी घोषणाएं उन्होंने की हैं, जिनको सरकार ने क्रियान्वित किया है, और जिनके द्वारा देश के गरीब नागरिकों का हित होता है तो मैं क्या स्वागत करूंगा, सभी स्वागत करेंगे, सभी उससे प्रसन्न होंगे, खुशहाली आएगी, लेकिन मुझे आशा नहीं है कि ऐसे थोते आश्वासनों से देश के अन्दर और हमारे राज्य के अन्दर खुशहाली आ सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, आश्वासन के रूप में अगर मैं कहूं तो उड़ीसा की सरकार का उदाहरण दूंगा। उड़ीसा की सरकार ने यह वायदा किया था कि हम किसानों को लगान से मुक्ति देंगे, किसानों को आजाद करेंगे महात्मा गांधी के सिद्धान्तों के अनुसार, महात्मा गांधी तो किसानों को सच्चे रूप से भारतवर्ष का अन्नदाता कहते थे और उस अन्नदाता की सेवा उड़ीसा की सरकार ने की है। चाहे वह कैसी भी सरकार हो। एक तरफ तो आश्वासन देकर उसको पूरा करना और दूसरी तरफ आश्वासन देकर उससे मुकर जाना इन दोनों बातों का आप निर्णय कर सकते हैं कि कौनसी बात अच्छी है और कौनसी बात बुरी है।

उपाध्यक्ष महोदय, जो गैर खातेदारों को भूमि के रहन रखने के अधिकार दिये हैं उसके दो पहलू हैं। मेरे खयाल से हरेक समस्या के दो पक्ष होते हैं। जैसे महिने के दो पक्ष होते हैं-एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष। मैं यह मानने को तैयार हूं कि हरेक चीज के दो पक्ष होते ही हैं, लेकिन मैं अनुभव के द्वारा यह कह सकता हूं

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

कि गैरखातेदार काश्तकारों को बहुत से लोग प्रलोभन देंगे और उनकी जमीनें लेकर जो कि उसका अमूल्य धन है, जो उसके निर्वाह का मूल आधार है उससे उनको वंचित कर देंगे, उसको शरणार्थी बनायेंगे, ऐसी सम्भावना है। इसी बात से उनको संरक्षण देने के लिए छोटे काश्तकारों को यह अधिकार पहले की सरकारों ने नहीं दिये थे कि वे अपनी जमीन को रहन व बय कर सकें। तो मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि चाहे आपका लक्ष्य कुछ हो, चाहे आपके भाव कितने ही पवित्र क्यों न हों, लेकिन ऐसा न हो कि इसके परिणाम विपरीत हों। अतएव मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में ध्यान रखा जाय कि वास्तविक-रूप से गैरखातेदार काश्तकारों की भूमि रहन होकर उनकी दुर्दशा तो नहीं होती है। अगर दुर्दशा होती है तो फिर, मेरे खयाल में, जो कुछ भी आपने यह कानून बनाया है वह व्यर्थ है।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अन्दर पास बुक्स के संबंध में भी उल्लेख है, जिक्र है। मैं यह जानना चाहूंगा कि अभी तक कितनी पास बुक्स वितरित हुई हैं और किन-किन क्षेत्रों में वितरित हुई हैं और या पास बुक्स वितरण करने की जो व्यवस्था आपने विचारी है क्रियान्वित करने के लिए यह कितने समय के अन्दर समस्त राजस्थान के अन्दर पास बुक्स को वितरित कर पायेगी इसकी भी कुछ योजना तो आपकी होगी। तो इसके सम्बन्ध में सरकारी उत्तर जब दिया जाय तब कृपा करके इस पर कुछ प्रकाश डालें। मैं समझता हूं कि यह बहुत लम्बा-चौड़ा प्रोसीजर है। आप सफलतापूर्वक इसको पूरा कर पायेंगे, इसको पूर्णरूपेण कार्यान्वित कर सकेंगे यह भी भविष्य ही बता सकता है कि किस हद तक आप सफल होते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा इस संबंध में कि जो कुछ भी सरकार करती है, आखिरकार उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको कार्यान्वित करने के लिए, उसको अमली जामा पहनाने के लिए आदमी ही तो चाहिए। तो आज मानव स्तर किधर जा रहा है—यह भी आप देखिये। ह्यूमन मेटीरियल का आस्पेक्ट है उसके ऊपर आप गम्भीरतापूर्वक विचार करिये। यथा राजा तथा प्रजा। अगर ऊपर से ही नीचे तक भ्रष्टाचार व्याप्त है और बेईमानी है तो फिर, मेरे ख्याल में, कर्मचारीगणों के अन्दर भी यह बेईमानी आवे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज यदा कदा सम्भवतः ऐसा नहीं हुआ किन्तु होने लगे तो, मेरे खयाल में, इसके अन्दर भी आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकेंगे और बहुत करके आप ही के कर्मचारी आपको नीचा दिखाकर अर्थ का अनर्थ नहीं करें, यह मैं आपको निवेदन करूंगा।

किसानों के लिए यह लम्बी चौड़ी योजनायें आप करें। ठीक है, लेकिन मैं तो समझता हूं कि किसानों के लिए खासतौर से क्या चाहिए ? एक तो खेत जोतने की व्यवस्था चाहिए। एक सामान्य बात है। एक खाद चाहिए और एक पानी चाहिए। आज बैल की क्या दशा है ? अच्छे एक बैल की जोड़ी की क्या कीमत हो गई है ? हमारे जिले में तो गरीब किसान बैल तक नहीं रख सकता, अच्छे बैल की जोड़ी तो कहां ? और उस पर क्या कि राजस्थान सरकार ने, पशु मेलों पर भारी मरकंम उस

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

पर टैक्स लगा रखा है। मेरे ख़याल में यह किसान के लिए कुठाराघात नहीं है तो क्या है? जो पैसे वाले किसान हैं वह शायद ट्रैक्टर रखते हैं। यहां पर तो संख्या ट्रैक्टरों की नगण्य है। पंजाब जैसे समृद्ध राज्य के अन्दर ट्रैक्टर हजारों हैं। लेकिन ट्रैक्टर हैं तो विश्व में यदि सबसे ज्यादा महंगे ट्रैक्टर कहीं मिलते हैं तो वह हमारे देश के अन्दर मिलते हैं। यह क्या दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति नहीं है? क्या यह समाजवाद का चलन है? इससे क्या समाजवाद आ सकता है? और खाद की क्या स्थिति है। गौवंश के विध्वंस के कारण अब खाद मिलना भी बहुत महंगा हो गया है। मैं विशेषरूप में निवेदन करूं, उपाध्यक्ष महोदय, फर्टीलाइजर की कीमत, फर्टीलाइजर की अनुपलब्धि, स्पेअर पार्ट्स ट्रैक्टर की अनुपलब्धि ऐसी आपकी योजनायें हैं। मडल हैडड योजनायें हैं आप स्वयं किंकर्तव्यविमूढ़ हो चुके हैं। क्या योजना आपकी है? क्या करना है, क्या नहीं करना है? आप नहीं जानते फर्टीलाइजर को महंगा कर दिया। मेरी जमीन है यदि चौदह पंद्रह बीघा, फर्टीलाइजर डालूं तो मेरे वश की बात नहीं है। ऐसी व्यवस्था है। कितना महंगा फर्टीलाइजर और उसकी अनुपलब्धि असहयोग तो गरीब किसान का क्या भला होगा? क्या सुनवाई होगी? यह मैं सरकार को निवेदन करना चाहूंगा।

टैक्सों के बारे में भी आपको निवेदन करूं। सिंचाई कर। बैटरमेंट लेवी के बारे में मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की, उस सम्बन्ध में मैं बोल चुका हूं। इसलिए और सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता हूं। उस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहूंगा। सिंचाई टैक्स खुशहाली कर। अधिभार कर, लगान और उसके उपरान्त व्यवसाय, कृषि कर भी लगता है। आपने राजस्थान के गरीब किसान के ऊपर इतने कर का बोझ लाद रखा है कि अन्य किसी राज्य में नहीं होगा। और उसके उपरान्त आपने दूसरे जो टैक्स किसानों के ऊपर लगाये है, उपाध्यक्ष महोदय, वह पचास से सौ रुपये के लगान पर पचास पैसे प्रति रुपया, सौ से डेढ़ सौ रुपये के लगान के ऊपर पिचहत्तर पैसे प्रति रुपया। डेढ़ सौ से ऊपर दुगना लगान। और सीलिंग कानून से ऊपर भूमि है तो ढाई गुना लगान। सीलिंग कानून से ऊपर भूमि को ले क्यों नहीं लेते हैं? उस पर ढाई गुना लगान और उस पर बेचने नहीं देना उस जमीन को। थप्पड़ भी मारना और रोने भी नहीं देना एक अजीब स्थिति है। कोई सेटलमेंट पसन्द हुकूमत हो, कोई मुन्सिफाना हुकूमत हो, कोई इन्सानियत पसन्द हुकूमत हो-वह इस तरह का वहशियाना तरीका पसन्द करेगी? हर तरह के टैक्स लगा लगा कर बोझ डाल रहे हैं, क्या गरीब किसान पर और क्या अमीर किसान पर। इससे साफ है कि आप अधिनायकवादी आर्डिनेन्स निकाल कर कह दें कि तुम सबकी जमीन नहीं है, सरकार मालिक है। लेकिन आप किसान को स्वामी मान कर उससे उत्पादन में वृद्धि करना चाहते हैं। आपकी बुद्धि पर दया आती है। यह आपकी अदूरदर्शिता है, यह आपकी स्वार्थपरता है। मेरे ख़्याल में आपकी राजनैतिक बुद्धि का दिवाला निकल गया है। तो यह सिस्टम ओफ टेक्सेशन मोस्ट डिफेक्टिव है ··

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्या किया जाय, सुझाव तो दें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अगर उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो काश्तकार को सच्चे स्वामी के रूप में मानिये उसको जमीन के ऊपर। जमीन मुफ्त में उत्पादन नहीं देती है। उस पर पैसा खर्च करना पड़ता है, उस पर मेहनत करनी पड़ती है, उस पर पसीना बहाना पड़ता है। आप आये दिन किरकेट की तरह रंग बदलते हैं, इधर सिंडिकेट में, इधर इंडिकेट में। उसी तरह से किसान के ऊपर इतना टैक्स यह आप लादने जाएंगे तो मुश्किल चीज है कि किसान खेती करके उत्पादन नहीं बढ़ा सकता और आपको परिणाम बुरे से बदतर मिलेगा—यह निर्विवादित बात है।

एलॉटमेंट के सम्बन्ध में माननीय समर्थक महोदय लम्बे लम्बे हाथ करके कह रहे थे, ऐसा कभी हो सकता है ? मैं आपको बताऊं, उदाहरण दूं एक विशुद्ध आदिवासी का, छोटा सा मजरा, छोटा सा गांवड़ा था उसके अन्दर उस गांव से पांच मील दूर बैठ कर और भूमि के एलॉटमेंट की व्यवस्था की गई। आदिवासियों की भूमि पर आदिवासियों को प्राथमिकता नहीं देकर पांच मील दूर, दूसरे गांव के अन्दर-उनसे मेरा कोई विरोध नहीं है, व्यापारीवर्ग, जो दुकानदार हैं, जिनका खेती से कोई ताल्लुक नहीं है, उनको जमीन का कब्जा दिया और उनको भूमि का एलॉटमेंट किया मैंने बार बार जाकर कलेक्टर को कहा। कलेक्टर महोदय ने कहा—यह बिल्कुल व्यवस्था ठीक नहीं है। गैरइन्साफी हुई है। मैंने कहा, गैरइन्साफी हुई है तो आप जिले के मालिक हैं, आप हाथ पर हाथ रख कर क्यों बैठे हैं ? उन्होंने कहा मैं विवश हूं। क्यों विवश हैं ? कहा कि चालीस मंत्री, उप मंत्री, भूत और पलीत बैठे हुए हैं उन सबसे विवश हूं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : भूत पलीत ठीक नहीं हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उनसे लाचार हूं। इस दुष्काल में भी भूमि जनता को नहीं मिलती है और बेईमानी होती है और आप सत्ता कायम रखने के लिए कुर्सी से चिपके बैठे हुए हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : भूत पलीत को एक्सपंज कर दें, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री जयनारायण सारोदिया : क्यों कर दें। आप समझते हैं नहीं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : सुखाड़िया जी को बताने के लिये कर रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : 20 अगस्त को गिनती कर रहे थे, आप और सुखाड़िया जी एक कमरे में बैठे हुए गिनती कर रहे थे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : वह बीस अगस्त की बात गई। आज क्या है, आज 21 जनवरी है और सुखाड़िया जी और मैं बैठ कर किसकी गिनती कर रहे थे यह माननीय सदस्य बतावें। इसका मुझे याद नहीं आता। मैं बूढ़ा भी हूं, भूल भी गया हूं। कुछ स्मरण शक्ति भी कमजोर हो गई है।

उपाध्यक्ष महोदय, योजना के सम्बन्ध में मैं दो शब्द निवेदन करना चाहूंगा। योजना के विषय में हमारे दल के लिए

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

कहा जाता हैं कि इस पार्टी की कोई योजना है ही नहीं। हमारे दल की योजना है। मैं तो समझता हूं कि आपकी योजना नहीं है। और अगर आपकी योजना भी है तो वह अत्यन्त खर्चीली, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षिणी और असफल योजना है। हम तो योजना के सिद्धान्त को यह मानते हैं कि कट दि कोट अकार्डिंग टू दी क्लाथ। आपकी हैसियत हो उसके अनुसार आप चलिये। आप एक हद तक डेफिसिट फाइनेंसिंग कर सकते हैं, मुद्रा प्रसारण की एक हद तक प्रक्रिया, मेरे ख्याल में, अहितकर नहीं हो सकती लेकिन जहां इन्फ्लेशन का जोर हो, पेपर करेन्सी का बोलवाला हो, जहां सैकड़ों करोड़ों की योजना बनाएं और केन्द्रीय सरकार से एड लें और लोन लें और राजस्थान की जनता, जो दुष्काल से कराह रही है, उस पर टैक्स लगायें जब कि उनकी स्थिति टैक्स को देने की बिल्कुल नहीं है तो फिर कैसे योजना को आप सफल बनायेंगे। मैं निवेदन करूं कि आप निर्दयी सरकार हैं, आप निष्ठुर सरकार है और आपकी सत्ता है वह जनता की नब्ज को समझी नहीं है। प्लान के सम्बन्ध में यह आमतौर से कहा जा रहा है, मैं उदयपुर क्षेत्र का हूं, माननीय मुख्य मंत्री जी मेरे सामने बैठे हुए हैं, आमतौर से यह कहा जा रहा है, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा जिले के अन्दर योजना की जितनी धनराशि उपलब्ध होती है, उसका पचास प्रतिशत वहां पर खर्च होता है, पचास प्रतिशत खर्च नहीं होता है तो उनन्चास प्रतिशत खर्च होता होगा। और समस्त राजस्थान के अन्य क्षेत्र में जो बाइस तेइस जिले हैं वहां पर दूसरा पचास प्रतिशत खर्च होता है। इसका परिणाम स्पष्ट है, पश्चिमी राजस्थान के अन्दर बराबर दुष्काल पड़ रहे हैं। आपने क्या किया? कितने आपने वहां ट्यूब वैल लगाये? बराबर सदन के सामने यह चर्चा होती है कि ट्यूब वैल लगायेंगे और उसके ऊपर समाजवादी सरकार के ऊपर तुर्रा क्या लटकता है कि पूंजीपति आये। माननीय राजस्व मंत्री जी यह कहते हैं कि एक दो लाख खर्च होता है एक ट्यूब वेल पर इसलिए पूंजीपति को यह लगाने के लिए भूराजस्व की छूट देनी पड़ेगी। कन्सेशन बिल्कुल वाजिब है, मैं कहता हूं आप लगान की छूट दे सकते हैं, पर मैं पूछना चाहता हूं आप साहब क्या कर रहे थे 22 वर्ष तक गद्दी पर बैठकर? सब धन उदयपुर में लगा रहे थे राजस्थान की धरती को उर्वरक बनाने के लिए, सिंचाई के लिए क्या कर रहे थे? दूसरों को डरा धमका कर दबाना चाहते हैं समाजवाद का ठेका आप ही लेना चाहते हैं पर आप समाजवाद के ठेकेदार नहीं आप ठेकेदार हैं लाइसेंस, करप्शन और परमिट के।

और इसके साथ साथ बहुत सम्माननीय सदस्य जिनका मैं आदर करता हूं, उन्होंने ठीक ही कहा कि राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों के साथ जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, वह असह्य है। यह क्षेत्रीयवाद जो इसके बादल सारे देश में मंडरा रहे हैं, चण्डीगढ़ किसका, हरियाना, पंजाब, तेलंगाना, क्या मद्रास क्या मैसूर सब जगह यही चल रहा है, क्या वैसा का वैसा आप राजस्थान में करना चाहते हैं? राजस्थान में इस प्रकार के वाद-विवाद को आप उत्पन्न नहीं करें, यह मैं आपको संकेत करता हूं। आपकी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये कि जिससे सब को संतोष मिले।

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

यह व्यवस्था आप नहीं कर सकते और लोगों में यह भावना बनाना कि आप जुडिशियल एन्क्वायरी को नहीं मानते, अपनी कुर्सियों को बनाये रखने के लिए करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, दूसरों को त्रिशंकु की तरह लटकाये रखते हैं ···

एक माननीय सदस्य : महारावल साहब फाइनेन्स मिनिस्टर लग रहे हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं तो मिनिस्टर की दुम भी नहीं हूं।

दूसरी बेरोजगारी की स्थिति है, योजना ऐसी बनानी चाहिये, जिसमें ऐसी व्यवस्था हो कि जो शिक्षित बेरोजगार हैं, उनके लिए तो रोटी रोजी की व्यवस्था हो। हजारों आदमी ऐसे हैं देश में फ्रस्ट्रेटेड। आप कहते हैं हम फ्रस्ट्रेटेड हैं। हम फ्रस्ट्रेटेड नहीं हैं। आपके फ्रस्ट्रेशन को दूर करना चाहते हैं। सच्ची बात कहने में नहीं हिचकते। उदाहरणार्थ साधारण स्थिति के माता पिता हैं उनके दो लड़के हैं, दो लड़कों को पढ़ाते हैं और उनकी पढ़ाई पर 10-12 हजार रुपया खर्च करते हैं। शिक्षा प्राप्त कर लड़के बालिग होते हैं और उनकी भूखों मरने की स्थिति आती है तो लड़कों की मानसिक परिस्थिति क्या होगी और उन लड़कों के माता पिता की मानसिक परिस्थिति क्या होगी, इसे आप सोचिये। यह सब आपकी दूषित योजनाओं का दुष्परिणाम हैं। इसलिए कट दी कोट अकोर्डिंग टू योर क्लौथ। आप अपने साधनों के माफिक ही अपनी योजनाएं बनाइये, अपने साधनों के माफिक ही आप अपनी व्यवस्था करिये। नहीं तो कहिए कि जोब देने के लिए, नौकरी देने के लिये सरकार जिम्मेदार नहीं है। बहुत सारे लोगों को, डॉक्टर्स वगैरह को आप बाहर जाने से रोकते हैं, यह फंडामेंटल राइट्स के भी विपरीत हैं। आप धीरे धीरे अपना संतुलन खो बैठे हैं, ऐसा मुझे महसूस होता है।

उपाध्यक्ष महोदय, कृपा कर मुझे 5 सात मिनट का टाइम देवें तो मैं आज ही अपना भाषण समाप्त कर दूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : देखा कैसा बढ़िया अपोजिशन है, कैसा बढ़िया अपोजिशन का लीडर है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं जौहरी बाजार से आनेवाले माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि मेरी लीडरी की तारीफ तो कल अध्यक्ष महोदय के कक्ष में की जा रही थी।

लीडर तो ऐसे सम्माननीय मित्र विराजमान हैं, जैसे नवाब साहब हैं····

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ये तो सुखाड़ियाजी के रीडर हैं, जैसे कि अदालतों में होते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : पेन्शन के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा। मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने के लिए सहानुभूतिपूर्ण व्यवस्था दी है, आपने अपने कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ते के रूप में कुछ वेतन में अभिवृद्धि की है तो ग़रीब पेन्शनर्स क्या करें, मेरे जैसे बूढ़े ठाड़े हैं, शक्ति नहीं कमाने की, ताकत नहीं है तो उनको भी महंगाई दी जायगी तो उनका गुजर चल सकेगा। इस महान् महंगाई के जमाने में आपकी पेन्शनर्स को भी उनकी पेन्शन में किसी तरह से बढ़ोतरी करनी चाहिये।

श्री मदनसिंह : सरकार प्रिवीपर्स लेने जा रही है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : प्रिवी पर्स ? जो कुछ करना हो करें, जमीन लें, मकान लें, स्वाभिमान कैसे लेंगे ? इस तरह की गीदड़ भभकियों से कभी हमारे बाप दादे भी डरे हैं ? हम हमारे हक पर लड़ेंगे, इनको जो कुछ करना हो करें, सीधी सी बात है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपका कोंकार्ड तो कोशिश कर रहा है कि यह प्रिवी पर्स 12-15 साल मिल जाय, सुन रहे हैं कि पोलिटिकल सैटलमेंट करने की कोशिश कर रहा है, यह बात सही नहीं है क्या ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय रामानन्दजी यह प्रश्न जो आपने मुझे पूछा है, यह इस सदन से सम्बन्धित नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है, मेरे ख्याल में कोंकार्ड वाला एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो डिसग्रेस में नाक रगड़ेगा, कुत्ते की माफिक दुम हिलाकर सरकार से कहे कि हमें दो।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह तो इन्डीकेट की सरकार है जिसमें सुखाड़ियाजी शामिल हैं जो इस तरह का षड़यन्त्र कर रही है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : हम लड़ते हैं तो संविधान के मातहत अधिकारों पर लड़ते हैं, जो व्यवस्था हमारे देश की है उसके अन्तर्गत लड़ते हैं। आपकी सरकार जब बने तो हमको फांसी लटका देना।

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय विपक्ष के नेता महोदय का भाषण समाप्त हो तब तक के लिए सदन की अनुमति से बढ़ाया जाता है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : पैन्शनर्स के सम्बन्ध में मैंने निवेदन कर दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रामानन्दजी ने कहा, इसलिए दो शब्द विशेषाधिकार के बारे में कहना चाहता हूं। एक तो हमारा विशेषाधिकार है तोपों की सलामी, और दूसरा विशेषाधिकार शेर मारने का है। अब शेरमारखां हम कहां रहे ?

अब तो आप 32-33 मंत्री शेर मारखां हैं, शेर चोर मारें और मुख्य मन्त्रीजी द्वारा प्रधान मंत्रीजी को लिखा जावे की नरेशों के शेर मारने के अधिकार खत्म नहीं हों तब तक मैं क्या करूं, मैं शेरों को कोई प्रोटेक्शन नहीं दे सकता। अधिकांश नरेशों ने शेर मारना छोड़ दिया, इन सरकार के शेरखांओं ने बहुत से शेर चोरी छिपे मारवा डाले। मैंने तो आखिरी शेर राजस्थान में सन 50 में मारा था। 19 साल हो गये मैंने तो शेर नहीं मारा। मैंने दूसरे राजाओं से भी पूछा कि क्या आपने शेर मारे हैं तो किसी ने कहा कि 10 वर्ष हो गये कोई शेर नहीं मारा, शायद एक दो ने कहा कि गत साल मारा था। जैसे मैं कहता हूं वन स्वालो डज नाट मेक ए समर। अगर 26 में से एक दो ने शेर मारा तो उस पर आपने बड़ा उदाहरण बनाकर यह कहा कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न है। हक के अनुसार हमें लड़ने का अधिकार है, हमें सच्ची बात कहने का अधिकार है। शेर मारना और सांबर मारना, यह तो चीतल, हिरण, चोरी छिपे लोग मार-मार कर खा गए और दोषी राजाओं को बताया। मेरे मित्र भीखाभाई को राम जाने डूंगरपुर के अन्दर कितने तेंदुए मरवा कर उनकी खालें बेच डालीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : भालू तेंदुए को कैसे मारता है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : भालू थोड़े ही मन्त्री हैं, भीखामाई तो मन्त्री बन कर बैठे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : महारावल, इन विशेषाधिकारों में कुछ नहीं है, फिर भी छोड़ने का मन क्यों नहीं करता है, कभी धमकी देते हो कि लड़ेंगे, कभी कुछ कहते हैं। अगर कुछ भी नहीं हैं तो जैसे गिरफ्तार हुए आपने कोठी में रहना पसंद किया हम जेल गये। अगर जनतंत्र में बराबर बैठना चाहिए तो इन अधिकारों के लिए कह दें कि हम नहीं चाहते, छोड़ दें। आप लड़ना चाहते हैं कभी धमकी देते हैं कि हमारे विशेषाधिकार बंद करेंगे तो देख लेंगे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यहां पर कोई प्रिवी पर्स और भूतपूर्व राजाओं के विशेषाधिकारों का वकील मैं नहीं हूं या माननीय रामानंदजी मेरे से राजाओं के सम्बन्ध शस्त्रार्थ जैसी कोई व्यवस्था इस सदन में करावें यह अनुपयुक्त होगा अगर मुझे आपके साथ जेल ले जाते तो मैं आपको साथ जाने को तैयार था मैंने तो पुलिस से कहा था कि मुझे मेरे साथियों के साथ जाने दो। लेकिन उन्होंने इन्कार किया मैंने किस दिन कहा कि मैं बंगले के अंदर रहना चाहता हूं ? मैं तो बिल्कुल सामान्य साधारण नागरिक जनता जनार्दन के सिपाही के नाते रहना चाहता हूं। लेकिन अगर इस सरकार द्वारा कोई गैरंटी और आश्वासन दिया गया है तो एकतरफा आश्वासन भंग होने का इल्जाम इन पर लगने दो।

श्री मदनसिंह : साथ साथ हमने रामानंदजी को देखा कि उन्होंने राजा महाराजाओं का झंडा स्वीकार किया, कांग्रेस का नहीं। इनको भी स्वाद है, वहीं जाकर बैठेंगे।

श्री रामानंद अग्रवाल : कहां बैठा मैं ?

श्री मदनसिंह : चौपड़ पर महारानी जी के कदमों में।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अब जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित बातें हैं, उनके लिए मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा सरकार को वहां पर इस समय जो लगान वसूली की व्यवस्था है उस बारे में मैंने मेरे आदमियों को भेजा जिलाधीश महोदय से मिलने के लिए। वहां से मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि सरकार के यह आदेश हैं कि दो साल का इकटठा लगान वसूल किया जाय। अगर दो या तीन साल का इकट्ठा लगान वसूल कर रहे हैं तो डूंगरपुर क्षेत्र सूखा है और सभी तहसीलों में से मेरे निर्वाचन क्षेत्र आसपुर तहसील में सबसे कम पानी पड़ता है। गत वर्ष भी कम पानी पड़ा मैं समझता हूं, जनता से दो तीन साल का इकट्ठा लगान लेना सर्वथा अनुचित है। जहां पर फसल पकी हो आप किश्तों द्वारा सहूलियत से वसूल करें। लेकिन यह तो एक तरह से किसान के प्रति बड़ी क्रूर दृष्टि है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में तो कोई बड़ा किसान नहीं है। एक पर भी सीलिंग लागू नहीं होती छोटे गरीबों से तीन तीन साल दो दो साल का लगान वसूल करना, एक अन्याय है। जिन गांवों के अंदर सूखा पड़ा है, फसल नहीं पकी है, उनके संबंध में भी कलेक्टर द्वारा सरकार को सूचना दी गई है कि जहां पर फसलें नहीं पकी है आपको निर्णय

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

लेना चाहिए। अगर आप समस्या को विचाराधीन बनाते हैं और 6 महीने तक समस्या विचाराधीन रहती है तो चिड़िया चुग गई खेत, फिर आप क्या करेंगे ? अभी मौका है, हां या ना का जवाब दीजिए मैं इस चीज को मानता हूं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड । कोई न कोई प्राम्ट डिसीजन लेने की कृपा करें।

माही पर जो पुल बनाने की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई थी मैंने इस सम्बन्ध में 1967 में मांग की थी उस मांग को सरकार ने स्वीकार किया है, सरकार को इस संबंध में मैं आभार प्रदर्शित करते हुए बधाई देता हूं। मेरा निर्वाचन क्षेत्र सारा डुंगरपुर जिले के अन्दर सूखा है, दूसरी दो तहसीलों में वन हैं और एवरेज रेनफाल है लेकिन मेरे क्षेत्र में विशेष सिंचाई की आवश्यकता है। सर्वे भी हो चुका है, कमला आंवा नाम का ग्राम सोम नदी पर है उसके आस पास बांध की व्यवस्था हो सकती है तो जनता को अवश्य लाभ होगा।

शिक्षा मन्त्री से मैंने आसपुर हाई स्कूल के संबंध में चर्चा की और मुख्य मन्त्री को भी चिट्ठी लिखी। लेकिन अभी तक कोई सुनाई नहीं हुई। मेरे खयाल में आसपुर के प्रति यह अन्याय है, दूसरी सब तहसीलों में हाई स्कूल हैं, डुंगरपुर में कालेज हैं, उदयपुर व चित्तौड़गढ़ में भी और तहसील हैडक्वार्टर्स सब जगह हाई स्कूल हैं। आसपुर के प्रति सौतेला व्यवहार हो रहा है। यह अनुचित है। अगर आप आसपुर को हाई स्कूल भी नहीं देंगे तो कम से कम आप यह समझें कि हाई स्कूल न देने से आपको वोट मिल जाय तो यह कठिन है। आगे तो भविष्य ही बतायेगा लेकिन आप जनता जनार्दन के प्रति न्यायोचित व्यवहार करेंगे, आसपुर के हक पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे ऐसी मैं आशा करता हूं।

सलूम्बर से सागवाड़ा बिजली गई और तार आसपुर से ऊपर आकर तार की लाइन गई। लेकिन इन तारों में से एक ने भी नीचे उत्तर कर आसपुरा को बिजली देने की कृपा नहीं की। आसपुर में कृपादृष्टि करके बिजली की व्यवस्था करें। यहां तक कि भूतपूर्व जिला प्रमुख, जिनका गांव बिल्कुल गुजरात की सीमा पर है, सलूम्बर की बिजली सागवाड़ा जाकर सिबलवाड़ा गई लेकिन आसपुर नहीं आई। एक तरह से आपका व्यवहार खेदपूर्ण है। अगर अन्य गांवों के अन्दर आप बिजली देते हैं तो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक जगह नाम के लिए बिजली दें, अगर नहीं दें तो आपकी मर्जी।

डूंगरपुर की पेयजल की समस्या भी है। रियासत के जमाने में पेयजल 7 मील से शुद्ध पानी दिया जाता था। सीमेंट पाइप्स द्वारा दिया जाता था, फिल्टर करके दिया जाता था। आज समाजवाद आ रहा है। दुर्भाग्यवश मुझे कहना पड़ता है कि डूंगरपुर में गैप सागर तालाब है, वहां 5 हजार मवेशी गोबर मूत आदि करते हैं, वह पानी पंप के द्वारा चढ़ा कर डूंगरपुर के नागरिकों को दिया जाता है। आधा दूध फाउल, डर्टी, फिल्दी वाटर, फिल्टर का नामोनिशान नहीं, फिल्टर की टैंक्स सड़कर खतम हो गई। जो पानी दिया जाता है वह भी पूर्णतः संतोषजनक नहीं, कहीं पर एक घन्टा, कहीं पर दो घंटे। तो मैं आप से निवेदन करूं कि कम से कम बेचारे डूंगरपुर के नागरिकों

(महारावल श्रीलक्ष्मणसिंह)

को जो 22 वर्ष पूर्व अधिकार था स्वच्छ पेय जल प्राप्त करने का उसके सम्बन्ध में मैंने कहा। एडवर्ड सागर तालाब है वहां से नहर निकाली, ऐसी नहर निकाली कि मुझे तो आश्चर्य क्या होगा, उपाध्यक्ष महोदय, सुनने वाले भी हंसेंगे। उत्तर से दक्षिण तरफ अगर नहर आनी थी और पानी का बहाव दक्षिण की ओर होना था वह उत्तर की ओर होने लगा। उल्टी गंगा होने लगी। पाइप सब फूट गये। कोटा परमिट लाइसेन्स राज के अन्दर जो पाइप बेचने वाले थे उनको इन्डेन्ट इश्यू हुए दुबारा लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई।

मंत्रिमंडल के विस्तार के सम्बन्ध में मैं मजाक रूप से नहीं कहता हूं मेरे ख्याल से यह परम आवश्यक वस्तु है विधान सभा की संख्या के अनुपात से मंत्रिमंडल की संख्या का भी कोई न कोई आधारित रूप से निर्णय लेना चाहिए। आज कांग्रेस सबसे बड़ा दल है। अधिकांश राज्यों में उसका शासन है। इस सम्बन्ध में भी सरकार विचार करेगी और मंत्रिमंडल की संख्या को अत्यधिक विस्तृत न बनाये। मैं यह भी देख रहा हूं कि मंत्री आवश्यकता से अधिक हैं। मैं किसी सम्माननीय मंत्री महोदय का नाम नहीं लेना चाहता हूं लेकिन जो मोटरें उनको दी जाती हैं कम से कम उनको एक मिनिस्टर के रूप में दी जाती हैं एक हद तक करें निजी उपयोग तो क्षम्य है लेकिन साग-सब्जी, बच्चों को स्कूल भेजना, वापिस बुलाना, नौकरों को घुमाना, कोटा भी पैट्रोल का होगा, जयपुर के अन्दर लाख लाख रुपये की पचास पचास हजार की वातानुकूलित मोटरें दौड़ाते हैं, यह अनुचित है। माननीय सदस्य कहते हैं कि गीदड़ धमकियां देते हैं मेरे पास तो जीप है वह भी ले लें मैं पैदल ही चलूंगा। लेकिन फिर भी ऐसी बुराइयों का विरोध करूंगा।

श्री मूलचन्द डागा : प्रिवीपर्स ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : राजस्थान सरकार पर 65 करोड़ का ओवर ड्राफ्ट है और 50 करोड़ से अधिक रुपयों का इस पर कर्जा भी हो गया है। मंत्री महोदयों के यहां पर शादियां होती हैं वह भी उस पैमाने पर जैसे महाराजाधिराज की शादी हो तो वहां भी झांकी पड़ जाय। यह समाजवाद का चिन्ह नहीं यह तो भ्रष्ट अधिनायकवाद का द्योतक है। मैं निवेदन करूंगा कि शासन का सबसे पहला कर्त्तव्य यह है कि दोषी को दंड दें। मैं यह अनुभव कर रहा हूं कि सरकार की रीति और नीति लगातार यह रही है कि दोषी को दण्ड देने के बजाय उसके दोष पर लीपापोती करके उसे दोषमुक्त कर दिया जाता है यह एक जघन्य अपराध है और दुःशासन की पराकाष्ठा है। उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने यह आशा व्यक्त की है कि राजस्थान सुदृढ़ हो। मैं निश्चितरूप से आप से यह निवेदन करूंगा कि जब तक इस भ्रष्ट अधिनायकवादी सरकार का समूलोच्छेदन नहीं होता है तब तक राजस्थान सुदृढ़ नहीं हो सकता।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह हाउस एडजोर्न हो उससे पहले मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। राजस्थान में हरसाल अकाल की स्थिति रहती है। अकाल के सम्बन्ध में सरकार की ओर से पूरा विवरण पेश होता है। इस सम्बन्ध में अपने अभि-

(श्री भैरोंसिंह)

भाषण में राज्यपाल महोदय ने कुछ भी नहीं कहा है और न ही कोई विवरण पेश किया है। अकाल की स्थिति क्या है, उसको मीट करने के लिये क्या कार्यवाही की, अकाल के लिये क्या क्या प्रबन्ध किये गये, पिछले समय भी यह कह कर चले गये थे कि अकाल के सम्बन्ध में जानकारी तो पूरी नहीं दे पाये, अकाउन्ट्स कम्पाइल नहीं हो पाये हैं पिछले साल के अकाल के संबंध में सारा विवरण पहुंच गया होगा और अगले साल के लिये क्या कर रहे हैं उसके लिये पूरा विवरण पेश होना चाहिये उसके लिये क्या किया जा रहा है ?

श्री अकाल सहायता मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : उपाध्यक्ष महोदय, इतने थोड़े समय में अकाल के सम्बन्ध में क्या काम किये पूरे अकाउन्ट्स का ब्यौरा और अलग अलग काम चल रहे हैं उन सबका कम्पाइल करके कल तक दिया जाना असंभव मालूम होता है। आगे भी मौका आवेगा उस वक्त राज्य सरकार की तरफ से पूरा नोट बना कर माननीय सदस्यों को वितरित कर दिया जावेगा। यह संभव नहीं है कि एक रात में बनाकर वह नोट आप लोगों के पास पहुंचा दें।

श्री भैरोंसिंह : इसका मतलब यह हुआ कि राज्य सरकार विवरण नहीं दे रही है और राज्यपाल ने भी अकाल के सम्बन्ध में विशेष कुछ नहीं कहा है। या तो आप इसके लिये एक दिन निश्चित कर दीजिये ताकि राज्यपाल के अभिभाषण के समय इस पर वाद विवाद न हो।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : जमीन दी है उसके लिये अलग से एक दो दिन की बहस रख दी जाय तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अकाल पर अलग बहस होनी चाहिये।

श्री मनोहरसिंह मेहता : असाधारण स्थिति है उस पर बहस होनी चाहिये।

श्री परसराम मदेरणा : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस चल रही है। अलग से बहस हो या न हो यह बिजनिस एडवाइजरी कमेटी में बैठ कर वहां तय करना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह : आपको आपत्ति नहीं होगी ?

श्री परसराम मदेरणा : हमारे रिप्रजेन्टेटिव भी बैठते हैं।

श्री भैरोंसिंह : एज अकाल राहत मंत्री आपको तो ऐतराज नहीं होगा ? फिर यह प्रश्न खड़ा होगा कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर काफी समय मिला और माननीय सदस्यों ने चर्चा कर दी इसलिए अलग चर्चा की आवश्यकता नहीं है यह कह कर अलग चर्चा का प्रश्न दबाया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : आप आपत्ति कर रहे हैं इसलिये दबाने का तो सवाल नहीं होगा। अलग से कार्य सलाहकार समिति निर्णय दे देगी।

श्री रणजीतसिंह (ओसियां) : उपाध्यक्ष महोदय, ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर सर, पांच बजे के बाद जो भी कार्यवाही चल रही है वह अवैध है क्योंकि आपने इसलिए

(श्री रणजीतसिंह)

समय बढ़ाया था कि महारावल साहब बोल रहे थे और वे समाप्त न कर दें तब तक के लिए समय था, वे समाप्त कर चुके हैं।

श्री भैरोंसिंह : अकाल राहत मंत्री जी को सर्विस करने का बहुत बढ़िया अवसर मिला है।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 5.18 म. प. पर दिनांक 22-1-70 के प्रातः 11-00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

परिशिष्ट 1

(ता० प्र० सं० 79 की सूची)

	1967 I.O.C.	1967 B.S.	1967 Esso	1967 Caltex	1968 I.O.C.	1968 B.S.	1968 Esso	1968 Caltex	1969 I.O.C.	1969 B.S.	1969 Esso	1969 Caltex	
Jan.	2637	1490	1240	140	3968	1490	1240	140	3035	3000	1520	220	M.T.
Feb.	2305	980	700	460	2745	980	700	460	1982	980	700	460	,,
March	2135	1850	1460	480	2079	980	1200	580	2433	980	1200	580	,,
April	2822	940	1600	560	1944	1470	985	535	2369	1720	1260	170	,,
May	3139	540	1200	460	1999	520	160	100	1442	1260	900	220	,,
June	2825	960	1000	250	1958	960	1000	250	1937	1020	1150	150+ 250	
July	2670	670	860	400	2278	1210	1110	230	2418	1200	545	210+ 1700	,,
Aug.	2347	1070	920	200	3044	780	1070	280	2001	1250	720	180+ 2850	,,
Sept.	2245	1430	950	60	3227	840	960	380	3310	1670	1360	160+ 500	,,
Oct.	2915	220	40	20	3868	1170	1730	470	5001	2900	1500	380	,,
Nov.	3740	472	1074	586	5144	2660	2380	560	4246	1600	400	400 +350	,, ,,
Dec.	2733	1004	1741	196	4558	2660	2380	560	4096	1600	500	400 +400	,, ,,

Jan. 1970

IOC	B,S	RSO	Caltex.
4320	1600	800	280

परिशिष्ट 2

समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर

भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए प्रयास

80. **श्री केशरीसिंह हाड़ा** (हिन्डोली): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में भिक्षावृत्ति की प्रवृत्ति को रोकने के लिये अब तक सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार राजस्थान में भिक्षावृत्ति का उन्मूलन करने के लिये विधान सभा के समक्ष कोई विधेयक पेश करने का विचार रखती है ?

(3) भारत के कौन कौन से राज्यों में भिक्षावृत्ति को बन्द करने के लिये विधेयक पारित कर दिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

भिक्षावृत्ति की प्रवृत्ति को रोकने के लिये राज्य में प्रयोगात्मकरूप से पुनर्वास पर आधारित पाइलट प्रोजेक्ट, अजमेर, पुष्कर क्षेत्र में प्रारम्भ किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत भिक्षावृत्ति समस्या के बारे में सर्वेक्षण भी कराया जा रहा है। साथ ही वृद्धावस्था पेन्शन एवं विकलांग पेन्शन भी इसी दिशा में उठाये गये कदम हैं।

भिक्षावृत्ति समस्या के बारे में जो सर्वेक्षण हो रहा है उसके आधार पर राज्य में भिक्षावृत्ति पर नियन्त्रण पाने के लिये भविष्य में कार्यक्रम की रूपरेखा निर्धारित की जायेगी।

जिन जिन राज्यों में भिक्षावृत्ति बन्द करने के लिये विधेयक पारित होने की सूचना प्राप्त है उसकी सूची निम्न है:—

क्रमांक	राज्य का नाम	वर्ष विधेयक
1.	महाराष्ट्र	1959
2.	गुजरात	1964
3.	दिल्ली	1959
4.	मैसूर	194
5.	मद्रास	1945
6.	बंगाल	1959
7.	केरल	1945
8.	बिहार	1951
9.	मध्य प्रदेश	1969
10.	आन्ध्र प्रदेश	1969

थानेदार के विरुद्ध शिकायत

81. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : क्या गृहमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) क्या यह सही है कि थानेदार श्री अम्बालाल ढोली (भीलवाड़ा) के खिलाफ बलात्कार के आरोप सिद्ध हुए हैं ? और क्या यह भी सही है कि भंवरसिंह ड्राइवर द्वारा लिखित में राज्य सरकार, गृह मंत्री महोदय, आई. जी. पी. को शिकायत-पत्र भेजे गये थे ? यदि हां, तो सरकार ने श्री अम्बालाल थानेदार, भीलवाड़ा के विरुद्ध अब तक कौन सी कार्यवाही की है ? यदि नहीं तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि भंवरसिंह ड्राइवर के घर में रात्रि के समय सिविल ड्रेस में श्री अम्बालाल थानेदार ने तफतीश के बहाने प्रवेश कर श्री भंवरसिंह ड्राइवर की पत्नी फलां देवी से बलात्कार करने की कोशिश की और क्या भंवरसिंह ड्राइवर और उसकी पत्नी ने थानेदार को घर में बन्द कर दिया ?

(3) क्या यह सत्य है कि थानेदार को बन्द करके भू. पू. एस. पी. श्री भंडारी को शिकायत की गई ? यदि हां, तो थानेदार के विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

1. जी नहीं। थानेदार श्री अम्बालाल ढोली (भीलवाड़ा) के खिलाफ बलात्कार के आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। यह सत्य है कि श्री भंवरसिंह ड्राइवर ने राज्य सरकार एवं महानिरीक्षक, आरक्षी को एक रिपोर्ट उसकी धर्मपत्नी के साथ बलात्कार करने की कोशिश करने के बारे में दी थी। जिस पर श्री अम्बालाल को निलम्बित कर विभागीय जांच करवाई गई थी ? विभागीय जांच में सब इन्सपेक्टर के खिलाफ चार्ज साबित नहीं होना बताया गया। इस आदेश के बाबत राज्य सरकार द्वारा रिव्यू की कार्यवाही की जा रही है।

2. विभागीय जांच से यह आरोप सिद्ध नहीं हुआ।

3. सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण भाग (1) के उत्तर में दिया जा चुका है।

कोटा जिले में डकैती के मामले

82. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या गृहमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कोटा जिले में सन् 69 में कितनी डकैती कब कब कहां कहां पड़ी व उसमें कितनी जान व माल का नुक्सान हुआ ?

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

(2) क्या यह सही है कि तहसील पीपल्दा में ग्राम शेरपुर की डकैती पर सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, कोटा को डाकुओं के प्रवेश पर सूचना प्राप्त हो गई थी ? अगर हां, तो क्या कदम उठाए गए ?

(3) डाकुओं से आतंकित क्षेत्रों में क्या स्थाई व्यवस्था की है ?

उत्तर

वांछित सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

जी नहीं । स्थिति यह है कि डकैती तारीख 23-5-69 को रात्रि को हुई थी, जब कि सूचना डकैती हो जाने के बाद तारीख 24-5-69 को 5 पी० एम० पर रेडियोग्राम द्वारा 18 घन्टे पश्चात् एस० पी० कोटा को मिली थी । सूचना मिलते ही एस० पी० कोटा शीघ्र घटनास्थल पर रवाना हो गये थे और तफतीश शुरू कर दी थी ।

डाकुओं से आतंकित क्षेत्रों में पुलिस चौकियां कायम की गई हैं । पुलिस द्वारा डाकूग्रस्त क्षेत्र में गश्त की जाती है । डाकुओं की गतिविधियों के बारे में सूचना एकत्रित करने हेतु मुखबिर मामूर किये गये-हैं जिससे कि डाकुओं के साथ मुठभेड़ होकर उन्हें पकड़ा जा सके । हाल ही में डाकू विरोधी अभियान में तीव्रता लाने की दृष्टि से एक डी० आई० जी० पी०, ए० डी० एस० की पोस्ट भी कायम की गई है ।

फहरिस्त मुकद्दमा डकैती जिला कोटा सन् 1969

नम्बर शुमार	घटनास्थल	घटना तिथि		अभियोग नम्बर मय तारीख	अपराध धारा
1	2	3		4	5
1	कबर खोह	29- 1-69	रात	4 दि. 30- 1-69	395 ता. हि.
2	कराड़िया	23- 3-69	,,	14 दि. 24- 3-69	395/397 ता. हि.
3	मूलोन	4- 4-69	,,	20 दि. 4- 4-69	,, ,,
4	नानूखेड़ी	4- 4-69	दिन	21 दि. 12- 4-69	,, ,,
5	खेड़ी	18- 3-69	शाम	46 दि. 18- 3-69	,, ,,
6	पचपाड़ा	20- 4-69	रात	65 दि. 20- 4-69	396/397 ,,
7	बघोलिया	23- 4-69	,,	57 दि. 24- 4-69	395/397 ,,
8	कराड़िया	22- 2-69	,,	10 दि. 23- 2-69	395 ता. हि.
9	कराड़िया	2- 3-69		12 दि. 2- 3-69	395/397/332/353/34 ता. हि.
10	बिशनपुरा	22- 1-69	रात	7 दि. 23- 1-69	395 ता. हि.
11	शेरपुर	23- 5-69	,,	29 दि. 24- 5-69	,, ,,
12	इटावा	24- 5-69	,,	17 दि. 24- 5-69	395/397/365 ता. हि.
13	लुचावद	24- 5-69	,,	18 दि. 25- 5-69	395/397/365 ता. हि.
14	कोलाना	24- 5-69	,,	19 दि. 25- 5-69	395/397 ता. हि.
15	भावई	29- 1-69	,,	6 दि. 31- 1-69	395 ता. हि.
16	कोटरी	13- 2-69	,,	23 दि. 14- 2-69	395/397 ता. हि.
17	सोमल्या	21- 3-69	शाम	34 दि. 21- 3-69	395/497 ता. हि.
18	जेतपुरा	29- 5-69	,,	23 दि. 30- 5-69	395 ता. हि.
19	रामपुरिया	4- 8-69		31 दि. 5- 8-69	395/397/458/365 ता. हि.
20	झनझनी	8- 4-69		18 दि. 8- 4-69	395/353 ता. हि.
21		21- 6-69		33 दि. 22- 6-69	395 ता. हि.
22	राजापुरा ग्राम सड़क बोरा	10-12-69	शाम	50 दि. 11-12-69	395/397/365/ ता. हि.
23	मांगरोल	3-11-69		170 दि. 3-11-69	395/397 ता. हि.

जिला कोटा सन् 1969

डाकू गेंग	नाम थाना	माल मसरूका लूटा हुवा	माल बरामद हुवा	डकैतों द्वारा हत्या	नतीजा मुकदमा	विवरण
6	7	8	9	10	11	12
धन्ना मीना गेंग	बावना	10252-00	—	—	—	—
,,	,,	2205-00	—	—	—	—
,,	,,	1718-00	—	—	—	—
,,	,,	50-00	—	—	—	बन्दूक टोपीदार
स्थानीय गेंग	छबड़ा	360-00	—	—	—	—
धन्ना मीना गेंग	,,	—	—	मसमनात दाखा 1	—	—
,,	छीपाबड़ोद	1297-00	—	—	—	—
स्थानीय गेंग	अटरू	29260-00	—	—	—	—
,,	,,	2 राइफल 303 बोर	2 राईफल 303 बोर	—	चालान 10-3-69	—
,,	खातोली	3678-00	—	—	—	—
सोबरनसिंह गेंग	,,	3270-00	—	—	—	—
,,	इटावा	7000-00	—	—	—	—
,,	,,	15931-00	—	—	—	—
,,	,,	4635-00	—	—	—	—
स्थानीय गेंग	इन्द्रगढ़	1230-00	—	—	—	—
,,	बारां	2500-00	—	—	—	—
,,	,,	2217-00	—	—	—	—
,,	किशनगंज	1456-00	—	—	—	—
सोबरनसिंह गेंग	,,	2000-00	—	—	—	—
टेक्नीकल डकैती	हरनावदा	26000-00	—	—	—	—
स्थानीय गेंग	अटरू	41-00	—	—	—	—
सोबरनसिंह गेंग	बावना	420-00	—	—	—	—
स्थानीय गेंग	बारां	240-00	—	—	—	—

ग्राम शामिया में कत्ल का मामला

83. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तारीख 11-12-8-68 को शामिया ग्राम, थाना भवानी मंडी के श्री नानूराम धाकड़ को रात्रि में सोते हुए तीन चार व्यक्तियों द्वारा जान से मार डाला गया और जिसकी रिपोर्ट समय पर पुलिस में की गई थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि नानूराम धाकड़ की पत्नी कावेरी भी उस समय वहीं सोई हुई थी जिसको भी बदमाशों ने पैर पकड़ लेने के कारण काफी मारा ?

(3) क्या यह भी सही है कि बदमाशों को भागते वक्त मु. कावेरी एक अन्य गवाह ने मौके पर ही पहचान लिया था और इस किस्म के बयान अदालत में हो चुके हैं ?

(4) क्या यह सही है कि थानेदार भवानी मंडी द्वारा इस केस में फाइनल रिपोर्ट लगा कर यह जाहिर किया कि कन्जरों द्वारा चोरी करते वक्त यह वारदात हुई, जब कि मुलाजिमान आस पास के ही हैं और इस केस की दो बार जांच सी. आई. डी. विभाग द्वारा कर ली गई है ?

(5) क्या यह भी सही है कि बाद जांच सी. आई. डी. विभाग द्वारा रिपोर्ट में यह लिखा गया कि तफतीश करने वाले थानेदार द्वारा असली मुलाजिमान को बचा कर बड़ी अनियमितताएं की है और पुलिस डायरी में गलत कार्यवाही की है, और वाकयात को दूसरी ओर ले जाकर केस खारिज कर दिया गया ? सी. आई. डी. विभाग की रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(6) क्या यह भी सही है कि असली मुलजिमान का अभी तक चालान अदालत में नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) इस प्रकार की घटना 11 व 12 अगस्त, 68 की रात्रि को नहीं किन्तु 11, 12 अगस्त, 66 की दरमियान रात्रि को हुई थी। इसकी इत्तला पुलिस में थाना भवानी मण्डी पर 12 अगस्त, 66 को की गई।

(2) जी हां।

(3) जी हां। घटना के 2½ माह बाद श्रीमती कावेरी ने मुलाजिमान सर्व श्री बिहारी तथा गंगाराम धाकड़ान शामिया के नाम बताये और श्री भैरूलाल धाकड़ ने पौने दो साल बाद गंगाराम अपराधी को पहचानना कहा है जिसके बयान धारा 164 जा. फो. के तहत दिनांक 9 और 11-12-68 को अतिरिक्त मजिस्ट्रेट झालावाड़ की अदालत में कलम बन्द कराये गये हैं।

(4) जी हां।

(5) जी नहीं, सी. आई. डी. द्वारा जो प्रारम्भिक जांच की गई थी उससे अनुमान लगाया गया कि वाकयात को दूसरी ओर ले जा कर तोड़ा मरोड़ा गया है किन्तु बाद में सी. आई. डी. विभाग द्वारा की गई मौके की अनुसंधान से इस अनुमान की पुष्टि में किसी प्रमाण की उपलब्धि नहीं हो सकी है। जिला पुलिस के अनुसंधानकर्त्ता द्वारा कुछ अनियमितताएं करना पाये जाने पर उसके

उत्तर

विरुद्ध विभागीय कार्यवाही जारी की गई है, जो जेर तजवीज है।

(6) जी नहीं। अनुसंधान में पाये गये दोषी अपराधियों के विरुद्ध दिनांक 8-4-69 को न्यायालय मु. मजिस्ट्रेट भवानी मंडी में चालान प्रस्तुत कर दिया गया है।

तालाबों की जमीन

84. **श्री यशवंत सिंह नाहर (बनेड़ा):** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य में ऐसे कितने तालाब हैं जिनमे जागीर कमिश्नर ने जागीरदारों को स्वत्व दे दिये हैं ?

(2) ऐसे कितने तालाब हैं जिनसे खातेदारों की जमीन की पिलाई होती थी ?

(3) ऐसे कितने तालाब हैं जिनमें जागीर कमिश्नर द्वारा पेटा और पाल में हक दे दिए गए ? क्या पेटा और पाल में हक दिये जाने का कोई प्रावधान है, यदि हां, तो क्या है ?

(4) क्या राज्य सरकार ऐसे तालाबों को राज्य में लेने की कोई कार्यवाही करने का सोच रही है ?

(5) यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) ऐसे 101 तालाब हैं।

(2) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि जिन तालाबों से खातेदारों की पिलाई होती थी वे जागीर एक्ट की धारा 23 के अन्तर्गत जागीरदार की निजि सम्पति घोषित नहीं किये गये हैं।

(3) ऐसे 101 तालाब व पाल हैं। जागीर पुनर्ग्रहण की धारा 23 में इसका प्रावधान है।

(4) यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(5) इस संबंध में शीघ्र निर्णय की सम्भावना है।

राजलदेसर को नेशनल हाई वे से जोड़ने के आदेश

85. **श्री रावत राम (छापर-सु.) :** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजलदेसर (जिला चूरू) को नेशनल हाईवे से जोड़ने के लिए सरकार ने आदेश दिए थे ? यदि हां, तो आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि कस्बा राजलदेसर नेशनल हाईवे से केवल दो फर्लांग दूर है ? यदि हां, तो क्या इस जन-हित के काम को सरकार पूरा करवाने का विचार रखती है ?

(3) क्या उक्त कार्य अकाल सहायता के अन्तर्गत पूर्ण करवाने का सरकार का विचार है ?

उत्तर

(1) अकाल राहत कार्यों में परिहारा से मोमासर राजलदेसर होती हुई सड़क निर्माण की स्वीकृति दी गई है। आदेशों की प्रतिलिपि संलग्न है।

(2) जी हां, कार्य उक्त सड़क पर हो रहा है।

(3) जी हां।

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिलाधीश चूरू

क्रमांक :—प 14 (12) (218) सहा०/69-70 दिनांक 15-10-69

निमित :—

अधिशाषी अभियंता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
भवन एवं पथ चूरू ।

विषय :—सम्वत् 2026 में अकाल राहत कार्य ।

कृपया निम्न अकाल राहत कार्य तुरन्त खुलाने की व्यवस्था करें ।

	नाम राहत कार्य	राहत शिविर
1.	डूंगरगढ़ बीदासर सड़क	1 सालासर (2) बाडेला
2.	पुनरासर आडसर सड़क	1 बिम्भासर
3.	आडसर राजलदेसर सड़क	1 लालड़सर।

कार्य 1 व 2 में फिलहाल उपरोक्त गांवों में खान से धांधला निकालने का काम शुरू कर दिया जाय तत्पश्चात इन सड़कों के अलाइनमेन्ट वगैरह तय करके अर्थ वर्क अथवा रोडी बिछवाने का या कन्सोलीडेशन का काम कहां 2 शुरू किये जायं इसके बारे में प्रस्ताव दें । आडसर राजलदेसर सड़क कार्य में लाछड़सर पर धांधला निकालने के साथ 2 लाछड़सर से राजलदेसर की तरफ अर्थ वर्ग तथा धांधला बिछाने का काम शुरू करा दिया जाय ।

राहत कार्यों पर लगने वाले श्रमिकों का भुगतान राजस्व अधिकारियों द्वारा पंचायत समिति के स्टॉफ की मदद से किया जावेगा । इस कार्य हेतु प्रत्येक पखवाड़े के मस्टर रोल समय चैक के सम्बन्धित तहसीलदारों को प्रत्येक माह की 6 व 21 तारीख तक भिजवाने का कष्ट करें ।

हस्ताक्षर जिलाधीश चूरू

क्रमांक प. 14 (12) (218) सहा० 69-70 दिनांक 15-10-69

प्रतिलिपि

सही प्रतिलिपि

सहायता आयुक्त एवं शासन सचिव राजस्थान जयपुर के पत्रांक एफ० (2) (12) आर० सी० खरीफ 68/भाग-2/2508-13 दिनांक 28-4-69 जो जिलाधीश कार्यालय चूरू को प्राप्त हुआ है।

विषय :—राहत कार्यों की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निर्देशानुसार राज्य सरकार की ओर से आपके जिले के अभावग्रस्त क्षेत्रों में निम्नलिखित सहायता कार्य इनके सामने अंकित अभिकरण द्वारा कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्रमांक नाम कार्य अनुमानित व्यय अभिकरण जिसके द्वारा किया जावेगा कन्सट्रक्शन आफ मेटल्ड रोड़ फरोम पारीहैरा टू मोमासुर द्वारा पी० डब्ल्यू० डी०।

उपरोक्त सहायता कार्यों पर व्यय इस विभाग द्वारा 64 दुर्भिक्ष-ख-सहायता कार्यों के वे मद जिन पर केन्द्रीय सहायता मिलती है। मद से एक मुस्त आवंटित राशि में से दिया जावेगा एवं इस स्वीकृति के पेटे अलग से धन राशि का आवंटन नहीं माना जावेगा।

कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व नियमानुसार कार्यवार विस्तृत अनुमान एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करली जावे।

कार्य फैमिन कोड में अंकित प्रावधानों एवं राज्य सरकार द्वारा समय 2 पर प्रसारित निर्देशों के अनुसार किया जावे।

कार्यालय जिलाधीश (सहायता) चूरू

क्रमांक :—5119 दिनांक 2-5-69

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

(1) अधिशाषी अभियंता, सा० नि० वि० भवन व पथ चूरू।

सही प्रतिलिपि

Page No 142

नवज्योति पत्र के मालिक को ताम्बे का कोटा

86. **श्री गंगासहाय :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि "नवज्योति" पत्र मालिक को ताम्बे तथा शीशे का कोटा भूतपूर्व उद्योग मन्त्री द्वारा दिया गया था ? यदि हां, तो कब व कितना कितना और किस कार्य के लिये दिया गया था ?

(2) क्या जिस कार्य के लिये कुल ताम्बे तथा शीशे का कोटा दिया गया था वह कार्य पूर्ण हो चुका है ? यदि नहीं, तो सरकार ने उक्त ताम्बा, शीशा प्राप्तकर्ता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम प्रान्हेड़ा में रेगर कालोनी के लिये अनुदान

87. **श्री देवीलाल बुरानिया :** क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा केकड़ी तहसील के ग्राम प्रान्हेड़ा में रेगर कोलोनी के लिये अनुदान दिया गया था ? अगर हां, तो कितना और किस व्यक्ति को ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त रेगर कालोनी बन कर तैयार हो गयी है ?

(3) इस कालोनी का निर्माण कार्य किसने करवाया ?

(4) क्या यह सही है कि निर्माण कार्य कराने वाले पर जिलाधीश अजमेर ने आरोप लगाया था ? अगर हां, तो आरोप की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(5) जिलाधीश द्वारा लगाये गये आरोप की जांच किस अधिकारी ने की ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(6) अधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट भेजने पर जिलाधीश अजमेर व सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

(स्थगित किया गया)

नगरपालिका लाडनूं द्वारा बेची गई भूमि के पट्टे

88. **श्री हरजीराम बुरड़क :** क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है नगरपालिका लाडनूं जिला नागौर द्वारा बेची जाने वाली जमीनों स्वत्व पत्र पट्टा रजिस्टर क्रम संख्या 201 से 250 तक के पट्टा नम्बर 229 से 232 व 242 व 250 के खाली होते हुए भी आगे की संख्याओं यानि 251 के आगे के रजिस्टर में पट्टे जारी किये गये ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि पट्टा नम्बर 233 पर तत्कालीन प्रशासन ने हस्ताक्षर दिनांक 26-2-67 को किये और उसमें आगे के नम्बरों के पट्टों पर भूतपूर्व अध्यक्ष के हस्ताक्षर पीछे की तारीखों में किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(3) क्या यह भी सत्य है कि आडिट रिपोर्ट के अनुसार पट्टा नम्बर 253 खाली था फिर भी भूतपूर्व अध्यक्ष के हस्ताक्षर पीछे की तारीखों में करवाये हुए हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) उपरोक्त अनियमित कार्यवाहियां करने, पद का दुरुपयोग तथा गलत कार्यवाहियों के दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

(5) उपरोक्त गलत कार्यवाहियों में किसको दोषी पाया गया ?

उत्तर

(1) जी हां। बोर्ड की सभा दिनांक 23-1-67 द्वारा 35 भूखण्डों के विक्रय की स्वीकृति दी गई, तदनुसार उनके पट्टों के लिये उतनी संख्या निर्धारित करदी गई। तत्पश्चात् जिस जिस भूखण्ड का मूल्य जमा हुआ, उसी अनुसार पट्टा जारी किया गया।

(2) जी हां। रकम बाद में जमा होने के कारण। पट्टा नं० 233 के बाद वाले पट्टों पर अध्यक्ष के हस्ताक्षर हैं किन्तु उन पर जैसा कि प्रश्न नं० 1 उत्तर में कहा गया है मूल्य जमा हो जाने पर अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर उसी दिन किये गये जो उसमें अंकित है न कि बाद में।

(3) जी हां। यह आडिट द्वारा भूल से लिखा गया है।

(4) लिपिक की अनभिज्ञता के कारण। उसे मौखिक चेतावनी देकर भविष्य में नियमित कार्य करने हेतु आगाह कर दिया गया।

(5) जांच में कोई दोषी नहीं पाया गया है।

परिशिष्ट 3

(ता. प्र. सं. 70 की सूची)

रिपोर्ट इत्तला अव्वल (प्रथम सूचना) नं० 14

(वां काबिल दस्तन्दाजी पुलिस बुक में हस्ब दफा 105 जा० फौ० पाने पर पास होती है)

थाना-प्रताप गढ़ जिला-चित्तौड़ गढ़ राजस्थान

जुर्म नं० (सुर्खी में) 73/66 तारीख और वक्त वकुआ 22/9/66 दोपहर

तारीख और वक्त जब इतिला हुई मय रिपोर्ट नं० रोजनामचा ग्राम	जाय वक्त और फासला और सिम्त थाने से मय नाम हल्का अगर कोई दूसरा हो।	तारीख व वक्त स्थावजी जाने के।
25-9-66 वक्त 4 पी. एम. बफतायगी चक 25-9-66 र. ओ. 102/10 पी. एम.	कस्बा प्रताप गढ़ इलासमन्दिर वफारुह से मकलांग व हल्का ओ. ए. प्रतापगढ़ सा. नं० 35	26-9-66

नाम व नम्बर हल्का		हल्के में वकुआ अन्दर साल नम्बर	
नाम और सकूनत इत्तिला कुनिन्दा और मुस्तगीस (सूचना देने वाले और अभियोगी का नाम और निवास स्थान)	नाम और सकूनत मुल्जिमान (निवास स्थान अपराधी)	गस्तसिंह हालात जुर्म मय दफा और माल अगर कोई गया हो	कार्यवाही नतीजा तफतीश जो मुकदमा अमल में लाई गई और वजह देरी जो इत्तिला करने में हुई हो।
श्री मदन लाल पुत्र अमृतलाल पंडित सा० प्रतापगढ़	अमृत अमूट	मन्दिर में किवाड़ का कुन्दा तोड़ चतर मूर्ति में आदि चुराना जुर्म जेर दफा 454/380 आई. पी. सी.	इत्तला होने पर एस. एच. ओ. जो की चौकी कस्वा तफतीश शुरू की पक्की पर कायमी जुर्म किया।

दस्तखत एस०डी० अर्जुनसिंह ओहदा एस०एच०ओ०

परिशिष्ट 4

(अ. प्र. सं० 77 की सूची)

RAJASTHAN STATE ELECTRICITY BOARD
Statement of Applications Received, Connection Released & Pending
Upto 31-12-69

S. No.	Name of locality electrified in Panchayat samiti Chittorgarh	Total No. of application received as on 31.12.69	Total connection released.	No. of applications Cancelled	No. of pending applications upto 31.12.69
1.	Chittorgarh	190	120	56	14
2.	Senthi	29	19	9	1
3.	Manpura	24	8	10	6
4.	Dhanot	48	35	11	2
5.	Sirdi	6	2	4	—
6.	Semalpura	10	8	1	1
7.	Bassi	31	16	16	2
8.	Narela	14	5	6	3
9.	Pandoli	30	9	2	19
10.	Pipli	10	6	2	2
11.	Ghosunda	34	19	9	6
12.	Segwa	6	—	5	1
13.	Bilela	—	—	—	—
14.	Raghunatpura	—	4	—	—
15.	Sawa	84	38	37	9
16.	Chanderia	3	—	—	3
17.	Relaheda	19	11	4	4
18.	Ajuliyaka khera	20	7	13	—
19.	Modikhera	—	—	—	—
20.	Bhawanipura	—	—	—	—
21.	Devri	8	3	5	—
22.	Pavtia	81	8	—	—
23.	Saharva	15	7	5	3
24.	Banasti	—	—	—	—
25.	Samclya	22	12	6	4
26.	Salera	7	4	2	1
27.	Putholi	23	8	5	10

LIST OF LOCALITIES ELECTRIFIED UNDER PANCHAYAT SAMITI CHITTORGARH OF CHITTORGARH DISTRICTS

S. No.	Name of the Locality
1.	Chittorgarh.
2.	Senthi.
3.	Manpura.
4.	Dhanet Khurd.
5.	Sirdi.
6.	Semalpura.
7.	Narela.
8.	Pandoli.
9.	Piplimisronki.
10.	Ghosunda.
11.	Segwa.
12.	Biblola.
13.	Rughnathpura.
14.	Sawa.
15.	Chanderia.
16.	Rolahera.
17.	Ajolia ka khera.
18.	Medil ka Khera.
19.	Bhuwanipura.
20.	Pavtia.
21.	Devari.
22.	Sabanwa.
23.	Bansat.
24.	Semlia.
25.	Bassi.
26.	Salera.
27.	Putholi.

परिशिष्ट 5

(अ. प्र. सं० 79 की सूची)

नगर पालिका केकड़ी द्वारा दि० 30-5-66 से 20-6-69 तक अल्पहार आयोजन में खर्च का विवरण

क्रम सं०	जिसके सम्मान में अल्पाहार आयोजन किया गया उनका नाम	प्रयोजन	दिनांक	खर्च राशि
1	2	3	4	5
1.	श्री बालकृष्णजी कौल	बस स्टेन्ड व यात्री प्रतिक्षालय के उदघाटन हेतु	18-6-66	198-98
2.	श्री बजसुन्दरजी शर्मा श्री विशेश्वर नाथ जी मार्गव	तेजामेला पशुमेला 66 के अवसर पर	7-10-66	257-74
3.	श्री मोहनलाल सुखाड़िया श्री बृजसुन्दरजी शर्मा	कालेज भवन निर्माण उद्घाटन	4-2-67	531-90 33-25
4.	श्री	तेजामेला 1967	17-3-67	94-42
5.	श्री वी० पी० जौन डाइरेक्टर	कालेज निरीक्षण हेतु	31-3-67	93-37
6.	पार्टी आयोजन	तेजामेला 1966	31-3-67	149-57
7.	श्री विशेश्वर नाथजी भार्गव एम. पी.	एम. पी. के मेम्बर के स्वागत में	31-3-67	44-21
8.	तेजामेला व पशुमेला 67 में अतिथियों व कवियों को तथा उच्चाधिकारियों को तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों को जलपान व भोजन व्यवस्था		23-10-67	316-28
9.	श्रीमती प्रभा मिश्रा उप मंत्राणी	महिला पार्क उद्घाटन	29-11-67	116-70
10.	श्री हीरालालजी देवपुरा राज्य मंत्री राजस्थान	गांधी भवन का शिलान्यास हेतु पार्टी आयोजित	27-1-68	182-47
11.	श्री ताराचन्दजी उप-जिलाधीश केकड़ी	विदाई समारोह पार्टी स्थानान्तरण किये जाने हेतु पार्टी	13-6-68	193-65
12.	श्री प्रेमचन्दजी मुंसिफ मजिस्ट्रेट	,, ,,	24-8-68	95-52
13.	श्रीमती प्रभामिश्रा उप-मंत्री	तेजामेला 68 स्वागत समारोह हेतु	13-9-68	166-15
14	श्री हरिसिंहजी बेंगू कृषि उप-मंत्री व अतिथिगण	तेजा व पशुमेला 68 में	20-9-68	494-31
15.	तेजामेला व पशुमेला में	अल्पाहार व भोजन व्यवस्था	30-11-68	139-58
16.	श्री रामप्रसादजी लड्ढा सिंचाई मंत्री राजस्थान	शास्त्री पार्क उद्घाटन	24 व 27-1-69	287-70
17.	व्योपारीगण पशु	पशुमेला 19-3-69 से 25-3-69 में अल्पाहार व्योपारियों को	20-6-69	78-40
			टोटल	3474-20

परिशिष्ट 6

(अ० प्र० सं० 89 की सूची)

सूची (अ)

(अ) भवन

1. भेड ऊन प्रसार केन्द्र केकड़ी सन् 63-64
2. ई० टाईप क्वाटर्स केकड़ी 64-65
3. मुंसिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट केकड़ी सन् 67-68
4. पोस्ट एन्ड टेलीग्राफ क्वार्टर केकड़ी 66-67
5. बस स्टेन्ड केकड़ी सन् 64-65
6. बीज गोदाम केकड़ी सन् 61-62
7. पंचायत समिति क्वार्टर केकड़ी 62-63
8. पी० डब्लू० डी० स्टोर केकड़ी 61-62
9. क्लास रूम निर्माण पायलेट स्कूल केकड़ी सन् 63-64
10. कमरे का निर्माण काय गर्ल्स माध्यमिक शाला केकड़ी 63-64
11. प्राईमरी हैल्थ सेन्टर बघेरा 62-63
12. प्राईमरी हैल्थ सेन्टर भिनाय 61-62
13. सब सेन्टर कादेड़ा (वेटरनरी) 63-64
14. डाक्टर क्वार्टर भिनाय 62-63

(ख) पथ :—

1. केकड़ी सावर रोड़ माईल 15 (65-66)
2. केकड़ी कादेड़ा 14 माईल (4 माईल कम्पलीट हो चुके हैं) (65-66)
3. बालिया सांघला (65-66)
4. वाइडनिंग आफ रोड़ नसीराबाद देवली रोड़ माईल 25 से 44 एन्ड इम्प्रूवमेन्ट क्वार्टस 67-68
5. सी० डी० वर्क्स केकड़ी सूनिया रोड़ 66-67
6. सावर पानेर रोड़, (कार्य प्रगति पर है)

शुद्धि-पत्र

(बुधवार, दिनांक 21 जनवरी, 1970)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या		अशुद्ध	शुद्ध
1	2		3	4
1		5	म. पू. 11 को	म. पू. 11 बजे
3	अन्तिम से	2	काश्तंकार	काश्तकार
26		4	जरुर	जरूरी
,,		16	कन्सीडर करेंगें	कन्सीडर नहीं करेंगें
32		12	inittative	initiative
40		5	बकील	बकील
41	अन्तिम से	11	प्राडिनरी	आर्डीनरी
53		19	जाय	जा सके
,,		21	मेंटन	मेट्रिक
55		4	लटिर	लीटर
58	शीर्षक		तारांकित प्रश्नोत्तर	अनु. सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर
,,		13	का का	का
,,		16	जिनको	जिनका
,,	अन्तिम से	4	उनको	उनकी
60	शीर्षक		तारांकित प्रश्नोत्तर	अ. सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर
62	,,		,,	अतारांकित प्रश्नोत्तर
69		8	में उसका	में है उसका
75	अन्तिम से	12	तरक	तरफ
84	,,	4	खर्चा	खर्च
94		3	कुल	कुछ
,,	अन्तिम से	11	Shortfull	Shortfall
97		18	बारे इन	बारे में इन
,,		19	चोर्जों	चीजों
106	अन्तिम से	13	प्रोसीजरल	प्रोसीजर
103	,,		कैना	कैनाल
129		10	प रहां	पर हां
,,	अन्तिम		अध्यक्षपीठ आदेशानुसार	अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार
147	अन्तिम से	14	लि	लिये

1	2		3	4
150		2	बठाया	बैठाया
154		4	मम्भार	गम्भीर
,,		10	सदस्य एक साथ	सदस्यों के एक साथ
159		20	तारख	तारीख
,,	अन्तिम		विह्क्लस	विह्किल्स
160		6	बीारी	बीमारी
,,		12	खसतौर	खासतौर
161		13	ता	तो
170	अन्तिम से	9	होम्योपैथ	होम्योपैथिक
197		4	परमीान	परमीशन
,,		8	काश्कार	काश्तकार
210		15	बी. के. पी. डी.	बी. के. डी.
226		4	मैं	में
228	अन्तिम से	14	मक	मकान
230	,,	8	ग ीब	गरीब
,,	,,	6	र्ष	वर्ष
,,	,,	4	देवी	देखी
234		11	1959	सन् 1959
235		20	ग शिक्षित	अशिक्षित
236		12	तयार	तैयार
285	अन्तिम		17. व्योपारीगण पशु	17. व्योपारी गण